राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या: 19

शनिवार,
25 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से गांव चूड़ा, तहसील आहौर, जिला जालौर में दलित दूल्हे को घोड़ी पर से उतार कर मारपीट करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा आवासीय क्षेत्रों में बिना व्यावसायिक पट्टों के आबकारी दुकानों के लाइसैंस जारी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर में चारणवाला ब्रांच से सिंचाई का पानी कम करने से किसानों को हो रही समस्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के डाक्टरों का प्री-पी.जी. कोटा 50 प्रतिशत करने एवं 10 प्रतिशत बोनस अंक देने से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पहले इतनी बहस हो गयी, फिर भी आज उठाएंगे, चलो ठीक है।

5. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में

2] नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त-25 मार्च 2017-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

ड्यूटी देने वाले डाक्टरों का प्री-पी.जी. कोटा 50 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2013 में निकाली गयी भर्ती परीक्षा में विवाद से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में चल रही राजगढ़-बुंगी पेयजल योजना में पी.एस.पी. वर्ष 2017 की जनसंख्या के आधार पर लगाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार, श्री सुखराम विश्नोई, श्री घनश्याम एवं श्री मनोज कुमार को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती अलका सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की ग्राम पंचायत गोलाडा, निहालपुरा एवं पूंदरपाडा को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में।

2. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से किशनगढ़-ब्यावर सिक्स लेन राजमार्ग परियोजना के टोल बूथ पर जिला अजमेर के वाहनों को नि:शुल्क आवागमन की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्रीमती राजकुमारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के सामान्य चिकित्सालय में नवीन ब्लड बैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बीसलपुर परियोजना का कार्य धीमी गति से चलने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. डा. मंजू बाघमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में राजस्थान स्टेट मिनरल एण्ड माइन्स द्वारा जिप्सम खरीद में किसानों के साथ किये जा रहे अन्याय के सम्बन्ध में।

6. श्री किशनाराम, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रतिबंधित जिलों में शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में।

7. श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में मुख्य मंत्री व प्रधान मंत्री आवास योजना में प्रार्थियों को आवास का पट्टा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री बनवारी लाल सिंघल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में सीवरेज लाइन से वंचित रहे क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने की बढ़ती घटनाओं के सम्बन्ध में।

10. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से तहसील मण्डरायल के ग्राम मोंगेपुरा में कैलादेवी वन्य जीवन अभयारण्य सीमा के भीतर बाहुबली द्वारा संचालित अवैध प्लाण्ट को बंद करवाने के सम्बन्ध में।

11. श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा के पुराना थाना भवन में पुलिस चौकी संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 22 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 04 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

1. श्री हीरालाल नागर, सांगोद नगर की जीर्ण-शीर्ण सिंचाई कालोनी को राजस्व विभाग को आबंटन कर मिनी सचिवालय निर्माण करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
2. श्री गोतम कुमार, बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
3. श्री हनुमान बेनीवाल, जयपुर के ग्राम सोडाला के खसरा नम्बर 328 में 12 बीघा 07 बिस्वा सरकारी जमीन का कथित रूप से गलत तरीके से मुआवजा उठाये जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री शंकर सिंह, विद्युत विभाग द्वारा गौरव पथ में कथित रूप से सरकार के आदेश की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री श्रवण कुमार। आप बैठिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। मैंने श्रवण कुमार को बुलाया है, बैठिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डाक्टर्स के प्री-पी.जी. कोटे में कमी

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत मैंने आपसे निवेदन किया, आपने मुझे टाइम दिया इसलिये धन्यवाद।

मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों को प्री-पी.जी. के लिये 30 नम्बर दिये जाते थे, अगर गांव में कोई डाक्टर तीन साल तक ड्यूटी करता था तो। सरकार ने अपने आप ही आदेश पारित कर दिया। तीन साल के 30 नम्बर के बजाय अब 10 नम्बर कर दिये।

पहले ही डाक्टर नहीं जाते थे गांवों में। पी.एच.सी. खाली पड़ी रहती थीं। किसी के जाने का मन ही नहीं करता, सब शहरों में रहना चाहते थे। अब हमारे माननीय मंत्रीजी ने एक नया आदेश और निकाल दिया कि 10 नम्बर ही मिलेंगे। इससे कोई जाएगा ही नहीं। गांव तो वैसे ही अधूरे थे डाक्टरों के लिये। नर्स, कम्पाउण्डर कोई जाना ही नहीं चाहता। पांच बजे बाद

(श्री श्रवण कुमार)

तो कोई मिलता ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के शाम को पांच बजे बाद बुखार हो गया तो मरीज शहर में ही जाए। डाक्टर तो कहेंगे कि हमारा आवास गृह शहर में है। चाहे हास्पिटल में उसका मकान बना हुआ हो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं करें। मंत्रीजी, आपस में बातचीत नहीं करें। मंत्रीजी, इधर देखिये। आपस में बातचीत नहीं। कुछ व्यवस्थाओं का ध्यान रखो, नियमों का ध्यान रखो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और 30 प्रतिशत शहरों में रहते हैं। फिर भी, आज 68 वर्ष के बाद भी गांवों में डाक्टर रात को नहीं रहता है। उसका ठहराव सुनिश्चित नहीं किया गया। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बी.जे.पी. की सरकार हो। मैं यह नहीं कहता कि बी.जे.पी. ने नहीं किया। मैं कांग्रेस को भी उतना ही धन्यवाद देता हूं कि आपने भी गांवों के बारे में नहीं सोचा। जब वोटों के लिये जाते हैं तो झोपड़ी में बैठा किसान, टीबे के ऊपर टिमटिमाते दीपक के अन्दर बैठा है। उसको यह कह कर आएंगे, बाबा, जब मैं अबकी बार आऊंगा, आपके लिए सारी सुविधाएं लेकर आऊंगा। पर उसके बाद पांच वर्ष तक उस किसान को जाकर यह नहीं पूछते हैं कि मर रहा है या जिंदा है। आज भी स्थिति यह है कि डाक्टर, गांव में जाकर पूछोगे तो कहेंगे कि वह तो चिड़ावा में रह रहा है, वह तो पिलानी में रह रहा है, वह तो सूरजगढ़ में रह रहा है। गांव के अन्दर कोई नहीं रहेगा। किसी भी मंत्री को कहते हैं तो वह कहता है हम क्या करें। पहले वालों ने भी तो यही किया था। मैं इनको कहता हूं कि पहले वालों ने तो बुरे कर्म किये तो 21 पर आ गये। आप क्या 07 पर आना चाहते हो। जो आदमी इच्छा शक्ति नहीं रखता है, आज यू.पी. में हमारे मुख्य मंत्री बने, बाबाजी, उन्होंने क्या किया, आते ही, न आव देखा, न ताव देखा, न पार्टी देखी। उन्होंने जिस तरह आप न्यायप्रिय हैं, उस तरह न्याय देना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं, आप हट जाओगे। वे बोले, मेरे पास था भी क्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हृदय परिवर्तन। कांग्रेस के एक सीनियर माननीय विधायक, हमारे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। यह संकेत दे रहे हैं आपको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्यों बडाई करना ...(व्यवधान)... माननीय मंत्रीजी, नोटों में सभी नोट असली नहीं होते, उनमें कुछ नोट जाली भी होते हैं। और जो विधान सभा में सच बोलते हैं, वे मूर्ख नहीं, वे सच्चे भी होते हैं। ...(व्यवधान)... इसलिये मैं कहता हूं, सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे नजाकों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में। खुशबू आ सकती है, अगर कागज में तेल हो तो। सच्चाई छुप सकती है, अगर दोनों में मेल हो तो।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये, बोलिये। खतम कीजिये फिर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक और सुना दो, वह शीशी भरी शराब वाली, पत्थर पर फोड़ दूं। वह एक और आता है न वह सुना दो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजेन्द्रजी और हम साथ-साथ ही हैं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, सब काम आप साथ ही करते हो दोनों?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हां, साथ-साथ ही हैं।

श्री अध्यक्ष: सब काम?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये उधर बैठते हैं न, तब भी ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): दोनों साथ-साथ हैं, मिलीभगत है। फिर ये सदन का समय क्यों जाया कर रहे हैं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, आप तो बैठे रहो।

इधर बैठते हैं तो राजेन्द्रजी की क्या आदत है, आपने तो उनको देखा नहीं होगा। ये एक कागज रखते थे, फहरा देते थे। ऊपर वाले पत्रकार सोचते हैं, पता नहीं क्या लेकर आये हैं।

(श्री श्रवण कुमार)

कागज में कुछ नहीं लिखा रहता था पर कागज लहराते रहते थे। ये बड़े कलाकार हैं साहब और उत्तर देने में भी कभी नहीं चूकते। कहते थे कि गलत व्यक्ति को दण्डित किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके दो घंटे बाद पूछो तो कहते कि यह विधान सभा की बात है, आप समझा करो। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बड़े कलाकार हैं I know him very well. He is a very good man. No doubt.

श्री अध्यक्ष: अब अपनी बात समाप्त करो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कह रहा हूं कि आप बताओ पहले एम.डी. और एम.एस. करने के लिए कोटा 50 प्रतिशत था वो समाप्त कर दिया। माननीय मंत्री जी, बनिये हैं और बनिये के हिसाब में कभी भी कोई घाटा नहीं होता, तलपट मिलाते हैं तो रोकड़-पोते नाम और रोकड़-पोते जमा में जमा ही ज्यादा मिलेगा, रोकड़-पोते नाम नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राजस्थान के जो डाक्टर गांवों में रहते हैं और जो गांवों के लड़के आते हैं उनका कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है कि इनको सोचना पड़ेगा। ये कहते हैं कि वी.सी. ने कर दिया होगा। जो वी.सी. वगैरह होते हैं ये मंत्रियों से नीचे होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मुख्य मंत्री होता है और उसके नीचे मंत्री होते हैं तो मुख्य मंत्री जी की इच्छा है तब तो हम बोलें ही क्या...

श्री अध्यक्ष: स्पीकर कहां होता है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष होता है वो सुपर होता है, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। वो तो जो बोलते हैं वो यह समझो कि आग ही निकलती है। इसलिए मैं आपके बारे में तो कहूंगा ही कहूंगा। मेरी विनती यह है कि मंत्री जी आज ही इस बात की घोषणा करें कि जो कोटा 30 प्रतिशत था वो कोटा खतम नहीं करेंगे, 30 प्रतिशत ही रखा जाएगा और बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल किया जाएगा तथा उनके साथ जीवन में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अगर मंत्री जी, आपमें हिम्मत है और आप यही देखते रहते हो कि मुख्य मंत्री क्या बोलेगा और मैं उसके बाद क्या

(श्री श्रवण कुमार)

बोलूंगा तब तो बेकार है समय खराब करने से, कहीं बाबाजी बन जाओ तो ही अच्छा लगेगा। Powers are not delegated but are required. इसलिए पावर कोई दिये नहीं जाते हैं, पावर लिये जाते हैं। पीड़ पर्वत से भारी हो गयी है तो एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मकसद कोई हंगामा मचाना नहीं है, मेरा मकसद उन गरीब लोगों के लिए लड़ने का है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। आप बोलिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों स्थगन एक से ही हैं तो वो सुखराम जी भी बोल लें, फिर जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, ठीक है। माननीय सुखराम जी।

सूचना

झालावाड़-बारां मार्ग पर विद्‌युत विभाग की लापरवाही से दुर्घटना

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है। कल रात्रि को 11 बजे मेरे विधान सभा क्षेत्र के बपावर कस्बे में जो झालवाड़ से बारां का मेगा हाइवे है वहां पर एक कार बिजली विभाग के अधिकारियों की गलती से वहां पर बिजली के खम्भे स्टैंडिंग कर रखे थे जिनसे रोड के साइड में जाकर टकराई और पाँच फुट तक उछली। कार में सवार पांचों व्यक्तियों की दर्दनाक, एट द स्पॉट, वहीं मृत्यु हो गयी है। यह हादसा केवल पहला नहीं है, इसके पहले भी कई हादसे हुए हैं विद्‌युत विभाग की गलती की वजह से इसलिए इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजिये। आपने कल की सूचना दी, विराजिये। अब इसके आगे इधर-उधर नहीं। सरकार तक पहुंच गयी।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, बारां के सब निवासी थे माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। सरकार तक पहुंच गयी आपकी बात, बैठिये। माननीय सुखरामजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डाक्टर्स के प्री-पी.जी. कोटे में कमी

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 20.03.2017 को एक आदेश निकाला कि जो गांवों में कार्यरत डाक्टर हैं उनका रिजर्वेशन 10 परसेंट रखा जाए। पहले चिकित्सा मंत्री राठौड़ थे, गांव के लोग थे इसलिए गांव का ख्याल रखा और जैसे ही सिटी के ये आये, मंत्री बने, वो अनिवार्यता हटा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो डाक्टरी करते हैं, पी.जी. करते हैं, प्री-पी.जी. चाहे एम.डी. है या चाहे एम.एस. है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनका 50 परसेंट कोटा था गैर राजकीय कॉलेज और राजकीय कॉलेज का 25 परसेंट, यह 50 परसेंट कोटा था। डाक्टर सुप्रीम कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट और एम.सी.आई. दोनों ने तय किया कि डाक्टर अगर एक वर्ष गांव में रहता है तो 10 परसेंट, दो वर्ष रहता है तो 20 परसेंट, तीन वर्ष रहता है तो 30 परसेंट। 30 परसेंट कोटा गांव में रहने वाले डाक्टरों को मिलेगा तभी डाक्टर गांवों में मिलेंगे। अगर इस रोक को 10 परसेंट रखा गया तो न तो गांव में स्पेशल डाक्टर, न तो फिजिशियन मिलेगा, न सर्जन मिलेगा, न स्त्री रोग विशेषज्ञ मिलेगा, न शिशु रोग विशेषज्ञ मिलेगा, न नेत्र विशेषज्ञ मिलेगा, न हड्डी का डाक्टर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि तमाम लोग शहर से ही पी.जी. करेंगे और पी.जी. करने के बाद शहर में ही लगेंगे। जब 70 परसेंट आबादी गांव में रहती है तो माननीय अध्यक्ष जी, चिकित्सा मंत्री जी ने किस हिसाब से यह आदेश निकाला है? हाई कोर्ट की परवाह की नहीं, एम.सी.आई. की परवाह नहीं की और पहले जो स्टेंडिंग ऑर्डर था 50 परसेंट, उसकी भी परवाह नहीं की। तीनों आदेशों को अवॉइड करते हुए मनमर्जी से 20.03.2017 को अभी जो आदेश निकाला है, इस आदेश को निरस्त किया जाए। निरस्त इसलिए किया जाए कि अगर यह निरस्त नहीं किया गया तो गांव में एक भी एम.डी. या एम.एस. किया हुआ डाक्टर नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी बनता है कि जो एक बड़े भू-भाग में

(श्री सुखराम विश्नोई)

फैला हुआ क्षेत्र है और हर 3-4 गांवों के बीच में एक डाक्टर है तो पहले राठौड़ साहब ने जिस बात को पाला है इसी बात को सराफ साहब मानें और हाई कोर्ट का आदेश भी मानें। यह आदेश ऐसे ही नहीं टिकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लोग फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अवमानना का नोटिस देंगे तो इससे बैस्ट है आप इस बात को स्वीकार कर लो। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, एम.सी.आई. ने जो फैसला किया है उसको 10 परसेंट, 20 परसेंट, 30 परसेंट मानेंगे तभी गांवों में डाक्टर टिक पाएंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्रवण कुमार जी और सुखराम जी या तो विषय को समझ नहीं पाये या जान-बूझकर समझना नहीं चाहते। आपको बता दूं, आपने लिखा है कि प्रदेश में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के डाक्टरों का प्री पी.जी. कोटा 50 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया। ऐसा नहीं है। पहले हमारे स्टेट में यह व्यवस्था थी कि जो डाक्टर इन-सर्विस थे उनका 50 प्रतिशत कोटा था और जो फ्रेशर्स थे उनका 50 प्रतिशत कोटा था। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गये कि साहब, यह कोटा खतम होना चाहिए। तो यह राजेन्द्र जी के टाइम 50 परसेंट था और मैंने इसको कम कर दिया, ऐसा नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया कि 50 परसेंट कोटा नहीं रहेगा और इसकी जगह उन्होंने यह किया कि जो इन-सर्विस में हैं एक साल ग्रामीण सर्विस में है तो उसको 10 परसेंट वेटेज दिया जाएगा मैरिट में, दो साल है तो 20 परसेंट वेटेज दिया जाएगा और तीन साल है तो 30 परसेंट वेटेज दिया जाएगा। फिर इसमें एक लाइन और जोड़ दी कि राज्य सरकार अपने-अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए इसमें रद्दोबदल कर सकती है। हमने पूरी एक्सरसाइज की। यदि 30 परसेंट कोटा हम रखते, 100 सीट है तो 100 की 100 सीट पर इन-सर्विस वाले लोग लगते, फ्रेशर्स बिलकुल अलग हो जाते। यदि हम 20 परसेंट रखते तो 80 परसेंट इन-सर्विस के लोग आते और 20 परसेंट फ्रेशर्स के आते। क्योंकि पहले 50 परसेंट कोटा इन-सर्विस वालों का था और 50 परसेंट कोटा फ्रेशर्स का था इसलिए हमने 10 परसेंट रखा।

(श्री कालीचरण सराफ)

अब 10 परसेंट रखने से 50 परसेंट जो इन-सर्विस वाले पहले आते थे वो अब 50 की जगह 52 भी आ सकते हैं, 48 भी आ सकते हैं, और फ्रेशर्स का 50 परसेंट का कोटा था उसकी जगह 52 भी आ सकते हैं और 48 भी आ सकते हैं। (व्यवधान) सुनिये आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ऐसा भ्रम वाला स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? (व्यवधान) कैसे आएंगे वो लोग? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बैठिये तो सही एक मिनट। बैठिये। दूसरा, इन्होंने कहा कि वो अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें से कुछ लोग 23.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय में गये तो उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को मानते हुए यह निर्देशित किया है कि यदि कोई पक्ष इससे प्रभावित है तो वो न्यायालय को एप्रोच कर सकते हैं अत: उन्होंने भी इस आदेश में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की। हमारा उद्देश्य यह है कि जो पहले कोटा था 50 परसेंट इन-सर्विस वालों का और 50 परसेंट फ्रेशर्स का, तो दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए हमने यह व्यवस्था की है। इसमें किसी ग्रामीण क्षेत्र के साथ अन्याय कुछ नहीं है। (व्यवधान) आप बीच में मत बोलिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इनका कम करने का आधार क्या है? दस परसेंट का आधार, 10 परसेंट क्यों रखा फिर? (व्यवधान) 10 परसेंट का आधार कौनसा है? 30 परसेंट कम करके 10 परसेंट किया उसका आधार बताओ न? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुखराम जी, नहीं-नहीं। आप बैठिये। (व्यवधान) सुखराम जी, जो जवाब दे रहे हैं वो पूरा सुन लीजिये। (व्यवधान) आप वैल में चले जाना संतुष्ट नहीं हैं तो। यह क्या तरीका हुआ? नहीं, आप भी बैठिये। अभी कोई नहीं बोलेगा। (व्यवधान)

श्री भजन लाल जाटव (वैर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। बैठिये आप। भजन लाल जी, बैठिये। अंकित नहीं हो किसी का भी। (व्यवधान)

श्री भजन लाल जाटव (वैर): 000

श्री अध्यक्ष: बैठिये। भजन लाल जी, बैठिये। अंकित नहीं हो एक शब्द भी।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): 000

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भजन लालजी, सुनिए। ऐसा है जैसा मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा कि ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बीच में खड़े हो जाते हैं। भजन लालजी का अगर एक भी शब्द नोट हुआ है तो ड्रॉप कर दो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा जो इन-सर्विस के लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा और जो फ्रेशर्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। पहले जो व्यवस्था थी पचास-पचास परसेंट की, इसमें एक दो परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है बाकी नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: चलो विराजिए। श्री घनश्याम मेहर। ....(व्यवधान)....

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): न तो आपने आदेश रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ....(व्यवधान)....

श्री भजन लाल जाटव (वैर): यह बहुत गंभीर विषय है, इस तरह से तो कोई नौकरी नहीं करेगा। ग्रामीण एरिया में जाकर कोई नौकरी नहीं करेगा। यह डाक्टरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ....(व्यवधान)....

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपको तो विरोध करना चाहिए। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: ऐसे नहीं चलेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह कानून थोड़े ही बन गया। इन्होंने तो कानून बना दिया। कानून बना दिया है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप बात कर लेना। आप बैठकर बात कर लेना। ....(व्यवधान)....

श्री भजन लाल जाटव (वैर): काफी सारे डाक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठकर बात कर लेना। मैं यह कह रहा हूं कि आप बैठकर बात कर लीजिए। श्री घनश्याम मेहर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह बात सही है लेकिन कानून बना दिया इन्होंने। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बिना परमिशन के बाद भी आप खड़े हो रहे हैं। घनश्याम मेहर। आप बात कर लेना। ....(व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप यह बताओ, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन किया हमने, इन्होंने कहा कि 48 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 परसेंट वाली बात तो नहीं है लेकिन 10 परसेंट पर आकर रुक गये और गांवों में जो मार्किंग करते थे ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: हां, अब आप बात कर लेना। श्री घनश्याम। बात कर लेना आप। मंत्रीजी, मैंने कह दिया कि वह आपसे बात कर लें। ....(व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बता दो, आप बता दो। हमें तो आप जो करते थे न उसमें जनता को लाभ, गरीब लोगों को, गांवों लोगों को लाभ मिलना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष: हां, चलो विराजो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसमें गांव और शहरों का सवाल नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तो किसका है?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप समझ ही नहीं रहे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप भी समझ ही नहीं रहे। आप कह रहे हो कि जो नये आएंगे उनके लिए 50 परसेंट ....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुनिये, बैठिये, बैठिये। भाई, ऐसा है, पहले यह व्यवस्था थी कि पचास परसेंट जो इन-सर्विस

(श्री कालीचरण सराफ)

में हैं, उनका एडमिशन होता था पी.जी. में और 50 परसेंट फ्रैशर्स का होता था। अब यदि 30 परसेंट मान लें वेटेज तो 90 परसेंट तो होगा इन-सर्विस वालों का और फ्रैशर्स का केवल 10 परसेंट होगा। यदि बिलकुल ही नहीं मानें तो फ्रैशर्स का होगा हंड्रेड परसेंट और इन-सर्विस वालों का जीरो होगा। इसलिए हमने बीच का रास्ता निकाल कर 10 परसेंट वेटेज इन-सर्विस वालों का रखा है कि दो साल तो दुर्गम स्थानों पर और तीन साल ग्रामीण सर्विस में जो इन-सर्विस में रहेंगे उनको 10 परसेंट का वेटेज दिया जाएगा। 10 परसेंट बहुत बड़ा वेटेज होता है। 10 नम्बर यदि बढ़ जाएंगे तो 50 परसेंट का जो कोटा है उनका, उसका 52 भी हो सकता है और 48 भी हो सकता हैं, इससे कम नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 प्रतिशत नम्बर का था, वह हटा दिया न? अपने मुंह से कहो कि 10 प्रतिशत हर साल का मिलता था, वह हटा दिया।

श्री अध्यक्ष: यह गणित आप बाद में कर लेना।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्रवण कुमारजी। मिस्टर श्रवण कुमार, बार-बार खड़े होकर बोल रहे हो, मैंने आपको अलाऊ किया। मैं कह रहा हूं आप उनसे बात कर लेना और वह भी कह रहे हैं बात कर लो। हां, मिस्टर घनश्याम।

पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-50 के अंतर्गत आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान में आज जो युवाओं की स्थिति सरकार ने पैदा की है यह बहुत निंदनीय है, बहुत दु:ख की बात है। आपके माध्यम से निवेदन है कि 2013 में पंचायती राज विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की राजस्थान अधीनस्थ सेवा हेतु 26 हजार पदों की भर्ती निकाली थी। जिसमें 7765

(श्री घनश्याम)

कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्ति दी गयी थी परंतु यह भर्ती परीक्षा बोनस अंक के विवाद के पूरी तरह नहीं हो पा रही है। इससे शेष पदों हेतु भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण पूरी नहीं हो पा रही है। इससे बेरोजगार युवाओं को खासी परेशानी पैदा हो गयी है। इस भर्ती परीक्षा का उचित हल निकाल कर सरकार इस मामले पर ध्यान दे और सरकार की स्थिति यह हो रही है कि आज प्रदेश में चाहे शिक्षा-कर्मियों का मामला हो, चाहे पंचायती राज के कर्मचारियों का मामला हो, चाहे कम्प्यूटर कर्मियों का मामला हो, चाहे वरिष्ठ शिक्षकों को मामला हो, चाहे होम गार्ड का मामला हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने चुनाव के समय में अपने घोषणा पत्र में 15 लाख नौकरियां देने का वादा किया और उसके बाद जो युवाओं के साथ छलावा हुआ है, धोखा-धड़ी सरकार ने जो की है, यह बहुत दु:ख की बात है। आज पंचायती राज के कर्मचारियों की स्थिति यह हो गयी है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: अब आप पंचायती राज विभाग से कहां आ गये? नहीं, आप विषय पर बोल दीजिए अब। केवल पंचायती राज पर बोलिए, बाकी वह विषय है, वह अभी कहा, वह नहीं। जो लिखकर दिया है, उस पर ही बोलिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मैं पंचायती राज विभाग पर ही बोल रहा हूं। पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के साथ जो स्थिति सरकार ने पैदा की है, आज वह दर-दर की ठोकरें खाते डोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): कई बार सदन में यह मामला पहले भी उठ चुका है पर सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस मामले में जल्दी से जल्दी निर्णय ले और उनके हित में कार्यवाही करे अन्यथा यह लोग सड़कों पर आएगे और हम लोग भी इनके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 14 और 15 फरवरी, 2013 को 19275 कनिष्ठ लिपिकों की पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। पूरी भर्ती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रक्रिया ऑन-लाइन थी। इस भर्ती करने की जिम्मेदारी जिला-परिषदों की थी और इसका परिणाम भी 19.06.2013 को घोषित हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब भर्ती में जो कर्मी थे, इनको तत्कालीन सरकार ने एक वर्ष का दस, दो वर्ष का बीस और तीन वर्ष का तीस बोनस अंक देना तय किया था। इस बोनस अंक के आधार पर एक रिट याचिका हुई। रिट याचिका संख्या 414/2013, इसमें 5.7.2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने इस भर्ती पर रोक लगा दी और उसके बाद तत्कालीन सरकार लार्जर बैंच में गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, और 15.9.2013 को लार्जर बैंच ने कह दिया कि आप एक वर्ष के दस, दो वर्ष के बीस और तीन वर्ष के तीस मार्क्स नहीं दे सकते। आप इसको संशोधित करें। एक वर्ष के पांच, दो वर्ष के दस और तीन वर्ष के पन्द्रह नम्बर दें। इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन सरकार गयी। रिट संख्या 32008, 32009/ 2013, यह 8.10.2013 को दायर की गयी। जो एस.एल.पी. दायर की इसमें सरकार ने यह कहा कि उन्होंने जो बोनस अंक का मापदंड तय किया था, जो बोनस अंक देने का सिद्धांत, नीतिगत निर्णय लिया था, वह सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में एस.एल.पी. दायर करके यह भूल गये। इन्होंने चूंकि, विज्ञापन जारी करने से पहले यह नहीं सोचा कि इनका बजट कहां से आएगा, इनका वेतन कहां से उठेगा? बस चूंकि, चुनाव था, चुनाव में वोट की फसल काटनी थी, इसके लिए इन्होंने यह किया। हमारी सरकार आयी और माननीय मुख्य मंत्रीजी के संज्ञान में यह सारी बाते आईं। हमने सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी की और 19.11.2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि बोनस अंक देने का जो फैसला दस, बीस तीस का तत्कालीन सरकार ने किया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके अनुरूप हमने पत्रावली बनाकर वित्त विभाग में भेजी।

इसी समय में एक फैसला और आ गया क्योंकि लंबित एक और एस.एल.पी. थी, 17.2.2017 को उस एस.एल.पी. में यह कहा कि जो प्लेसमेंट एजेंसी है, उनके माध्यम से जो एल.डी.सी. इसमें काम कर रहे थे और जो वाटर-शेड के काम कर रहे थे इनको भी आप बोनस अंक दस, बीस, तीस दें। अब उसका विधिक परीक्षण हम करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, क्योंकि मैरिट पूरी बदल गयी और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य, यह जो भर्ती एल.डी.सी. की है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ पदों को Kept in abeyance रखा गया है पर यह जो एल.डी.सी. की जो भर्ती है, इस भर्ती को हम आगे चालू करेंगे।

अब सारी मैरिट लिस्ट रिवाइज हो रही है। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जितने, कार्मिक इसमें काम कर रहे थे, वाटर-शेड के जो काम कर रहे थे इसके कारण से इसकी मैरिट लिस्ट वापस रिवाइज हो रही है। हमने वित्त विभाग को सारे हमारे प्रस्ताव भेज रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमें स्वीकृति मिल जाएगी और हम इन लोगों को भर्ती करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री मनोज कुमार।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, सही पैरवी नहीं होने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगायी थी।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए, मनोज कुमार।

सादुलपुर में राजगढ़-बुंगी पेयजल योजना में पी.एस.पी. में वर्ष 2017 की जनसंख्या का आधार

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-50 के अंतर्गत आज आपने हमारे ऊपर जो उदारता दिखाई उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजगढ़-बुंगी जल-प्रदाय योजना चल रही है, 2006 से लेकर 2017 का समय आ गया। 2006 में उसका शिलान्यास हुआ था, अब तक भी वह विचाराधीन चल रही है और अभी तक भी चालीस से पचास गांव उससे लाभान्वित नहीं हो पाये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि इसमें गांव में चौक में पी.एस.पी. लगाने का प्रावधान है। पूर्व जलदाय मंत्री महोदय से भी मैंने निवेदन किया था कि इस योजना के जब तक गांवों में घर-घर कनेक्शन नहीं होंगे, बड़ी समस्या रहेगी लेकिन फिर भी गांवों के चौक में जो पी.एस.पी. लगायी जा रही है, वह 2011 की जनसंख्या के अनुसार

(श्री मनोज कुमार)

लगायी जा रही है। 2011 से लेकर आज 2017 में जनसंख्या बढ़ गयी। योजना जब बनी, इसकी डी.पी.आर. बनी वह कम से कम 2003-2004 में बनी थी। उससे लेकर आज कम से कम 15 वर्ष का समय हो गया और 15 वर्ष में जो जनसंख्या बढ़ गयी। पी.एस.पी. का प्रपोजल जो था, वह आज से दस-बारह साल पुराना था और आज 2017 के अनुसार जनसंख्या काफी बढ़ गयी इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात के लिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप उन गांवों में वर्तमान की जनसंख्या के अनुसार, हमारे वहां के एस.ई. को या अपनी सरकार से निर्देशित करें कि गांव की जनसंख्या और कुछ ढाणियां बढ़ गयीं।

इस कारण अतिरिक्त पी.एस.पी. के लिये आप सरकार में स्वीकृति प्रदान करके और बढ़ायी जाए, क्योंकि यह 2006 से लेकर अब तक चल रही है। जनता मीठे पानी के लिये बहुत इन्तजार कर रही है।

दूसरा, एन.सी.सी. और एल.एण्ड.टी. दो कम्पनियां काम कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज यह कम्पनियां काम कर रही हैं, कम्पनियां काम करके चली जाएंगी, उसके बाद दुबारा पी.एस.पी. लगाना सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त भार हो जाएगा और नहीं लग पाएंगी। अन्तिम छोर के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पायेगा। इसलिये मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे कुछ राजस्व गांव भी थे पहले से, जहां-जहां घर-घर कनेक्शन हो चुके हैं। शुरू से वहां पानी की सप्लाई हो रही थी, उन राजस्व गांवों को तो कम से कम उसी अनुसार जोड़ दिया जाए जिससे पी.एच.ई.डी. विभाग को लाभ भी मिलेगा। राजस्व प्राप्त भी होगा और उन लोगों को घर-घर उसका पानी मिल जायेगा। इसी सदन में हमारे पूर्व मंत्री महोदय किरण जी माहेश्वरी ने कहा था कि 3 हजार की जनसंख्या वाले जो गांव हैं, उनके लिये हम एक नीति बना रहे हैं। उन सबको हम लाभान्वित करेंगे और घर-घर कनेक्शन जोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक आपकी वह नीति न तो सामने आयी, क्योंकि आपका विभाग बदल गया। हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं रहा हो, लेकिन अब मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सदन में कही हुई बात है इसलिये 3 हजार की जनसंख्या वाले जो गांव हैं, उनको घर-घर कनेक्शन जोड़ने की बात

(श्री मनोज कुमार)

हुई थी, तो मैं चाहता हूं उनको घर-घर से जोड़ दिया जाए और कुछ ढाणियां उस सर्वे में वंचित रह गयीं, वहां पर आज 40-50 की आबादी हो गयी, उन ढाणियों को भी इसमें शामिल कर दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय, आप हमारे पर उदारता करेंगे तो जनता को इसका लाभ मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ़-बुंगी की जलप्रदाय योजना 181 गांव और एक शहर राजगढ़ के लिये सतही जल से लाभान्वित करने हेतु 415 करोड़ 64 लाख की स्वीकृति जारी की गयी थी माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं, पी.एस.पी. का जहां तक सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, 150 की आबादी पर एक पी.एस.पी. लगायी जाती है आपने कहा कि आज 2017 आ गया है और 2017 की जनसंख्या के आधार पर एक पी.एस.पी. लगायी जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने तो 2001 की जनंसख्या को आधार माना और अभिकल्पित 2041 की जनसंख्या को आधार मानकर यह पी.एस.पी. लगाने की व्यवस्था की है। मैं आपको बता दूं कि आपके 188 गांव और एक शहर में 2001 की शहरी जनसंख्या थी 51 हजार 640 और ग्रामीण जनसंख्या थी 2 लाख 29 हजार 799, कुल 2 लाख 81 हजार 449, यह 2001 की जनसंख्या है। 2041 की 69 हजार 714 शहरी है और 3 लाख 501 ग्रामीण मानी है, कुल 3 लाख 74 हजार 715 कुल है। तो हमने आपसे भी आगे बढ़कर आप तो कह रहे हो 2017 की, हमने तो 2041 की जनसंख्या को अभिकल्पित मानकर पी.एस.पी. स्वीकृत की हैं। आपके वहां पर बुंगी-राजगढ़ में 2015 पी.एस.पीज. लगाने का प्रावधान, जिस समय टेंडर हुआ था, उस समय व्यवस्था की थी। उसके अगेंस्ट में हमने 162 गांवों में 1632 पी.एस.पीज. लगा दी हैं और बाकी प्रक्रियाधीन है। जैसा आप कह रहे हो एन.सी.सी. और एल.एण्ड टी.का ठेका है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो-जो पी.एस.पीज. लगाने का प्रावधान है, उनको तय समय के अंदर लगाया जाएगा। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है और 2017 की बात की है तो जैसा मैंने आपको कहा है कि 2041 की जनसंख्या को आधार मानकर पी.एस.पी. लगाने का प्रावधान किया

(श्री सुरेन्द्र गोयल)
है। वह हमने आपके कहे के अनुसार उससे भी आगे बढ़कर यह कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक छोटी-सी क्वैरी कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, अभी नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक छोटी-सी बात पूछ लेता हूं। इतना बड़ा इश्यू है साहब मेरा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी नहीं। बिलकुल नहीं। आप मिल लेना।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक छोटी-सी बात है, अगर आप अनुमति दें तो।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा न नहीं, आपने चार-पांच मिनट ले लिये। आप विराजो, यह यहीं बैठे हैं, आप पूछ लेना। श्रीमती अलका सिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बांदीकुई की कतिपय ग्राम पंचायतों को उप तहसील का दर्जा

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहती हूं कि बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र बसवा तहसील में दो उप-तहसील बडियाल कलां व बांदीकुई हैं। उप तहसील बैजूवाड़ा एक तहसील है, जो कि महुआ विधान सभा क्षेत्र में आती है।

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोलाड़ा, ग्राम पंचायत निहालपुरा, ग्राम पंचायत पूंदरपाड़ा को बैजूपाड़ा उप तहसील में जाना पड़ता है, जो कि वहां से 15 किलोमीटर दूर है व रास्ते में नदी पड़ती है, इससे आमजन को बहुत परेशानी होती है।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा साहब, आपस में बात नहीं। मिस्टर डोटासरा ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रतिपक्ष के माननीय सचेतक महोदय, फिर डांट खाओगे न अभी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): बीच में खड़े होकर बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठो, बैठो। ठीक मान लिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे से सीधा-सरल इंसान इस सदन में नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आसन की तरफ पीठ करके आप खड़े रहते हो।

श्री अध्यक्ष: अलका जी, पढ़िये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): तहसील बसवा से बैजूपाड़ा करीब 50 किलोमीटर दूर है। एक भी कागज या डाकूमेंट रह जाने पर वापस इतनी दूर जाना पड़ता है जिससे पैसे व समय का अपव्यय होता है, अत: इन तीनों पंचायतों को नई उप तहसील बड़ियाल कलां से जोड़े जाने की कृपा करें, ताकि जनता को सहूलियत हो।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत आभानेरी, ग्राम पंचायत गुढ़ाकटला, ग्राम पंचायत चांदेरा, ग्राम पंचायत गादरवाड़ा गूजरान को तहसील बसवा में राजस्व कार्यों हेतु बांदीकुई होते हुए बसवा जाना पड़ता है, जो कि काफी दूर है। इन्हें बांदीकुई उप तहसील से जोड़ा जावे, बांदीकुई उप तहसील व बडियाल कलां उप तहसील का भवन भी बनकर तैयार है। परमेश चन्द कमेटी के सम्मुख भी ये आपत्तियां दर्ज करवाई गयी थीं, परन्तु अभी तक जनता को राहत नहीं मिल पायी है।

(11.36 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित में उक्त पंचायतें पूंदरपाड़ा, निहालपुरा, गोलाड़ा को बडियाल उप तहसील व आभानेरी चांदेरा, गुढ़ाकटला, गादरवाड़ा गूजरान को बांदीकुई उप तहसील से जोड़ा जावे, ताकि आमजन को राहत मिल सके व प्रशासनिक खर्च भी कम हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़-ब्यावर के टोल बूथ पर अजमेर के वाहनों को नि:शुल्क आवागमन की सुविधा

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गत कांग्रेस सरकार की मिलीभगत एवं दब्बू जन-प्रतिनिधियों की सोच के चलते किशनगढ़ से ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के खण्ड मार्ग पर सिक्स लेन के निर्माण होने से किशनगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर अजमेर मार्ग पर गेगल गांव से पहले बने टोल बूथ पर टोल टैक्स वसूली गत वर्ष 2015 से की जा रही है, जो कि किशनगढ़ उपखण्ड क्षेत्र की जनता के साथ न्यायोचित नहीं है एवं नियम विरुद्ध है। वहीं दूसरी ओर किशनगढ़ परिक्षेत्र के निवासियों से जयपुर-किशनगढ़ सिक्स लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर खण्ड बनाकर किशनगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित बड़गांव में निर्मित टोल बूथ पर गत 13 वर्षों से टोल वसूला जा रहा है।

मान्यवर, इस संबंध में आपको बताना चाह रहा हूं कि गत 10-15 वर्षों में किशनगढ़ का तीव्र औद्योगिक विकास होने से यहां पर मार्बल, पॉवरलूम, हैण्डीक्राफ्ट एवं टैक्सटाइल इकाइयों में लाखों की संख्या में मजदूर वर्ग काम करने आते हैं। वहीं दूसरी ओर किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाइवे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 तथा किशनगढ़-अहमदाबाद सिक्स लेन पर आये दिन छोटी-मोटी एवं गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके साथ ही किशनगढ़ एवं आस-पास के ग्रामीणों को प्रतिदिन व्यावसायिक कार्य, सरकारी कार्य, कृषि कार्य, राजस्व कार्य एवं चिकित्सकीय कार्य आदि हेतु जिला मुख्यालय अजमेर अथवा जयपुर आना-जाना लगा रहता है, लेकिन गेगल गांव एवं बड़गांव पर स्थित दोनों टोल बूथों से उक्त क्षेत्र की लगभग 5.50 लाख की आबादी पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ रहा है।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मापदण्डानुसार दो टोल बूथों के मध्य की एक निश्चित दूरी तय होती है, जबकि किशनगढ़वासियों को पूरब-पश्चिम दोनों ही दिशा में मात्र लगभग 7-7 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करने पर ही टोल टैक्स चुकाना पड़ रहा है, जोकि न्यायोचित नहीं है।

(श्री भागीरथ चौधरी)

अत: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखकर जनहित में कोई उचित ठोस निर्णय की क्रियान्विति कर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 को जान-बूझकर खण्डों में बांटकर निर्मित किये गये किशनगढ-ब्यावर सिक्स लेन राजमार्ग परियोजना के नवनिर्मित टोल बूथ गेगल या बड़गांव स्थित जी.वी.के. प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के टोल बूथ में से किसी भी एक टोल बूथ को समाप्त कर सम्पूर्ण उपखण्ड किशनगढ़ की लगभग 5.50 लाख की आबादी को राहत प्रदान करावें अथवा किशनगढ़ उपखण्ड के समस्त चौपहिया वाहनधारियों, जिनके वाहन रजिस्ट्रेशन अजमेर अथवा किशनगढ़ स्थित परिवहन कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं, को उक्त दोनों टोल संग्रहण केन्द्रों पर नि:शुल्क आवागमन की महती योजना को तत्काल क्रियान्वित कर आक्रोशित एवं संयमित स्थानीय आमजन को राहत दिलाने की स्वीकृति राज्य स्तर पर या केन्द्रीय स्तर पर कराने की आवश्यक सक्षम विभागीय कार्यवाही कराएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी (अनुपस्थित)। श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा में बीसलपुर परियोजना की धीमी गति

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बीसलपुर पेयजल परियोजना का कार्य धीमा होने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष प्रस्ताव।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के समस्त ग्रामों में बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य जुलाई, 2013 में प्रारम्भ हुआ था, जिस हेतु 226.97 करोड़ रुपये लागत का प्रावधान किया गया था। उक्त परियोजना का कार्य जून, 2016 तक पूर्ण होना था लेकिन जिस कम्पनी को इस प्रोजेक्ट का कार्य दिया गया है, उसकी प्रोग्रेस धीमी होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त कम्पनी ने राशि को दूसरी योजना में शिफ्ट कर दिया है, जिससे भी कार्य नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से वर्तमान में कार्य की गति है उससे इन गर्मियों में पानी मिलना मुश्किल है और लोगों में आक्रोश व्याप्त है तथा पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचने की सम्भावना है।

(श्री निर्मल कुमावत)

मेरा निवेदन है कि इस कार्य को प्राथमिकता पर लेकर शीघ्र ही कार्य पूर्ण कराया जाना चाहिए ताकि आम जनता को पानी उपलब्ध हो सके और जनता में पनप रहे आक्रोश को रोका जा सके।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त बीसलपुर पेयजल परियोजना पर विशेष निगरानी करें एवं कार्यकारी एजेंसी को शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. मंजू बाघमार।

जायल में राजस्थान स्टेट मिनरल एंड माइंस द्‌वारा जिप्सम खरीद

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) के ग्राम गोठ-मांगलोद (माताजी में) आर.एस.एम.एम. द्‌वारा किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। किसानों के खेत में से जिप्सम निकाल कर कांटे पर वज़न के समय ज्यादा जिप्सम होने पर वहीं कांटे पर डाल देते हैं जिससे किसानों की हजारों टनों की जिप्सम खराब हो रही है, जिसकी कोई भी कीमत नहीं दी जा रही है एवं विभाग द्‌वारा किसानों के खेत में मनमर्जी से, जहां मन किया वहीं ही जिप्सम निकाल लिया।

उक्त जिप्सम निकालने के बाद खेतों में खड्डों को समतलीकरण नहीं किया जा रहा है, ना ही किसानों को समय पार भुगतान दिया जा रहा है एवं किसानों की जिप्सम का वज़न होने के बाद भी भुगतान के समय वज़न कम कर देते हैं, किसानों को धमकियां दी जाती है कि आपका जिप्सम सही नहीं था। इस तरह से किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है एवं किसानों को पूरा भुगतान भी समय पर नहीं मिल रहा है जिससे किसानों को भारी आर्थिक हानि हो रही है।

उक्त जिप्सम का इकरार सीरियल्टी से जिप्सम नहीं निकाल कर

(डॉ. मंजू बाघमार)

आर.एस.एम.एम. बीच में से या अन्य के नम्बर के इकरार का पहले जिप्सम निकाला जा रहा है, इस तरह किसानों के साथ मनमर्जी की जा रही है एवं ट्रांसपोर्ट वाले भी किसानों से 60 प्रतिशत की गारंटी लेकर सप्लाई ले आते हैं जबकि आर.एस.एम.एम. के पास जिप्सम 40 प्रतिशत की ही उपलब्ध है, जिस कारण से किसानों के साथ मनमर्जी से घोर अन्याय किया जा रहा है।

अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त किसानों की परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए किसानों को न्याय दिलवाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री किशनाराम। (अनुपस्थित)। श्री फूलसिंह मीणा। (अनुपस्थित।) श्री बनवारीलाल सिंघल। (अनुपस्थित)। श्रीमती अंजू देवी।

प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्याएं

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में किसानों के आत्म हत्या के बढ़ते मामलों में चिंता प्रकट करते हुए राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से निर्णय नहीं लेने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख सदन में रखे जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में निरन्तर सूखे, अनावृष्टि, निरन्तर भू-जल स्तर नीचे जाने, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने, बिजली महंगी होने, फसल पकने पर बे-मौसम बरसात व ओलावृष्टि तथा जंगली पशुओं (नीलगाय, रोजड़े तथा लावारिस गायें, बछड़ों द्वारा खड़ी फसल को बर्बाद किये जाने के किसान समय पर ऋण का चुकारा करना तो दूर की बात अपने परिवार का जीवन यापन करने में जब असहाय महसूस करते हुए आत्महत्या जैसा कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर होता है, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है चूंकि राज्य सरकार ने किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। कृषि इंश्योरेंस होने पर भी किसानों को लाभ मिलने के बजाय इंश्योरेंस कम्पनी को लाभ मिल रहा है।

प्राकृतिक आपदा 50 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान पर राज्य सरकार ऋण वसूली लगान माफ तथा किसानों की क्रय शक्ति बनाये रखने के लिए प्रभावित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराती है लेकिन जंगली

(श्रीमती अंजू देवी धानका)
जानवरों से फसल, किसी एक-दो काश्तकारों के खेत में लहराती फसलें रात को नष्ट होती है तो प्राकृतिक आपदा के मापदण्ड में नहीं आती लेकिन फसल चौपट होने पर सम्बन्धित कृषक को जितना नुकसान हुआ है उसका भुगतान इंश्योरेंस कम्पनी से कराया जाना चाहिए।

जहां भू-जल नीचे चले जाने के कारण सिंचाई के पानी की उपलब्धता में कमी आयी है वहां ट्यूबवैल कराने पर किसानों को अनुदान तथा आवश्यकता हो तो सिंगल फेस ट्यूबवैल कनेक्शन कराने की छूट हो ताकि पानी की उपलब्धता बनी रहे।

किसानों को आवश्यकतानुसार ब्याज मुक्त पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जावे, जंगली जानवरों को वन विभाग द्वारा पकड़ा जावे, लावारिस पशुओं को पंचायतों द्वारा या गोशाला द्वारा पकड़ा जावे। फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी अनुदान दिया जावे तथा फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा जल के लिए टांकों का पक्का निर्माण किया जावे, इस पर 100 प्रतिशत अनुदान देय हो, पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो, बीज एवं खाद की समय पर उपलब्धता हो। इन सभी घटनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए मैं उक्त समस्याओं का राज्य सरकार से तुरन्त हल करने की मांग करती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल। (अनुपस्थित)। श्री कंवर लाल। (अनुपस्थित)। श्री गिर्राज सिंह। (अनुपस्थित)।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री हीरालाल नागर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सांगोद में मिनी सचिवालय की स्थापना

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सांगोद विधान सभा क्षेत्र में सांगोद नगरपालिका है और उस नगरपालिका क्षेत्र में सिंचाई विभाग की एक पुरानी कालोनी बनी हुई है जो कभी परवन लिफ्ट योजना और हरिशचन्द्र सागर की नहर जब बनी थी, उस समय उनके कंस्ट्रक्शन डिवीजन के काम के लिए उस कालोनी का निर्माण किया गया था। विभाग में काम होने के बाद में धीरे-धीरे वहां पर कर्मचारी कम होते गये और अभी वहां पर केवल एक सहायक अभियंता का पद है जो

(श्री हीरालाल नागर)

हरिशचन्द्र सागर नहर के कार्य को देखते हैं और उसका डिवीजन झालावाड़ में है। इसके अलावा वहां किसी प्रकार का सिंचाई विभाग का कोई कार्यालय नहीं है।

यह जो कालानी पहले बनी हुई थी, काफी बड़े क्षेत्र में है। आज की तारीख में वह पूरी कालोनी जीर्ण-शीर्ण है, उनके आफिस आधे से ज्यादा ढह चुके हैं, गिर चुके हैं और उस पर कब्जे हो चुके हैं, लोगों ने अतिक्रमण और कर लिये हैं और अधिकतर, आधी से ज्यादा कालोनी पर आज की तारीख में वहां पर कब्जे हैं।

मेरा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि यह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में कालोनी, अगर इसी तरह से रही तो सम्पूर्ण कालोनी पर कब्जा हो जाएगा। यह सांगोद में परवन सिंचाई कालोनी के नाम से खसरा नम्बर 442 एवं 1142 पर 5.1800 हैक्टेयर में बसी हुई है एवं खसरा नम्बर 443 और 1140 किस्म बंजर है, जो भूमि आबादी क्षेत्र के नजदीक है और इस पर भी कब्जे हो रखे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगोद में नगरपालिका है, उपखण्ड मुख्यालय है, वहां पर पंचायत समिति का ब्लॉक है, चिकित्सा का आफिस है, उप-निदेशक कार्यालय है, कृषि विभाग के कार्यालय हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग है, तहसील है, अपर सिविल न्यायालय है, वृत्त पुलिस कार्यालय है, अधिशासी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. का कार्यालय है और वहां पर सब-डिवीजन कार्यालय, समस्त भवनों के कार्यालय कहीं न कहीं किराये से चल रहे हैं या कोई चल रहे हैं तो वहां पर ठीक से व्यवस्था नहीं है। पूरे क्षेत्रवासियों की मांग है कि यह जमीन रेवेन्यू विभाग को हस्तांतरित की जा कर वहां पर एक मिनी सचिवालय के लिए आबंटित कर दी जाए तो उस जमीन पर अतिक्रमियों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उससे भी निजात मिलेगी और एक ही जगह पर उस क्षेत्र के, तहसील के पूरे कार्यालय, एस.डी.ओ. कार्यालय और सारे कार्यालय आने से, लोगों को जो असुविधा हो रही है, इधर-उधर मारा-मारा फिरना पड़ रहा है। हमारा तहसील भवन बिलकुल शहर के अन्दर है जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकता, उससे लोगों को परेशानी होती है, वहां पार्किंग का स्थान नहीं है, तो इस जगह पर तहसील

(श्री हीरालाल नागर)

आ जाए, वहां एस.डी.ओ. कार्यालय खुल जाए, अन्य कार्यालय भी वहां खुल जाते हैं, इसके अलावा सांगोद नगरपालिका क्षेत्र में नजदीक में कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां पर यह सभी कार्यालय विकसित कर के उनको जमीन उपलब्ध हो सकती है। तो, सिंचाई मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस कालानी को रेवेन्यू विभाग को हस्तानांतरित करते हुए वहां पर मिनी सचिवालय को विकसित किया जाए। वो निश्चित रूप से एक उपयोगी कदम होगा और जो समस्या हमारे किसान भाइयों को, हमारे लागों को आती है कि जगह-जगह भटकना पड़ता है, एक ही छत के नीचे सारे कार्यालय होंगे तो निश्चित रूप से सुविधा होगी। मैं समझता हूं, इसके लिए रेवेन्यू विभाग को भी मैंने लिखा है, वो भी तत्पर हैं कि अगर जमीन मिलती है तो निश्चित रूप से हम मिनी सचिवालय विकसित करने के लिए आगे कदम उठा सकते हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर ए.ईएन. का आफिस है। मैं दिखवा लूंगा कि ए.ईएन. आफिस को कितनी जगह की जरूरत है। उसके बाद में जो जगह बचेगी वह हम रेवेन्यू को सरेंडर कर देंगे और बाद में आपको अलॉट हो जाएगी।

लेकिन माननीय सदस्य ने यह कहा कि रेवेन्यू वाले तैयार हैं। वह क्यों नहीं तैयार होंगे, जमीन तो हमारी है, हमें तैयार होना है। जगह आपको मिल जाएगी। जितनी हमारी जरूरत है उसके बाद आपको दे देंगे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मैं पहले पर्चियां ले लूं। उसके बाद आपका ले लूंगा। श्री गोतम कुमार।

बड़ी सादड़ी में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्वीकृति

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में पांच 33 केवी जीएसएस स्थापित करने की महती आवश्यकता है।

(श्री गोतम कुमार)

चित्तौड़गढ़ जिले में डूंगला तहसील के गुमानपुरा में अभी डूंगला 33 केवी से सप्लाई होती है। लगभग 15 किलोमीटर का उसका फीडर है। गुमानपुरा का पूरा नगर भी उसी पर है और डूंगला का एग्रीकल्चर एरिया भी उसी 33 केवी पर ही है। ऐसे में अगर गुमानपुरा में एक नया जीएसएस स्थापित हो जाए, काफी लंबे समय से स्वीकृत भी है। लेकिन वह अटका हुआ है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि गुमानपुरा में 33 केवी का जीएसएस जल्दी स्थापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से उससे राहत मिलेगी।

ऐसे ही चित्तौड़ जिले की भदेसर तहसील के आकोला गांव में भी अगर एक 33 केवी का ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हो जाता है तो सही रहेगा। अभी वहां असावरा से, गरदाना से, नपावली से और सांवलिया जी से विद्युत की सप्लाई हो रही है। अकोला, अकोलागढ़, फतेहपुरा आदि 5-10 गांवों में इससे सप्लाई हो रही है। ऐसे में जब सिंचाई के समय लोड काफी होता है इससे इन गांवों में आए दिन तार टूटने की घटनाएं होती रहती हैं। इससे सही विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर आकोला में भी एक नया 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वहां के किसानों को और आमजन को राहत मिलेगी।

इसी प्रकार से प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील के मदुरा तालाब में भी 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन की जरूरत है। वहां मदुरा तालाब एवं सरी पीपली पंचायत में अभी बारावरदा जीएसएस से सप्लाई होती है। बारावरदा से सरी पीपली लगभग 15 किलो मीटर दूर है। उसमें कुछ एरिया फोरेस्ट का भी आता है। सघन जंगल भी है। वहां से तार होकर के जाते हैं। उसमें 15-15 किलोमीटर लंबे फीडर जो होते हैं, उनसे आए दिन फाल्ट होती रहती है। तार भी उससे टूटते रहते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि 5-5, 7-7 दिन तक वहां विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में मदुरा तालाब में जो दीनदयाल योजना है, उसके लिए 33 केवी का जीएसएस स्वीकृत भी है। वहां के लिए जमीन भी अलॉट हो चुकी है। वहां भी अगर 33 केवी का जीएसएस स्थापित हो जाएगा, क्योंकि मदुरा तालाब सेंटर में है तो इससे 2-3 पंचायतों के गांवों को राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से प्रतापगढ़ तहसील के ग्यासपुर में अगर

 पर्ची के माध्यम से-25 मार्च 2017-उठाये गये मुद्दे

(श्री गोतम कुमार)

33 केवी का ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हो जाता है तो सही रहेगा। अभी ग्यासपुर में, चिकलाड़ में, जोलर में और देवीपुरा पंचायत में देवगढ़ से और नकोर जीएसएस से सप्लाई होती है। देवगढ़ से ग्यासपुर लगभग 15 किलोमीटर दूर है। वहां से जोलर में सप्लाई जाती है। लगभग 15-15 और 17-17 किलोमीटर के फीडर हैं देवगढ़ में और नकोर में। इतने लंबे फीडर एक आदमी मेन्टेन भी नहीं कर पाता। यह सारी पंचायतें चूंकि बहुत बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं, उन पंचायतों में से ग्यासपुर में या चिकलाड़ में एक नया जीएसएस अगर स्वीकृत होगा तो वहां छीजत भी नहीं होगी और तार टूटने की समस्या भी नहीं रहेगी। देवगढ़ में एक नया ट्रांसफार्मर लगाने की भी मांग आ रही थी और अभी बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया भी था। लेकिन उसके बावजूद भी देवगढ़ का जीएसएस लोड अभी भी सहन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अगर वहां एक नया जीएसएस हो जाएगा तो निश्चित रूप से वहां के जनजाति भाइयों को लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ तहसील के ही खोरिया गांव में भी अगर जीएसएस स्वीकृत होगा तो सही रहेगा। अभी खोरिया पंचायत में रठांनड़ा और थड़ा से सप्लाई होती है। खोरिया में अगर नया जीएसएस बनेगा तो उसका लाभ नारायण खेड़ा पंचायत और उसके आसपास के कम से कम 20-25 गांवों को मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर इन चारों-पांचों जगह 33 केवी जीएसएस की स्वीकृति होगी तो सही रहेगा। मैंने इन 2 सालों में देखा है कि जैसे हमारे ननाना गांव में तेजपुरिया गांव के जीवाराम जी रैबारी जो कि घर से दूध ले जा रहे थे, 11 केवी का तार अत्यधिक लोड के कारण से उनके ऊपर गिरा और उनकी वहीं डैथ हो गयी।

ऐसे ही भंवड़ा में भंवरलाल जी माली हैं, वह अपने घर से बाहर निकले, 11 केवी का तार टूटा और सीधा उनके ऊपर ही गिरा और उस बुजुर्ग व्यक्ति की डैथ हो गयी। भूतखेड़ा में जो कि हमारी डूंगला पंचायत समिति का गांव है, वहां भंवरलाल जी भील के पुत्र की उसी तरह से, तार गिरने से डैथ हो गयी। इसी प्रकार से बड़ी सादड़ी तहसील के जरखाड़ा

(श्री गोतम कुमार)

पंचायत के नेतराम जी मेघवाल की भी 11 केवी के तार टूटने से डैथ हो गयी। इसमें सरकार ने संवेदनशीलता रखते हुए उनको 5-5 लाख की सहायता दी।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हों, लोगों को सही बिजली मिले, जिस तरह से छीजत कम करने और सुधार के कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ऐसे में अगर यह चारों-पांचों जीएसएस स्वीकृत हो जाएंगे तो इससे जनता को भी राहत मिलेगी। जिस प्रकार से आए दिन फसलें जलती रहती हैं 11 केवी के तार टूटने से, उससे भी राहत मिलेगी। इससे क्षेत्र की जनता राहत महसूस करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा आग्रह है कि इसमें से 3 जीएसएस तो स्वीकृत हैं, बाकी जो 2 हैं उनकी भी महती आवश्यकता है। इनके बहुत लंबे फीडर हैं इसलिए इन पांचों जीएसएस की स्वीकृति की आज ही घोषणा करावें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में 33 केवी ग्रिड स्टेशन की स्वीकृति के बाबत पर्ची के माध्यम से ध्यानाकर्षित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण में जिन बातों की ओर ध्यानाकर्षित किया है उसमें गुमानपुरा का इन्होंने नाम लिया। वहां 33 केवी जीएसएस दीनदयाल योजना में पहले से स्वीकृत है। खोरिया के अंदर दीनदयाल योजना के अंदर पहले से स्वीकृत है। जिसकी आपने अभी यहां मांग उठाई। मदुरा तालाब में भी पहले से स्वीकृत है और अकोला खुर्द में भी इसी 23.02.2017 को स्वीकृत किया गया है। 2 जगह अकोला गढ़, भदेसर और ग्यासपुरा, प्रतापगढ़ इनमें परीक्षण के उपरांत तकनीकी और आर्थिक रूप से स्वीकृति देना संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें विद्युत नियामक आयोग ने दिशा निर्देश दे रखे हैं कि 33 केवी के सब स्टेशन स्वीकृत करने के जो मापदंड हैं, उसके अनुसार पूर्व में स्वीकृत जीएसएस से 10 किलोमीटर की दूरी से कम की दूरी नहीं होनी चाहिए। इनका जो वोल्टेज रेगुलेशन है 11 केवी का वह 8 परसेंट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
होना चाहिए। 33 केवी सब स्टेशन में 1 लाख यूनिट की हर वर्ष बचत होनी चाहिए और बेनिफिट टू कॉस्ट रेश्यो 12 प्रतिशत होना चाहिए।

माननीय सदस्य, इसलिए यह अकोला गढ़, भदेसर और ग्यासपुरा, प्रतापगढ़ यह 2 जीएसएस संभव नहीं हैं। बाकी जो आपने बताए हैं यह पहले से ही स्वीकृत हैं। मैं आज ही सुनिश्चित करूंगा कि स्वीकृत जीएसएस पर जल्दी से जल्दी आपका काम प्रारंभ हो जाए। इनमें से कुछ में अलॉटमेंट ऑफ लैंड का भी इश्यू है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां-जहां भू आवंटन नहीं हुआ है, कृपया वहां भू आवंटन में सहयोग करें।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): वहां जमीन काफी है। इनको स्वीकृत हुए दो-तीन साल हो गये इसमें। जमीन की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें पांचों जगह जमीन आवंटित हो चुकी है। यह दो-दो, तीन-तीन साल पूर्व से ही स्वीकृत हैं। मेरे इस कार्यकाल में एक भी जीएसएस बना नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि शीघ्र ही इनको बनाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

जयपुर के सोडाला में अवाप्त जमीन के मुआवजे का गलत भुगतान

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से जयपुर जिले के राजस्व ग्राम सोड़ाला की बेशकीमती खसरा नंबर 328 में 12 बीघा 7 बिस्वा जमीन सीलिंग का मामला था जिसकी कीमत कई करोड़ों रुपये हैं। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक तरफ तो जेडीए दूसरे मामलों में इन्वाल्व है लेकिन सरकार की खुद की भूमि है उस पर कब्जा लेने में पिछले दस साल से लगातार फाइलों में यह मामला घूम रहा है।

(12.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई रावल राघवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने गलत तरीके से इसका मुआवजा भी उठा लिया और जमीन के मालिक भी वह खुद बने हुए हैं। जमीन सीलिंग एक्ट से जुड़ा मामला है। इस प्रकरण में 24.03.1995 को सरकार ने गलत मुआवजा उठाने के सम्बन्ध में जांच के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लिए दवे आयोग का गठन किया था। दवे आयोग की जांच रिपोर्ट में निकले निष्कर्ष में रावल राघवेंद्र सिंह द्वारा उठाए गये मुआवजे के भुगतान को गलत माना एवं उपायुक्त जोन 5 द्वारा 11.11.2009 को मुआवजा राशि ब्याज सहित वापस लेने का निर्णय लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अवाप्ति अधिकारी ने रावल राघवेंद्र सिंह की मूल मुआवजा राशि 10,95,921 रुपये को 18 प्रतिशत ब्याज राशि जोड़कर 34,88,957 रुपए का मांग पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2009 को भेजा। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जोन 5 को दिनांक 15.12.2011 को पत्र लिखकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत विधिक कार्यवाही करने की बात भी कही। रावल राघवेंद्र सिंह ने गलत शपथ पत्र से मुआवजा उठाया जिसको सरकार ने 14वीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र में डाक्टर किरोड़ी लालजी के प्रश्न संख्या 403 के जवाब में स्वीकार किया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेडीए के निदेशक, लॉ ने अपनी पत्रावली के क्रमांक 73 व स्वायत्त शासन विभाग ने भी नोट शीट क्रमांक 47/9 में भी गलत शपथ पत्र का जिक्र किया। जेडीए द्वारा 1.4.15 को प्रस्तुत रिपोर्ट में पेज नम्बर 7 के बिंदु संख्या 10 के पश्चात् उल्लिखित पेज नम्बर 10 के अंतिम पैरा में तल्ख टिप्पणी की है कि यह गलत हुआ है। पत्रावलियों में रावल को बचाने का प्रयास वर्षों से किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय हाई कोर्ट में रिट याचिका चलने के दौरान भी कार्यवाही की जाती रही और माननीय हाई कोर्ट ने भी इसके अंदर सरकार का पक्ष मजबूत माना, निर्देश दिया कि यह सीलिंग में आता है, सरकार इस पर कब्जा ले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से राज्य हित में मांग करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में मध्यवर्ती लाभ की राशि रावल राघवेंद्र सिंह से वापस ली जाए। विधान सभा के अंदर यह 27 मार्च, 2015 को किरोड़ी लालजी का तारांकित सवाल था 403, इसके अंदर भी हमारे यूडीएच मंत्री राजपाल सिंहजी ने जवाब दिया, चूंकि यह खसरा रावल के नाम बोल रहा था, उस समय सीलिंग की प्रोसेसिंग कम्पलीट नहीं हुई, सीलिंग की प्रोसेसिंग जारी थी, 1989 को उसके नाम खसरा बोल रहा था इसलिए उनके नाम भी नोटिस जारी कर दिया गया। अतिरिक्त कलेक्टर,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जयपुर के आदेश दिनांक 26.12.78 के विरुद्ध जो उसमें ऑप्शन मांगे थे, राजस्व मंडल में रिवीजन प्रस्तुत कर दिया, एग्रीव्ड पार्टी ने प्रकरण वापस अतिरिक्त कलेक्टर को रिमांड कर दिया। 21.5.1980 को राजस्व मंडल के निर्देशानुसार सुनवाई कर अतिरिक्त कलेक्टर ने आदेश पारित कर 30.4.1982 को जो कि 65 बीघा भूमि 7 बिस्वा भूमि सीलिंग में, इस सारी भूमि को सीलिंग में ले लिया गया, इसके लिए खातेदार को विकल्प प्रस्तुत करने का समय भी दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जवाब में यह भी कहा, अभी दो दिन पहले सवाल पर कहा, 24.3.15 को राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जिला कलेक्टर के पत्र के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव भिजवाने हेतु और उन सब क्वैरीज का जवाब देने के लिए, मंत्री जी ने कहा आपको विश्वास दिलाता हूं कि 15 दिन के अंदर-अंदर एडवोकेट जनरल ने जो क्वेरीज मांगी है उन क्वेरीज का जवाब और यूडीएच डिपार्टमेंट जो मैं देखता हूं, इस मामले में कोई और तथ्य जो सामने आए हैं, उन तथ्यों को नजर रखते हुए निश्चित रूप से 15 दिन में एडवोकेट जनरल को पूरी सामग्री जो उनको चाहिए, हमको जो राय चाहिए, दोनों हम भिजवा देंगे, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि बेशकीमती जमीन है, करोड़ों रुपये की जमीन है और वह जमीन राजकीय हो गयी, सीलिंग में यह स्पष्ट हो गया कि यह जमीन राज हक में दर्ज हो गयी तो फिर इसको क्यों घुमा रहे हो? इस जमीन पर आप कह रहे हो कि हम जमीन पर कब्जा लेने का प्रयास करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, जमीन खाली है तो सरकार को इस बेशकीमती जमीन को बचाना होगा, वह तो किसी को बेच देंगे। अब तो सुना है कि उस जमीन पर तो भूमाफियाओं ने कब्जे भी कर लिए, आगे बेच दिया, कालोनी काटने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर गलत हुआ है पूरा जो मामला मैं बोल रहा हूं, गलत एफेडेविट दिए हैं तो क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा कर 12 बीघा 7 बिस्वा जो जमीन है

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उस पर सरकार को कब्जा लेना चाहिए। वहां जो कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं तो इन सब लोगों को न्याय तभी मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2015, उससे पहले भी कई बार इस मामले की चर्चा राजस्थान विधान सभा में हुई, मंत्रीजी ने कई बार आश्वासन दिया, और भी सरकार ने आश्वासन दिया लेकिन जेडीए और जो दूसरे अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से, जो वहां के राजा साहब हैं उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, इसलिए वह इस जमीन को सरकार के हक में लेने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है जमीन पर उनसे छुड़वाया जाए। राजकीय हक की भूमि पर सरकार कब्जा करे और करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन बचाएं, यह करोड़ों रुपये की जमीन है और इसको सीधा-सीधा आप नहीं बचाएंगे तो लोग आप पर आरोप लगाएंगे कि आप इस तरह किसी व्यक्ति विशेष को राजस्थान में लाभ पहुंचा रहे हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है।

व्यवस्था का प्रश्न

उस विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने खुद कहा कि यह इसी सत्र में, इसी विधान सभा के कार्यकाल में मामला उठ चुका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 52 के उप नियम 4 की ओर दिलाना चाहता हूं। 'प्रस्ताव करने के अधिकार पर निर्बंधन (रेस्ट्रिक्शन) प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके नियम 131 के उप नियम 4 की ओर भी दिलाना चाहता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 2015 है, आप क्या पढ़ रहे हो, राठौड़ साहब? इस सत्र में नहीं है, 2015 है, अब 2017 चल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसमें कहा है कि उसमें ऐसे विषय पर चर्चा पुन: नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला पहले राजस्थान की विधान सभा में अलग-अलग नियमों के तहत उठ चुका है, माननीय मंत्री और सरकार की तरफ से उत्तर आ चुका है। नियम तो यह अनुमति नहीं देता है कि इस पर दुबारा चर्चा उठाई जाए, आपने बड़ी सहृदयता दिखाकर माननीय सदस्य ने चूंकि पर्ची के माध्यम से मामला उठाया, आपने बोलने की अनुमति दी। मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि यह न्यायालय में विचाराधीन भी है। आप खुद कह रहे हैं कि 13वीं विधान सभा, 14वीं विधान सभा, इस विधान सभा के सत्र में यह उठा है तो मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आप थोड़ा विचार करें, मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरा भी साथ ही सुन लें। मैं कह रहा हूं कि यह 2015 के अंदर उठा था तारांकित सवाल और उसमें मंत्रीजी ने जवाब दिया कि 15 दिन के अंदर-अंदर सरकार इस जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी और 15 दिन में यह मामला नहीं हुआ तो 2 साल बाद, 2017 के अंदर आपके ही मंत्री ने घोषणा की थी सदन के अंदर। उस मामले को हम यहां नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे, आप बताओ? यह कौनसा नियम है कि आप नहीं उठा सकते, पहले कौनसे मामले नहीं उठे?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सवाल तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठा तो मैंने विधान सभा में जवाब दिया था। इस सवाल का जवाब मैंने ही नहीं दिया था और मैं समझता हूं कि यह सवाल लगातार बीस-पच्चीस साल से इस विधान सभा में कई-कई तरीके से उठाया गया है। मैंने सदन को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि जिन बिन्दुओं पर ए.जी. की राय ली जानी है उन बिन्दुओं पर ए.जी. की राय के लिए भेज देंगे और ए.जी. से राय ले लेंगे। हमने, उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ लेकिन ए.जी. से राय लेने के लिए पूरे प्रकरण के तथ्य भेज दिये थे। तो, राय के बाद में क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यूपी के मुख्य मंत्री ने आफिसों में जाकर कहा कि पान नहीं खाओगे और आपके मंत्री सदन में ही खा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): जवाब देना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन सर्वोपरि है, अनुमति दे सकते हैं। यह एक परिपाटी, परम्परा बन जाएगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब आप वैसे दिलवा दें, सवाल का जवाब देने में सरकार कोई नहीं घबरा रही, पर मेरा निवेदन है कि आप आसन पर विराजे हैं और आप जैसा विद्वान आदमी, फिर परम्परा बनेगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब बार-बार खड़े हो कर कह रहे हैं, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं दे दें कि आप तो बहुत लोकप्रिय हैं। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): एक लाइन बोल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाओ। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप दुबारा दोनों सैक्शंस को रिपीट करो, 52 का तो कौनसा आप सब सैक्शन बोल रहे हो? ...(व्यवधान)... एक मिनट, आप विराज जाओ सचेतक महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 52 का 4 माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप पढ़े 4 को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रस्ताव पर ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो।

श्री उपाध्यक्ष: सत्र का मतलब?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सत्र का मतलब विधान सभा का सत्र।

श्री उपाध्यक्ष: इस सत्र में इस पर चर्चा हुई है? (व्यवधान) एक मिनट। एक मिनट आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसी विधान सभा में इस मामले की चर्चा हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष: "The motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session." Now the same session has to be defined. Same session means numerical digit of which session? This session! Has it been discussed in this session? Now next one, sit down.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों व्यवस्था के सवाल उद्धृत किये।

श्री उपाध्यक्ष: दूसरा आप फर्माओ। दूसरा वाला कौनसा था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 131 के 4 में। इसमें किसी ऐसे विषय पर चर्चा पुन: नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो 52 का सब सैक्शन 4 हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दोनों एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष: It doesn't qualify for that. The motion...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव है। यह जो पर्ची का है, पर्ची का स्पेसिफिक किसी सैक्शन में तो है नहीं, किसी नियम में तो है नहीं। पर्ची तो उदारमना से वैसे अनुमति दी गयी है। हमेशा से एक परम्परा चली है। आप अनुमति दें तो करें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजें। Your observation for 52 (iv), his representation doesn't disqualify. He is very clear; it is in a particular session, so this would not stand. Now, any thing else you want to quote?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री मदन राठौड़)

यह निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह कौनसी का आप पढ़ रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह 52(3) में है।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो एडजोर्नमेंट मोशन पर है। अब क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, यह ऐसी सिचुएशन आ गयी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस पर्ची के भी नियम बनवा दीजिए। इस पर्ची का उपयोग हर प्रकार के तरीके से होने लगा। अगर आपको इसके नियम बनवाना है, क्योंकि पर्ची अब सदन की कार्यसूची का एक प्रारूप बन गयी है। इसलिए अब पर्ची के नियम बनना अनिवार्य है और जब तक पर्ची के नियम नहीं बनते हम इनके इस प्रश्न को अलाऊ करते हैं और मंत्री महोदय, आप रिप्लाई करिए।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर के सोडाला में अवाप्त जमीन के मुआवजे का गलत भुगतान

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से ग्राम सोडाला के खसरा नम्बर 328 की 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि की अवाप्ति, जो जेडीए द्वारा आवासीय कॉलोनी हेतु अवाप्त की जाकर वर्ष 1989 में मुआवजे के भुगतान के आदेश खातेदार श्री राघवेन्द्र सिंह के पक्ष में जारी किये गये, इस संबंध में इन्होंने मामला उठाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राघवेन्द्र सिंह ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए माननीय सिविल न्यायालय में रेफरेंस दायर किया था। यह रेफरेंस स्वीकार होने से मुआवजे का भुगतान खातेदार को किया गया। भूमि सीलिंग में अवाप्त थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित किया गया। मुआवजे के लिए गलत राशि के भुगतान की वसूली के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित को मांग-पत्र जारी किया गया। राज्य में निहित

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

भूमि का अवैध विक्रय किये जाने से विधिक कार्यवाही करने के लिए जिला कलक्टर, जयपुर को लिखा गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों का विधिक परीक्षण किया गया तथा गलत राशि के भुगतान के लिए वसूली की कार्यवाही जारी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कह सकता हूं, माननीय सदस्य को मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा जो निर्णय प्रदान किये गये हैं, प्रकरण की विस्तृत स्वतंत्र जांच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा तीन माह में कराकर माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंह जी।

विद्युत विभाग द्वारा गौरव पथ में सरकारी आदेश की अवहेलना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, विद्युत विभाग से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने जो आदेश 11882-915, दिनांक 16.2.2017 निकाला है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य गौरव पथ के लिए कार्य संबंधित विभाग जैसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, दूरसंचार विभाग, नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण, नगर निकायों द्वारा स्वयं के स्तर पर ही किया जाएगा जिसका व्यय संबंधित विभाग द्वारा ही वहन किया जाएगा। गौरव पथ निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग केवल गौरव पथ के निर्माण में ही लिया जावे। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि उस पर क्रियान्विति नहीं हो रही है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने एक करोड़ का एस्टीमेट बनाकर पीडब्ल्यूडी को दे दिया। पीडब्ल्यूडी वालों ने वापस एसडीएम को लैटर लिखकर मांग की है। ये एक-दूसरे पर टालमटोल कर रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी उस आदेश को मान गये हैं और सबने अपना-अपना कार्य कर दिया है। सिर्फ विद्युत विभाग ही उस पर अड़ा हुआ है। उन्होंने एक करोड़ का एस्टीमेट बनाकर दे दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि 2.5

(श्री शंकर सिंह)

करोड़ रुपये तो उस गौरव पथ के लिए टोटल स्वीकृत हुए हैं और उसमें से एक करोड़ रुपये सिर्फ बिजली के शिफ्टिंग कार्य में लग जाएगा तो कैसे काम होगा? दूसरा निवेदन यह है कि ठेकेदार की बदमाशी से, जो कांट्रेक्टर है उनकी बदमाशी से यह सारा कुछ हो रहा है। दो दिन उसकी शिफ्टिंग में नहीं लगेगा। वह बिजली के पोल, वही विद्युत की लाइनें और वही ट्रांसफार्मर काम आएंगे, लेकिन सबका एस्टीमेट बनाकर इस प्रकार का देते हैं कि सारे नये लगेंगे। ट्रांसफार्मर भी नये, बिजली की लाइनें भी नई, खंभे भी सारे नये। इनसे यह हिसाब भी लेना चाहिए कि पुराने खंभे, पुरानी लाइनें, पुराने ट्रांसफार्मर कहां चले गये? इसलिए मेरा निवेदन है कि खाली लेबर शिफ्टिंग के कार्य का भी अगर उसमें कर देते तभी भी हम मान जाते, लेकिन एक करोड़ का एस्टीमेट इस प्रकार का दे रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनको पाबंद किया जाए। ठेकेदारों के दबाव में अधिकारी दूसरा भी आदेश निकाल देते हैं कि विधायक कोष या दूसरे कोष से किया जाए। हम निवेदन करना चाहते हैं जब राजस्थान सरकार ने सारा ही कलक्टर्स को लैटर दिया है तो उसमें दुबारा आदेश निकालने की कहां आवश्यकता थी। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे अपने विभाग के अधिकारियों को थोड़ा पाबंद कराएं। दो महीने से रोड खुदी पड़ी हुई है, आने-जाने वालों का एक्सीडेंट होता है। जनता सारी दुःखी हो रखी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप माननीय विद्युत मंत्री महोदय से जवाब दिलाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नगरीय निकाय क्षेत्र में गौरव पथ विकसित करने में यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए देय राशि के बारे में सवाल उठाया है। यह सही है कि दिनांक 27.9.2016 और 16.2.2017 को सभी जिला कलेक्टर को स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि गौरव पथ के निर्माण के अंदर यूटिलिटी शिफ्टिंग, चाहे वह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की हो, विद्युत वितरण निगम की हो, दूरसंचार की हो, नगर विकास न्यास की हो, सारे के सारे संबंधित विभाग इसका पैसा वहन करेंगे। इसके पश्चात् एक और आदेश दिनांक 28.2.2017 को निकाला गया। उसके अंदर यह स्पष्ट कहा गया कि गौरव पथ के निर्माण में, चूंकि बीएसआर से कम

राशि पर गौरव पथ का काम पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार लेते हैं। कई बार बीएसआर की राशि काफी बच जाती है, उस राशि का पहले उपयोग करें। बची हुई राशि का, जो मूल स्वीकृति है, बीएसआर से कम में काम लेने से बची हुई राशि का उपयोग पहले यूटिलिटी शिफ्टिंग में करें और उसके पश्चात् यदि कोई राशि बच जाती है तो संबंधित विभाग उसको वहन करें और विधायक विकास कोष से भी अगर संभव हों तो इसको वहन करें। इसलिए अगर स्वीकृति बीएसआर से कम होगी, राशि बची हुई होगी तो उसका उपयोग करेंगे और इस आदेश का सख्ती से पालना करेंगे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): राशि बची हुई भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि उसमें दो दिन शिफ्टिंग के लिए नहीं लगेंगे। एक ट्रैक्टर पर जुगाड़ बना रखा है और बिजली के पोल खोलकर वही खंभे वे काम में ले लेते हैं। लेबर चार्ज के रूप में स्थानीय एसडीएम को आप अध्यक्ष बनाकर, कमेटी बनाकर भी करवा सकते हैं। लैबर कार्य का एस्टीमेट बना दिया जाए। बिजली के पोल वो ही काम आ जाएंगे, लाइनें भी वो काम आएगी, ट्रांसफार्मर भी वो ही काम आ जाएंगे। एक करोड़ रुपये की उन ठेकेदारों को भेंट चढ़ती है उससे बचत हो जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें सुधार भी हो जाएगा और बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा यह एक लापरवाही के हिसाब से एस्टीमेट बना दिया जाता है, उसमें थोड़ी राहत मिल जाएगी, यह मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ठीक एस्टीमेट बनें और पुराने पोल्स और पुराने ट्रांसफार्मर का भी उसमें उपयोग हो उसके बारे में निश्चित तौर पर निर्देश दे देंगे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उपयोग हो जाएगा। धन्यवाद साहब।

व्यवस्था का प्रश्न

उस विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अभी रखा उपाध्यक्ष महोदय, उसका अंग्रेजी पढ़ें। “The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence.”

श्री उपाध्यक्ष: सैक्शन बताओ। आप सैक्शन बताइये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 52(3) का अंग्रेजी पढ़ें, हुकुम, आप।

श्री उपाध्यक्ष: 52 (iii), is on adjournment motion, Sir.

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): "The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence"

श्री उपाध्यक्ष: 52 (iii) is restricted only to adjournment motion. That's the reason I am telling you, let us form some Rules on 'Parchi' also. So that reoccurrences of such issues till the Rules are not formed. I have to give the benefit to the person who's calling the motion.

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जब नियम बना था तब यह था कि कल शाम को विधान सभा स्थगित (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कब था? हमारे शास्त्रों में स्मृतियां हो सकती हैं। लेकिन विधान सभा के नियम में स्मृतियां नहीं हैं, यहां जो लिखा हुआ है, वही नियम है। इसलिए नियम बनवाइये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक निवेदन है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नौवीं विधान सभा के अंदर जब श्रीमान् हरिशंकर जी भाभड़ा यहां अध्यक्ष पद पर आसीन थे, तब ये एडजोर्नमेंट मोशन लगते थे। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे एडजोर्नमेंट मोशन पूरे लगते नहीं हैं क्योंकि आप मौका तीन या चार माननीय सदस्यों को देते हो। तब यह पर्ची का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था कि इस प्रकार के मामले जो सम-सामयिक, उसी समय घटित हुए हों और जिनका तात्कालिक रूप से विधान सभा के अंदर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक समझे, इसलिए पर्ची का सिस्टम चालू हुआ था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो ध्यान होगा, प्रारम्भ में तो यह पर्ची चार की बात थी और चार में से कभी दो, कभी एक, कभी तीन आया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करती थीं। उसके बाद इस पर्ची के माध्यम से, फिर धीरे-धीरे यह बात ऐसी विस्मृत हो गयी कि इसमें कोई भी विषय, कभी भी माननीय सदस्य उठाने लग गये, जिसमें हमने भी उठाये हैं, और माननीय सदस्यों ने भी उठाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका व्यापक दायरा होने के कारण से माननीय सदस्य सोचते हैं कि 10 बजे आएं, पर्ची डालें। और इसके नियम नहीं हैं। निश्चित तौर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके कहीं न कहीं, कोई न कोई ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए ताकि तात्कालिक महत्व के विषय इसमें आएं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वही मैं कह रहा था कि, कल शाम को सदन स्थगित होने से लेकर आज सवेरे प्रारम्भ होने के बीच का कोई घटनाक्रम हो, वही विषय इस पर्ची के माध्यम से उठाने के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं Let him say. अगर आपको कोई भी जानकारी दे रहे हैं उप मुख्य सचेतक महोदय तो What is your problem? Why should you feel so disturb about it?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप बोलने ही नहीं दे रहे हो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं यही निवेदन कर रहा था हुकुम, कि कल शाम को सदन स्थगित होने से लेकर आज सवेरे सदन प्रारम्भ होने के बीच का कोई घटनाक्रम है जो विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन में रखना जरूरी है। इसी के निमित्त यह पर्ची का प्रावधान किया गया है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करता हूं, आउटगोइंग, इनकमिंग खराब है दोनों की, आप अंग्रेजी में बोल जाते हैं, थोड़ा फास्ट बोल जाते हैं तो वह समझते नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं नहीं नहीं, इतनी विद्वता है सर। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं शक नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: On the contrary, they understand English better than the Hindi. Don't be under this impression that they don't. They understand English much better than the Hindi.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको अपनी विद्वता की इतनी अजीर्ण हो रही है क्या? आप ही हो क्या सब कुछ? बात करते हो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): प्रश्न अजीर्ण का नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, हमें गर्व है कि हम गांव की स्कूल से पढ़कर यहां तक आये हैं। गांव की ग्रामीण स्कूल में..

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप बिना पढ़े नहीं आये हो। बिना पढ़े लोग भी यहां पर बहुत आये होंगे। इसमें कांस्टीपेशन होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...जहां छप्पर भी नहीं था, कुछ नहीं था, वहां से लेकर यहां तक आये हैं। हमें गर्व है कि हम ग्रामीण लोग हैं। यहां बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अंग्रेजी में क्योंकि एडजोर्नमेंट मोशन आप बार-बार कह रहे थे और उप मुख्य सचेतकजी उसको समझ नहीं पा रहे थे...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, आपको अजीर्ण काहे से हो गया? विषय यही था।

श्री उपाध्यक्ष: चलो, अब विराज जाओ। विराज जाएं प्लीज, प्लीज। मतलब यह किसी भाषा का विषय नहीं है और मुझे पूरी जानकारी है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और उप सचेतक महोदय ने ठीक प्रकार से समझा। अब मैं एक... आप कुछ बोल रहे हैं? उसके बाद मैं बोलूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करता हूं। यह बात ठीक है कि पर्ची में कोई करंट इश्यु होना चाहिए लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के उप मुख्य सचेतक और

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सचेतक ने एक निर्देश दे रखे हैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को, कि चाहे कुछ भी डाल दो, लेकिन आपको तो 10 बजे जाना है। जोन बांट रखे हैं। जब आप खुद ही इस व्यवस्था को भंग करना चाह रहे हो कि कुछ भी उलटा-सीधा लगा दो, 10 साल पुराना लगा हो, लेकिन विपक्ष के पर्ची नहीं आए, इसलिए आपको अनिवार्य रूप से लगानी है। जब इस तरह की व्यवस्था सत्ता पक्ष से हो जाएगी तो मैं समझता हूं, फिर इसी तरह की बातें होंगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई दबाव नहीं है और न इस तरह की कोई बात है। आप यूं ही आरोप लगा रहे हो मर्जी से ही। आपने देखा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: क्योंकि यह विषय आसन के समक्ष पहली बार आया है कि पर्ची के माध्यम से किस प्रकार के विषय लिये जाएं और क्योंकि इस पर नियम अभी नहीं बने। इसलिए जब तक नियम स्पष्ट रूप से नहीं बन जाएं, तब तक जो एडजोर्नमेंट मोशन के नियम हैं, वह पर्ची पर लागू होंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे तो इसका परपज सोल्व नहीं होगा। मेरा निवेदन सुनें आप। यह आई क्यों पर्ची? स्थगन प्रस्ताव देने का अधिकार सिर्फ प्रतिपक्ष के सदस्यों को ही है और सत्ता पक्ष के सदस्यों को नहीं है, इसलिए अगर स्थगन प्रस्ताव के नियम लागू होंगे, तो सत्ता पक्ष के सारे सदस्य इससे वंचित होंगे। एक।

दूसरी बात, मैं यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा के नियमों में पहले 295 भी नहीं था। केवल स्थगन प्रस्ताव ही था और स्थगन प्रस्ताव पर भी पहले अनुमति नहीं देते थे। स्थगन प्रस्ताव तो आज तक, इस विधान सभा में सिर्फ दो बार स्वीकार होकर उस पर बहस हुई है। बाकी सारे स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार ही किया जाता है।

जब माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई अपने आसन पर विराजमान थे, तब उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि जिन स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाता है, उन पर दो-दो मिनट बोलने की माननीय सदस्यों को अनुमति होगी। यह उस समय से स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति शुरू हुई।

उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में उठा विशेष उल्लेख।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिस प्रकार का लोक सभा में और राज्य सभा में होता है, उस प्रकार के विशेष उल्लेख का प्रावधान नहीं था। फिर 295 इसमें इन्सर्ट किया गया और 295 के अन्तर्गत सूचना देने का अधिकार हुआ।

उसके बाद में माननीय हरिशंकर जी भाभड़ा जब अध्यक्ष थे, तब यह प्रश्न आया कि स्थगन प्रस्ताव केवल प्रतिपक्ष के सदस्यों के लिए है और 295 में सब दे सकते हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी कोई अपनी बात उठाना चाहें तो सदन में वह बात किस रूप से उठा सकते हैं, इसलिए पर्ची का आविष्कार हुआ। अब यह जो पर्ची जिस प्रकार से आने लगी, इसमें मैं आपसे इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि पर्ची के लिए नियम बना दिये जाएं। जैसे 295 या स्थगन प्रस्ताव के या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नियम हैं। उसके नियम बना दिये जाएं, लेकिन इस पर दोनों पक्षों को, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी पर्ची पर बात रखने का अधिकार प्राप्त हो, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस सम्पूर्ण विषय को नियम समिति में भेजकर और नियम समिति के माध्यम से नियम बनवाएं और तब तक आसन, जिस प्रकार की उदारतापूर्वक सबको बोलने की छूट देता रहा है, उस प्रकार से उस पर छूट देता रहे, यही मेरा आपसे विनम्र आग्रह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, बिलकुल व्यावहारिक बात है और हम भी उसमें सहमत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप नियम समिति को भेज दें या नियम समिति को नहीं भेजें तो कोई यहां सदन की कमेटी बना दें, समिति बना दें, ताकि वह देख ले इसको।

व्यवस्था

पर्ची पर उठाये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाये जाने आवश्यक

श्री उपाध्यक्ष: अब मैं सदन का ध्यान आसन की तरफ से दिये हुए निर्णय की तरफ आकर्षित करता हूं, जो पर्ची पर निर्णय है। "शून्यकाल, पर्ची

(श्री उपाध्यक्ष)

द्वारा संक्षिप्त बोलने की अनुमति की मांग, विषय हाल ही में घटित..." अब आप अगर 52 का सैक्शन (3) पढ़ेंगे तो हाल ही घटित का उसमें... इसलिए जब आसन यह कह रहा है कि जो एडजोर्नमेंट मोशन के नियम हैं, हम जब तक इसमें, पहले तो इसका परीक्षण करेंगे कि क्या यह सदन और आसन, पर्ची जैसे विषय पर नियम बना भी सकता है या नहीं? लेकिन प्रिंसिपली मैं यह निवेदन करता हूं And now I am directing my secretariat, that principally all the 'Parchi' that will come in the morning, will have to be screened through the sub sections. If they qualify, they will be accepted, otherwise they will be rejected. No more discussion.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री जगदीश नारायण, सदस्य, वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था से अनभिज्ञ था, तो मेरा 295 निकल गया। मेरा निवेदन है कि आप उसको पढ़ा हुआ स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होंगी।

श्री उपाध्यक्ष: We'll be recollect. उसके ऊपर क्योंकि आज एब्सेंट थे और इसलिए नहीं आता You can again resubmit it after two days.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जमवारामगढ़ के ग्रामों की भूमि रजिस्ट्री पर रोक

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अधिकांश गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक के संबंध में मैं माननीय वन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वन मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ सेंक्चुअरी 66 स्क्वायर किलोमीटर है। यहां से 40 किलोमीटर

(श्री गजेन्द्रसिंह)

दूर है। इसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है सरिस्का के थ्रू जो सरिस्का बफर कहलाता है। 83 जो गांव हैं, उनमें से 50 तो इस सेंक्चुअरी के पेरीफेरी में है और 33 गांव पूरे अंदर हैं और बफर एरिया के अंदर डिगोता ब्लाक कहलाता है, उसके अंदर पांच गांव हैं, वह सेंक्चुअरी के अंदर हैं और आठ गांव सेंक्चुअरी के बाहर हैं। फोरेस्ट नोटिफिकेशन दिनांक 7.7.2011 के तहत

"It is hearby clarified that according to above legal provisions, it is clear that after issuing notification under section 18, of the Wildlife Protection Act, 1972. The rights relating to any land situation within the boundary of the Sanctuary of shall only be acquired by the mode of succession, testamentary or interstate. So the owner of private land whose land falls within the boundary of notified Sanctuary cannot transfer his land through sale-deed or gift-deed."

इसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पीआईएल फाइल्ड है against this order. और वो सबजुडिस है और वो रूल क्लियरकट है There is no if and but.

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग इतने अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं इस सदन में जो व्यक्ति जितना पढ़ा-लिखा हो जितना अंग्रेजी समझने लायक हो उसको अगर अंग्रेजी में उत्तर दिया जा रहा हो तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे जैसा गांव का आदमी जिसने कभी अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं और उसको आप अंग्रेजी में रिप्लाई दें तो मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। मैं उसमें नहीं समझ सकता तो इसलिए एक तो मेरा निवेदन यह है कि जो भी रिप्लाई दी जाए हम जैसों को हिन्दी में ही उत्तर दिया जाए, ताकि हम उसको अच्छे ढंग से समझ पायें। दूसरा मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ, क्योंकि जब आपने कहा कि इनका उत्तर आपको समझ में ही नहीं आया तो मैं पहले हिन्दी में उत्तर तो दिलावाऊं। विराजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको हिन्दी में नरेट कर देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नरेट नहीं विवरण।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): इसका विवरण कर देता हूं, साहब कि जो लीगल प्रोविजन्स हैं...

श्री उपाध्यक्ष: इसको आप सरल शब्दों में अपने शब्दों में कर दीजिये Because the narration would be exactly the way it is to be interpreted. वो नहीं होगा You just give a narration.

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैं सैक्शन एटीन भी नहीं बोलूंगा मैं सैक्शन अठारह बोलूंगा अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के अन्दर जितने भी लोग आते हैं वो अपनी जमीन सेल डीड या गिफ्ट डीड...।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): विक्रय पत्र।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): विक्रय पत्र के अलावा वो नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष: इतना तो सम्माननीय सदस्य समझते हैं सेल डीड गिफ्ट डीड।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): और मोड ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन को क्या कहते हैं साहब? मतलब आप अपने माता-पिता के थ्रू उनके उत्तराधिकारी को मिल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: उत्तराधिकार। उत्तराधिकारी।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): लेकिन आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। सेल डीड या गिफ्ट डीड नहीं करा सकते आप। थोड़ा और प्रोब्लम है तो आप बता दें मैं हिन्दी वाला वर्जन निकला देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय मंत्री महोदय, आपने आसन की तरफ न देख कर सदस्य की तरफ देख कर अपना उत्तर दिया, आपका उत्तरदायित्व पहले आसन के प्रति है फिर सदन के प्रति।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज है कि जब आप नाराज होते हैं और नाराज होकर अंग्रेजी में डांट लगाते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप यह देने का कष्ट करें कि विद्वान की परिभाषा क्या है, हिन्दी वाला या अंग्रेजी वाला?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): मोहन जी होने चाहिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं-नहीं, सवाल मोहन जी का नहीं है। अभी प्रश्न यह आया कि विद्वान कौन या तो घनश्याम जी भाईसाहब बता सकते हैं या आप जैसे विद्वान ही बता सकते हैं कि अंग्रेजी जानने वाला विद्वान या हिन्दी जानने वाला विद्वान या संस्कृत वाला विद्वान या इस सदन की, आप इस पर व्यवस्था दीजिये कि इस सदन में क्या होना चाहिए किस भाषा में बोलना चाहिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विद्वान हैं इसलिए आप इंग्लिश में भी अच्छा बोलते हैं और हिन्दी में भी। इसका मतलब आप हैं विद्वान।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्वान की परिभाषा तो यह है कि 'विद्वान सर्वत्र पूज्यते', जो सब जगह पूजा जाए वो विद्वान है। राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजा जाता है चाहे वो किसी भाषा में हो। यह तो विद्वान की परिभाषा है। अब दूसरी बात है कि मोहन जी को यह समझ में कैसे आये। विद्वान कौन है उनको समझाना...। उनको तो...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जो अनपढ़ हैं वो भी विद्वान हैं न फिर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, वो विद्वान ही हैं और मैं दूसरा कह रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय, कह रहे थे कि आप अंग्रेजी में जब डांटते हैं तो इनको ज्यादा डर लगता है तो ये डर उनको लगता है जो अंग्रेजी जानते हैं जो जानते ही नहीं...।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं ये सबको पता है कि 31.5.1982 को सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र का विस्तार करके इसमें जमवारामगढ़ का कुछ हिस्सा शामिल किया गया है और उसको डिगोता-61 का नाम देकर आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में 65.58 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को राज्य सरकार की अधिसूचना-61334/वन/2060 दिनांक-6.7.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 31.5.1982 को जो अधिसूचना जारी की गयी, 31.5.1982 से लेकर के और 2012 तक कोई किसी प्रकार की गतिविधि नहीं हुई। न किसानों को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गयी न वन विभाग के द्वारा इस तरह की कोई गतिविधि शुरू की गयी। अचानक 2012 में आकर के एक गजट नोटिफिकेशन निकला और वो गजट नोटिफिकेशन जो निकला उसमें ६ जुलाई, 2012 को एसओ/66 राज्य सरकार वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-53 की धारा-38 वी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध ग्राम सभा एवं विशेषज्ञ समिति के परामर्श उपरांत एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.12.2007 से अधिसूचित सरिस्का व्याघ्र आरक्षित के क्रान्तिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र के चारों और नीचे अनुसूची फर्स्ट में वर्णित वन्य एवं राजस्व क्षेत्र जिसकी सीमाएं अनुसूची सेकिंड में वर्णित है, जहां क्रांतिक व्याघ्र निवास की समग्रता और व्याघ्र प्रजातियों के लिए पर्याप्त विचरण को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मात्रा में निवास संरक्षण अपेक्षित है, जिसका उद्देश्य वन्य जीव और मानव क्रियाकलाप के बीच स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के सम्यक मान्यता के साथ सह अस्तित्व का संवर्धन करना है, को बफर क्षेत्र घोषित करती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है गजट नोटिफिकेशन में कि ग्राम सभा की मीटिंगों में...।

श्री उपाध्यक्ष: आप सीधा प्रश्न करिये, जैसे प्रश्नकाल के अन्दर आप वापस प्रश्न करते हैं आप इनसे प्रश्न करिये आप क्या जानकारी चाहते हैं। क्या यह सही है या क्या यह गलत है, या क्या यह...

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वो ही करने जा रहा हूं। इसमें लिखा है कि ग्राम सभाओं की मीटिंगों में और वहां विशेषज्ञ समिति के परामर्श से यह कदम उठाया गया है तो क्या इस तरह का प्रस्ताव कोई पारित किया गया है। इस तरह से ग्राम सभाओं की मीटिंगों के द्वारा कोई निर्णय करवा करके उस निर्णय के माध्यम से इसको लागू किया गया है। एक तो वो मैं जानकारी लेना चाहता हूं। दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब 1982 में अधिसूचना जारी हुई तो 1982 से लेकर 2012 तक क्या हुआ? इतना लंबा अर्सा पैंतीस सालों का ओर पैंतीस सालों में कुछ भी नहीं हुआ और फिर अचानक 2012 में हुआ और 2012 में होने के बाद फिर 28 जनवरी, 2013 को तत्कालीन माननीय जिला कलेक्टर के यहां मीटिंग बैठी। उस मीटिंग में निर्णय पारित हुआ कि पीछे की कार्यवाहियों को देखते हुए अब किसानों की जो उक्त क्षेत्र में जमीनें पड़ रही हैं कृषि की उन जमीनों के बेचान पर रोक लगाई जाए और उसको लेकर के 33 ग्राम सम्पूर्ण रूप से जिनकी पूरी भूमि के ऊपर रोक लगायी गयी खरीद-फरोख्त के रजिस्ट्रेशन पर और पचास गांव ऐसे गांव जिनके आंशिक कुछ खसरा नम्बरों पर रोक लगायी गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मीटिंग का निर्णय भी देखा है, उसमें तो इतना है कि रोक लगाई जाती है लेकिन दूसरे पहलू पर किसी प्रकार का कोई विचार ही नहीं किया गया। इस निर्णय से जो प्रभावित पक्ष है, उस प्रभावित पक्ष को किस तरह से मदद की जाएगी। जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के बाद उसको कोई मुआवजा दिया जायेगा या जमीन अधिग्रहित की जाएगी, उसके साथ क्या होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय सामने नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो प्रभावित पक्ष के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, मुझे वह जानकारी दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 7.7.2011 की वन विभाग की जो अधिसूचना थी उससे पहले क्या क्या हुआ, क्या गतिविधियां हुईं, क्या मीटिंग हुई, उसकी मैं पूरी डिटेल मंगा लूंगा माननीय सदस्य को मैं पत्र द्वारा भेज दूंगा और आप डिस्कशन करना चाहेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, सम्माननीय सदस्य ने दो चीज स्पष्ट पूछी है कि जिनकी जमीनें अधिग्रहण हो गयीं, चाहे आंशिक हुई हो या संपूर्ण हुई हो, उन काश्तकारों को, किसानों को या प्रभावित लोगों को आप क्या कोई मुआवजा देकर कहीं और स्थापित करेंगे, इसकी क्या कार्य योजना है और यह करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, यह ये जानकारी चाहते हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एक जानकारी और मैं भी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह कम्प्लीट हो जाए, मैं आपको इजाजत दे दूंगा। Let him complete first.

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि सब डिटेल मंगाकर उसके बाद पूरी स्टडी करके I'll give him the answer.

श्री उपाध्यक्ष: आप कुछ कहना चाह रहे थे।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसकी जानकारी बाद में दे देंगे, कोई बात नहीं बैठ लेंगे, मैं उनके साथ बैठकर चर्चा कर लूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि जमीन स्थाई सम्पत्ति है, स्थाई सम्पत्ति को बेचने से जमीन ट्रांसफर नहीं होती, केवल उसका मालिकाना हक ट्रांसफर होता है, उसका स्वामित्व ट्रांसफर होता है। मैं तो केवल इतना सा जानना चाहता हूं कि उस मालिकाना हक पर जो रोक लगाई है ट्रांसफर पर, उस ट्रांसफर पर रोक लगाने से क्या वन्य अभयारण्य क्षेत्र को और ज्यादा डवलपमेंट मिलेगा, कोई विकास मिलेगा? क्या उससे वह ज्यादा मजबूत बनेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि उस जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने से राजस्व आय को नुकसान मिला है। लगभग ढाई करोड रुपये प्रतिवर्ष का नुकसान राजस्व विभाग को हुआ है, इसका मतलब सरकार को सीधा सीधा नुकसान हुआ है।

दूसरी बात, रोक लगाने से वहां के किसानों में एक निराशा का भाव पैदा हुआ है। किसानों की साख डाउन हुई है, किसान के पास जो साख थी और किसान की जो कद्र थी, वह कद्र खतम हो गयी है। आज उस किसान

(श्री जगदीश नारायण)

पर कोई भरोसा नहीं करता, और तो और जिन संस्थाओं से वह लोन लेकर अपना काम चलाता था, आज वह संस्थाएं भी उस किसान पर भरोसा नहीं कर रही हैं। उनको पता है, यह जमीन बेच नहीं सकता, इस जमीन का यह गारंटर नहीं बन सकता, इस जमीन को खुर्द बुर्द नहीं कर सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सीधा सीधा उस किसान के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। आपकी जो बेसिक क्वैरी है या जो आपका प्रश्न है, जो आपकी चिंता का विषय है वह यह है कि जिन प्रभावित लोगों का, चाहे वह किसान के रूप में हो, चाहे जिनके घर हैं, उनकी जमीन का या जायदाद का या अचल सम्पत्ति पर जो रोक लगाई है, वह रोक किस सैक्शन में आपने लगा दी और जिस सैक्शन में आपने रोक लगाई होगी उस सैक्शन में उनको कंपनसेट करने का प्रोविजन जरूर होगा। क्योंकि एक्विजिशन प्रोसीडिंग में है तो उसके थ्रू आएगा, जो भी है इसका संपूर्ण विश्लेषण और ऐसी और भी कई हैं, और भी अभयारण्य हैं जहां भी यह क्वालिफाई करता हो, उनको स्पष्टीकरण भिजवा दें, उन कलेक्टर्स को भिजवा दें। ठीक है, No more discussion on it.

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं आपके आदेश की पालना करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जायें, That's the end of it.I cannot allow it. एक मिनट विराजो, एक मिनट विराजो। आप जिस सैक्शन में अपना मोशन मूव कर रहे हैं उस सैक्शन को पढ़ लें। cannot allow a debate on this. आसन ने जितना स्पष्ट उत्तर दे दिया और उत्तर दिलाने के लिये सम्माननीय मंत्री को निवेदन कर दिया, उससे ज्यादा स्पष्टीकरण और क्या चाहेंगे।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके उत्तर से बिलकुल संतुष्ट हूं लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं थोड़ा सा निवेदन आसन से ही कर रहा हूं। अभी फिलहाल ही आपने निर्णय दिया है कि जब तक पर्ची के नियम नहीं बन जाते तब तक पहले वाली व्यवस्था बरकरार रहेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह नहीं जान सकता कि

(श्री जगदीश नारायण)

जब तक वह जानकारी नहीं आए, जब तक वह सारी व्यवस्था नहीं हो तब तक किसानों की रजिस्ट्री पर रोक हटाई जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बगैर लीगल सेंक्शन के तो इस पर रोक लगाई ही नहीं जा सकती, रोक लगी है तो कहीं कानून भी बना हुआ है, कहीं नियम भी बने हुए हैं, उन नियमों की पालना कीजिए और उन नियमों की पालना करते हुए जो प्रभावित लोग हैं उनका मुआवजा या उनको जिस प्रकार से भी आपको रिहेबिलेट करना है, आप कीजिए जिससे माननीय सदस्य भी संतुष्ट हो और उनकी पीडा का भी निराकरण हो, ठीक है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: How can we allow a debate? 131 पढ़ लो आप लोग।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): डिबेट नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपने अच्छी व्यवस्था दी है, इस व्यवस्था में एक लाइन और जोड़ दीजिए क्या ग्राम सभाओं की मीटिंग के माध्यम से इस जमीन पर पाबंदी लगाई गयी है या वन अभयारण्य में लाया गया है। क्योंकि कानून यह कहता है, इतनी सी जोड़ने का निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, जो सम्माननीय सदस्य ने कहा है उसको भी आप अपनी इस क्वेरी में सम्मिलित कर लीजिए और इसका जो भी आपको जवाब देना है, वह सम्माननीय सदस्य को दे दीजिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री नन्दकिशोर महरिया, गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

आमजन की शिकायतों पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं किया जाना

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 131 के अंतर्गत आम जन की शिकायतों के अधिकांश प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने के संबंध में मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में यह आदेशित किया कि संज्ञेय मामलों में धारा 1544 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज करने को अनिवार्य माना है। धारा 154 सीआरपीसी में थानाधिकारी स्वयं संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर सकता है। ऐसा नहीं करने पर परिवादी पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकता था, फिर भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ललिता कुमारी वाले निर्णय में ही यह स्पष्ट उल्लिखित है कि किस प्रकार और किन प्रकरणों में प्रारंभिक जांच की जाएगी। यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसी निर्णय में यह भी उल्लिखित है कि निम्न प्रकार के मामलों की एफआईआर के पूर्व प्राथमिक जांच की जा सकती है। यह कोर्ट का फैसला है और इस कोर्ट के फैसले में "As to what type and in which cases, primary inquiry is to be conducted will be depend on the facts and circumstances of each case. The category of the case in which primary inquiry may be made as under, may reach family dispute, commercial offences, medical grievances or corruption cases. Cases where there is a abnormal delay" इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय में थे। किसी प्रकरण में शिकायत प्राप्त होने पर विभिन्न स्थानों पर परीक्षण जांच के पश्चात ही यह तथ्य प्रकाशित होता है कि इससे अपराध संज्ञेय श्रेणी में आता है या नहीं। गत तीन वर्षों में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2016 तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कुल 22941 शिकायतें प्राप्त हुईं। विभिन्न स्तरों पर परीक्षण के बाद इनमें से 1162 प्रकरणों में परिवाद दर्ज किये गये तथा इनमें संज्ञेय अपराध की श्रेणी में प्राप्त हुए कुल 111 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हुई तथा 16257 प्रकरण संबंधित विभागों के द्वारा विभागीय कार्यवाही के योग्य पाये जाने पर संबंधित विभागों को प्रेषित किये गये। इन तीन वर्षों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में 4705 प्रकरण व शिकायतों को काबिल नहीं समझा, निरस्त किया। यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इससे पूर्व 2011 से 2013 में तीन वर्षों में 17792 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से विभिन्न स्तरों पर परीक्षण के बाद 837 प्रकरणों में परिवार दर्ज किये गये तथा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में प्राप्त 219 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गयी और 11066 प्रकरण संबंधित विभागों को विभागीय कार्यवाही के योग्य मानते हुए, संबंधित विभागों को दिया।

इन तीन वर्षों में 5576 प्रकरणों में शिकायतें निरस्त की गयीं। इस प्रकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पिछले तीन वर्ष में प्राप्त शिकायतों तथा उनके आधार पर दर्ज एफ.आई.आर. की जानकारी से यह बात स्पष्ट है कि ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनका सीधा-सीधा विभाग से संबंध होता है।

राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा 25 मई, 1977 को जारी आदेश में..। इस आदेश की कॉपी भी मेरे पास है। इसमें कौन-कौनसे प्रकरण हैं, जिस पर विचार नहीं किया जाए। ऐसे 12 प्रकरण हैं। विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त होते ही तुरंत मुकदमा दर्ज करने की तत्परता की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। साधारणतया छद्मनाम या गुमनाम शिकायतों पर तब तक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। जबकि तक कि उसके विशिष्ट आरोप वर्णित न हो। इसी आदेश में 12 श्रेणी हैं। आप चाहें तो मैं 12 श्रेणी के नाम पढ़ दूं, इन पर विचार नहीं करना है। उन मामलों में जहां आरोप विशिष्ट न होकर सामान्य रूप से लगाये गये। ये सारे के सारे डायरेक्शन दे रखे हैं कि इस-इस प्रकार के मुक़दमे दर्ज नहीं करने हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के परिपत्र संख्या 22.03.01 में यह भी उल्लेख है कि जो परिवाद, पद के दुरुपयोग से संबंधित है, उसमें कुछ तकनीकी किस्म के होते हैं। कुछ साधारण अनियमितता के होते हैं एवं कुछ सामान्य किस्म के होते हैं, जिनके ठोस आधार नहीं होते एवं जिनका व्यापक असर नहीं होता। ऐसे परिवादों को संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षण कर उन्हें संबंधित विभाग को आगे की कार्यवाही हेतु भेज देना चाहिए अथवा फाइल कर देना चाहिए। यह कदम इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ब्यूरो के पास सीमित साधन हैं और बहुत

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अधिक परिवाद की जांच करना संभव नहीं है। जिन परिवादों को पढ़ने से लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार का कोई बड़ा महत्वपूर्ण मामला उजागर होने की संभावना है, उसको ही ब्यूरो को दर्ज करना चाहिए। यह तो जनता की आने वाली शिकायतों को दर्ज करके उसका निस्तारण है। विभाग के द्वारा स्वयं के स्तर पर भी लोगों की सूचना का संकलन विभिन्न सूत्रों और आम जन से प्राप्त शिकायतों का अध्ययन कर सत्यापन के आधार पर आए तथ्यों के आधार पर निम्न प्रकार के प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की जाती है। चाहे कोई शिकायत न भी करे, लेकिन विभाग के ध्यान में आता है कि इस-इस प्रकार की गड़बड़ी है तो विभाग अपने स्तर पर... रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े जाने वाले प्रकरण, टेप केसेज, आय से अधिक संपत्ति संबंधी केसेज, पद का दुरुपयोग करने संबंधी प्रकरण। गत तीन वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा टेप के 803, आय से अधिक सम्पत्ति के 165 तथा पद के दुरुपयोग 423 और कुल 1291 प्रकरण अपने स्तर पर दर्ज किए। इससे पूर्व 2009 से 2011 में 711 टेप के, आय से अधिक 74 और पद के दुरुपयोग के 447, कुल 1228 प्रकरण दर्ज किए गये।

मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 2015 की National Crime Report (N.C.R.) के अनुसार अधिकारी और कर्मचारियों को चार्जशीट करने की दृष्टि से राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। मेरे पास एन.सी.आर. की 2015 की रिपोर्ट है। हम इस कार्यवाही को करने में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर हैं। इसी प्रकार भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने में राजस्थान देश का चौथा राज्य है। हमारे यहां जितने प्रकरण दर्ज होते हैं, जितनी कार्यवाहियां होती हैं, मैं सोचता हूं कि एन.सी.आर. की रिपोर्ट 2015 के आधार पर हमारी परफोर्मेंस अच्छी है और हम इन सब बातों को देखकर मुक़दमे दर्ज करके कार्यवाही करते हैं। हम किसी भी केस को, जो हमारे लायक होता है, वह हमारे पास रहता है और कुछ विभाग के लिए है, उन्हें कार्यवाही के लिए वापस लौटा देते हैं और जो बिल्कुल ही बेकार हैं, उनको हम रिजेक्ट करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह डिपार्टमेंट आपके पास है या मुख्यमंत्री जी के पास है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सब आपकी मेहरबानी है।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उस जवाब में एक परिपत्र 22.03.2001 का है, उसका हवाला दिया है। दूसरी जो बातें इन्होंने पढ़कर बताई हैं, वे 25 मई, 1977 को विभाग ने खुद ने अपने नियम बनाए थे। उन नियमों के बारे में पढ़कर बताया है ओर जो एक फैसला पढ़ा है वह है ललिता कुमारी वर्सेज गर्वनमेंट ऑफ यू.पी. एण्ड अदर्स, 2013 का है। जिसमें हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस और चार जज और शामिल हैं। उन्होंने जो फैसला दिया है, उसकी पहली लाइन में उसका सीधा डायरेक्शन, कनक्लूजन है और रिपोर्टेबल फैसला है, उसकी पहली लाइन यह है कि “Registration of FIR is mandatory.” आगे की लाइन यह है कि “Preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offence is disclosed or not.” “A copy of the entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith and not later than one week.” इनके पास सवा दो साल में 16 हजार मामले आए, उनमें 16 मामलों में भी सात दिन के भीतर ए.सी.बी. वालों ने शिकायतकर्ता को क्लोज करके जवाब नहीं भेजे। अगर भेजे हैं, तो सदन में रख दें।

उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि “Action must be taken against erring officers who do not register the FIR if information received by him discloses cognizable offence.” अगर ये एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते हैं या जो आफिसर नहीं दर्ज करता है, उस पर एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यह सभी तरह के मामलों में हैं। “While enduring and protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made time bound and in any cased it should not exceed 7 days. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in the General Diary entry.”

उसके बाद कई लोग सुप्रीम कोर्ट गये। तो इसमें से थोड़ा-सा अमेंडमेंट हुआ। जो सात दिन की बात थी, वह पंद्रह दिन अलाऊ की और बहुत ही विशेष केसेज में छह सप्ताह अलाऊ की है। हमारे यहां पर जो हालात हैं। जो

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

इन्होंने जवाब दिए हैं। ए.सी.बी. माननीय सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है और बिलकुल भी नियम पर नहीं चल रहा है। 99.7 परसेंट मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वे बिलकुल मनमानियों से चल रहे हैं। ए.सी.बी. एक पुलिस स्टेशन है और ए.सी.बी. का जो डी.जी. है, वह उसका एस.एच.ओ. है। चाहे मामला सीकर में दर्ज हो, चाहे उदयपुर में दर्ज हो, एफ.आई.आर. दर्ज करने की जिम्मेदारी डी.जी. की होती है। ए.सी.बी. में आने वाली प्रत्येक शिकायत पर इस फ़ैसले के अनुसार एफ.आई.आर. जरूरी है और अगर एफ.आई.आर. नहीं करें तो उसे सात दिन में क्लॉज करके भेजें कि यह बात हुई है। लेकिन ए.सी.बी. जो कर रही है, वह यह है कि जनवरी, 2014 से मार्च, 2016 तक कुल 16278 परिवादों में से मात्र 51 एफ.आई.आर. दर्ज की है। 16278 में से 89 परिवाद दर्ज किए हैं और प्राथमिक जांच कर रहे हैं। नियम विरुद्ध 9985 मामले उन्हीं भ्रष्टाचारियों को वापस भेज दिए, उसी विभाग को जांच करने के लिए वापस भेज दिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है।

आपने जो परिपत्र बताएं हैं, वे परिपत्र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई मायने नहीं रखते हैं। हाइकोर्ट ने भी बार-बार कहा है, लेकिन उसका भी ए.सी.डी. पर कोई असर नहीं है। अभी अशोक सिंघवी की गिरफ्तारी के मामले में सरकार ने भी खूब वाहवाही लूटी और जनता में भी भ्रष्टाचार पर 'जीरो टोलरेंस' का मेसेज देना का प्रयास किया। 10.02.2016 को जमानत के मामले को लेकर हाइकोर्ट ने आदेश दिया था। तेरह बिंदु वर्णित किए थे। सरकार को कहा था कि आप इनकी जांच करके 09.03.16 तक कोर्ट में पेश करें। आज तक पेश नहीं हुए, ये कोर्ट की परवाह है। मुख्यमंत्री जी ने 06.09.16 को गृह विभाग को चिट्ठी लिखी है कि ललिता कुमारी मामले के ऑर्डर की अक्षरत: पालना की जाए, कोई असर नहीं। उसके मुख्यमंत्री कार्यालय ने 21.03.17 को रिमाइंडर दिया है कि ललिता कुमारी मामले को देखा जाए और उसी के अनुसार चला जाए। कोई असर नहीं है। हालात ये हैं कि पांच-पांच साल तक परिवाद के रूप में रखते हैं। फिर पाँच साल तक प्राथमिक जांच के रूप में रखते हैं। फिर एफ.आई.आर. के रूप में रखते हैं। 1990, 1993, 1997 के मामले भी अभी पैंडिंग पड़े हैं। लोग

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

रिटायर हो गये। मर गये, मौत हो गयी। अपन अब उनका क्या करेंगे?

भ्रष्टाचार को जिस तरह से ए.सी.बी. राजस्थान में बढ़ावा दे रही है, इससे कोई बुरा उदारहण नहीं हो सकता। ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहां पर कर्मचारी कम हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 31 हैं, डी.एस.पी. 26 हैं।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: आप सीधा प्रश्न पूछिए। आपने कुछ जानकारी दे दी वह ठीक है लेकिन अब आप प्रश्न पूछ लीजिए कि आप किस-किस का जवाब चाहते हैं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): मैं सिर्फ आपके यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि 60-70 तो इस तरह के अच्छे बड़े अधिकारी है और एफआईआर दर्ज करते हैं 51, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी लापरवाही देखिए, इन्होंने जो जवाब दिया है 2014 में उसमें प्राप्त शिकायतें 7 हजार 800 बताई हैं। उनके फिर टुकड़े किए है, आपके पास जवाब उपलब्ध है। उन टुकड़ों का जोड़ करते हैं तो उस जोड़ में और जो कुल बताया है उसमें ही 71 का फर्क है, 71 मामले तो कहां गए, किसी को पता नहीं। 2015 में 132 मामले गायब है। 2016 में 365 मामले गायब हैं। बढ़ते ही जा रहे हैं।

मेरा मूल प्रश्न यह है कि यह जो धांधली चल रही है ललिता कुमारी बनाम गवर्नमेंट आफ यू पी को अक्षरत: आप लागू करेंगे या नहीं करेंगे? पहला। दूसरा, अगर लागू करेंगे तो आज के दिन पैडिंग शिकायतें हैं उन पर किस तारीख तक एफआईआर दर्ज कर देंगे या क्लोज कर देंगे? धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ललिता कुमारी केस के बारे में आपने कहा। उसी के अनुसार विभाग कार्यवाही कर रहा है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, केवल अकेले राजस्थान के लिए नहीं है। हिन्दुस्तान के सभी राज्यों के लिए है। अभी मैंने आपको एनसीआर की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर..

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): देखो, यहां...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं। पूरा जवाब सुन लें।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): मैंने तो डेट मांगी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं इसीलिए लेकर आया था यह बातें आएंगी कि शायद हम राजस्थान के लोग ही कम दर्ज करते हैं और कम संख्या में रखते हैं। 2012 की यह रिपोर्ट देश के सब राज्यों की है। इन सब राज्यों में जितने मुकदमे दर्ज हुए, उसमें राजस्थान का नम्बर दूसरे पर है, व्यक्ति के पीछे जो दर्ज किया। मुकदमे दर्ज करने की संख्या में हमसे ऊपर महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उड़ीसा है, हमारा चौथा नम्बर है। इसका मतलब यह है कि बाकी राज्यों की जो संख्या है..

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): प्लीज मेरा सीधा-सीधा जवाब आ जाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो, जवाब आने दो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं कह रहा हूं कि जो मुकदमे आए 22 हजार, उसकी संख्या मैंने बताई। उसमें से जो इस कैटेगिरी में संकीर्ण अपराध के रूप में नहीं आते थे, उनको हमने विभाग को, उनकी विभागीय इंक्वायरी की दृष्टि से भेजा।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): इस आदेश के अनुसार विभाग को नहीं भेज सकते है हम। यह जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके अनुसार किसी भी हालत में जिस विभाग ने भ्रष्टाचार किया, उसी विभाग को जांच के लिए आप नहीं भेज सकते।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि जब तक संकीर्ण अपराध नहीं हुआ है, ऐसी मान्यता नहीं बनती है...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): संकीर्ण नहीं हुआ है, तो सात दिन में क्लोज करके शिकायतकर्ता को दे दो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह सारे फैक्ट आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से इसी परिपाटी के आधार पर, जो शिकायतें आती है उनका निस्तारण होता है। जो बिलकुल ही बिना साइन के, बिना अता-पता की आती है उनको रिजेक्ट करते हैं। लगता है कि इसमें कुछ है तो विभाग इसके ऊपर कार्यवाही करे। वास्तव में लगता है कि केस बहुत ही गंभीर किस्म का है उन शिकायतों के ऊपर मुकदमे, एफआईआर दर्ज होती है।

इसके अलावा विभाग स्वयं अपने विवेक से भी ट्रेप केस करता है। सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति में करता है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं आपको यह कह सकता हूं कि राजस्थान की एसीबी ही हिन्दुस्तान में एक मात्र एसीबी है जिसने पिछले इन तीन-चार वर्षों में बड़े से बड़े अपराधी पर केस दर्ज करने का प्रयास किया है। उनको एक तरह से सींखचो में डालने का प्रयास किया है। आज ही नागौर का डीएसओ तीन हजार की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है। मैं कहता हूं कि राजस्थान की एसीबी ने अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए मेग्जीमम काम किया है, संख्या की दृष्टि से हर साल अधिक केस दर्ज हो रहे हैं। अधिक एफआईआर दर्ज हो रही है।

आज की तारीख में, हम एफआईआर दर्ज करने के बाद भी उसको कार्यवाही के लिए भेजते हैं तो संबंधित विभाग की सहमति मंगाते हैं। उस सहमति में भी राजस्थान में आज की तारीख में केवल 105 ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें विभागों से हमें अभी सहमति नहीं मिली। बाकी जिसमें अपराधी माना, उन सब पर हमने कार्यवाही की है। मैं सोचता हूं राजस्थान ही ऐसा राज्य होगा जिसकी पेंडेंसी सबसे कम, कई बार हम निर्णय कर लेते हैं और भेज भी देते हैं, तो 2-2, 3-3 वर्षों तक विभाग ही उसकी स्वीकृति नहीं देते हैं। उसके कारण से उनका चालान पेश करने में हमको दिक्कत आती है। लेकिन हमारी पेंडेसी तो मात्र 105 है। उसमें बड़े छोटे सब ही आ गये।

मैं सोचता हूं कि कार्यवाही की दृष्टि से जो अधिकार इस एसीबी को प्राप्त है, राजस्थान में बहुत मुस्तैदी के साथ किया है। मैं नहीं, यह क्राइम रिपोर्ट हिन्दुस्तान की है, वह इस बात को टाइप कर रही हे। आपके बाकी जितने भी, जो निर्देश हैं, हमें कौन-कौनसे केस, 12 प्रकृति के यह कैसेज इसकी सीमा में नहीं आएंगे, उसका आ गया। मैंने इसी फैसले का पार्ट पढ़ा है, मैंने कोई अलग से नहीं पढ़ा है। इसी फ़ैसले के पार्ट में कहा कि इस-इस प्रकार के केस इस सीमा में है, इनके ऊपर होगा।

जो 7 दिन और 6 सप्ताह कहा, समय दिया है, हमारा डिपार्टमेंट कोशिश यही करता है कि उसी समयावधि में हम इसका निर्णय करके, जिसमें एफआईआर दर्ज करने का, हमको लगता है कि संकीर्ण अपराध हुआ है, उसका एफआईआर दर्ज करने के लिए कागज दे देते हैं और निर्णय करते हैं। जिसमें हमारा विभाग मानता है कि संकीर्ण अपराध नहीं है। उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज मेरे मूल प्रश्न का जवाब दिलवा दें। बहुत ईमानदार गृहमंत्री जी हैं और इनसे आशाएं हैं। इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के नियम को लागू करवा दें। सरकार के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। आपने जिस तरह से सुधार के वादे किए थे वह भी पूरे हो जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं। माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से तो यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने में कही कोई संशय नहीं है। यह बात जरूर साफ है कि बाकी राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य का परफारमेंस बेहतर है। लेकिन इसको और बेहतर करने के लिए आसन गृह मंत्रीजी को निवेदन करता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि अगर कहीं और कमी-खामी है तो हम उसकी मोनीटरिंग करके उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह जी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

आबकारी विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.4(41)वित्त/आब/2001 दिनांक 24 मार्च, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान नॉरकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटान्सेज रूल्स, 1985 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

महिला एवं बाल विकास विभाग

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गए उल्लेख के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)(40) निमअ/सामू.वि./2015-16/9286, दिनांक 16 मार्च, 2017 जिसके द्वारा

(श्रीमती अनिता भदेल)

राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ऊर्जा मंत्री जी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण (वर्ष 2016-17)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा-3(1) के अन्तर्गत राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: रणधीर सिंह जी।

याचिका

भीण्डर व कानोड़ में नयी तहसीलों का गठन

म.रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा, बल्लभनगर तहसील को यथावत रखते हुए भीण्डर व कानोड़ में नई तहसील का गठन किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह जी रावत।

देवगढ़ (भीम) में गौरव पथ का निर्माण

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र भीम की नगरपालिका देवगढ़ में स्वीकृत गौरव पथ को तय दूरी एवं समय अनुसार पूर्ण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

सलेमाबाद ग्राम का निम्बार्क तीर्थ के रूप में नाम परिवर्तन

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा, विधान

(श्री भागीरथ चौधरी)
सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के ग्राम सलेमाबाद का नाम परिवर्तित कर निम्बार्क तीर्थ करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

खरनाल ग्राम (खींवसर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र खींवसर (जिला-नागौर) के ग्राम तथा लोक देवता तेजाजी महाराज की जन्म स्थली-खरनाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: आप विषय बता दें।

सूचना

चारणावाला ब्रांच (इंदिरा गांधी नहर) में निर्धारित पानी की आपूर्ति नहीं होने से फसलों पर संकट

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर और जैसलमेर जिले की इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की प्रमुख नहर चारणावाला ब्रांच है। जो करीब 80-90 किलोमीटर लंबी है। पानी का रेगुलेशन है। उस नहर की अब अंतिम बारी है 23 तारीख से 31 तारीख तक। उस नहर का 23 तारीख को पानी चालू होना था वह 24 तारीख को सुबह 9 बजे चालू हुआ। 900 क्यूसेक्स की यह नहर है। 24 तारीख को, कल शाम को ही उस नहर का पानी आधा कर दिया गया, 500 क्यूसेक्स पानी कम कर दिया गया। जिसकी वजह से अभी सुबह तक पानी कम चल रहा है। रबी की फसल इस अंतिम पानी पर निर्भर है। इससे पहले नहर का पटड़ा टूटा उस समय करीब 50 दिन बाद इस नहर को पानी मिला था। एक बारी पिट गई थी। आईजीएनपी विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को यह आश्वासन भी दिया गया था कि वह हुई बारी आपको बाद में दे दी जाएगी।

(श्री भंवरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, वह पिटी हुई बारी तो नहीं मिली लेकिन अंतिम बारी 23 तारीख से क्लोजर आने तक जो बारी किसानों को मिलनी थी। पूरे क्षेत्र में गेंहू की फसल है। करीब दो लाख हैक्टेयर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चारणावाला ब्रांच से सिंचित होता हुआ क्षेत्र है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह पानी नहीं मिलता है तो..

श्री उपाध्यक्ष: On the point of information, you can't go on.

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से..

श्री उपाध्यक्ष: आपने इन्फोर्म कर दिया I think, it's ok.

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आपके माध्यम से, पूरे सदन के माध्यम से, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर सूचना देना चाहूंगा कि इस फसल को बचाने के लिए, 23 तारीख से पानी कम किया गया है इस पानी को दिया जाए जिससे कि किसानों की फसल को बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: आय व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18, अनुदान की मांग। श्री गजेन्द्रसिंह जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 9 - वन (पर्यावरण सहित) की प्रस्तुति

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9-वन (पर्यावरण सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 08,14,11,73,000/- (आठ अरब चौदह करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पाल सिंहजी।

मांग संख्या 43 - खनिज की प्रस्तुति

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43-खनिज के

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 07,20,27,78,000/- (सात अरब बीस करोड़ सत्ताईस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: महाराज रणधीर सिंहजी भीण्डर।

मांग संख्या 9 व 43 पर विचार

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और हमारे उप मुख्य सचेतकजी, दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने वन, पर्यावरण और खनिज पर बोलने की अनुमति प्रदान की।

महोदय, ये तीनों ही चीजें हमारे जीवन के लिये बहुत जरूरी हैं। वन्य जीवों का संरक्षण हो, हमारे वन बने रहें। उसके कारण पर्यावरण में हमारे जीवों की सुरक्षा हो। यह बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हालांकि ऐसी कौम से हूं, जिस पर यह आरोप लगता रहा है कि वन्य जीवों की कमी का कारण हमारी कौम रही। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है ऑन द् कांट्रेरी, राजशाही के जमाने में भी वनों की रक्षा बहुत होती थी। हिस्ट्री के पन्नों को देखें तो मुझे ध्यान है कि भीण्डर के आवास पर एक टाइगर आदमखोर हो गया था। उसको मारना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन तत्कालीन जागीरदार, भीण्डर ने महाराणा को लिखा कि यह टाइगर आदमखोर हो गया है, उसको मारने की आज्ञा प्रदान की जाए। महाराणा ने जब स्वीकृति दी, तब जा करके उस टाइगर को मारा गया।

तो वन्य जीवों की सुरक्षा आज से नहीं, बहुत वर्षों से चली आ रही है। हमारे क्षेत्र में काफी फोरेस्ट हैं। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूं। इसलिये मैं ज्यादातर डिमाण्ड्स पर नहीं बोलता हूं। लेकिन आज मेरा एक विषय है, क्योंकि वन प्रेमी हूं। इसलिये आज आपसे बोलने की अनुमति मांगी है।

मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगीं। उसमें से एक तो यह कि गोडावण की रक्षा के लिये उन्होंने दस करोड़ रुपये सेंक्शन किये। गोडावण ऐसा पक्षी है, जो धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा है,

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। उसके रक्षण के लिये अगर सरकार कुछ काम करती है तो निश्चित तौर से उसकी दाद देनी चाहिये।

इसी तरह से मुख्य मंत्रीजी ने हमारे प्रोजेक्ट लेपर्ड चालू किया है। उसके लिये सात करोड़ रुपये का भी इनीशियल बजट रखा है। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से टाइगर को बचाना जरूरी है, उसी तरह से लेपर्ड को भी बचाना जरूरी है। हालांकि गांवों में ये गायों पर अटैक करते हैं, जानवरों पर, आदमियों पर भी अटैक करते हैं। लेकिन यह इसलिये हो रहा है कि वे बहुत ज्यादा हो गये हैं और अब जंगलों में जानवर कम होने के कारण वे शहरों की ओर आ गये हैं। जंगल कम होते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिये इनका संरक्षण बहुत जरूरी है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मैं आपको निवेदन करूं कि कुछ मार्बल की खानें हैं। उनका ओवर-बर्डन रोड्स पर पड़ा रहता है। जो ओवर-बर्डन पड़ा रहता है, उनके अंदर गुफा बना करके बहुत ये चीते रह रहे हैं। आजकल लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं, जिनमें कि आदमियों पर, जानवरों पर चीतों के हमले हो रहे हैं। इन ओवर बर्डन्स को रोड्स और आस-पास के क्षेत्रों से हटाने के लिये कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर के आस-पास काफी सैंक्चुरीज हैं। जैसे कि सीता माता सैंक्चुरी है, सज्जनगढ़ सैंक्चुरी है, जयसमंद सैंक्चुरी है। वन विभाग ने आजकल उदयपुर में एक बायोलोजिकल पार्क भी चालू किया है, जिसमें बहुत अच्छी खूबसूरती है। उसके साथ-साथ जो एक टाइगर आदमखोर हो गया था, टी-24, उस्ताद, उसको भी वहां पर रखा गया और जिस तरह से उसको रखा गया है, उसकी देखभाल की जा रही है, निश्चित तौर से वन विभाग इसके लिये धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि वह बीच में उसकी तबीयत भी खराब हो गयी थी, मरने की स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन डाक्टर्स और वन विभाग के एक्सपर्ट्स ने उसको जाकर बचाया।

इसी तरह से जो हमारे डी.एफ.ओ., नार्थ है, उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम चालू कर रखी है। उन्होंने वन सुरक्षा समितियां, ऐसा आदिवासी क्षेत्र जहां पर कि बिलकुल इन्कम नहीं है। वहां पर वन सुरक्षा समितियां बना करके वन विकास अभिकरण का गठन किया है। वे सभी समितियां उसके

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

सदस्य हैं। वे लोग अगरबत्ती, हर्बल गुलाल, एलोवेरा जूस, शैम्पू, सोप, हनी और सीताफल का फल भी इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस चीज को पूरे प्रदेश में अगर हम बढ़ायें, निश्चित तौर से आदिवासी क्षेत्र में लोगों के जीविकोपार्जन के लिये बहुत अच्छा संदेश जाएगा और उससे लोगों को बहुत इनकम भी होगी।

महोदय, हमारे यहां एक सीता माता सैंक्चुरी है। उसमें फ्लाइंग स्क्विरल, जिसको उड़न गिलहरी कहते हैं, वह है। उसको देखने के लिये बहुत से ट्यूरिस्ट्स आते हैं। सीता माता इतनी बड़ी सैंक्चुरी है कि एक तरफ तो धरियावद है, एक तरफ बड़ी सादड़ी है, एक तरफ बानसी। उसके पूरा क्षेत्र जो है, काफी बड़ा क्षेत्रफल है। उसमें काफी जानवर भी हैं और ट्यूरिस्ट्स भी बहुत आते हैं। जब 2003 से 2008 के बीच में हमारी सरकार थी, तब वहां पर एक टाइगर प्रोजेक्ट डालने की बात चली थी। मैं भी उस कमेटी में गया था। यह पता चला कि वह टाइगर प्रोजेक्ट इसलिये नहीं आया कि बानसी से लेकर धरियावद जो रोड जा रही है, वह उस सैंक्चुरी के बीच में से जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसकी पूरी बाउण्ड्री वॉल बना करके, बानसी वाली रोड को अगर लसाड़िया हो करके हम धरियावद ले जाएं, तो निश्चित तौर से सैंक्चुरी से रोड बाहर हो जाएगी और हम वहां पर कोई अच्छा टाइगर प्रोजेक्ट डालें। क्योंकि उस क्षेत्र में ट्यूरिस्ट्स बहुत आते हैं। फोरेस्ट और ट्यूरिस्ट्स का एक तालमेल सा है। जहां-जहां फोरेस्ट ज्यादा है, वहां पर ट्यूरिस्ट्स बहुत आते हैं। आप देख सकते हैं, हर जगह, जहां पर भी फोरेस्ट है, वहां पर ट्यूरिस्ट्स की संख्या काफी बढ़ी हुई है। तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र में, टाइगर प्रोजेक्ट अगर आप सीता माता सैंक्चुरी में लायेंगे तो निश्चित तौर से उस क्षेत्र के लिये बहुत अच्छा होगा।

इसी तरह से जयसमंद, एशिया का सबसे बड़ा बांध जयसमंद, मैन-मेड बांध वहां पर बना हुआ है। उसके पास में ही जयसमंद सैंक्चुरी है। उसमें पहले एक शो रखा जाता था जिसमें 'किल' बांधते थे और वहां पर पैंथर आकर उसको मारता था। काफी ट्यूरिस्ट्स उसको भी देखने के लिये आते थे। उसको वापस शुरू किया जाना चाहिये। मेरा ऐसा मानना है। ताकि वहां पर ट्यूरिस्ट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ें।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

लेकिन, महोदय, इन सैंक्चुरीज में स्टाफ और व्हीकल्स की बहुत कमी है। काण्टेक्ट करने के लिये, कम्युनिकेशन के लिये अपन को कुछ न कुछ अच्छा आधार देना चाहिये, जिससे कि वे आपस में काण्टेक्ट कर सकें, क्योंकि वहां वुड की स्मगलिंग बहुत होती है। उसके लिये अगर अधिकारी आपस में तालमेल रखेंगे तो निश्चित तौर से उन पर कण्ट्रोल हो पायेगा।

दूसरा, नील गाय के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बार-बार नील गाय फसल का खराबा करती है। उसके लिये हमने एक दिन, आधे घण्टे, एक घण्टे की एक चर्चा भी विधान सभा में रखी थी। उस समय यह तय किया गया था। क्योंकि वह ढाई सौ किलो वज़नी है, उसको बेहोश नहीं किया जा सकता। उसको उठा करके दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। इसलिये यह कहा था कि इसको वर्मिन घोषित कर दिया जाए और उसको मारने की अनुमति दी जाए। लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र आज भी हैं, जहां लोग उसको मारना नहीं चाहते। इसलिये उसके लिये कुछ न कुछ हमको ऐसा करना पड़ेगा कि खेतों की बाड़ाबंदी के लिये अनुदान दिया जाए। नरेगा में हमको इसको ले करके बाड़ाबंदी करने की अनुमति दी जाये। ऐसा अपन को नील गाय से बचाने के लिये करना चाहिये।

महोदय, आपने पोल्यूशन कण्ट्रोल के लिये भी जैसे भिवाड़ी में मुख्य मंत्रीजी ने 52 करोड़ की लागत से 06 एम.एल.डी. के आर.ओ. प्लाण्ट के स्थापना की घोषणा की है और बाड़मेर कास्टिक सोडा से बचाने के लिये रिकवरी प्लाण्ट की भी घोषणा की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक तरफ तो हिन्दुस्तान जिंक, जिसका विषैला पानी, कल ही मैंने आपके सामने चर्चा की थी, उसके कारण मेरी 12 पंचायतों में पानी खराब हो रहा है। दूसरी तरफ आर.एस.एम.एम. की जो खानें हैं वे इतनी नीचे चली गयी हैं कि हमारे क्षेत्र का, पूरा बड़ क्षेत्र का पूरा पानी उन खानों में चला गया और कुएं सूख गये हैं। तो चाहे सी.एस.आर. की तरफ ही, आर.एस.एम.एम. हमारे इन गांवों को पानी का प्रबन्ध करे, इसके लिये भी आपको करना चाहिये।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के आस-पास सलूम्बर भी है, खैरवाड़ा भी है और यहां पर हमारी खरका नदी से पहले बजरी आती थी। उस समय बजरी का भाव 600-700-800 रुपये ट्रैक्टर था। लेकिन

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

एन.जी.टी. ने उस पर बिलकुल रोक लगा दी है। एन.जी.टी. की रोक के कारण वहां पर बजरी परिवहन बिलकुल बंद कर दिया गया। दूसरी जगह पर तो आपके ठेके हैं, वहां से परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होती है बजरी, लेकिन हमारे वहां पर बिलकुल बंद है और राजसमंद और दूसरे इलाकों से हमारे यहां रेती आ रही है। जो सात सौ रुपये में ट्रैक्टर आता था अब वह 4800 रुपये 5000 रुपये तक में आता है। तो इसके लिए एन.जी.टी. में सरकार की ओर से पैरवी करके कम से कम उस आस-पास के क्षेत्र में बजरी परिवहन हो सके, इसकी छूट दिलायी जाए। क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत से ट्रैक्टर चालक, ट्रक वाले, लेबर्स भूखे मर रहे हैं और इस कारण से वहां पर एन.जी.टी. से स्टे हटवा कर बजरी परिवहन की वापस से शुरूआत की जाए, मेरा आपसे यह निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन्य जीवों के लिए सरकार ने जो कुछ किया, बहुत अच्छा किया लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जो सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए। इनका कैसे फैलाव रोका जाए, आस-पास के गांवों की किस तरह से हमको सुरक्षा की जाए वन्य जीवों से, वन की जो उपज है उसको किस तरह से हम लोग आदिवासियों के लिए, जिस तरह से उदयपुर में हुआ है, उसी तरह से और क्षेत्र में भी आदिवासियों की उपज बढ़े, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि दोनों मंत्रीजी हमारे इन सुझावों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम मांग संख्या-9- वन एवं पर्यावरण, मांग संख्या-43- खनिज पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बहुत भारी वन सम्पदा हमको ईश्वर ने दी है और बहुत वन क्षेत्र हैं जो बहुत सम्पन्न है। प्रकृति की असीम कृपा राजस्थान पर है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर घना, सरिस्का और रणथम्भौर राष्ट्रीय अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है और वन सम्पदा और झीलें बहुत बड़ी मात्रा में हैं और उदयपुर तो झीलों की

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)
नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। झील हमारे अलवर जिले में भी है और बाकी भी कई जगह है। राज्य सरकार ने वन सम्पदा के संरक्षण व विस्तार के लिए अनेक सकारात्मक प्रयास किये हैं, इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं।

राज्य का अधिकांश भू-भाग मरू क्षेत्र होने व विषम जलवायु के कारण वन सम्पदा का विकास चुनौतीपूर्ण है, जिसे राज्य सरकार ने बखूबी निभाया है। इसके लिए भी राज्य सरकार की मैं प्रशंसा करता हूं।

राज्य का 32828.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन सम्पदा है जो कि प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 9.59 प्रतिशत है, यह भी काबिले तारीफ है।

राज्य में 2016-17 में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 66 हजार 543 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाकर 441.22 लाख पौधों का रोपण किया गया। उन पौधों को सिर्फ उगाया ही नहीं गया बल्कि उनको लगाया भी गया मतलब, उनको संरक्षण भी दिया गया। यह भी काबिले तारीफ है। राज्य में ग्रीष्म में अत्यधिक गर्मी एवं शीतकाल में अत्यधिक सर्दी के कारण पौधों को वृक्षों में बदलना अत्यंत कठिन है किंतु हमारी सरकार ने इस चुनौती को भी स्वीकार कर वृक्षारोपण को अधिकांश क्षेत्रों में सफल बनाया है।

राज्य वन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां 11.47 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र में एवं वृक्षारोपण के क्षेत्र में 6186 ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा प्रबंध समितियों के माध्यम से इस दायित्व को पूरा कर रही हैं। यह भी प्रशंसा के लायक है।

राज्य में तीन राष्ट्रीय उद्यान, 26 अभयारण्य व 10 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। राज्य सरकार इन सभी में वन्य जीवों का संरक्षण व अभिवृद्धि करने हेतु तत्परता एवं सकारात्मक कार्य कर रही है। सरकार बाघ परियोजना पर भी राज्य सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से अनुसंधान कार्य कर जल, मृदा संरक्षण, चौकी निर्माण, भवन एवं सड़क, वाहनों का संधारण, अभयारण्य में दीवार निर्माण, प्रशिक्षण इत्यादि कार्य भी कर रही है। यह भी प्रशंसा के लायक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में बसे ग्रामीणों

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जो वहां पर एक समय तो ऐसा आया, हमारे बहुत टाइगर और बहुत बब्बर शेर भी थे, पैंथर भी थे, चीते भी थे, परंतु एक बार जीरो हो गये। पुनः उनको बसाया गया, तो वहां बसे हुए ग्रामीण वासियों को, सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को अन्यत्र विस्थापित करने हेतु भी प्रयासरत है। कुछ ग्रामीण, ग्राम विस्थापित होना शेष हैं। उन्हें भी विस्थापित कर दिया जाएगा। यह राज्य सरकार का प्रयास बहुत सराहनीय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के प्रयास से 2016-17 में 19 वन्य जीव अभयारण्य, तीन राष्ट्रीय उद्यान व चार कंजर्वेशन रिजर्व की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत होकर भारत सरकार से प्राप्त हुई है, जिनमें इन सभी में आधारभूत विकास एवं अभिवृद्धि की जा सकेगी। यह भी एक बहुत अच्छी बात है।

राज्य सरकार औषधि पौधे लगाकर, औषधि के पौधे लगाकर औद्योगिकी वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए भी प्रयासरत है। यह भी बहुत सुंदर बात है।

मृदा संरक्षण, नदी व बांधों के संरक्षण द्वारा वन सम्पदा में वृद्धि हेतु परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। यह भी बहुत अच्छी बात है।

अलवर जिले में वन सम्पदा के संरक्षण हेतु राज्य सरकार को विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यह मेरा विशेष निवेदन है। अलवर में ग्राम धवाला से सरिस्का तक घने वृक्ष एवं जंगल हुआ करता था, जिस पर अतिक्रमण किया गया है और वृक्ष-विहीन क्षेत्र सा हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना और निवेदन करूंगा कि हमारे अलवर जिले में धवाला-अकबपुर और उससे आगे सरिस्का, भर्तृहरि, विराटनगर, आपके क्षेत्र बिलवाड़ी, यहां तक बहुत बड़ी मात्रा में देसी पेड़ थे और धोक का पेड़ था, जो हमारे सब तरह के काम में आता था, निर्माण में भी, बाकी भी, और वहां पर लाखों टन शहद निकलता था। अलवर में कई फार्मास्यूटिकल कम्पनियां खड़ी हुईं, उस शहद को, कतीरा-गोंद और वन औषधियां, उस संबंध में वह आज भी फार्मास्यूटिकल कम्पनियां चल रही हैं, लेकिन अब जंगल में शहद का मिलना, कतीरा और गोंद का मिलना, वन

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

औषधियों का मिलना बड़ा कठिन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरफ राज्य सरकार विशेष रूप से और ध्यान दे।

सरिस्का वन क्षेत्र में कई टन शहद का, जैसा कि मैंने निवेदन किया, और धोक की लकड़ी का निवेदन किया और एक छीला-पत्ता जिससे पत्तल-दोने बनते हैं और वह पूरे देश में लगभग हमारे यहां से हर वर्ष पांच सौ ट्रक भरकर पत्तल-दोने सप्लाई होते थे, आज उसमें कमी आई है और उसमें लगभग हजारों मजदूर भी काम करते थे, उन पत्तल-दोने बनाने में और उसकी सप्लाई होती थी। यह जो कमी आई है, इसके बारे में पुन: फोरेस्ट के लोग ध्यान दें।

यह मेरा विशेष निवेदन है कि सरिस्का में बाघों और पैंथरों के हमले बराबर जारी है और उसका कारण यह है, हम दो पैर के मनुष्य ने उन जीव-जंतुओं के रहने लायक जंगल छोड़ा ही नहीं है। बहुत भारी मात्रा में अतिक्रमण है और अतिक्रमण इतना है कि सरिस्का और पांडुपोल का हमारा मंदिर से और बाकी मेन रोड पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने गांव, बस्तियां बसाई हैं। इस समय स्थिति यह है कि चार बार, छह बार पैंथरों का हमला वहां गांव वासियों पर हुआ है। पैंथर वैसे बड़ा शर्मीला जानवर है, जैसा हमारे एनिमल हसबेंडरी के लोग, वन्य जीवों के जो विशेषज्ञ हैं, वह बताते हैं। एक व्यक्ति पर हमला करता है। इस समय सरसों की खेती का समय है और पैंथर ने अभी एक बच्चे को और मार दिया और गांव वालों ने मिलकर के, माधोगढ़ के गांव वालों ने मिलकर उस पैंथर को जिंदा जला दिया। यह भी घटना हमारे अलवर में हुई है और 100 घंटे तक जंगल में दौड़ते रहे, बघेरा किसी को नजर नहीं आया और अखबारों ने यहां तक लिखा कि बघेरा तो डिजिटल हो गया, लेकिन अब हमारे अफसरों के पास वही पुराने ढर्रे का हथियार और पुराना ढर्रा है। बहुत सारी घटनाएं पैंथरों के बारे में अलवर जिले में इन दिनों हुई हैं।

इसके संबंध में और वन्य जीवों को संरक्षण में विशेष रूप से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कितनी ही प्रजातियां और हमारे सरिस्का में, हमारे विराटनगर में, हमारे अलवर जिले के इस क्षेत्र में बराबर थीं, आज वे नहीं हैं। वह प्रजातियां

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

समाप्त हो गयी है और विशेष रूप से जंगल है तो शेर की सुरक्षा है। यह कहावत है- जंगल है तो शेर की सुरक्षा है और शेर है तो जंगल की सुरक्षा है। परंतु अब जब जंगल कट गये, लोगों का अतिक्रमण हो गया और कहां जाए जीव-जंतु। गीदड़ गायब हो गये, लोमड़ी गायब हो गये और हमारे जो देसी पेड़ थे, वह बहुत बड़ी मात्रा में कटने के कारण जो चिड़ियाएं चहचहाती थीं, कोयल की कूक थी, वह भी गायब हो गयी है। हमारे तोते भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं। गीद्ध तो बिलकुल खतम ही हो गयी है और कबूतर भी कहीं-कहीं गांव-कस्बों के आस-पास नजर आते हैं। श्राद्धों में कव्वे को अगर ढूंढ़ा जाए तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्योंकि कव्वे को श्राद्धों में खिलाना एक पुण्य कार्य माना जाता है। अब इस स्थिति का फोरेस्ट के लोग और वन्य जीव-जन्तु के विशेषज्ञ क्या विचार करेंगे, इस पर विचार करें।

अख़बार ने यहां तक लिखा कि ए.सी.में बैठकर योजना बनाते हैं, इसलिये जीव-जन्तुओं के बारे में कुछ विशेष प्रयत्न वह कर नहीं पाते। अब ए.सी. में बैठें या बाहर बैठें लेकिन मेरा निवेदन है, मैं आज कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, इस संबंध में मैं अन्यथा लेकर कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन यह निश्चित है कि वन्य जीव-जन्तुओं की कमी हो गयी और तितलियां गायब हो गयी हैं, पक्षी गायब हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण तो रेडिएशन है टावर्स का। उसके बारे में अलग से मैं निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि घना बर्ड सेंक्चुरी है, तीन राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, घना और रणथम्भौर हैं। घना में 1981 में, मैं वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक भी रहा हूं और उस समय मैं भारतीय मजदूर संघ का लेबर लीडर रहा हूं, हैडक्वार्टर था। वहां फोरेस्ट के लोगों ने एक निर्णय लिया। वहां उपाध्यक्ष महोदय, साइबेरिया के पक्षी आते हैं, टुण्ड्रा प्रदेश के बर्फ क्षेत्र के पक्षी आते हैं, हिन्द महासागर तक के पक्षी वहां आते हैं, प्रशांत महासागर के पक्षी वहां आते हैं। वहां पानी भरा रहता है, सरिस्का की तरह बहुत बड़ी बर्ड सैंक्चुरी है। एक बार उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, वह तुगलकी निर्णय क्या था? घना के आस-पास के गांव वाले वहां भैंस, गाय, ऊँट चराने आते थे। उन्होंने कहा, यह गांव वाले आकर नुकसान करते

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हैं, इसलिये पशुओं का चरना बंद है। पशुओं का चरना बंद और वहां गांव वाले व पुलिस की भिंडत हुई। पुलिस और गांव वाले आपस में भिड़ गये। तीन लोगों की उसमें मौत हो गयी थी और 19 लोग घायल हो गये, बहुत बड़ा कांड हुआ घना बर्ड सेंक्चुरी का, लेकिन तीन साल बाद इन्हीं फोरेस्ट के अधिकारियों को यह निर्णय लेना पड़ा कि दुबारा जानवर उस घना में चर सकते हैं। क्योंकि जो जानवर गाय, भैंस, बैल या ऊँट और भेड़-बकरियां, वह उस घास को खा जाते थे, अब तीन साल में घास बहुत बड़ी हो गयी। पानी तो वहां भरा रहा, पानी तो भरा बरसात में नालों से, बंध बैराठा से, लेकिन वहां घास बड़ी हो गयी, तो पक्षियों ने आना बंद कर दिया। न साइबेरिया से आये, न हिन्द महासागर से आये, न टुण्ड्रा प्रदेश से आये और न प्रशांत महासागर से आये। जो पक्षी महासागरों के इर्द-गिर्द रहते हैं, अब वह बंद हो गया। इस तुगलकी निर्णय को फोरेस्ट अधिकारियों को वापस लेना पड़ा और फिर वापस वहां जानवरों को चरने दिया गया, ताकि वह घास चरे तो पानी नजर आये। पानी नजर आयेगा तभी पक्षी आयेंगे, नहीं तो पक्षी नहीं आयेंगे। ऐसा निर्णय हमारे फोरेस्ट के अधिकारियों ने लिया था।

ऐसे ही फोरेस्ट के अधिकारियों ने आपातकाल में एक निर्णय ले लिया। एक बीस सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ, उस दिन आपने मना किया था कि किसी का नाम नहीं लेना, एक तानाशाही निर्णय किया और एक चार सूत्री कार्यक्रम, उसमें से एक था पेड़ लगाओ। पेड़ लगाना अच्छी बात है। पेड़ तो हमारी प्रकृति है। जल, पेड़ और जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, प्राणी यह सब उसी पर डिपेंड रहते हैं, तीनों का आपस में समन्वय रहता है। पेड़ लगाओ अच्छी बात है, लेकिन फोरेस्ट के अधिकारियों ने अन्धाधुन यूकिलिप्टस, सफेदे के पेड़ लगा दिये और अन्धाधुन्ध विदेशी बबूल लगा दिये। विदेशी बबूल का छिड़काव रेगिस्तान तक में हो गया। पंजाब-हरियाणा में मैं गया, नहरों के किनारे राजस्थान में सफेदे का पेड़। न्यूजीलैण्ड में सेम को, दलदल को सुखाने के लिये यह एक नया पेड़ ईजाद हुआ था सफेदे का, जो एक घंटे में छह लीटर पानी सोखता है, माननीय उपाध्यक्ष। अब पेड़ लग गये और नीचे का अंडरग्राउण्ड वाटर, जो आज कह रहे हैं, पानी नहीं है नीचे, हम लोग उसका दोहन भी कर रहे हैं। यह बात भी सही है, हमारा मशीनीकरण हुआ है,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)
आटोमेशन, कम्प्यूटराइजेशन हुआ है। उन मशीनीकरण के कारण से, उद्योगों के कारण से और सफेदे का पेड़ भी एक बड़ा कारण है जो पानी सोख रहा है, पानी का दोहन बहुत हो रहा है, लेकिन सफेदे के पेड़ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक घंटे में छह लीटर पानी वह सोखता है। और विदेशी बबूल, फोरेस्ट के लोग जानते हैं, मैं कोई वैज्ञानिक, तकनीकी बात बता रहा हूं, विदेशी बबूल ऊपर के पर्यावरण को खराब करता है, बादल को नहीं आने देता, बरसात नहीं होने देता। यह तथ्य वैज्ञानिक है, तकनीकी कारणों से, वैज्ञानिक कारणों से इन दोनों पेड़ों को पूरे प्रदेश से उखाड़ा जाना चाहिये और उखाड़कर देशी पेड़ लगायें। सिर्फ पेड़ ही नहीं लगायें, फोरेस्ट के अधिकारियों को और माननीय मंत्री महोदय को मैं आज सदन में निवेदन करना चाहता हूं वह अपने अधिकारियों को प्रेरित करें कि वह गांव में जाएं, स्कूलों में जावें और बच्चों को प्रेरित करें कि वर्ष में कम से कम एक पेड़, दो पेड़, पांच पेड़ देसी प्रजाति के लगायें और गांव वालों को प्रेरित करें। आप स्वयं फोरेस्ट के लोग पेड़ लगाते हैं, वह पेड़ लगाते तो हैं, लेकिन वह आगे पनप नहीं पाते। उनको या तो जानवर खतम कर देते हैं या प्रकृति के कारण हो जाते हैं। पेड़ों को लगाना नहीं, पेड़ों को उगाना ऐसी प्रेरणा बच्चों को दें। मैं अपने क्षेत्र में गांव-गांव में एक से डेढ़ लाख के बीच में देशी पेड़ - पीपल, सागवान, शीशम लगा चुका हूं।

क्योंकि मेरा हरियाणा बोर्डर है, फोरेस्ट के लोग और पुलिस की लोग मिलीभगत से हजारों गाड़ियां लकड़ी की कटकर हरियाणा को जाती है और इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा रास्ता अलवर, राजगढ़, बसवा, बांदीकुई, दौसा, सिकन्दरा होकर है। आप अभी भी जाएं और कभी भी जाएं, वहां हजारों ट्रैक्टर-ट्रोलियां और जुगाड़ खड़े हैं जो मोटी-मोटी लकड़ी पीपल, शीशम, सागवान, नीम के पेड़, देसी पेड़, क्योंकि विदेशी बबूल में तो मोटी लकड़ी है नहीं, और सफेदे के पेड़ में भी नहीं है, इनकी गाड़ियों की गाड़ियां भरी हैं और कितने ही आरे अवैध रूप से चल रहे हैं। अवैध रूप से ट्रोलियां और ट्रैक्टर-टोलियां और जुगाड़ भरे हुए हैं कानोता में, बस्सी में, दौसा में, बसवा में, अब उनको कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस के थानों के सामने खड़ी है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बसवा का थाना, उसके सामने खड़ी है, राजगढ़ का थाना, उसके सामने खड़ी हैं, ऐसे ही बांदीकुई में खड़े हैं। ऐसे ट्रैक्टर-ट्रोलियां भरे हैं, ये पेड़ कैसे कट रहे हैं, ये अवैध आरे कैसे चल रहे हैं? इन पर रोक लगानी चाहिये। अब उसमें थानों की मिलीभगत और फोरेस्ट की मिलीभगत से देशी पेड़ कम लग रहे हैं। एक तो हमारे यहां सड़कें बहुत बन रही हैं, अच्छी बात है, सड़कों की हमें सुविधा मिल रही हैं। सड़क के कारण हमारा मेडिकल, हमारी शिक्षा, हमारा स्कूल सब प्रभावित है। सड़कों के कारण जो देशी पेड़ थे, वह कट गये और अब देशी पेड़ कट-कटकर कहां जा रहे हैं और कौन बेच रहे हैं, कैसे आरे लग रहे हैं, इसको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखा जाना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वृक्षारोपण बड़ी मात्रा में हो और जो उद्योग जगह-जगह लगे हुए हैं, उनके गंदे पानी के लिये शोधन संयंत्र लगे और उनके द्वारा पानी का शोधन हो। गंदे पानी की सही तरह से निकासी हो।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीपल का पेड़ और तुलसी का पेड़ हमारे मंदिरों में क्यों लगाया गया, हमारे शास्त्रों में इनको महत्व क्यों दिया गया? बड़ के पेड़ को ब्रह्माजी का, पीपल के पेड़ को विष्णु का अवतार कहा गया और तुलसी को मां कहा गया। हमारी संस्कृति है कि एक पौधे को भी मां कहा गया। पीपल और तुलसी का पौधा ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन इनकी तरफ ध्यान कम और बाकी हेज और आजकल सजावटी पेड़-पौधे लग रहे हैं। इस पर ध्यान दिये जाने की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल मैं तुलसी के पौधे गमले में बांट रहा हूं। अलवर शहर में एस.सी., एस.टी. मौहल्लों में बांटे। विशेषकर एस.सी., एस.टी. मौहल्लों में और दलित परिवारों में इसलिये बांटे और मेरे क्षेत्र में भी पहले एस.सी., एस.टी. के, बाकी जो भी लेना चाहे तुलसी के पौधे गमले में, इसलिये कि हमारे यहां तुलसी की पूजा उच्च घरानों में तो होती आयी है। उन को महत्व ही नहीं पता, कि मां तुलसी का महत्व क्या है। घर में तुलसी का पौधा रहेगा तो बीमारियां नहीं होंगी, ऑक्सीजन आयेगी। लगभग 4 हजार 527 तुलसी के पौधे मैं गमलों में बांट चुका हूं। मेरा सदन में सभी विधायक महोदय से और

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आपसे निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को विशेष रूप से कि आप पीपल का पेड़ और तुलसी के पौधे ही ज्यादा से ज्यादा लगवायें और बाकी देशी शीशम, सागवान, नीम, पीपल लगवायें। हमारे देश के जो देशी पेड़ हैं, वह छाया भी देते हैं, उनमें अच्छे फल और फूल भी लगते हैं और उनमें पक्षियों का, चिड़ियों का, तोतों का बैठना, चहचहाना भी है और कोयल की कूक भी है, इसलिये देशी पेड़ों का लगना बहुत आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जे.एल.एन. रोड पर अभी पैंथर आ गया। मैंने पहले पैंथर का हवाला दिया। यह सड़कों पर आ गये, क्यों आ गये? आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या बात हुई? यह विषय जो मैंने पहले लिया था, वह एक बात रही थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग ज्यादा से ज्यादा देशी पेड़ लगायें। बरसात का, पशु-पक्षियों का, जीव-जन्तुओं का एक समन्वय बना रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस वन और पर्यावरण के विषय में विशेष रूप से आपको निवेदन कर चुका हूं, घना के संबंध में कर चुका हूं।

सदन में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो खनिज विभाग है, आज खनिज की भी डिमांड है, खनिज के बारे में इतना ही कहना है कि हमारे टीटी साहब तो मंत्री अभी बने हैं लेकिन मैंने, एक शेर है उसको थोड़ा मोडिफाइ कर के,

'हम लोगों ने हर बार सदन में रो-रो कर आंसुओं से टब भर दिये,

लेकिन सारे माइंस मिनिस्टर इतने शर्मदार निकले कि उसमें नहा कर चल दिये।'

अवैध खनन, पूरे राजस्थान में अवैध खनन। प्लॉट अलाट हुआ है खनन का ए और निकल रहा है बी पर, प्लॉट किसी को अलाट हुआ है सी और निकल रहा है डी पर। अवैध खनन और पूरे राजस्थान में विशेष रूप से मैं मेरे क्षेत्र का निवेदन आपको करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल को 9 पत्र लिख चुका हूं, पत्र के उनके उत्तर आये हैं। मैं केन्द्र के खनिज मंत्रालय को लिख चुका हूं, उनके पत्र के जवाब आते हैं, लेकिन राजस्थान के खनिज मंत्रालय का जवाब नहीं आता। यह भी एक दुख की बात है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हमारे यहां 81 प्रकार के खनिज निकलते हैं और उसमें 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। दोनों तरह के खनिज हैं, प्रधान व अप्रधान दोनों तरह के और खनन गतिविधियों में राज्य में लगभग जब पांच से दस लाख मजदूर लगा हुआ है तो अवैध खनन न करके, वैध खनन ही करें। मेरा आपसे निवेदन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खनन के द्वारा हमें बड़ी मात्रा में राजस्व भी प्राप्त होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईंट-भट्टे हैं, इनका भी खनन विभाग से सम्बन्ध है। यहां मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि 700 भट्टे हैं, 700 भट्टे नहीं हैं लगभग 5 हजार भट्टे, कानोता और बस्सी चल जाएं, छोटे-बड़े भट्टे यहीं मिल जाएंगे। अब पूरे राजस्थान में पांच हजार से ज्यादा भट्टे हैं और वो सब लगभग अवैध रूप से नहीं चल रहे, मैं यह नहीं कर रहा हूं, उसमें से वैध रूप से भी हैं लेकिन उन्होंने जहां से मिट्टी निकालने की अनुमति ली हुई है, जहां भट्टा लगाने की ली हुई है और जितनी ऊंची चिमनी लगाने की ली हुई है उतनी ऊंची चिमनी नहीं है, उस मिट्टी को दूसरी जगह से निकाल रहे हैं और वो भट्टे मनमर्जी तरीके से चला रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध खनन के कारण और ओवरलोड डम्परों के कारण हमारे यहां भिवाड़ी में, टपूकड़ा में, बानसूर में, अलवर जिले में, बाकी जगह भी दौसा वगैरह सब जगहों पर, अखबारों में आता रहता है, मैंने अपनी जो आंखों से देखा है, उसके प्रत्यक्ष बता रहा हूं। टपूकड़ा में, तिजारा में, बानसूर में, बहरोड़ में और किशनगढ़ में, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में ललावंडी गांव है, खनन का मैटर है तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी यहां बैठे होंगे, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ मैटर भी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी हम लिख चुके कि आबादी से डेढ़ सौ-दो सौ मीटर पर, सौ मीटर पर क्रेशर लगे हुए हैं, 17 क्रेशर अवैध चल रहे हैं और जो लीगल चल रहे हैं, वो भी 1400 मीटर दूर होने चाहिए गांव, आबादी, बस्ती से। वो चार सौ, पांच सौ मीटर भी नहीं, सौ, डेढ़ सौ, दो सौ, तीन सौ मीटर पर हैं। यह क्रेशर कैसे चल रहे हैं? इन क्रेशरों में कैसे काम हो रहा है? डम्पर जाते हैं तो ओवरलोड, 70 टन, 80 टन, 90 टन, 100 टन तक जाते हैं। हमारी सारी सड़कें, अच्छी से

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अच्छी सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. ने बनायी, अच्छी से अच्छी हमारी सीसी रोड़ बन गयी, तो भी सारी सड़कें उखड़ गयीं। मंत्री महोदय को मैंने उन सड़कों का लिख कर दिया पी.डब्ल्यू.डी. ही प्रयास करे कि माइंस विभाग उन सड़कों को बनाए, जैसा उन्होंने कहा था। माने इतना अवैध खनन हो रहा है। उस अवैध खनन के लिए हम हर बार सदन में बोलते हैं लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं। आखिर क्या इंट्रेस्ट है? क्या स्वार्थ है?

मैं सरकार का, मंत्री महोदय का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं और खनिज के अधिकारी भी बैठे हैं, आपके माध्यम से उनका भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो मंत्री महोदय को ही कहेंगे, अधिकारियों को तो वो निर्देश देंगे। ये अवैध खनन कामां में, नगर में, डीग में, क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र नगर से, भरतपुर से, कामां और गोपालगढ़, सीकरी, पहाड़ी सबसे जुड़ा हुआ है। यहां अवैध खनन बहुत बड़ी मात्रा में है। वहां संत लोगों ने कामां में, काम वन पुराना नाम था, अब कामां है, संत लोगों ने आन्दोलन चलाया और प्रतिबंध लगाया, हाई कोर्ट ने निर्देश दिये, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिये। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश एक तरफ हो गये, हाई कोर्ट के निर्देश भी एक तरफ हो गये, संतों ने आन्दोलन चलाया वो भी एक तरफ हो गये और किस राजनीतिक संरक्षण के कारण, पता नहीं, या किस अफसरी संरक्षण के कारण, अवैध रूप से क्रेशर चलना, माइंस चलना और सड़कों का खतम होना, वहां एक आम बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अवैध खनन को एक विशेष स्पेशल स्क्वाड बना कर रोका जाए।

अभी यू.पी. सरकार बनी, दूसरे दिन चालू हो गया, अवैध बूचड़खाना बंद। इन बूचड़खानों के कारण, जीव और जानवर कटने के कारण मेरे यहां पर्यावरण बिगड़ रहा है और अलवर जिले में, भरतपुर जिले में और मेवात में यह स्थिति है कि 100, 200, 300 मीटर पर मुर्गों के छीके, पड्डों के, बकरों के, ऊँट कटने के और बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण बिगड़ रहा है। अलवर शहर भी है, जयपुर भी है और बाकी जगह भी है। क्यों नहीं यहां बूचड़खाने बंद हों, अगर यू.पी. में बंद हो गये? यू.पी. में तो बहुत बड़ा बिजनस था, तो राजस्थान में क्यों नहीं? क्यों नहीं यहां अवैध खनन बंद हो

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

रहा और क्यों नहीं यहां बूचड़खाने बंद हो रहे? क्यों पर्यावरण को बिगाड़ा जा रहा है?

हम लोगों को अच्छी सांस लेनी है, हमको प्राकृतिक प्राण वायु लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है ठीक से, शुद्ध, तो पर्यावरण को ठीक रखना, अवैध खनन का बंद होना और ठीक से वनों का, देसी पेड़ों का लगना और जीव, जंतु, जानवर, जिनको भी प्रकृति ने जीने का हक दिया है, उनको भी ठीक ढंग से जीने दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इन सब बातों की तरफ मैंने सरकार का ध्यान दिलाने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पारीक।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज पर्यावरण और वन बचाना विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। समय-समय पर वैश्विक स्तर पर प्रदूषण कम करने के लिए अनेकों प्रयोग किये जाते रहे हैं किन्तु उनका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है और इसलिए सभी देश थोड़ा-थोड़ा प्रयास इसके लिए कर रहे हैं।

मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी हाल ही में एक आदेश पारित कर एक अप्रैल, 1917 से जितनी भी वाहन निर्माता कम्पनियां हैं उनको यह पाबंद किया है कि वो यह बतायेंगे कि जो वाहन निर्माण कर रहे हैं उसमें ध्वनि प्रदूषण कितना होगा और उसमें वायू प्रदूषण कितना होगा। साथ ही यह भी है कि जितने भी प्रदूषण आज हो रहे हैं वो वाहन से सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहे हैं और तरह-तरह की जो फैक्ट्रियां लग रही हैं उनसे जिस प्रकार की गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, उसी का कारण है कि आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है।

जयपुर में भी जब सर्वे किया गया तो यहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जयपुर की चारदीवारी क्षेत्र में पाया गया। उसका आधार सबसे ज्यादा यह था कि जो लो-फ्लोर बसें चल रही हैं और जो दूसरी बड़ी बसें चल रही हैं उनके

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

कारण प्रदूषण सबसे ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शहर की चारदीवारी क्षेत्र में जो लो-फ्लोर बसें चल रही हैं, जिनसे प्रदूषण खूब ज्यादा बढ़ रहा है उनको रोकने के लिए कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए।

राजस्थान सरकार ने भी इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान लेक प्रोटक्शन एण्ड डवपलमेंट ऑथोरिटी बिल, 2015 "for the protection conservation and beautification of lake" लागू किया। यह जहां-जहां पानी की टेबल्स बनी हुई थीं, जहां लेक्स बनी हुई हैं, उनका संरक्षण हो सकेगा, उनके आस पास हरियाली हो सकेगी और पेड़-पौधे लग सकेंगे, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध हो सकेगा।

सबसे बड़ी समस्या, पर्यावरण को जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है वो हमारी पॉलीथिन की थैली है। आज पॉलीथिन की थैली को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई आदेश जारी किये हैं लेकिन होता क्या रहा है कि उसको रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही। आज डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, कुछ दुकानों से पॉलीथिन की थैली लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। पॉलीथिन पर अगर सचमुच ही रोक लगानी है तो सबसे पहला उसका तरीका यह होगा कि जितनी फैक्ट्रियां जो पॉलीथिन की थैलियों का निर्माण कर रही हैं, पॉल्यूशन बोर्ड जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उन इंडस्ट्री पर रोक लगाये कि पॉलीथिन की थैली का निर्माण बंद करें। जब तक वो निर्माण बंद नहीं होगा, बाजार में पॉलीथिन की थैली आती रहेगी और दो, चार सौ, पांच सौ थैलियां रोज नष्ट करने से यह पॉलीथिन का निर्माण बंद नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त शहर में जो गंदे नाले हैं, शहर में जो हमारे शंकर नगर और कागदीवाड़ा का नाला है, अमानीशाह का नाला है, जो गंदा पानी बह कर जा रहा था, जो पूर्व में द्रव्यवती नदी थी, उसको पुन: जीवित करने के लिए एक अभियान चलाया और निश्चित रूप से यह अभियान प्रदूषण को रोकने का एक बहुत बड़ा साधन कायम होगा। क्योंकि सांगानेर में जब यह नाला बह कर जा रहा था, इसी से सारे किसान वहां उस गंदे पानी से सिंचाई कर रहे थे और सिंचाई कर के वहीं सब्जियां

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

और बाकी जो उत्पादन हो रहा था, वो शहर में बिकने आ रहा है। उससे पॉल्यूशन भी हो रहा है और बीमारियां भी फैल रही थीं।

इसी प्रकार शंकर नगर, कागदीवाड़ा का नाला जो जलमहल में जाता है, सिंचाई विभाग ने उसकी नहर एक आमेर में से और एक जयसिंहपुरा खोर में से निकाली है, उसमें सारे शहर का गंदा पानी, जो कि ट्रीटेड होकर के जाना चाहिए था, उसके बजाय वैसे का वैसा सारा गंदा पानी उसमें छोड़ा गया है। उसका परिणाम है कि आमेर में और जयसिंहपुरा खोर में जो सिंचाई हो रही है, उसी गंदे पानी से हो रही है। उससे बीमारियां भी फैल रही हैं और पोल्यूशन भी फैल रहा है। उसके लिए बीच-बीच में सरकार की तरफ से कार्यवाही की जाती है तो वह यह होती है कि कभी बुलडोजर जाता है और वह किसानों द्वारा उगाई हुई फसल को नष्ट करके वापस आ जाते हैं। लेकिन यह जो गंदा पानी बहने का तरीका है, उसको रोकने के कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि यह जो गंदा पानी है, इसको रोकने का कोई न कोई उपाय करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वन क्षेत्रों का सवाल है तो सरकार ने राजस्थान का जो पक्षी है गोडावण, उसको प्रिजर्व करने के लिए कोटा के अंदर प्रिजर्व कैम्प बनाने का निर्णय लिया है। उसके लिए सरकार बहुत-बहुत बधाई की पात्र है, लेकिन इतने से प्रयास से काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज रोज अखबारों में समाचार छपते हैं कि एक बघेरा शहर में आ गया। आज तेंदुआ वहां से यहां आ गया। उसका कारण यह है कि जंगल में जिस पर वह आधारित हैं, उनके पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था उसमें कमी हुई है। जंगलों में जो पेड़-पौधे लगे हुए हैं वह या तो घने पेड़ नहीं हैं, वहां छायादार वृक्ष लगने चाहिए। आज जंगलों में जो पेड़ फोरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनमें दो ही तरह के पेड़ ज्यादा हैं, एक तो विलायती बबूल और दूसरा सफेदे का वृक्ष। यह जो वन्य जीव होते हैं वह दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं। उनकी भोजन व्यवस्था हो जाए उनके लिए भी ऐसे पेड़, पौधे वहां लगने चाहिए जिनसे दूसरे जीव भी वहां रह सकें। इससे जो जंगली जानवर वहां हैं, उनकी उदर पूर्ति हो सके और दूसरे जानवरों की भी उदर पूर्ति हो सके।

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

दूसरा, जंगलों में पानी की कमी हो गयी है। पानी की कमी की वजह से वह इधर-उधर निकलकर के आ जाते हैं। आज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात चल रही है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की बात चल रही है। जंगलों में जहां-जहां पानी का बहाव होकर के आता था, उन सभी जगह जल स्वावलंबन योजना के तहत पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वहां पानी इकट्ठा हो तो जंगली जानवरों को पानी की तलाश में शहर के बाहर नहीं आना पड़ेगा। इससे जो रोज शहर में समस्या होती है वह कम हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि शहर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो अपना एरिया बना रखा है, उसमें बहुत सारे हमारे प्राचीन मंदिर जो कि वहां वर्षों से बने हुए हैं, उनमें मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का अभाव हो रहा है। कारण यह है कि वहां फोरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कोई छोटी-मोटी गतिविधि भी नहीं होने देना चाहते हैं। वहां आने-जाने का रास्ता दुर्गम हो गया है। वहां जो मुख्य मंदिर है, जो कि आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से बने हुए हैं, उनमें जैसे किलनगढ़ भोमिया जी का मंदिर, बाबा भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर, राजराजेश्वरी माता का मंदिर, नाहरसिंह बाबा का मंदिर, यह सारे मंदिर फोरेस्ट के बीच में आए हुए हैं। इस तरह के और भी कई सारे मंदिर हैं। अब इन मंदिरों में वहां पुजारी भी रहते हैं और बाकी लोग भी रहते हैं। वहां अगर थोड़ी सी भी सुविधा के लिए, टीन शेड भी लगाने की बात हो तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वहां आ जाते हैं। बाकी फोरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने पूरे फोरेस्ट में कब्जे करा दिए। वहां मकान बन गये। वह मकान अपने आप तो बन नहीं गये? इनकी जानकारी में बने हैं और इनकी मदद से बने हैं। वहां पर कोई कार्यवाही नहीं होती। लेकिन जहां कोई आवश्यकता हो, वहां कोई भी सुविधा उपलब्ध कराने में रोज बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। उससे उन मंदिरों का संरक्षण भी नहीं हो रहा है और दर्शनार्थियों को भी कठिनाई हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन मंदिरों तक जाने का रास्ता सुगम करें। बाकी वहां कोई जन सुविधा उपलब्ध करानी हो, जैसे सुलभ बनाना हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, बाकी कुछ करना हो तो उसमें भी सहयोग करने का कष्ट करें।

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कई सारे श्मशान भी ऐसे हैं जो वन क्षेत्र में आ गये हैं। अब वहां किसी की डैथ होती है तो लेकर के लोग वहीं जाते हैं। लेकिन ना तो जहां चिता जलती है वहां कोई छाया की व्यवस्था है, वहां बारिश आती रहे, धूप आती रहे, लेकिन वह चिता तो बारिश में ही जलेगी। जब वहां टीन शेड लगाने की बात आती है तो फोरेस्ट डिर्पाटमेंट को उसमें आपत्ति है। जो लोग चिता के साथ में जाते हैं, उनको भी वहां बैठने के लिए जगह चाहिए। उनके लिए भी कोई छायादार जगह, टीन शेड होना चाहिए। उसमें भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट को आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे श्मशान जो फोरेस्ट क्षेत्र में आए हुए हैं और वर्षों से लोग वहां आज भी लेकर जा रहे हैं और पहले भी जा रहे थे, उनके अंदर मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। मूलभूत सुविधाएं वहां उपलब्ध कराने के लिए आप भी मदद करें और बाकी जो मदद हमसे लेनी हैं, वह भी लें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के श्मशानों के लिए निवेदन करूं कि जैसे चमोरियों का श्मशान, गुर्जर घाटी, छीपीवाडा का श्मशान, कागदीवाड़ा, प्रभातपुरी खोले का श्मशान, आदिवासी मीणा श्मशान, नाहरगढ़ किला, शारदा कालोनी श्मशान, जयसिंहपुरा खोर, मरेठिया श्मशान, जयसिंहपुरा खोर, बंगाली बाबा गणेश मंदिर के पीछे वाला श्मशान, बंगाली बाबा की बगीची के पीछे वाला श्मशान वन क्षेत्र में आए हुए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 20 श्मशान ऐसे हैं जो फोरेस्ट क्षेत्र में आए हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे श्मशान ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी न किसी प्रकार की मदद आप दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त यहां कई सारी कालोनियां ऐसी हैं जो वर्षों से वन क्षेत्र में स्थित हैं। यह वन क्षेत्र तो बाद में डिक्लियर हुआ है। बाकी सैकडों वर्षों से लोग वहां रह रहे हैं। पक्के मकान बने हुए हैं। सीवर लाइन बनी हुई है। आज वहां कई जगह वन क्षेत्र में कालोनियां बन गयी हैं। लोगों ने मकान बना लिए हैं। वहां तो वन विभाग ने कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन जो पुरानी कालोनियां बनी हुई हैं और लोग वहां वर्षों से रह रहे हैं,

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

वहां अगर थोड़ी भी समस्या होती है, अगर उन्होंने अपनी सीढ़ी भी ठीक करा ली तो वन विभाग वाले वहां आपत्ति करने पहुंच जाते हैं। अगर सुलभ उनको बनाना है तो उसमें भी इनको आपत्ति है। एक तरफ तो हम स्वच्छता मिशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर वहां उनको सुलभ भी उपलब्ध नहीं हो सकता है तो मकान छोड़कर के वह जाएंगे नहीं। उनको रहना वहीं पर है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट या तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। जब तक कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो तब तक जो वहां रह रहे हैं, उनको जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वह उनको मिले। इसके लिए भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट कोई न कोई कार्यवाही करे। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हो गया आपका।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): हो गया। ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 9- वन एवं पर्यावरण सहित एवं मांग संख्या 43- खनिज पर बोलने का आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस तरह से इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ता है, उसके लिए हम लोग सचेत नहीं हैं। हमने भौतिक सुख की खातिर पर्यावरण को नष्ट करने में कोई कमी नहीं रखी है।

(13.58 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर हमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

श्री सभापति: सभापति महोदय।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, इसके लिए हमें नियम और कानूनों की सख्ती से पालना करनी पड़ेगी। अन्यथा आने वाले समय में ऑक्सीजन का सिलेंडर हमें पीठ पर बांधकर चलना पड़ेगा।

(श्री हरिसिंह रावत)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण विभाग को आगाह करना चाहता हूं कि इसमें हमें सख्ती से पेश आना चाहिए। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं। वन विभाग की दृष्टि से भी मेरे यहां लंबा-चौड़ा एरिया है। मेरे क्षेत्र में वन्य जीव अभयारण्य और अरावली क्षेत्र आता है।

(14.00 बजे)

वहां पर हम अक्सर देखते हैं कि हमारी गांव की महिलाएं सुबह उठकर जाती हैं और ढेर सारी जंगल की लकड़ियां काट कर लाती हैं। माननीय सभापति महोदय, हमें इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। इसमें मैं सोचता हूं कि गांव की महिलाएं ही दोषी नहीं हैं, वन विभाग के कर्मचारी भी दोषी हैं। हम अक्सर गांव में सुनते हैं कि वन विभाग के जो वन रक्षक होते हैं वह कहते हैं कि ठीक आप जाओ, भेड़, बकरी, गांव के अंदर जानवर घुसने देते हैं, वह जाते हैं और लकड़ी भी काट लाते हैं, उनका यही होता है कि या तो पैसे दो या कोई गाय भैंस वाला है तो उसको कह देते हैं कि पाँच किलो घी भेज देना मेरे। यह स्थिति अगर रहेगी तो मैं समझता हूं कि वन्य जीव हैं, वन की सुरक्षा है वह कभी सही हो नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही आगाह करना चाहता हूं कि वन विभाग भी थोड़ा सतर्क रहे और अपने कर्मचारियों को भी आगाह करे। वन विभाग की दृष्टि से पर्यावरण को आए दिन क्षति होती जा रही है और इसी क्षति की वजह से हमारे वन विभाग में एक ऐसी योजना है हम उसको लागू करना चाहते हैं लेकिन वन विभाग ऐसे राइडर लगाता है जिससे हम काम कर नहीं पाते हैं। आज कहावत है कि जल है तो जीवन है, जब जल ही नहीं होगा तो किस चीज का जीवन और किस चीज का जंगल? आज हम चाहते हैं कि हमारे जंगल में पानी की व्यवस्था हो, हमने कई ऐसी योजनाएं सरकार को भेजी, वन विभाग को भेजी लेकिन सीधा यही बोलते हैं कि वन क्षेत्र में आने से यह कार्य नहीं किया जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम नरेगा से या किसी भी विभाग से न हो तो वन विभाग ही जहां एनीकट की जरूरत है, जहां पानी रोक सकते हैं, इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे और वह

(श्री हरिसिंह रावत)

बाहर गांव में नहीं भटकेंगे। आज स्थिति यह हो गई कि वन हमारा उजड़ गया, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वह जंगली जानवर हमारे गांवों तक पहुंच गए, जब उनको खाने पीने को नहीं मिलता है तो वह गांवों में जाते हैं, हमारी कई माता बहनों पर अटैक करते हैं, कई जानवरों पर अटैक करते हैं, अभी तीन दिन पहले हमारे गांव में करीब 15-16 भेड़ों को मारकर चला गया। कई औरतों और बच्चों को, खेतों में काम करने वालों पर भी घात लगाई, हमला किया, इसमें कई घायल हो गए, कई भगवान को प्यारे हो गए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हमें सख्ती से पेश आना चाहिए। जंगली जानवरों पर हमें कैसे नियंत्रण करना है इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि एक तो जो जंगल के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से जो बाउण्ड्री बनती है उसको ऊँचा कराया जाए, इसमें भी मैंने देखा है कि भ्रष्टाचार है, केवल नाममात्र की ही बाउण्ड्री बनती है और विभाग पैसे उठा लेता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सख्ती से पेश आए, जहां-जहां बाउण्ड्री बन रही है वहां पर सख्ती से पेश आएं। बाउण्ड्री ऊंची होगी तो मैं समझता हूं कि हमारा जंगल भी शुद्ध रहेगा, जानवर भी बाहर उससे नहीं जाएंगे और भेड़ बकरियों पर जो अटैक होता है, जैसे मैं समझता हूं कि रोजड़ों की बात करते हैं, रोजड़ों को भी उसी परिधि में रखा जाए तो मैं समझता हूं कि जो हमारे जंगली जानवर है, जैसे शेर, चीते हैं उनको भी शिकार मिलेगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारे खेतों में जो फसलें नष्ट होती हैं उनसे भी बचाव होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी थोड़ा विचार किया जाए। वन विभाग और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं, आज कई नियम बने हुए हैं सरकार के जिनमें वैसे तो रोड बने हुए हैं, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, नेशनल हाई वे दिल्ली-मुम्बई, बागाना से लेकर गोमती तक इसीलिए रुका हुआ है कि पर्यावरण की परमीशन नहीं मिली। जो टूलेन पहले ऑलरेडी चल रहा है, टूलेन से फोरलेन बनने में पर्यावरण कहां से अटक गया? उस सड़क पर ऑलरेडी गाड़ी चल रही है, सब

(श्री हरिसिंह रावत)
द्रुत गति से गाड़ियां चल रही हैं, आवागमन रहता है तो फिर उनको टूलेन से फोर लेन में बदलने में वन विभाग ने आपत्ति कर दी। इसी प्रकार से नागौर से गुलाबपुरा जो रोड है वह भी कनेक्टिविटी है, पूरा रोड हो गया लेकिन रायपुर से जस्सा खेड़ा करीब 20 किलोमीटर है वह इसलिए रोक दिया गया कि पर्यावरण को इफैक्ट करता है, इसलिए गाड़ी नहीं निकल सकती, जबकि सिंगल रोड है, उसकी नहीं दे रहे स्वीकृति। इसी प्रकार हमारा कामली घाट से करमा चौराहा, देवगढ़ रोड उस पर भी रात दिन ट्रैफिक चलता है लेकिन वही राइडर लगा रखा है कि पर्यावरण को दूषित करता है। यह समझ नहीं आता कि गाड़ियां चल रही है, उस सड़क को 5 फुट की जगह 10 फुट चौड़ा कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यावरण मंत्रीजी इस पर थोड़ा विचार करें और उसकी एनओसी दिलाए। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2005-06 में रीको इण्डस्ट्रीज की स्थापना कराई थी जो बिलकुल हाइवे पर है लेकिन उसमें भी पर्यावरण की एनओसी नहीं मिल रही कि यह वन्य जीव पर इफैक्ट करेगा। मुझे यह समझ नहीं आता कि नेशनल हाइवे के बिलकुल अटैच है और रेलवे लाइन जो निकल रही है, हमारी मावली-मारवाड़ रेल लाइन निकल रही है, वह उससे आगे है, उसके आगे फिर दस-पन्द्रह गांव बसे हुए हैं, उनको इफैक्ट नहीं करता, केवल पर्यावरण के इफैक्ट के लिए केवल रीको का ही इफैक्ट पड़ेगा, यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गौर फरमाएं और सरकार की तरफ से जो रीको इण्डस्ट्रियल एरिया सैंक्शन हो गया, जमीन अलॉट है, सब कुछ व्यवस्था हो गई केवल पर्यावरण की वजह से अटकी हुई है, अगर यह पर्यावरण की एनओसी मिल जाएगी तो हमारे क्षेत्र में फैल्सपार, क्वार्ट्ज, माइका, ग्रेनाइट, मार्बल का पूरा भंडार है, जो पूरा जोन होकर पूरा माल हमारा गुजरात और दिल्ली जाता है, वहां अगर रीको इण्डस्ट्रियल एरिया बन जाएगा तो मैं समझता हूं कि हमारे जो उद्योगपति है जो बाहर बसते हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, साउथ वह भी चाहते हैं कि हम यहां पर इण्डस्ट्री डालें, अगर वही रॉ मैटेरियल यूज होगा,

(श्री हरिसिंह रावत)

फैक्ट्री होगी तो वहां लोगों का धंधा लगेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ-साथ ही आवागमन की सुविधा मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर थोड़ा गौर फरमाएं।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बना तो उसमें 15-20 ऐसे गांव हैं जो वन्य जीव अभयारण में आते हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये मुद्दे में हर बार उठाता हूं और इस बार भी उठा रहा हूं कि वन्य जीवों की वजह से उस पर ऐसा राइडर लगाया कि वहां न तो खेतों को बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं, न लोन ले सकते हैं तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि और कुछ नहीं तो कम से कम वहां पर रहने के लिए घर बनाना और बेचना और जमीन बेचना और बैंकों से ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की जाए तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, काछबली में एक गोरामघाट है, वहां का कहते हैं कि शिव का अवतार थे गोरखनाथ, उनकी तपोभूमि है और आज भी कहते हैं कि उस तपोभूमि, उस पहाड़ के अंदर बड़ी-बड़ी गुफाएं हैं जो सैंकड़ों वर्षों से अंदर कई तपस्वी विराजमान हैं तो मैं चाहता हूं कि वहां हमारे लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की अच्छी तपोभूमि होने के कारण आस्था का केन्द्र है। अगर वहां एक वन पथ बन जाए तो लोगों को आने जाने की सुविधा होगी और वह अपने आस्था केन्द्र तक आ जा सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। इसी प्रकार से मांगड़जी का मंदिर है जो अजमेर जिले में पड़ता है उसकी भी हमने पचास लाख की सैंक्शन दे रखी है लेकिन वह भी पर्यावरण की वजह से अटका हुआ है, मेरा निवेदन है कि आप इस पर भी थोड़ा विचार करें। उसकी पर्यावरण से परमिशन दिलाएं ताकि वहां पर लोगों का आस्था केन्द्र है, वहां पर लोग आ सकेंगे तो यह व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।

अरावली श्रेणी के नाम से बदनौर में कई सैंकड़ों सालों से स्लेट स्टोन का व्यवसाय किया जा रहा है, माइनिंग की जा रही है उस पर इन्होंने राइडर लगा दिया कि यह अरावली श्रेणी में आता है जबकि ऐसा कुछ भी

(श्री हरिसिंह रावत)
नहीं, सात-आठ साल पहले वहां सर्वे कराया था और माइनिंग इंजीनियर गए थे, उन्होंने कहा कि यह उसकी परिधि में नहीं आता। पता नहीं क्या कारण रहा कि उस पर स्टे लगा दिया और आज सैंकड़ों लोग जो खनन से अपना जीविकोपार्जन करते थे वह वंचित रह गए। जो लीजधारी हैं वह भी घर से बेघर हो गए हैं तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी भी पुन: जांच करके वापस प्रारम्भ किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पर जो गरीब लोग हैं वह अपने खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं वह सुव्यवस्थित हो सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खान विभाग के अंतर्गत हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी नीति बनाई है, हमारे प्रधान मंत्रीजी और हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सामुहिक रूप से एक डीएमएफटी के नाम से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन किया है हर जिले में, हमारा जिला राजसमंद जो माइनिंग की दृष्टि से मैं समझता हूं कि हमारे मेवाड़ में सबसे बड़ा क्षेत्र है।

जहां माइनिंग में मार्बल है, ग्रेनाइट है, क्वार्टज, फेल्सफार, माइका निकलती है। उसके अंतर्गत हमारी सरकार ने योजना बनायी है। उसी ट्रस्ट के माध्यम से हमारे करीबन हर वर्ष करीब 100 से 150 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिलती है जिससे क्षेत्र का विकास होता है। इसके अंतर्गत मैं खान मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन प्रचलित नियमों के अंतर्गत नवम्बर, 2015 से सरकार द्वारा एक सामान्य-सा पत्र जारी कर समस्त प्रकार की नवीन खानों पर यह कहकर रोक लगा दी गयी कि नियम बनाने के बाद ही आगे कोई नवीन कार्यवाही की जाएगी जिसे लगभग डेढ़ वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक काम ठप्प पड़ा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खान विभाग द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 दिनांक 1.3.2017 को जारी की गयी जिसमें खनन व्यवसाय में अपने भाग्य को आजमाने के लिए राज्य की भोली-भाली जनता द्वारा लाखों रुपया आर्थिक व्यय एवं श्रम कर अपने पक्ष में खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु मंशा पत्र जारी करवाये गये, उनको पूर्ण रूप से शून्य कर दिया गया। जिससे यहां ये लोग नये नियम में आने से सड़कों

(श्री हरिसिंह रावत)

पर आ गये हैं। यही नहीं राज्य के खातेदारों को भी अपने हक से वंचित कर दिया गया।

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य में खान विभाग द्वारा माइनिंग, मिनरल रॉयल्टी का ठेका ई-टेंडरिंग के कारण मार्बल रॉयल्टी के दिनांक 31.3.2017 को लगभग 103 ठेकों की अवधि समाप्त होने जा रही है उसमें मात्र 18 ठेके ही आबंटित हुए हैं, शेष 85 रॉयल्टी के ठेके उक्त ई-टेंडरिंग की वजह से नहीं उठ पाये हैं जिससे खान विभाग में राजस्थान सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है। उक्त हानि का जिम्मेदार कौन होगा तथा रॉयल्टी वसूली हेतु विभाग के पास पर्याप्त संसाधन, कर्मचारी न के बराबर हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा उक्त ई-टेंडरिंग को समाप्त कर पुन: पुरानी व्यवस्था लागू की जाय ताकि यह काम वापस सुचारू रूप से चल सके, गवर्नमेंट को रेवेन्यु मिले और व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

सभापति महोदय, दूसरा अभी हमारी नई एमएमसीआर, 2017 में किये गये प्रावधानों के संबंध में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे बताना चाहूंगा। यह बहुत लम्बा है, अगर आप कहो तो मैं टेबल कर दूं, 7 पेज का है।

श्री सभापति: आप बोल दीजिए जो बोलना है, टेबल इसमें ज्यादा होता नहीं है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): बोल दूं मैं?

श्री सभापति: संक्षेप में।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दिनांक 28.2.2017 को राजस्थान सरकार द्वारा नई एमएमसीआर 2017 जारी की गयी जो दिनांक 1 मार्च, 2017 से प्रभावी मानी गयी है।

श्री सभापति: पढ़ें नहीं। पढ़ना नहीं है, पाइंट बोल दीजिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): इसमें पाइंट यही है कि एमएमसीआर, 2017 के नियम 17 में बिडिंग प्रोसेस में खातेदार भूमि का जो भी ऑक्शन पद्धति से लीज आवंटन का प्रावधान किया गया है वह उचित नहीं है। इसका कारण धारक अधिकारों का हनन है जबकि नये नियम के ऑक्शन पद्धति से होने

(श्री हरिसिंह रावत)

वाले आबंटन क्षेत्र में खातेधारक की अनापत्ति आवश्यक की गई है, किन्तु यदि खातेदार स्वयं लीज लेना चाहता है तो उसे प्रथम रिफ्युजल के बाद अधिकतम रिजर्व प्राइस पर आबंटन की प्राथमिकता दी गयी है। मेरा निवेदन है कि खाते की भूमि मुख्य खातेदार के अलावा आंशिक खातेदार के वर्तमान में रजिस्टर्ड अनापत्ति प्रमाण-पत्र लाकर देने पर खान स्वीकृत होने का नियम चल रहा है। इसे यथावत रखना ही उचित रहेगा।

दूसरा, यदि ई-टेंडर प्रणाली से ही खनन पट्टा देना है खातेदार भूमि में खातेदार या अनापत्तिधारक द्वारा आवेदन किया जाय तो सरकार की रिजर्व प्राइस पर खातेदार को खनन पट्टा आवंटित किया जाना चाहिए। नियम में रिजर्व प्राइस पर खातेदार को पद्धति दर्शायी गयी है जिसमें किसी के भी नाम से आबंटन होने पर यदि खातेदार नहीं चाहेगा तो वह आबंटन नहीं हो सकेगा एवं कई विवाद कोर्ट में चले जाएंगे जिससे विवादों के कारण खनन पट्टा कभी जारी नहीं हो सकेगा।

श्री सभापति: ये प्रमुख बातें तो आप बोलकर कह दीजिए और बाकी सारा लिखा हुआ मंत्रीजी को दे दीजिए, आपके सुझाव आ जाएंगे उसमें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): तो यह मैं टेबल कर दूं।

श्री सभापति: इतना लम्बा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना अलाऊ भी नहीं है, इसलिए आप प्रमुख बातें बोल दीजिए और बाकी मंत्रीजी को दे दीजिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दूसरा, एमएमसीआर 2017 के नियम 32 में राजस्व विभाग की भूमि में यह कहा गया है कि राजस्व विभाग अपने रिकार्ड में खनन क्षेत्र में खनिज धारित क्षेत्र दर्ज करेगा। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग की जमाबंदी में खनन क्षेत्र इन्द्राज करना व जिन खातों की अनापत्ति दी है उसे अनापत्ति प्रदाता न तो पुन: किसी को एनओसी दे सकेगा एवं न ही बेचान कर सकेगा। इस प्रकार का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, क्योंकि खनन होने के बाद यहां सतही भूमि, सरफेस लैण्ड है ही नहीं, अत: उसका दुबारा विकास कतई नहीं हो सकता। राजस्व रिकार्ड में इस तरह का सुधार नहीं करने पर भविष्य में विवाद की संभावना अधिक हो जाएगी।

(श्री हरिसिंह रावत)

मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इसके ऊपर भी थोड़ा विचार किया जाय। आज यह राइडर लगाया कि किसी भी खननधारी को 30 साल का टाइम दिया है। 30 साल में एक पट्टाधारक अपनी घर की पूंजी लगाकर उसको माइनिंग स्टेज पर लाता है। यह कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट तो है नहीं, फैक्ट्री चालू होते ही प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। इसमें ओवरबर्डन होती है, ओवरबर्डन हटाने के बाद में माइनिंग चालू होती है, वह तो भाग्य पर है पता नहीं पत्थर अच्छा निकले या न निकले। वह करते-करते 5-10 साल में उस स्थिति पर आता है कि मेरी भी माइनिंग चल जाएगी, फिर 30 साल पूरा हो जाएगा। उसका तो धन गया। उसने तो मेहनत की और तीसरा इसका लाभ उठाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी समयावधि 30 वर्ष के स्थान पर 50 वर्ष कर दी जाय। पहले तो 99 था, 99 नहीं करके 50 कर दें तो जो अपनी पूंजी लगाएगा उसको अपना रिटर्न मिलेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी थोड़ा विचार करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दूसरा रायल्टी के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे यहां पर राजसमंद में मार्बल निकलता है और उसको कोटा से कंपेयर करें, कोटा में तो बहुत बल्क में निकलता है, वहां रायल्टी कम है और हमारे यहां रायल्टी ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि जितनी कोटा स्टोन पर रायल्टी है वही पद्धति अगर हमारे यहां लागू की जाय तो हमारे खननधारियों को इसका थोड़ा बेनिफिट मिलेगा और रायल्टी भी ज्यादा मिलेगी।

जो छोटे कटर धारक हैं, जिन लोगों ने छोटे कटर लगा रखे हैं उन पर जो रायल्टी लगती है उसको खतम किया जाय। जो छोटे कटरधारक हैं, जो कटर चलाते हैं उनका जो वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज से ही वे 1x1 या 1.5x1.5 की साइज कटर से निकलती है उसके ऊपर अगर रॉयल्टी खत्म कर दी जाय तो उनको रोजगार मिलेगा और सरकार की ओवरबर्डन खतम हो जाएगी। अगर इस पर रॉयल्टी लगेगी तो जो ये लोग कटर द्वारा काटते हैं तो हमारी सरकार पर अनावश्यक भार बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटे कटरधारियों की रॉयल्टी माफ की जाय। इसी के साथ जयहिन्द, जय भारत, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री नवनीतलाल जी।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर सभापति महोदय, आपने मुझे वन विभाग की मांग पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। वन विभाग भारत की संस्कृति का आधार है। जब वन के अंदर रहने वाले किसान वन के पास में रहकर खेती करके जिंदा रहने वाला, पशु पालने वाला व्यक्ति वन के आधार पर अपनी जिंदगी जीता है। इसके साथ-साथ वन विभाग में रहने वाले आदिवासी व किसानों ने भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए जब हमारे देश पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था उस वक्त पूरे देश को विदेशी लोगों ने रौंदा, लेकिन जहां-जहां वन थे वहां वे लुटेरे आये, उदयपुर संभाग में चित्तौड़ जैसे वनों में महाराणा प्रताप जैसे सज्जनों के साथ अत्याचार करना चाहा, लेकिन वन के आधार पर वनवासी, वन में रहने वाले आदिवासी किसानों ने महाराणा प्रताप को सहयोग देकर हमारे भारत की संस्कृति की रक्षा की। इसलिए वन ऐसा क्षेत्र है, महाराणा प्रताप जैसे धर्म प्रेमी लोगों की रक्षा करने के साथ-साथ यह भी बताना चाहूंगा।

अभी हाल ही मुझे व मेरे साथियों को माननीया मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजेश्री के द्वारा ट्राइबल कमेटी का चेयरमैन बना रखा है और वन की पूरी-पूरी जानकारी लेना और वन में रहने वाले आदिवासियों के साथ क्या-क्या हो रहा है राजस्थान भर में, यह कमेटी दौरा करके वह हम जानकारी लेते हैं। हमने अभी-अभी जानकारी ली पूरे राजस्थान के अंदर एवं दक्षिणी राजस्थान में, जहां जंगल में व्यक्ति रहते हैं, वहां पर वन के आधार पर क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए?

मान्यवर, मेरा ऐसा आग्रह है कि अभी वन विभाग के द्वारा पौधे लगाये जाते हैं और पौधों की बुवाई की जाती है लेकिन जहां-जहां वन बाड़ियों में जाकर देखा कमेटी के द्वारा तो उन कमेटी के द्वारा देखने पर यह पता लगा। जो उनकी थैलियां बनाई जाती हैं, उन थैलियों में पौधे रखे जाते हैं। पौधे बरसात के समय में किसान व अन्य वन विभाग के द्वारा वनों में लगा दिये जाते हैं लेकिन कुछ पौधे बचे रह जाते हैं। उन पौधों की जड़ें थैली को फाड़कर जमीन में प्रवेश हो जाती हैं तो वन विभाग के अधिकारी क्या करते हैं कि उन जड़ों को कैंची से काट देते हैं और वही पौधे अगले साल

(श्री नवनीत लाल)

फिर गिनती में ले लिये जाते हैं। इस पर माननीय मंत्री महोदयजी से मेरा आग्रह है कि उस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि जब बड़े-बड़े पौधे हो जाते हैं। बड़ा पौधा बुवाई करने से जीवित नहीं रहता। वह बड़े आला अफसरों को बुलाकर स्कूलों के सामने, कलक्ट्री, तहसील के दरवाजों पर लगा लिये जाते हैं और फोटो खींच ली जाती है और फिर दूसरे दिन रोज अख़बार में पढ़ लिया जाता है। बाकी उस पौधे की कोई वकत नहीं है। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। पौधा छोटा है वही पनपता है, बड़ा पौधा नहीं पनपता है क्योंकि उसकी मूल जड़ कट जाती है और तंतुओं से वह जिंदा रहता है।

मान्यवर, पेड़ पौधे ऐसे लगने चाहिए, अभी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा हमारे देश भर में विदेशी बबूल लगा लिये गये और उन बबूल लगाने से क्या हुआ कि हमारे यहां कहावत है कि "बोये पेड़ बबूल का, आम कहां से होय" यह हमारे देश पर हो गया। यह विदेशी बबूल इस प्रकार लगाने से उसकी जांच भी हुई। जांच होने के बाद माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री थे, उस वक्त यह आदेश हुए कि यह जो विदेशी बबूल के पेड़ लगा दिये गये, उनको निकाल दिया जाए। लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। मेरा ऐसा आग्रह है कि इसमें कांटेदार पौधे नहीं लगने चाहिए। कांटेदार पौधे लगने से जंगल में रहने वाले जानवर बाहर निकल आते हैं, उनको सोने की व छाया की तकलीफ आती है। जंगल में रहने वाला जानवर है, वह बाहर निकल आता है जो वहां पर कई खेतों में भी नुकसान करता है। शेर बाहर आता है तो किसी मनुष्य पर भी हमला करता है तो ऐसी तकलीफें होती हैं तो नरेगा के द्वारा अभी वनों में काम चल रहे हैं और उससे छोटी खाबड़ियां बनाई जाती है...

श्री सभापति: संक्षेप में कहें। संक्षिप्त करें, नवनीत लाल जी।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): पानी रूकता नहीं है तो मेरा ऐसा आग्रह है कि वहां जंगल में बड़ा वैल बना दिया जाए नरेगा काम की योजना के अन्तर्गत और वह कुआ वहां बना दिया जाए और वहां कुण्डियां बना दी जाए जो जंगली जानवर हैं, वह जंगल में रहकर अपना पानी पीए और बाहर नहीं आए।

(श्री नवनीत लाल)

पेड़ जो लगाने का है, वह वन में पेड़ पालेदार लगने चाहिए। मान्यवर, निवेदन है कि जब अकाल पड़ता था तो महुवा के पेड़ से फल मिलता था तो इससे आसपास में जंगल में रहने वाले व्यक्ति महुवा खाकर जीवित रहते थे। साथ ही धावड़ा, धावड़े से गोंद मिलता है। कडली से गोंद मिलता है। रोजड़ा के पेड़ से गोंद मिलता है। वन पेड़ों से शहद मिलता है तो इस प्रकार के पेड़ लगें ताकि उनका आधार बना रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, इस पर मैं अपने क्षेत्र की बात बोल देना चाहता हूं कि हमारे वहां दक्षिणी राजस्थान में जिला बांसवाड़ा के अंदर जगमेल, जोगी माल, लुहारिया की पहाड़ियां, वहां पर बाउण्ड्री वाल बनाई जाकर, आसपास के जंगल में रहने वाले जानवरों को बाउण्ड्री वाल के अंदर रखा जाए ताकि वहां कोई दृश्य भी उसका बने और उन जानवरों को भी आधार रहे और जंगल में नुकसान नहीं करें।

दूसरा, वन विभाग द्वारा पशुओं को खाने योग्य बड़ी पत्ती वाले पेड़ बोए ताकि अकाल पड़े तो घास के अभाव में पशु जिंदा रहे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, निवेदन है कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे समय दें।

अभी वन विभाग के अंदर कई आदिवासी किसान खेती करते हैं और पहले वन थे, 1980 तक राज्य के अधीन थे, अब केन्द्र के अधीन वन विभाग चला गया है और वन विभाग की जमीन पर आदिवासी किसानों के नाजायज कब्जे थे, वे खेती करते थे। उनको अलाट कर खेती करने का अधिकार दिया जाने का था। यह आदेश 2006 में कानून बना और 1980 के बाद अब 2005 तक की नाजायज कब्जे की जमीन आदिवासी किसान को दी जाये, ऐसा आदेश हुआ है। ऐसे आदेश से कई जमीनें निकाली भी गई हैं लेकिन मेरा ऐसा आग्रह है कि दक्षिणी राजस्थान में जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में कमेटी द्वारा जांच करने पर देखने में आया, मेरे पास में ये छह फाइलें आई हुई हैं। कलक्ट्री में पेश हुई, माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा, पंचायत द्वारा निर्णय लिये गये और वह जमीन अभी तक किसानों को

(श्री नवनीत लाल)

अलाट नहीं हुई और यह रिकार्ड सहित नाजायज कब्जे का रिकार्ड है मेरे पास में, अभी माननीय आप हुकुम करो तो माननीय...

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी को दे दें आप। जी हां, मंत्रीजी को दे दें आप।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मंत्री महोदय की सेवा में पेश कर दूंगा। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि वन को कहीं कहीं नुकसान करने वाले व्यक्ति हैं, वन में रहने वाले व्यक्ति हैं, आदिवासियों को लूटते भी हैं। एक मेरे पास में यह फाइल आई है कि कलिंजरा चौकी की...

श्री सभापति: यह मंत्रीजी को समझा दो आप।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): कलिंजरा वन चौकी की फाइल आई है जिसमें कलिंजरा चौकी से 16 आदिवासी किसानों से, फोरेस्टर ने एक किसान से 10-10 हजार रुपये लिये कि मैं तुम्हें यह जमीन दे दूंगा लेकिन अब वह जमीन किस प्रकार की थी। निकलने लायक थी या नहीं थी, लेकिन इन्होंने ऐसा आश्वासन देकर, मेरे पास में यह फाइल है। मैं माननीय मंत्री महोदयजी की सेवा में पेश करूंगा, आपका आदेश हो तो। इस प्रकार वन के अधिकारी, वन में रहने वाला छोटा अधिकारी, फोरेस्टर, रैंजर, बड़े अधिकारी को अनजान रखकर जंगल को कहीं बर्बाद करने की भी योजना रख रहे हैं और कई किसानों से लूट भी कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की विशेष जांच होनी चाहिए।

यह जो फाइल हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय की सेवा में दे रहा हूं ये छह फाइलें, जो एसडीएम कोर्ट के सामने आकर माननीय कलक्टर साहब को पेश हुई लेकिन फिर भी उस पर निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए ये फाइलें आपके आदेश से मंत्री महोदय की सेवा में पेश करता हूं।

श्री सभापति: हां। धन्यवाद, समाप्त करें। गोविन्द सिंहजी, वह डाक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई थी। वह कह रहे हैं कि पहले मैं बोलना चाहता हूं। डाक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-9 वन (पर्यावरण सहित) और मांग संख्या-43 खनिज की डिमांड्स पर

(डा. किरोड़ी लाल)

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, खान, वन और पर्यावरण ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जल है तो जीवन है, वन है तो जीवन है और पर्यावरण अगर बच रहा है तो अपना जीवन भी बच रहा है लेकिन अपने राजस्थान में माइन्स जहां पर चल रही हैं...

खनन जहां पर चल रहा है, कई जगह अवैध खनन भी बड़े पैमाने पर चल रहा है और उसमें कई में एन्वायरन्मेंटल क्लियरेंस भी नहीं है, कई में पर्यावरण के नियमों को ताक में रखा कर माइनिंग किया जा रहा है। कई में फोरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन करके वनों का विनाश किया जा रहा है और पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है और खानों में तो कई जगह, माननीय सभापति जी, ऐसा मामला है विशेषकर बजरी खनन जहां एक बड़े ठेकेदार की मोनोपॉली है। छोटे-छोटे ठेकेदार तो खतम किये इस सरकार ने। ये बात हो रही है मैं बोलने में थोड़ा...।

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बड़े-बड़े ठेकेदारों को माइन्स दे दी। मैं आपको ज्यादा राजस्थान के बारे में ध्यान आकर्षित नहीं करके मैं विशेष कर टोंक, सवाईमाधोपुर से राजस्थान का अस्सी परसेंट...।

श्री सभापति: शांत रहें माननीय सदस्य, सुनें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अस्सी परसेंट बजरी का खनन होता है और उसमें 2013 से टोंक और सवाईमाधोपुर में नदी में बजरी का खनन चालू है। जब बजरी का खनन चालू हुआ तो हाईकोर्ट की आपत्ति हुई कि बिना एन्वायरन्मेंटल क्लियरेंस लिये आप खान नहीं चला सकते। खान बंद हो गयी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी कि यह आवश्यक वस्तु है इसके कारण हमारा निर्माण रुक गया और ई.सी. लेने में संबंधित लीजधारकों को दिक्कत आ रही है तो इसलिए खान चलाने की अनुमति दी जाए। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का समय दे दिया लीज चलाए और 6 महीने में एनओसी ले लें, लेकिन एनओसी नहीं ली। 2013 से अब तक बराबर जो

(डा. किरोड़ी लाल)

लीजधारक हैं बड़ी पहुंच वाले हैं बड़े प्रभाव वाले हैं बड़े पैसे वाले हैं उन्होंने जानबूझ कर पर्यावरण मंत्रालय में...। मंत्री जी कहीं गये?

श्री सभापति: खान मंत्री जी बैठे हैं न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कोई नोट भी नहीं कर रहा है मुख्य सचेतक जी तो बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: खान मंत्री जी तो बैठे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): पर्यावरण मंत्रालय में तीन साल निकल जाने के बाद भी ई.सी. क्लियरेंस नहीं करवा पाये और धड़ल्ले से खान चल रही है। मैं सरकार से, माननीय खान मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब सरकार एक बार गयी तो 6 महीने का समय दे दिया। फिर 6 महीने का समय दे दिया और लीज एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है सभापति महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रार्थना को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट गये थे अब उस सुप्रीम कोर्ट में आप पधारे मंत्री जी जिसमें आपके द्वारा यह पहल की गयी थी कि जब तक ई.सी. नहीं मिले तब तक लीज एग्रीमेंट नहीं होगा, खान चलती रहे। खान में अब यह तय नहीं हो पा रहा है कि वह तीन साल चलेगी, पांच साल चलेगी, आठ साल चलेगी या दस साल चलेगी। एक तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय की ओट में खुला लीजधारकों को समय दे रखा है और सरकार लीज एग्रीमेंट तय नहीं कर पा रही, ई.सी. क्लियरेंस हो नहीं रही और सभापति महोदय, पूरी नदी पर ठेकेदारों ने चाहे टोंक हो, चाहे सवाईमाधोपुर हो पूरी नदी पर कब्जा कर रखा है। सवाईमाधोपुर में तो मैंने वहां जन आंदोलन किया तो डिमार्केशन हो गया। पोल गड़ गये, लेकिन टोंक जिले में बनास नदी पर अभी तक डिमार्केशन नहीं किया गया, न पोल गाड़े गये। पूरी नदी पर ठेकेदार द्वारा कब्जा करके अवैध खनन ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।

सभापति महोदय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ...।

श्री सभापति: आप ये माइक से हाथ हटा लें। आपने पकड़ रखा है उस पर यह कहीं नहीं जाएगा यहां से।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-141 ई, दिनांक 15.1.2016 के सस्टेनेबल सैंड माइनिंग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये हैं क्या? मैं मंत्री जी से मिला था पहले वालों से, खान के सेक्रेटरी से भी मिला था, माइन्स के अधिकारियों से भी मिला था, लेकिन इनकी पालना नहीं हो रही है सभापति महोदय, खनन क्षेत्र को नाप कर खम्भे गाड़ कर उन पर जियोग्राफिक्स के पश्चात ही खनन कार्य चालू किया जाएगा, लेकिन चल रहा है कोई डिमार्केशन नहीं किया, कोई पोल नहीं गाड़ा। खान अधिनियम, 1957 एवं पर्यावरण नियम, 1986 एवं पर्यावरण प्रभाव आदेश, 2006 की पालना नहीं हो रही है। सभापति महोदय, माइनिंग प्लान और पर्यावरण स्वीकृति है ही नहीं। प्रतिमाह कुओं के पानी की जांच की जाएगी जो नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, यदि रेत आवक से रेत खनन अधिक हो रहा है तो खनन कार्य रोका जाए उसकी भी पालना नहीं हो रही है। खनन की गहराई तीन मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अनेकों मीटर गहरा आप टोंक में जाकर देख लो तो बहुत गहराई में बजरी निकाल कर वहां के जलस्तर को इस तरह से बरबाद कर दिया कि वहां लोग बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। खनन व लोडिंग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही होना चाहिए। सवाईमाधोपुर में तो चल रहा है लेकिन टोंक में तो रात भर खनन और लोडिंग चलती है और मैं कई बार कह चुका लेकिन अधिकारी इस कान सुनते हैं और उस कान निकाल देते हैं। खनन क्षेत्र के आस-पास पेड़ लगाये जाने चाहिए। सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक भी पेड़ टोंक से लेकर सवाईमाधोपुर खनन क्षेत्र के आस-पास नहीं लगाया। कुआ, पम्प हाउस, सड़कें इत्यादि सारी ध्वस्त कर डाली। जिला कलेक्टर व राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग खनन की कार्यवाही की निगरानी रखेगा। वो निगरानी भी नहीं हो रही है और पानी से रेत नहीं निकाली जाएगी। पानी से रेत निकाली गयी और निकाली जा रही है और निकलती रहेगी। विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। एक रेत की रसीद नकली न हो यह भी पर्यावरण विभाग के निर्देश हैं, लेकिन नकली रसीद का आलम सभापति जी, यह है कि सरकार की जो रायल्टी है एक ट्रैक्टर पर 152 की यह तो गुलाबी रसीद है और एक पीली रसीद और साथ में ठेकेदार जी काटते हैं

(डा. किरोड़ी लाल)

जिसमें 820 रुपये ले रहे हैं। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया उसमें सरकार ने असमर्थता जताई कि यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह बात सही है नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सरकार माल अधिनियम जो विधान सभा में लाई थी उसको चुनौती ठेकेदार जी ने सुप्रीम कोर्ट में दे दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा हुआ है और उस कारण ठेकेदार बजरी के अनाप-शनाप भाव वसूल कर रहा है, जिससे आम उपभोक्ता सफर कर रहा है और बजरी के भाव आसमान छू रहे हैं। इन्होंने मेरे को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जवाब दिया है कि श्री चावला द्वारा अधिक वसूली कर फर्जी रसीदें काटी जा रही हैं और पीली पर्ची पर हमारा बस नहीं है अब बस नहीं है यह बात सही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो माल अधिनियम विधान सभा में लाया गया वो इम्प्लीमेंट राजस्थान में हो, सरकार को भी टैक्स आये और राजस्थान का आम उपभोक्ता लुटे नहीं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस स्थगन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए इसको खुलवाये इसको तुड़वाये, लेकिन पता नहीं सरकार किस दबाव में है वो जाना नहीं चाहती। इन्होंने जवाब में लिखा है कि ये पैसा जो 820 रुपये, ट्रकों पर तो बहुत ज्यादा है।

यह प्रीमियम किश्त का है, रास्ता निर्माण का है, मिनिमम मासिक रॉयल्टी का है, कर्मचारियों की सैलेरी का है, लीजधारक का मुनाफा है। लेकिन, सभापति महोदय, आपको जानकार अचम्भा होगा कि इस पर कहीं आर.एस.टी. नहीं है, कहीं पैन नम्बर नहीं है, कहीं टिन नम्बर नहीं है, कहीं सी.एस.टी. नहीं है तो सीधा खुल्लम-खुल्ला बड़े लीजधारक सरकार के टैक्स की करोड़ों में चोरी कर रहे हैं यह मैं आरोप लगाना चाहता हूं मंत्री महोदय, और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, कोर्ट में जाया जाए।

सभापति महोदय, ये ठेकेदार जी बड़े प्रभाव वाले हैं तो वो हाई कोर्ट से आदेश ले गये कि अवैध खनन नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए, हम भी मानते हैं कि अवैध खनन नहीं चलना चाहिए और अवैध खनन के खिलाफ विभाग और प्रशासन मिलकर कार्यवाही करता है लेकिन किसके खिलाफ करता है? छोटा ट्रैक्टर वाला, छोटी गाड़ी वाला है उस पर। सभापति

(डा. किरोड़ी लाल)

महोदय, आपको अचम्भा होगा कि अगर एक ट्रैक्टर अवैध माइंस के जरिये पकड़ ले तो एक ट्रैक्टर पर 27800 की रसीद माइंस वाले काटते हैं। जब यह अवैध खनन का मामला आया तो इसमें सरकार ने दोहरापन अपना रखा है। मैंने जब यह मांग की कि इसका डिमार्केशन किया जाना चाहिए, पोल गाड़े जाने चाहिए। सभापति महोदय, जब डिमार्केशन किया तो चौथ के बरवाड़ा क्षेत्र में डिमार्केशन के बाद सात गांव ऐसे निकले जिनमें 2013 से बड़ा लीजधारक अपनी खान चला रहा था और करीबन 425 लाख टन बजरी तीन साल में निकाल ले गया जिसकी कीमत होती है 100 करोड़।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ट्रैक्टर वाले के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं कि वो अवैध खनन करता है, आप ट्रक वाले के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं कि अवैध खनन करता है, रॉयल्टी नहीं देता है लेकिन जो बड़ा ठेकेदार 100 करोड़ की बजरी निकाल कर ले गया, उसके खिलाफ मैंने खुद ने मुकदमा दर्ज कराया लेकिन सरकार चुप है और सरकार और विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने फाइल को सी.आई.डी. में मंगवा लिया, सी.आई.डी. में डलवा दिया। सभापति महोदय, इसमें जो अवैध खनन से एक्ट का उल्लंघन हो रहा है उसका मैंने पत्र भी लिखा, मैं माननीय सैक्रेटरी महोदया से भी मिला और मैंने उनको कहा कि खान एवं खनिज विकास एवं नियंत्रण अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1), 4 (1) (a) का उल्लंघन हो रहा है। खान एवं खनिज विकास एवं नियंत्रण अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1) का उल्लंघन करने पर 45 लाख टन बजरी की राशि अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के तहत उस ठेकेदार से वसूल की जानी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। अवैध खनन के लिए 9 बड़ी एल. एण्ड टी., बड़े साधन, उनको उपयोग में लिया गया जिनके अनेकों प्रमाण है। उसको अधिनियम की धारा 21 (4) के तहत जब्त किया जाना चाहिए लेकिन जब्त नहीं कर रहे हैं। धारा 4 (1), धारा 4 (1) (a) तोड़ने पर लीजधारकों के खिलाफ अधिनियम, 1957 की उप धारा 21 (1) के तहत दण्ड लगाया जाए, पैनल्टी लगाई जाए, वो भी नहीं कर रहे हैं। धारा 4 (1) तोड़ने पर अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत कार्यवाही कर बनास नदी को खाली कराया जाए, यह भी नहीं

(डा. किरोड़ी लाल)
कर रहे हैं। अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) या 4(1)(a) को तोड़ना एक संगीन अपराध है इसलिए इसके हिसाब से लीजधारक की लीज निरस्त होना आवश्यक है लेकिन लीजधारक बड़े प्रभावशाली हैं। इसलिए उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही सरकार अमल में नहीं ला रही है।

सभापति महोदय, कार्यवाही कहां हो रही है, आपको सुनकर यह अफसोस होगा कि 'जिला कलेक्टर ने पीछा करके पकड़े अवैध खनन के दो ट्रैक्टर', सवाई माधोपुर के कलेक्टर ने। सभापति महोदय, सवाई माधोपुर में दो ट्रैक्टर वाले अपने खेत से अपने बाड़े में बिछाने के लिए मिट्टी ला रहे थे, कलेक्टर ने पीछा किया और उनको पकड़ लिया। अब यह कितना बड़ा तमाशा है माननीय मंत्रीजी, किसान अपने खेत से मिट्टी लाये, मिट्टी, बजरी नहीं थी सभापति महोदय, और अपने बाड़े में पशुओं के नीचे डाले या मकान में डाले तो कलेक्टर ने पीछा करके पकड़ लिया, पकड़ कर माइंस के अधिकारी बुलाये और 26800 रुपये की पर्चियां काट दीं। अब यह तो राठौड़ साहब के राज में ही हो रहा है कि आप खेत से मिट्टी भी नहीं ला सकते और आप उस पर इतनी बड़ी पैनल्टी लगा दो। सभापति महोदय, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। ये सब किसान हैं, किसान के बेट हैं कि आप अपने काम में लेने वाली खेत की मिट्टी, उसको कलेक्टर पकड़ ले कि वह गैर कानूनी है, अन-कांस्टीट्यूशनल है। मैं आपको बताऊंगा कि Minor Minerals Concession Rules 1986 कहता है Exemptions. Notwithstanding anything contained in these Rules, no rent, no royalty and no fee shall be charged for excavation of clay or earth in construction of house except earth for brick making. Excavation of mineral by any person from his private land for personal use, ये एग्जैम्प्ट होंगे पर उसके बाद भी कलेक्टर ने पकड़ लिया। और अभी जो इन्होंने कंसीडर किया है Minor Mineral Rules 2017 इसमें भी यही है Notwithstanding anything contained in these Rules, no rent, royalty or fees shall be charged for excavation of earth from village ponds or tanks or agriculture land by the tenants for filling or levelling the agriculture fields. लेकिन इसके बावजूद भी....

श्री सभापति: थोड़ा संक्षेप में कर लें, डाक्टर साहब।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अभी किया सभापति महोदय। इसके बावजूद भी ट्रैक्टरों को पकड़ लिया और पकड़ कर गरीब किसानों से 26-26 हजार की पैनल्टी काट डाली। मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी किसान हो, किसान पुत्र हो, आखिर में यह अत्याचार तो राजस्थान में मत होने दो। वो हाई कोर्ट के आदेश ले गये, वो तो मनमानी करके अवैध बजरी का खनन करते रहें बड़े ठेकेदार जी और गांव का छोटा, गरीब आदमी अपने खेत से मिट्टी भी नहीं उठा सके, यह दोहरा मापदण्ड नहीं अपनाए तो अच्छा रहेगा। इस विशेष प्रकरण में मंत्रीजी, अगर आप जांच कराए तो कलेक्टर दोषी पाया जाएगा तो किसानों को राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, अब मैं वन पर आता हूं। आपने मुझे खान पर टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं वन पर आता हूं। वन कोई राजस्थान सरकार ने ज्यादा नहीं किये। अपना डेजर्ट और पिछड़ा राज्य है जो वन की दृष्टि से उतना आगे नहीं है और कोई ऐसे वन लगाने की या वन क्षेत्र बढ़ाने की पहल कोई सरकार ने की नहीं। वन उजड़ रहे हैं। सभापति महोदय, जो सैंचुरीज विकसित करने जा रहे हैं इनमें एक समस्या खड़ी हो गई। सैंचुरी विकसित करो, टाइगर को बचाओ, पैंथर को बचाओ, वन्य जीव को बचाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, सभापति महोदय, उस सैंचुरी में बसे हुए जो गांव हैं वो गांव का परिवार हटता है तो मात्र 10 लाख रुपये दिये जाते हैं माननीय मंत्रीजी। अब आज के जमाने में 10 लाख हैं क्या? इसलिए, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप विस्थापन करो, टाइगर बचना चाहिए, वन्य जीव बचना चाहिए, अपना सब कुछ बचना चाहिए, वन बचना चाहिए लेकिन आप उस आदमी को भी तो बचाओ जो वर्षों से वन क्षेत्र में बसा हुआ है, पता नहीं कब से बसा हुआ है और वो वन क्षेत्र छोड़कर जा रहा है, आप उसको हटा रहे हो, विस्थापित कर रहे हो लेकिन उसको अच्छा पैकेज नहीं दे रहे हो। मैं, मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इसमें अच्छे पैकेज की पहल करेंगे तो राजस्थान की जनता के हित में बड़ा जनहित में होगा।

सभापति महोदय, ये गांव को तो हटा रहे हैं, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं लेकिन होटलों को वन क्षेत्र में बसा रहे हैं। अब स्थिति क्या है कि

(डा. किरोड़ी लाल)

सुप्रीम कोर्ट ने एक फोरेस्ट राइट एक्ट, 1980 एवं 12.12.96 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों में स्पष्ट है कि वन क्षेत्र में गैर वानिकी एक्टिविटी नहीं चलेगी और पाँच शर्तों के साथ सरिस्का, रणथम्भौर में कोर्ट ने इजाजत दी, सरकार ने इजाजत दी। इसके बावजूद भी करीबन 65 प्रभावशाली लोगों की सरिस्का क्षेत्र में रजिस्ट्री हुई है माननीय मंत्री जी, आप यह मंगा लेना इसके बाद।.....

तो आप दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्य करें, ऐसी मेरी मांग है। वहां पर एक सरिस्का पैलेस है जो वन क्षेत्र में है। वहां पर अमन बाग़ रिसोर्ट है जो वन क्षेत्र में है। वहां टाइगर डेम है जो वन क्षेत्र में है। वहां कुशलगढ़ फोर्ट है जो वन क्षेत्र में है और उनमें कामर्शियल एक्टिविटी चल रही है। एक दयाराम फार्म हाउस है। इसी प्रकार सरिस्का की भांति रणथम्भौर नेशनल पार्क में अमन ए खास है, शेर बाग़ है, ओबेराय, फतेह पब्लिक स्कूल है, आरटीडासी होटल है, व्हाइट हाउस है, झूमर बावड़ी है, सबमें कामर्शियल एक्टिविटी चल रही है। सभापति महोदय, इनकी स्थिति क्या है, होटल अमन ए खास ने खसरा नंबर 1055 की चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है, जो सवाई माधोपुर में है। होटल टाइगर मून ने .6 हैक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर रखा है जो सवाई माधोपुर में है। होटल नाहरगढ़ जिसने 1.50 हैक्टेयर रकबे पर अवैध कब्जा कर रखा है। होटल टाइगर डेम ने .50 हैक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। होटल देवराज ने .10 हैक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर रखा है। होटल हिल व्यू ने 1.50 हैक्टेयर पर कब्जा कर रखा है। होटल शेर बाग़ जो टाइगर मेन का है, वाल्मीकि थापड़ का, उसने कब्जा कर रखा है। होटल पगमार्क, एक पूर्व कांग्रेस मंत्री के बेटे हैं, उसने कब्जा कर रखा है। होटल शनि विलास है जो पूर्व कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। सभापति महोदय, इस सरिस्का में तो एक बड़ा तमाशा हो रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक दिन वहां पर पधारें। एक बहुत बड़ा होटल है, सरिस्का क्षेत्र में एक बड़े औद्योगिक घराने से ताल्लुक रखने वाली कंपनी हैरिटेज रिसोर्ट की अलवर जिले के अजबगढ़ के पास एक आलीशान होटल अमन बाग़ रिसोर्ट है, सरिस्का बाग़ से सटी हुई है। जब यह होटल बनी तो उसने

(डा. किरोड़ी लाल)

वन भूमि पर कब्जा कर लिया, 2005 में यह मामला विधान सभा में उठा। सरकार ने यह माना कि ग्राम अजबगढ़ की आरआरजी खसरा नंबर 681, 682, 683, 686, 688, 690, 694, 695, 721, 723, 724 की वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है जो रियासतकाल से वन भू-खण्ड है। इसी होटल वाले ने एक दलित रमेश बलाई की खातेदारी की जमीन पर कब्जा कर रखा है, खसरा नंबर 833, 834, 842, 843, 866, 857, करीबन 8 बीघा है। ऐसे ही जनजाति के भरत लाल की जमीन पर कब्जा कर रखा है अजबगढ़ की काश्त पर जिसमें खसरा नंबर 757, 761, 765, 766, चार रकबा के करीबन, 1.3 हैक्टेयर के करीबन पर कब्जा कर रखा है। पीड़ितों ने बार बार जिला प्रशासन को शिकायत की, सरकार को शिकायत की और मैंने वन विभाग के मंत्री और अधिकारियों से पता किया कि आखिर में आप वन विभाग की जमीन को छुड़वाते क्यों नहीं हो। वह छूटे कैसे, वहां जो सीसीए पोस्टेड हैं मिस्टर शेखावत, उसका बेटा उसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर है होटल का, छूटे कैसे। वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके चले और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सभापति महोदय, यह तो सबसे बड़ी अवहेलना है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): जस्ट ए मिनट, थोड़ी देर, ज्यादा नहीं लूंगा। सभापति महोदय, इस होटल में एक तमाशा और हो रहा है कि यह होटल बिलकुल अजबगढ़ गांव के नीचे जो बहाव क्षेत्र है, उस पर बना रखी है। वहां एक बाँध है, उस बाँध को होटल वाले काम में लेते हैं, बोट चलाते हैं। 1995 में जो सिंचाई विभाग की जमीन थी, वह इस होटल को दे दी गई, केवल लीज डीड के आधार पर कलेक्टर ने दे दी और लैंड यूज परिवर्तन किया नहीं। बिना लैंड यूज परिवर्तित किये होटल ने निर्माण कर लिया। 1996 से होटल की एक्टिविटी चल रही है। बड़ी बड़ी मैग्जीन्स में भी यह मामला छपा। आउट लुक इंडिया टुडे में सब कुछ छपा है। सरकार का ध्यान भी बीच-बीच में आकर्षित किया गया है। सभापति महोदय, एसबी सिविल रिट पिटिशन नंबर 11153/2011 रामगढ़ सुओमोटो ने हाई कोर्ट ने तीन इंटरिम आदेश कर रखे हैं। सभापति महोदय, आप मेरे को इतना टाइम नहीं दे रहे, 29 मई, 2012 का भी है।

श्री सभापति: टाइम खूब दे दिया आपको।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उसके बाद दूसरा भी है। सभापति महोदय, इसमें हाई कोर्ट ने जो कोग्नीजेंस लिया है वह आपकी जानकारी में है, सरकार की जानकारी में है, अफसरों की जानकारी में है, कि encroachment in the catchment area, choking the flow of water यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, illegal allotment of land यह गलत है, कलेक्टर ने इल्लीगल अलाटमेंट कर दिया और illegal mining यह भी है excessive construction of anicuts, lack of demarcation of the catchment area, development of colony ऐसे-ऐसे बराबर तीन इंटरिम आदेश हुए हैं लेकिन मैंने पता किया सब कुछ होने के बाद भी हाई कोर्ट की डीबी का फैसला है, सुओमोटो फैसला है, अनेकों केचमैंट एरिया के फैसले हैं। जमवारामगढ़ से तो कुछ अतिक्रमण हटा कर सरकार ने कुछ कार्यवाही की लेकिन अजबगढ़ में जो बांध बना हुआ है उसमें होटल मालिक ने कब्जा कर रखा है। मैंने पता किया कि होटल मालिक कहां का है, तो मैं भी वहां से लोकसभा का सदस्य रहा हूं और माननीय भड़ाना जी वहां से एमएलए और मंत्री है। सभापति महोदय, आपको यह सुनकर अफसोस होगा आस्ट्रेलिया का एक आदमी इसमें पार्टनर है। पार्टनर होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो वीवीआईपीज हैं, वह वीवीआईपीज जाते हैं, प्रभावित करते हैं और इन सब वीवीआईपीज के तार सरकार से जुड़े हुए हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सरकार के मंत्रियों से जुड़े हुए हैं। प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं किसी पर इंडीविजुअल आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो माइनिंग से संबंधित विषय उठाया, सभापति महोदय, 23 मार्च को इनका इसी से संबंधित प्रश्न था और प्रश्न के लिये माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये तैयार होकर आये थे। माननीय सदस्य सदन में विराजमान थे लेकिन जब आसन ने नाम पुकारा, माननीय सदस्य बैठे रहे, प्रश्न नंबर नहीं बोला। इसके बाद आगे का

(श्री मदन राठौड़)
प्रश्न लिया गया। तो किससे प्रभावित होकर आपने वह प्रश्न नहीं किया, यह बहुत गंभीर मामला है। सभापति महोदय, आप तो इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार पूरी तैयारी करके आती है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां, आप बिलकुल तैयार होकर आते हो। यह कोई प्रश्न नहीं है, मैंने आपकी उपस्थिति में, मैं आपके माननीय सदस्यों की तरह, यह बनवारी लाल सिंघल को आपने गायब कर दिया था न गौ अनुदान पर, वैसे मैं गायब नहीं हुआ। मैं यहां बैठा हुआ था और मैंने कहा था कि ++++++ दो मिनट का समय रहा था, उस दो मिनट के समय में मेरे सवाल का जवाब नहीं आ सकता।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह क्या बात हुई। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, आप विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप मेरे पर चार्ज लगाना चाहते हो। आप सारे मिले हुए हो इन होटल वालों से, इन खान वालों से।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने प्रश्न क्यों नहीं पुकारा?

श्री सभापति: बिना आसन की अनुमति के अंकित नहीं होगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: आसन की अनुमति के बिना जो बोले हैं वह अंकित नहीं होगा। डाक्टर साहब आप विराजिए, आप भी विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री सभापति: डाक्टर साहब, विराजिए। माननीय सदस्यगण, माननीय उप सचेतक महोदय ने जो प्रश्न उठाया है कि प्रश्न पुकारा गया और खड़े नहीं हुए, वैसे आम तौर पर यह नियम है कि जब सदन में प्रश्न पुकारा जाए तो माननीय सदस्यों को खड़ा होना चाहिये।

(15.00 बजे)

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि वह क्यों खड़ा नहीं हुआ और किस कारण से नहीं हुआ और इस डिबेट का उससे कोई संबंध नहीं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, मैं खड़ा हुआ था। मैंने अध्यक्ष महोदय से यह कहा था कि +++ मात्र दो मिनट बचे हैं। उसमें मंत्री जी का भी जवाब पूरा नहीं होता।

श्री सभापति: आसन के प्रति जो भी शब्द आएं, वे लिखे नहीं जाएं। माननीय सदस्य मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रश्न के समय पुकारना चाहिए। दो घटनाएं ऐसी हुई हैं। एक बार माननीय बनवारी लाल जी की और डा. किरोड़ी लाल जी की।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, मेरी नहीं हुई। मैं यहीं पर बैठा था। मेरा नाम बुलाया था।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह मंजू बाघमार की हुई थी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरे को बुलाया था। मैंने अध्यक्ष महोदय से यह कहा था +++

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अपने दो विधायकों को आपने तारांकित सवाल के अंदर..(व्यवधान) और दोनों को गैलेरी से भगा दिया।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। यह जो सारा मामला आसन के प्रति आया है, वह अंकित नहीं हो। डा. साहब आप अब समाप्त करें। श्री गोविंद सिंह डोटासरा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय राजेंद्र राठौड़ अजबगढ़ की होटल में रुकते हैं। अब बताओ उसका अनाज कैसे होगा।

श्री सभापति: +++

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं राठौड़ साहब का प्रमाण दे दूं। ये अजबगढ़ के अमनबाग रिसोर्ट होटल में रुकते हैं। साथी कौन हैं? मैं उसका नाम नहीं बताउंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, ++++

श्री सभापति: ++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं अजबगढ़ के होटल में मेरी इस अब तक की तमाम जिंदगी में कभी रुका हूं तो आप मुझे दंडित कर देना। वर्ना किरोड़ी लाल जी की आदत बन गई, इनकी आदत में शुमार है। इन्होंने अब तक जो बात कही है, वह भी तथ्यों से परे थी। बिना मतलब आरोप लगा रहे हैं। मेरा जैसा गरीब आदमी उस होटल में रुक सकता है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): वाह भाई गरीब।

श्री सभापति: आप रुक नहीं सकते। आप रूकेंगे तो भी डाक्टर साहब वहां नहीं रुक सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, जिस झूमर बावड़ी का जिक्र इन्होंने किया है। यह स-शपथ कह दें। मेरे साथ ये उस झूमर बावड़ी में एक साथ 17 दिन एक चुनाव में रुके हैं। आज उस झूमर बावड़ी का विरोध कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं तो उसको बंद करने की कह रहा हूं।

श्री सभापति: श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वे आपके साथ 17 दिन रुके थे, इसलिए तो इधर बैठे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज..।

श्री सभापति: बाकी लोग भी सावधान रहें। इनके साथ ज्यादा बैठेंगे तो उधर ही बैठना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, आप मुझे अछूत कर दोगे। यह तो कार्यवाही से निकालो।

श्री सभापति: कुछ बातें ऐसी हैं जो इसमें नहीं लिखी जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको वहम है क्या? अभी अछूत नहीं हुए? करीब-करीब हो चुके हो, 99 परसेंट।

श्री सभापति: जो तू जाणी और मैं जाणी, इनका सदन में प्रयोग नहीं करेंगे। आप चालू करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मांग संख्या-9 वन और पर्यावरण और मांग संख्या-43 खनिज पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, कल शुक्रवार 24 तारीख को माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 रखा। 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन इन्होंने नहीं रखा, जबकि आज डिमांड पर चर्चा हो रही है, उससे पहले उसको रखना चाहिए। वार्षिक लेखे 2002 से लेकर 2015-16 तक। चूंकि वार्षिक लेखे तो 2015-16 तक ही आयेंगे, लेकिन वार्षिक प्रतिवेदन आना चाहिए था। ये एक साथ इतने सालों से रखे हैं। मैं समझता हूं यह गंभीर विषय है। आसन के द्वारा बार-बार निर्देश दिए गए हैं, कार्यवाही का कहा गया है, लेकिन आज की तारीख में भी इतने निर्देश देने के बावजूद भी 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का नहीं आया है। इसलिए मैं कार्यवाही की मांग करता हूं कि इनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, 2016-17 नहीं आया क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आसन से निर्देश मिले थे और उसी वक्त मैंने प्रमुख शासन सचिव महोदय को कह दिया था और मुझे आश्वस्त किया गया था कि सात दिन के अंदर आ जाएगा। मैं जानकारी लेकर आसन को निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: लेकिन सदन में जिस समय उस विभाग की चर्चा हो, उस साल का 2016-17 का प्रतिवेदन नहीं आना तो एक गंभीर बात है। यह तो आना चाहिए था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा, यह संज्ञान में नहीं था। मैं पूरी जानकारी लेकर कुछ ही क्षणों में निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: आगे चलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जी। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि वन के अंदर काफी बातें हुई हैं। मंत्रीजी विराजमान हैं। इन्होंने वन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन भेजा है 'राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति वर्ष 2015-16' माननीय सभापति महोदय, इसमें परिवर्तित आय-व्यय अनुमान 61138.17 लाख रुपए का और इनका 31 मार्च तक पूरे वर्ष में 56338.02 का खर्चा हुआ। जिसमें केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता 2144.1 लाख रुपए की थी और उसमें खर्चा 1440.32 लाख रुपए है। यानी 2015-16 में ये न तो परिवर्तित आय-व्यय के अनुसार बजट के हिसाब से खर्चा पूरा कर सके और जो केंद्र से सहायता मिली, 2144.1 के मुकाबले 1440.32 ही खर्च कर पाए।

माननीय सभापति महोदय, 2016-17 की स्थिति ले लीजिए, 31 दिसम्बर तक का है। इनका बजट 52401.983 रुपए था। मैं राजस्थान योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति बता रहा हूं। इन्होंने केवल मात्र 19088.21 खर्च किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यह आरोप लगाया था कि प्रदूषण मंडल का 2015-16 का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री सभापति: 2015-16 नहीं, 2016-17 का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये 2016-17 की बात कर रहे हैं तो 2016-17 का मार्च खतम होने के बाद..। चूंकि यह मंडल है। सरकार का प्रतिवेदन तो आता है। सरकार का विभाग नहीं है। यह प्रदूषण मंडल है। इंडिपेंडेंट है। सभापति महोदय, आप देख लें। हमेशा मंडलों का करंट ईयर समाप्त होने के बाद और सब चीजों का समावेश करने के बाद आता है। शायद यह आपकी जानकारी में नहीं है। आपने खुद ने देखा नहीं होगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था और मंत्री महोदय ने क्षमा याचना के साथ कहा था।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दूसरा, जो 2016-17 में, राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति है, वह मैं निवेदन कर रहा था। इनका कुल 52401.938 लाख रुपए और इन्होंने 31 दिसम्बर तक 19088.21 रुपए खर्च किए। इसमें केंद्र से जो पैसा मिला, वह 2603.62 लाख रुपए मिला और इन्होंने अब 110.97 लाख रुपए खर्च किया। यह इनकी परफोर्मेंस है। अब इसमें भी जो कैम्पा वृक्षारोपण है वह 9500 लाख का प्रावधान है। आपने 234.11 लाख रुपए किया। रणथम्भौर बाघ सुरक्षा फाउंडेशन में आपके बजट का प्रावधान 2 हजार लाख रुपए था, आपने 'जीरो' खर्च किया। आपकी राज्य वन क्षेत्र संरक्षण समिति में 555 लाख रुपए का प्रावधान था, आपने 'जीरो' खर्च किया। जैविक उद्यान, बीकानेर में आपका प्रावधान 300 लाख रुपए था, आपने 'जीरो' खर्च किया। वन-धन योजना में आपका प्रावधान 500 लाख रुपए था, आपने 62.03 लाख रुपए खर्च किया। मुकन्दरा नेशनल पार्क जिसकी बहुत चर्चाएं होती रहती हैं, 410.00 लाख का प्रावधान था, आपने केवल मात्र 43.71 लाख रुपए खर्च किए। इसमें जो केंद्र से सहायता मिली, वह 215.00 लाख रुपए मिली। आप समझिए, प्रावधान 410 लाख रुपए, केंद्र से मिल रहे हैं 215 लाख रुपए और ये 43.71 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। टाइगर सफारी आमली में आपका प्रावधान 300.01 लाख रुपए था, आपने 'जीरो' खर्च किया। अब आप कहां पर खड़े हैं? किस प्रकार की व्यवस्था आप करना चाह रहे हैं? मुकन्दरा नेशनल पार्क में, 2015-16 में, मैं कहना चाहूंगा। आपके बजट का प्रावधान 129.18 लाख रुपए था, आपने 87.05 लाख रुपए का खर्चा किया। अब आप रणथम्भौर बाघ सुरक्षा फाउण्डेशन, आई.ई.बी.आर. में 2015-16 में परिवर्तित आय-व्यय अनुमान 1 हजार लाख रुपए और आपने केलव 99.34 लाख रुपए खर्चा किया। यह आपकी स्थिति है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी बजट घोषणा थी राज्य एवं पर्यावरण हित में पीपीपी मोड पर वनों के संरक्षण नीति का निर्धारण

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करना। कर दिया क्या पीपीपी मोड के ऊपर, पर्यावरण हित में कुछ कर दिया क्या, आपने कुछ किया हो तो आप बता दीजिए? कुछ नहीं कर पाए।

श्री सभापति: डा. साहब भाषण सुनकर जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने बजट घोषणा 2015-16 में, यह बीमार थे इसीलिए परमीशन मिली थी, जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं।

श्री सभापति: चलो ठीक है, इनकी परमीशन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने बजट में घोषणा की थी कि बढ़ते हुए पर्यटन दबाव के दृष्टिगत रणथम्भोर टाइगर रिजर्व व बम्पर क्षेत्र आमली वन खण्ड़ में एक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी, आज तक नहीं की। इनसे पहले जो मंत्री राजकुमार रिणवां जी थे उन्होंने खुले रूप से स्वीकार किया था कि किसी भी सूरत में हम नहीं देंगे। इसको निजी पीपीपी मोड़ पर नहीं देना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय थी। उसके बावजूद भी, इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आपको स्वीकृति नहीं दी गई है। आपको खुद करना है, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके बजट घोषणा में था रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुंकदरा स्थित टाइगर रिजर्व के बीच स्थित गांवों के निवासियों को वर्तमान में प्रचलित पुनर्वास पैकेज की समस्या है उसे तर्कसंगत बनाएंगे। आज की तारीख तक कुछ नहीं किया। 19.5.2016 को बैठक जरूर की है, लेकिन आज तक किसी तरह का आपने कोई काम नहीं किया है।

(15.11 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने बजट में घोषणा की थी 15.02 घोषणा क्रमांक में, वन औषधि के लिए वन भूमि का पट्टा दिया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि यह संभव ही नहीं है, नियमों में प्रावधान नहीं है। तो फिर बजट में आपने इस तरह का प्रावधान क्यों किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार से जंगलों को पीपीपी मोड पर विदेशी कम्पनियों को दिया जा रहा है यह इतना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बवंडर है कि मैं समझता हूं मंत्रीजी अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, क्या दबाव है, क्या नहीं है, मैं नहीं समझ सकता। माननीय मंत्री महोदय, इस प्रकार से वनों को आप विदेशी कम्पनियों को सौंपना बंद करो, यह ठीक नहीं है।

पहले भी चर्चा आई थी कि अफ्रीकी कम्पनी वहां पर खुद डीपीआर बना रही है। पता नहीं किस एमओयू के तहत आप क्या करने जा रहे हैं, इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एनटीसीए की अनुमति के बिना रणथम्भौर को निजी हाथों का प्रस्ताव आप नहीं सौंप सकते हो। इसलिए आपको इसमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। कम से कम वन को तो छोड़ दीजिए, बाकी तो आपकी मर्जी है।

मंजूरी के बिना रणथम्भौर में करोड़ों रुपये खर्च किए। मंत्री कुछ नहीं कर सके। जिस प्रकार से आपने आमली सफारी का यह फैसला किया है, मैं समझता हूं वह ठीक नहीं है। आपके मंत्री भी पहले कह चुके हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, यह अफसर कहां कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन मेरे निजी विचार में आपसे पहले वाले मंत्रीजी कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था। इसलिए इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा।

सरिस्का का डा. किराड़ी लाल जी ने जिस प्रकार से कहा है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, दो-तीन सुझाव वन में देना चाहूंगा। वनों में वन भूमि पर काफी जगह अतिक्रमण है, लोग बरसों से वहां बसे हुए हैं। उनको कभी कोई बिजली नहीं दे रहा है, कभी कोई स्वच्छता के तहत शौचालय बना रहा है उसमें दिक्कत कर रहे है, कहीं शहर में पोर्शन आ गया तो उसमें सड़कें नहीं बनाने दे रहे हैं, कभी नाली नहीं बनाने दे रहे हैं। हज़ारों, लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश में लोग बीस-बीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस, पचास-पचास साल से रह रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी और सरकार को सुझाव है कि कोई डायवर्जन का प्रस्ताव बनाकर, जो शहर में आ गया या, तीस, चालीस, पचास साल से, आप कोई कट आफ डेट निर्धारित कर दीजिए। अगर वहां पर उन लोगों को डायवर्जन के माध्यम से दूसरी जमीन देकर वन विभाग को, उस भूमि को सरकार लेकर, सरकारी भूमि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
घोषित करके लोगों को लाभ दिया जा सकता है। आजादी के बाद 60 साल हो गए। मानवीय दृष्टिकोण से हम उनको उखाड़ भी नहीं सकते। बिजली नहीं, पानी नहीं, शौचालय नहीं, हम उनको यह सुविधाएं भी नहीं दे सकते, मैं समझता हूं कि इसको भी आपको देखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माइनिंग का भी मामला है। एक मेरी समझ में नहीं आया, मैं देख रहा था। आपके खान एवं भू विभाग राजस्थान का प्रगति प्रतिवेदन है उसमें आपने खनिज राजस्व 2016-17 का 4 हजार करोड़ रुपये बताया। आपके राजस्व की प्राप्ति केवल 2748.69 करोड़ रुपये हुई है। यह पहले 5200 रुपये का प्रावधान राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 5200 के अगेन्स्ट में आप 2748.69 करोड़ रुपये कलेक्शन कर रहे हो। सबसे ज्यादा राजस्व इसी डिपार्टमेंट से आना चाहिए था। माइनिंग से ही आना चाहिए था। खनिज से भी आना चाहिए था। आप इसको आधा करके भी पूरा नहीं कर सके, चार हजार करोड़ करके भी। तो मैं समझता हूं, यहां इतनी चर्चाएं होती है, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन अवैध माइनिंग दुनिया भर की हो रही है, आप कहीं भी देख लीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें अलवर की तरफ जाने का मौका मिला था। अलवर में, देवटा में, पता नहीं कहां-कहां, कितनी जगह पर, अवैध माइनिंग चल रहा था। इतना अवैध माइनिंग, सारे प्रभावशाली लोग लगे हुए हैं। जब इस तरह की व्यवस्था है और आपका राजस्व तय करने के बावजूद भी आप घटा रहे हो और घटाकर भी पूरा नहीं कर रहे हो तो यह किसी न किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी माननीय मंत्री महोदय?

मंत्री महोदय सज्जन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रभारी रहे हैं। जब मैं प्रधान था तब भी प्रभारी रहे, इसलिए मैं इनसे मित्रता निभाऊंगा। लेकिन मैं जनता के विश्वास पर जीत कर आया हूं, जनता के मुद्दों को भी रखूंगा, इस डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं वह भी मैं बताना चाहूंगा।

एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कहां से कैसे आ गई। आपने कहा अवैध खनन की, 180 एफआईआर कराई। यह 2014-15 में 631 थी, 2015-16 में 471, 2016-17 में 480 थी। यह एफआईआर तो बता दी लेकिन इसमें से कितनों में चालान हुआ यह बात बताना जरूरी थी। इनमें करीब-करीब 80-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

90 परसेंट में एफआईआर लग गई। आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्यों ऐसी एफआईआर दर्ज कराता है, फिर उसमें एफआर लगती है। आपकी करने की इच्छा है या नहीं है, यह भी बताने का कष्ट करें।

दूसरा, एक और निवेदन करना चाहता हूं। इनको 6 हजार लाख रुपये सड़कों के लिए मिले। 2016-17 में निर्माण के लिए एन्वायर्नमेंट एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के माध्यम से 6 हजार लाख रुपये इनको मिले। इन्होंने खर्च नहीं किए। इन्होंने सम्पर्क सड़क निर्माण में भी 2015-16 में केवल 530.71 लाख रुपये व्यय किए। 2016-17 में भी 778.17 लाख रुपये। आप कहां माइनिंग में सड़क बना रहे हैं, कहां आप अवैध माइनिंग रोक रहे हैं? मैं समझता हूं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी क्या वजह आ गई कि आप यह चीज नहीं कर पा रहे हैं मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा एक और विषय मेरे ध्यान में आया है। आपने आर्थिक समीक्षा में यह लिखा है कि प्रधान खनिज 156, अप्रधान खनिज 15318, क्वेरी लाइसैंस 18103, यह दो आंकड़े तो आर्थिक समीक्षा में और निष्पादन आय व्यय वर्ष 2017-18 जो डिपार्टमेंट का है, इसमें मिल रहे हैं लेकिन एक आंकड़ा प्रधान खनिज इसमें 167 खनन पट्टे बताए, आर्थिक समीक्षा में आप 156 बता रहे हो। तो आपकी कौनसी बात सही है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माइनिंग पालिसी 2015 में सरकार लेकर आई। हमने सोचा कुछ अच्छा किया है, माइनिंग का काम सुधरेगा, राजस्व कलेक्शन होगा और होगा तो प्रदेश में विकास होगा। इन्होंने 2015-16 में कहा था कि विभाग की रसायनिक प्रयोगशाला का नवीनीकरण और आधुनीकरण किया जाएगा। एक कहा था, लाभ हानि रहित स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। नहीं हुआ। और प्रभावी क्वारी लाइसेंस एवं खनन पट्टों से लगती हुई सरकारी खातेदारी भूमि को उसमें जोड़ा जायेगा, नहीं जोड़ पाये, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन का गठन किया जायेगा, खनन से प्रभावित खनिज क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित के संरक्षण के लिये, ये नहीं कर पाये और खनिज क्षेत्रों, खनिज उपलब्धता की मात्रा आदि दर्शाते हुए मिनरल डाइरेक्टरी का प्रकाशन किया जायेगा, यह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अभी तक नहीं कर पाये। इसी दौरान ये 2017 में एक नई संशोधित माइनिंग पॉलिसी ले करके आ गये। उसमें एक बहुत बड़ी बात यह लेकर आये हैं कि जो 657 एल.ओ.आई. जारी किये थे, उनको खनिज नीति से छूट दे दी गई। यानी जो खान घोटाला हुआ था, जिसकी चर्चा बार-बार सदन में हुई। महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक भी गये। सब चीजें हुईं। उसके बावजूद भी मंत्रिमण्डल ने निर्णय करके, पता नहीं किसके प्रभाव में आकर क्यों किया। राज्य की जनता के साथ में क्यों बार-बार खिलवाड़ कर रहे हैं कि वह 657 एल.ओ.आई. वे यह कह रहे हैं कि यह केन्द्र ने जिन 31 मेजर मिनरल्स को माइन में डाला उस आदेश से, केन्द्र ने डाला, उससे पहले हमने एल.ओ.आई. जारी किया था, इसलिये हम तो इसी को मानेंगे। जबकि बाकी के लिये कह रहे हैं कि नीलाम करेंगे, ई-टेंडरिंग करेंगे, जो भी करेंगे। मैं समझता हूं, वह बात है। दूसरा, इन्होंने इस माइनिंग पॉलिसी में किया है कि जिनकी खातेदारी की जमीन है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): कहां, माना कब?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको पता नहीं है। मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): हां, बोलने दीजिये। जवाब देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, हां, आप बोलना, आराम से बोलना।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन खातेदारों को जो पट्टे दिये जाते थे, उसमें इस पॉलिसी में यह डाला है कि उनको प्राथमिकता देंगे या उनकी एन.ओ.सी. होगी, लेकिन उनको भी नीलाम करेंगे। यह बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं समझता हूं, यह न्याय नहीं है, अन्याय है। जिन खातेदारों की भूमि को आप नीलाम करेंगे उनको पहले कह रहे हो कि आप पहले आपको दे देंगे। तो इतना पैसा उसके पास होगा कि नहीं होगा। वह कैसे नीलामी में भाग ले पायेगा। मैं समझता हूं कि उसको वह अनुमति नहीं देगा तो आप किस तरह से उनको नीलाम करोगे। यह, कम से कम, जिन खातेदारों की खातेदारी भूमि है, उनको तो इनको देना चाहिये था। वह भी इन्होंने नहीं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
दिया है। यह ठीक नहीं है। ये जो पॉलिसी लाये हैं, देरी से लाये लेकिन फिर भी दुरुस्त नहीं लाये।

अवैध खनन बिजौलिया का ले लो, देवटा का ले लो, अलवर का ले लो, मोहनदास का ले लो, नीम का थाना-सीकर का ले लो। पता नहीं, कितने अवैध खनन हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इनके कान में जूँ भी नहीं रेंगती। बिलकुल एकदम मिलीभगत का खेल है। इतना नहीं होना चाहिये। हम सब ट्रस्टी हैं। माननीय मंत्री महोदय, न आप मालिक हैं, न हम मालिक हैं, न पहले हम रहे, न आप रहेंगे। हम सब इस जनता के ट्रस्टी हैं, जनता ने उनके हित के लिये हमें चुन करके भेजा है। इसलिये हमारा पहला धर्म यह होना चाहिये कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हों और जनता के एक-एक पैसे का, उसकी प्रापर्टी का, स्टेट की प्रापर्टी का पूरा का पूरा हम किस प्रकार से संरक्षण करें, यह हमारे ध्येय में रहना चाहिये। लेकिन न कोई सुनने वाला है, न कोई कहने वाला है। पता नहीं, कब करेंगे, कब नहीं करेंगे। साढ़े तीन साल से तो हम यही सुन रहे हैं। इसके अलावा कुछ सुन नहीं रहे हैं।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में पर्यावरण की भंयकर समस्या है। आज फैक्टरियों से जो दूषित जल आता है, चाहे उसकी बात को ले लीजिये, चाहे ईंट भट्टों से जो चिमनियां निकलती हैं, उसकी बात ले लीजिये। चाहे जितने व्हीकल हैं, वे अनफिट हैं, उसके बावजूद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। न उनकी किसी तरह की कोई जांच है, न कोई और है। सारा का सारा इतना प्रदूषण का माहौल हो गया कि मैं समझता हूं कि आप देख सकते हो कि जो लोग ट्रैफिक में बैठे हैं जहां ड्यूटी होती है, वे पूरा अपना चेहरा ढक कर अपनी नौकरी करते हैं। अगर वे चेहरा नहीं ढकें तो वे नौकरी नहीं कर सकते। आज सिलिकोसिस की जो बीमारी थी, यह अवैध माइनिंग वाले इतनी ब्लास्टिंग करते हैं कि मैं समझता हूं आस-पड़ोस में रहना ही दूभर है। मुझे पता नहीं, कैसा है, क्या है, मैं कोई व्यक्तिगत नहीं, यहां तक कहा जाता है कि कहें कि मैं रात को ब्लास्टिंग कर लूं, तो कहते हैं कि तू दिन में कर ले, हमारी बंधी दे-दे, बस। इसके अलावा हमारा कोई लेना-देना नहीं है। मैं न तो किसी अफसर पर व्यक्तिगत लगा रहा हूं, न किसी पर लगा रहा हूं। यह कब रुकेगा। इसको रोकने के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लिये कौन जिम्मेदार है, मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। बस कोटा फिक्स कर लिया। कोटा फिक्स करने से, मैं आप पर थोड़े ही लगा रहा हूं। आपकी तो माइनिंग है ही नहीं, मुझे पता है। माइनिंग होती तो आप भी कालूलालजी की तरह मोटे हो जाते। आप तो पतले बैठे हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपने मुख्य सचेतक पर। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): उनके माइनिंग हैं ही नहीं अब तो। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, हैं, उनके खान है साहब। खान है, साहब। यह सही है।

श्री हीरालाल (निवाई): कांग्रेस सरकार के टाइम में खानें बंट गईं, अब कहां हैं खानें?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उनके खान है, वे स्वीकार कर चुके। खान है तो खान से मोटा हो सकता है, लेकिन इनके तो खान ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रकार का कोई एलिगेशन अंकित नहीं होगा।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय डोटासराजी, सब खानें तो कांग्रेस के टाइम पर बांट लीं आप लोगों ने। अब तो बची ही कहां हैं खानें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह कर मैं बड़ी शालीनता से, क्योंकि ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक बात के अन्दर वह जोधपुर वाला खान घोटाला बता दो ना। जोधपुर में एक ही परिवार के 16 लोगों को रातों-रात खानें, वह बता दो, ठीक रहेगा, सदन को मालूम पड़ जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे निर्देश दिये थे कि आपको बड़ी शालीनता से पेश आना है। क्योंकि मुझे जैसा ज्ञात हुआ चारों तरफ से कि बैस्ट माननीय सदस्य का अवार्ड भी इस साल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कोई उद्घोषित होने वाला है तो मैं वह लेने की चेष्टा कर रहा हूं और आप मेरे को जबरदस्ती ट्रेक से उतारने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: उसमें तो संसदीय कार्य मंत्री की अनुशंसा बहुत पड़ेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मुझे ट्रेक से उतारने की चेष्टा कर रहे हो, मैं उतरुंगा नहीं। क्योंकि मुझे जनहित के मुद्दे से मतलब है। न मेरा कोई अवैध बजरी खनन से लेना-देना है, न माइनिंग से है। मैंने कभी एप्लाई नहीं किया, मेरे परिवार ने नहीं किया। जब तक राजनीति में हूं तब तक करुंगा भी नहीं। क्योंकि देखिये, कहीं न कहीं अपने को सोचना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...कब, छोड़ूंगा थोड़ी तो, 85 साल तो बन ही रहा हूं। फिर देखूंगा। कहीं न कहीं हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से करें।

एक दूसरा मैं निवेदन कर रहा था, केवल रिफाइनरी का। रिफाइनरी के बारे में बहुत बातें हुईं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा कि रिफाइनरी खोलेंगे। घाटे का सौदा कर रहे हो, ठीक कर देंगे। इसको लाएगे, जरूर लाएगे। हम इससे बात कर रहे हैं, अडाणी से कर रहे हैं, पता नहीं अम्बानी से कर रहे हैं, किससे भी की होगी। लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। रिजल्ट नहीं आया। जब हम प्रश्न लगा कर थक गये, और ये कह रहे हैं, हां एम.ओ.यू. हुआ था, 14.03.2013 को एम.ओ.यू. हुआ था, 40 हजार करोड़ का निवेश सम्भावित था। यह प्रदेश के हित में भी है। जी हां, हम लगाने का विचार कर रहे हैं। आज तक लगाई क्या। ये नहीं लगाने वाले। माइनिंग में जिस प्रकार का, उपाध्यक्ष महोदय, घोटाला इस सरकार ने किया, मैं समझता हूं कि हमारा राजस्व भी घट गया, हमारी इमेज भी पूरे देश में घट गई और मैं समझता हूं कि अगर कभी कोई काला इतिहास लिखा जायेगा इस राजस्थान में कि 2013 से 2018 के बीच में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, अगर इसकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि बताइये तो यह माइनिंग घोटाला एक अड़चन आयेगी। इसलिये कहीं रिफाइनरी नहीं, जो अवैध माइनिंग है उसको रोक नहीं रहे।

मैं मेरी एक बात कह कर समाप्त करूंगा कि हम अलवर गये थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी.ए.सी. कमेटी की तरफ से। एक इश्यू वहां था कि वन विभाग की भूमि में कोई अवैध खनन करता है तो वहां पर वह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

वाहन जब्त कर लेते हैं। वाहन जब्त करने के बाद में अलवर जिले का ऐसा कोई थाना, या कोई रोड, या कोई खाली भू-खण्ड नहीं है, जहां पर वे अवैध व्हीकल्स नहीं पड़े हों। दुनिया भर के ट्रक पड़े हैं, ट्रैक्टर पड़े हैं। हमने वहां भी कहा था, यहां भी इस हाऊस में भी हमने कहा था कि उनका डिस्पोजल कीजिये। लेकिन आज तक नहीं किया। क्या कहा गया कि जो अधिकारी अपील सुनता है, उस अधिकारी की कमी है। साढ़े तीन साल तो हो गये, राठौड़ साहब, कब तो वह अधिकारी लगाओगे? हम पर अवैध माइनिंग कराने के असत्य एल्लिगेशंस लगाते थे, वह आपके ऊपर बराबर लग रहे हैं, वे कब दूर करेंगे? राजस्व कलेक्शन जो आपका पिछड़ता जा रहा है, डे-बाई-डे, आप गर्त में जा रहे हो, उसको कब उबारोगे? यह जो प्रदूषण की समस्या है, मैं समझता हूं, आज की नहीं है, लेकिन जो इतने वर्षों की समस्या है, आपने सवा तीन साल में क्या किया, यह तो बता दो। कुछ भी नहीं कर पाये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): किया है, बताएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सीधे आदमी हैं, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आप होते तो एक बात अलग होती। मैं भी अलग हिसाब से बोलता और आप भी अलग हिसाब से जवाब देते। लेकिन निश्चित रूप से हम सबका धर्म है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे जो प्राकृतिक सम्पदा है, जो माइनिंग सबसे ज्यादा राजस्थान में है, जो मिनरल हैं उनका सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा हो। प्रदूषण के अन्दर कमी आये और जिस प्रकार से वन क्षेत्र है, आप मंत्री महोदय, किसी दूसरे के हाथों में खेलने की जरूरत नहीं है आपको आप बोल्ड-स्टैप लीजिए और कीजिए कि कोई अफ्रीकी कम्पनी हो या चाहे कहीं की भी, हम उसको नहीं देंगे वन, हमारा क्षेत्र नहीं देंगे, यह आपका धर्म बनता है, आपका दायित्व बनता है वर्ना पता नहीं, हरियाणा में कई नेता जेल में बैठे हैं। हमें अफसोस करने के लिए जाना पड़े कि अपने में से कोई इस प्रकार के कुकृत्य करते हुए जेल में जाए तो हमें अफसोस होगा क्योंकि सदन की गरिमा को भी हमें ध्यान में रखना है।

इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करें, आपने समय दिया है, इसके लिए तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं लेकिन निश्चित रूप से हम सब मिलकर अच्छी सोच के साथ में अगर इस माइनिंग पॉलिसी को, मैं यह निवेदन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करना चाहता हूं कि आप संशोधन कीजिए मंत्रीजी, दुबारा सबसे चर्चा कीजिए। आप एम.एल.ए. से चर्चा करते नहीं। अधिकारी नैट से उठाते हैं दूसरे प्रदेश में बनी हुई का और उसमें राजस्थान लिख देते हैं महाराष्ट्र की जगह, नीचे तारीख बदल देते हैं, आपसे ठप्पा लगवा लेते हैं, इतना कौन, सारे पढ़े-लिखे लोग हैं। कोई एलएल.बी. है, कोई एलएल.एम. है, कोई डाक्टर है, पता नहीं और फील्ड से इनके पास में नॉलेज बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम लोगों को क्यों नहीं पूछते आप जब माइनिंग पॉलिसी में? नेट में डाल देते हो, अब वह माननीय सदस्य कह रहे थे कि अंग्रेजी में डालते हैं और अंग्रेजी में आधों के समझ में आए और आधों के नहीं आए तो निश्चित रूप से यह माइनिंग पॉलिसी जो आई है, पहले वाली में भी आपने कोई काम नहीं किया और जो दुबारा आई है, उसमें जो निजी खातेदारों वाली बात है, वह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करके संशोधन किया जाए और खातेदार को अधिकार मिलना चाहिए। उसको नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखना चाहिए इसलिए किसान बचा रहेगा नहीं तो किसान का सब कुछ लुटा लोगे। यह बड़े उद्योगपति या बड़े भूमाफिया, बजरी माफिया या खनन माफिया आएंगे, खातेदार को बहला-फुसला कर उसकी एन.ओ.सी. टिकाएंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध करके चले जाएंगे, यह ठीक नहीं होगा। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या- 9- वन एवं पर्यावरण, मांग संख्या-43- खनिज पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आभार तो मुख्य मंत्रीजी का करो, मंत्री होते तो नहीं बोलते।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अभी इस समय आपने दिया है। प्रकृति ने जल, जंगल और जमीन देकर मानव को जीवन यापन करने का एक आधार प्रदान किया और इसी के तहत हमारे राजस्थान में नदियां जो बारहमासी नहीं होकर सीजनल बरसाती नदियां हैं और उनके कारण से हमें मानसून भी कई बार प्रदेश में आता है तो दस में से सात बार तो वह फेल हो जाता है

(श्री अर्जुन लाल)

और इसकी वजह से प्रदेश की संपन्नता में भी कमी आती है। प्रदेश में संपन्नता का मूल आधार भी कृषि है।

इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश को अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाने के लिए हमें धरती माता ने उपहार के रूप में खनिज दिया है। इस खनिज के लिए कई ऐसे प्रचुर मात्रा में अमूल्य अप्रधान और प्रधान खनिज हमें प्राप्त हुए हैं, उनका एक्सप्लोरेशन करके, उनका खनन करके देश को आगे बढ़ाने में यह खनिज हमें गति प्रदान करते हैं तो इसके लिए जितने भी यह सारे प्रधान, अप्रधान खनिज हैं, उनका दोहन करके प्रदेश को नम्बर एक पायदान पर लाने का प्रयास हो रहा है लेकिन फिर भी हमारे ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण हम उनका दोहन पूरा नहीं कर पाते। कई जगह पर अवैध खनन हो रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास विभाग करता है, फिर भी ऐसे कई अवसर प्रदान हो जाते हैं कि जो बड़े अवैध खनन करने वाले होते हैं, वह पकड़ में नहीं आते हैं।

प्रकृति माता ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अवसर प्रदान किया लेकिन सरकार के एन.जी.टी. और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों से कई बार हमारे यह खनन से हम उत्पादन करने में सक्षम नहीं रहे तथा इसके कारण कई महीनों तक हमारी यह खानें बंद रहीं। तो, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन करूंगा कि इस खनन नीति में आप ऐसे ठोस उपाय उसमें कराएं ताकि समय पर प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में गति बनाई जा सके।

हमारे पश्चिमी राजस्थान में तेल एवं प्राकृतिक गैस भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। जिसके कारण बाड़मेर में मंगला, विजया, बायतू आदि क्षेत्रों में काफी मात्रा में हमें तेल और गैस उपलब्ध हो रही है तो इससे प्रदेश का नाम और ऑयल उत्पादन करने में अग्रणी रहेगा इसके अलावा विशेष तौर से मेरे क्षेत्र के लिए जो मैंने मेरी मांग रखी है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो खनिज मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि मेरे क्षेत्र में अभी माननीय सदस्य डोटासराजी ने जैसे बात कही थी कि खातेदारी की जो जमीन है और वहां पर सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा में होने के कारण सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए उन्होंने उस जमीन को आरक्षित कर दिया था। कई

(श्री अर्जुन लाल)

ब्लॉक्स में आरक्षित कर दिया था तो उसमें जो मेरे गांव है, सम्बाडिया झाक, मुरकासनी, भागासनी के आस-पास क्षेत्र की सरकारी और खातेदारी की जमीन है। उसमें उन ब्लॉक में उस जमीन को आरक्षित कर दी। अब वह काश्तकार वहां पर अपने खेत की चारदीवारी के लिए भी यदि वह ऊपर का पत्थर भी लेकर काम में लेते हैं तो उनको लेने नहीं देते हैं तो उन काश्तकारों के खेत की चारदीवारी के लिए तो कम से कम उनको छूट दी जाए और मैं तो निश्चित रूप से यह चाहूंगा कि जो आरक्षित ब्लॉक किये हैं उनको निरस्त करके खातेदार जो किसान हैं, उनके खेत में यदि वह सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन निकलता है तो उनको खनन पट्टे जारी करवाने के लिए आप कोई न कोई ऐसी कार्यवाही करायें, अपनी नीति में इसको शामिल करें।

इसके साथ मेरे क्षेत्र में एक लूणी नदी निकलती है हालांकि वहां पर बजरी भी है, वह नमक से लगी हुई है इसलिए उसका नाम भी लूणी है लेकिन फिर भी वहां पर इतना अवैध बजरी का खनन हो रहा है कि वहां पर आस-पास की जो उनके नदी के तट पर इस तक कि श्मशान और जो गोचर भूमियां हैं, उनमें भी खोद कर ले गये। श्मशान तक को खोद कर ले गये। मैंने कई दफा माइनिंग विभाग के अधिकारियों से बात की तो वह रवाना होते हैं तो उनके रवाना होने से पहले, यहां पुलिस थाने से पुलिस रवाना होती है तो उनके अंदर से कोई उनका कर्मचारी आगे टेलीफोन कर देता है, ऐसी स्थिति हो जाती है तो यह मेरे दो गांव हैं चौढ़ा और बेनन, उनके अंदर जो अवैध खनन हो रहा है, उसको तत्काल रुकवाया जाए।

तीसरा, मेरे उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा बजरी, लाइम-स्टोन, सैंड-स्टोन, रियोलाइट, जिप्सम मिलने का एक सोर्स है और वहां पर प्रचुर मात्रा में मिलता है तो कम से कम बिलाड़ा के अंदर खनि अभियंता, सहायक अभियंता का आप कार्यालय स्थापित करवाए। प्रचुर मात्रा में खनन हो रहा है, उसके बाद भी जो एक पूरा बैल्ट है, लाइम स्टोन, गोटन से लगाकर बरनाटबड़ा तक, उसमें माइनिंग विभाग को बहुत सारी रॉयल्टी भी मिल रही है लेकिन वहां पर सड़क जो पूरे एक बैल्ट पर निकलती है जो 20 किलोमीटर का बैल्ट है, उसमें यदि सड़क का निर्माण कर दिया जाए, माइनिंग की रॉयल्टी से या माइनिंग विभाग की तरफ से तो निश्चित रूप से

(श्री अर्जुन लाल)

वह खनन, जो खनिज मिल रहा है, उस खनिज से विभाग का भी नाम होगा और उसमें हमारे क्षेत्र में जो दूसरी सड़कें हैं, जिन रास्तों से वह निकल कर आते हैं, वह टूटती है, उन पर भी रुकावट हो जाएगी। यह आपके यहां से जो रॉयल्टी मिल रही है इस रॉयल्टी का जो जिस गांव के क्षेत्राधिकार से, जिस ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से जो रॉयल्टी मिल रही है, उनको जो पहले निर्धारित था दो परसेंट, रॉयल्टी का दो परसेंट उन पंचायतों को देने का लेकिन हमारे उस क्षेत्र में अभी तक माइनिंग विभाग ने वह पैसा जारी नहीं किया है।

तो कम से कम उस रायल्टी का निश्चित दर से पैसा जमा हुआ है, वह उन संबंधित पंचायतों को दिलाए तो वह पंचायतें भी कम से कम उनके कच्चे रास्ते तोड़ रहे हैं, उनके वहां से निकालने वाले रास्ते टूट रहे हैं तो उनकी मरम्मत भी वह उस पैसे से करा सकती हैं।

इसके अलावा वहां पर जो गार्ड हैं, वह खनन क्षेत्र में नहीं रहते हैं। अचानक कभी-कभार महीने भर में एक बार छापा मारते हैं, उनको यदि वहां पर बिठा दे, उनकी चौकी बनाकर बिठा दें, तो यह जो अवैध खनन हो रहा है, वह रूक जाएगा। इसके अलावा वन विभाग से भी, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको भी कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में छोटे-मोटे जो तालाब हैं, उन तालाबों के अंदर बरसात में मिट्टी जमा हो जाती है, वापस उस मिट्टी को कुम्हार लोग अपने बर्तन बनाने के लिये उस मिट्टी को काम में लेते हैं, तो उस समय जब वह उसके अंदर से मिट्टी खोदकर लाते हैं तो पर्यावरण विभाग उन लोगों को पकड़ लेता है, क्योंकि वह बर्तन बनाते हैं, हमारे उधर न्याव कहते हैं, यहां कंजावा कहते हैं शायद, तो कुम्हार कितने से बर्तन बनाते हैं, उसके लिये भी वह कहते हैं पर्यावरण विभाग से सर्टिफिकेट लेकर आओ। ऐसे जो लघु उद्योग हैं, जो अपना जीवन-यापन कर रहे हैं तो उनके लिये तो कम से कम इनको जो यह शर्त है, इस शर्त को हटाया जाए।

अभी हाल ही में गत बजट के पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर मेरे बिलाड़ा के अंदर रेस्क्यू सेंटर खोलने का कहा था, वह रेस्क्यू सेंटर अभी तक नहीं खुला है। मेरा आपसे आग्रह है कि गत अभिभाषण में

(श्री अर्जुन लाल)

उन्होंने कहा था, अब की बार भी आपने इस बजट में भी लिखा है लेकिन वहां रेस्क्यू सेंटर अभी तक नहीं बना है। वहां पर जो वन्य जीव घायल हो जाते हैं या ऐसे कई पशु-पक्षी हैं उनका इलाज वहां पर हो पाएगा।

इसके अलावा यह जो वन भूमि है, मेरे क्षेत्र में कई गांव हैं जहां पर करीब-करीब दो-चार हजार हैक्टेयर भूमि वन विभाग की है। वहां पर अलग अलग गांवों में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। इवन वहां पर वन विभाग की एक चौकी है, उसके ऊपर भी उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे ग्राम पंचायत पिचियाक, बोरूंदा, हरियाडा, पडासला कलां, मालकोसनी, सिंधपुरा में जो वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, उसको तुरन्त प्रभाव से हटाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे क्षेत्र में ही यह स्थिति है कि सड़कों के किनारे यह विलायती बबूल इतने बढ़ गये हैं कि आवागमन में ट्रैफिक की बड़ी परेशानी होती है तो चाहे पी.डब्ल्यू.डी. हो, या पंचायत हो, उसको कटवाने का प्रयास करती है तो वन विभाग ने उसको भी रोक रखा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे एक पेड़ की श्रेणी में आता है। जो भी विलायती बबूल है, वह छह इंच की उसकी लम्बाई है तो उसको पेड़ मान लेते हैं और उसको काटने नहीं देते हैं और उसकी वजह से साइड में उसके पास झाड़ी और उग जाती है तो न तो उनको काटने देता है, न उस बबूल को काटने देते हैं। विलायती बबूल को काटने के लिये पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट आदेश दे देते हैं कि आप यहां से जंगल काट दो, तो जब वह कोयला बनाते हैं तो कोयला बनाते वक्त उनके ऊपर ऐसी कार्यवाही करते हैं कि बेचारे कई दिन विभाग के आगे-पीछे वह घूमते रहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो विलायती बबूल है, इसे यदि वन विभाग के किसी पेड़ की श्रेणी में लेते हैं तो इससे उसको मुक्त किया जाए, ताकि आवागमन में ट्रैफिक को कम से कम इसका फायदा मिल सके। अभी मेरे क्षेत्र के अंदर करीब 200 किलोमीटर के पास कोई अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में 10 दिन पहले हमारे वहां एक तेंदुआ आ गया। वह एक ढाणी के अंदर घुस गया और सौंफ की खेती के अंदर घुस गया। वह बाहर से दिखता नहीं था, तो उसको ढूंढ़ने के लिये वन विभाग ने चार दिन लगाये, आखिर वह पकड़ में तो आ गया

(श्री अर्जुन लाल)

लेकिन वह जो सौंफ की फसल थी, तेंदुए को निकलाने के लिये वन विभाग के कर्मचारी-अधिकारी गये थे, अपने व्हिकल से अंदर घुसे तो वह सौंफ की सारी खेती खराब हो गयी। इस तरह से कई जगह उनको जो भी फसल का नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिये आप ऐसी कोई व्यवस्था करें, ताकि कई किसानों को उसका फायदा मिल सके।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में जो वन विभाग के गार्ड है, उनकी भी संख्या बढ़ायी जाए। इसके साथ ही आपने समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ. मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-9 और 43 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नागौर जिले के अंदर गोगोलाव में और मेरी जायल विधान सभा क्षेत्र के गांव रोटू में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिये रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है और जिसके अंदर गोगुलाव में करीब 2800 बीघा जमीन है और मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव रोटू में करीब 1800 बीघा जमीन आरक्षित की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि वन कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर घोषित किया गया है, इस रोटू गांव के जो ग्रामीण हैं, वह वन्य जीवों की रक्षा के लिये बहुत ही सजग हैं और अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं वन्य जीवों की रक्षा के लिये और उनके साथ-साथ उनकी धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा उस गांव के अंदर करीब 500 वर्षों से खेजड़ी की कटाई और छंटाई का कार्य भी नहीं हो पाया। वह इसीलिये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन वन्य जीवों की रक्षा कर सकें। इसमें बड़ी संख्या के अंदर वन्य जीव हैं जैसे चिंकारा, हिरण, खरगोश और लोमड़ी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रोटू को पर्यावरण पर्यटक के रूप में भी विकसित किया जाये और रोटू को जो आखेट निषेद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, उसमें वन्य जीवों के सरंक्षण के लिये अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी घोषित किया जाये, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा चिंकारा और हिरण हैं कि

(डा. मंजू बाघमार)
वो दूसरे गांवों के अंदर भी आ जाते हैं और वहां की फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार ग्रामीण यह मांग करते हैं कि हमारी फसलों का नुकसान पहुंचाया है, उसका भी मुआवजा दिया जाना चाहिये। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि तालछापर की तर्ज पर मेरे विधान सभा क्षेत्र रोटू को भी एक अभयारण्य के रूप में वहां पर विकसित किया जा सकता है ताकि वहां पर वन्य जीवों का भी विकास हो सके और वहां के क्षेत्र के लोगों को भी काफी राहत मिल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आगोर व गोचर भूमि पर भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है। यदि हम इसके बचाव के लिये कोई प्रयत्न करना चाहें तो पर्यावरण सुधार की दृष्टि से भी उसमें धामण और सेवण घास यदि वहां पर उगाई जाये तो इससे भी पर्यावरण को फायदा पहुंचा सकते हैं और वहां पर जो भी वन्य जीव वगैरह हैं, उनके लिये भी हरे-भरे चारे की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि यह जो धामण और सेवण घास है, यह बहुत ही मामूली बारिश में भी उग जाती है।

इसके अलावा वन विभाग जहां पर पौधरोपण का कार्य करता है, तो उसमें राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसका भी रोपण किया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि वन विभाग की जितनी भी जमीनें हैं, उनका सर्वे करवाकर उनको अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिये। इसके अलावा वन्य जीवों के शिकार की वारदातें कई बार हमें सुनने को भी मिलती हैं तो इन्हें रोकने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये, क्योंकि आम तौर पर जब इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो पुलिस ही कार्यवाही करती है, वन विभाग के अधिकारी उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते तो वन विभाग के अधिकारियों की भी कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि वन विभाग के क्षेत्रों के अंदर वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिये, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई वार्डन नियुक्त नहीं किया जाता है तो हर जिला स्तर पर कम से कम एक वार्डन की नियुक्ति की जानी चाहिये ताकि वह वहां के क्षेत्रों के अंदर उनकी रक्षा कर सकें।

(डा. मंजू बाघमार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनिज के क्षेत्र में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जो नागौर के हृदय स्थल पर अंकित है, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन फिर भी आद्योगिक विकास और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बल्कि बहुत ही निचले पायदान पर स्थित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बड़ी खाटू में सैंडस्टोन की बड़ी-बड़ी खानें हैं, इसके अलावा वहां पर बड़ी संख्या में पत्थर की खानें भी हैं, खींयाला के अन्दर लाल पत्थर है। यह सब मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं। गोठ मांगलोद, जीवणबेड़ा, खेराट और भदाणा में जिप्सम के अथाह भण्डार हैं, वहां पर जिप्सम का खनन का कार्य भी होता है। इसके अलावा चाइना क्ले, पांडू, वो भी प्रचुर मात्रा में रूपाथल, बोड़वा, अड़वड़, जुंजाला और गोथड़ी गांव के अन्दर लेकिन अभी नई पॉलिसी के अभाव में वहां पर काम अटका पड़ा हुआ था।

इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र के कसनऊं और मातासुख के अन्दर लिग्नाइट प्रचुर मात्रा में है, वहां पर कोयल की बहुत खानें हैं और दर्जनों गांव ऐसे हैं, डेह, हरिमा, सरासनी रोड़ जिसमें लाइम स्टोन के बहुत भण्डार हैं लेकिन फिर भी, वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा होते हुए भी उनका उचित दोहन नहीं हो पा रहा है इसलिए उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूर कुछ न कुछ किया जाय या कोई छोटे-मोटे उद्योग धंधों की स्थापना की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव डेह और आसपास में जो अभी आपने खान ब्लॉक का आबंटन किया था, निश्चित रूप से सरकार को उससे राजस्व की बहुत प्राप्ति भी हुई है लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि उसके अन्दर आपने जो ब्लॉक आबंटित किया है, वहां के स्थानीय नागरिकों के लिए भी उसके लिए पूर्ण भागीदारी निश्चित की जाए। कम्पनी के कारखानों में जो काश्तकार या खातेदार हैं, माल आपूर्ति के लिए उनका शेयर भी यदि निर्धारित किया जाए ताकि स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी लाभ होगा और यदि

(डा. मंजू बाघमार)

कम्पनी प्राथमिकता से उसके लिए रोजगार भी उपलब्ध करवाती है तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को बहुत लाभ हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि अभी जायल और नागौर के अन्दर कई उपयोगी धातुओं और सम्पदाओं की संभावनाओं को देखते हुए केन्द्रीय भू-सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद द्वारा हवाई सर्वे भी करवाया गया था कि नागौर जिले के अन्दर सोना, पानी और तेल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि यदि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार नागौर और जायल विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ज्यादा से ज्यादा इन प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए वहां पर उद्योग धंधों की या इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल, 2016 के तहत जिन कार्यों के लिए इस फंड का उपयोग किया जाना चाहिए था उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि नियमानुसार, जिस तरह जो रूल में लिखा हुआ है उसी के अनुसार हो क्योंकि कई जिलों से यह शिकायतें आयी हैं कि उस फंड का प्रयोग नियमानुसार नहीं कर पा रहा है, कई ऑफिसेज के अन्दर अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन फंड का उपयोग हो रहा है, तो माननीय मंत्री इसको भी दिखवाएगे तो उस फंड का शायद ज्यादा उपयोग हो पायेगा। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनन क्षेत्र के अन्दर जितने भी गांव वगैरह आ रहे हैं उनमें जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, उनकी उपलब्धता हेतु भी यदि इस फंड का यूज लिया जाए तो वो ज्यादा ठीक होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर खनन क्षेत्र काफी है और जब पी.डब्ल्यू.डी. वहां पर सड़कें बनाती हैं तो खनन विभाग की जो गाड़ियां वगैरह खनन क्षेत्र के अन्दर निकलती हैं उससे यह सड़कें बहुत टूट जाती हैं और सड़कें इतनी टूट गयी हैं कि वहां पर कम से कम दो-दो, तीन-तीन फीट खड्डे हो चुके हैं। मैंने कई बार माइनिंग विभाग को भी इस बारे में अवगत कराया है और मैंने लिख कर भी दिया है, यदि माइनिंग

(डा. मंजू बाघमार)

विभाग वहां से सड़कों के दुरुस्तीकरण का कार्य करवाता है, डामरीकरण करवाता है, मैं जरूर एक-दो सड़कों का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज है और खनन क्षेत्र के दौरान ही वो सड़कें टूटी हैं, कुचेरा से कसनऊ 12 किलोमीटर की सड़क पूरी टूटी पड़ी है, कसनऊ से फरड़ोद मार्ग में 19 किलोमीटर की और जुंजाला से बोड़वा मार्ग वो 6 किलोमीटर की सड़क पूरी टूटी-फूटी पड़ी हुई है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो मातासुख गांव हैं, जहां पर लिग्नाईट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन वहां पर अभी कोयला खनन के दौरान और गर्मी होने के कारण धुआं और डस्ट काफी हो रहा है जिससे ग्रामीणों के अन्दर काफी रोष व्याप्त है और वहां कई प्रकार की बीमारियां होने का भी खतरा है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि आर.एस.एम.एम. द्वारा ऐसे ग्रामीणों के लिए इसका विशेष इंतजाम किया जाए। इसके अलावा आर.एस.एम.एम. लिमिटेड द्वारा प्लांट लगाते समय जिन शर्तों की सुनिश्चितता की गयी थी उन शर्तों का पालन करने के लिए उनको सुनिश्चित करने के लिए किया जाय।

सीएसआर के तहत जो भी विकास कार्य वहां के क्षेत्रों में करवाये जाते हैं वो उसी क्षेत्र के अन्दर करवाये जाएं और विशेष रूप से बुनियादी आवश्यकताओं के लिए यदि वो सी.एस.आर. के अन्दर वो कार्य करवाएंगे तो वहां के क्षेत्र वालों को लाभ होगा।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अवैध खनन और अवैध रॉयल्टी की वसूली के नाम पर प्रभावी कार्यवाही न होने से राजस्व को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसलिए सर्वाधिकार प्राधिकरण का गठन किया जाय। बजरी का अवैध खनन रोकने के लिए खातेदारों को भी लीज दी जाए ताकि राजस्व की भी प्राप्ति होगी और उसमें रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जरूर कहना चाहूंगी कि अभी जो राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 2017 बनाये हैं उसमें इन्होंने यह प्रावधान किया है कि खातेदारों को ई-टेण्डर

(डा. मंजू बाघमार)

के माध्यम से ही उनका ऑक्शन किया जायेगा। यदि ई-टेण्डर के माध्यम से ऑक्शन किया जाएगा तो बड़े-बड़े उद्योगपति आएंगे, छोटे और गरीब तबके के जो उद्योगपति हैं वो उसमें नहीं आ पायेंगे, इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें एक क्लॉज आपने यह और डाला है कि खातेदारों द्वारा एन.ओ.सी. देने पर ही लीज ग्रांट होगी, अब यदि खातेदार एन.ओ.सी. नहीं देगा तो उसमें लीज ग्रांट नहीं हो पाएंगी।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बकाया रेंट है, डेड रेंट और रॉयल्टी और जो क्वारी लाइसेंस में है, उसमें भी जो रेट आफ इंट्रेस्ट है वो 15 परसेंट से बढ़ा कर 18 परसेंट कर दिया गया है इस वजह से खातेदारों को काफी परेशानी हो रही है और जितनी भी ट्रांसफर खानें हैं उनकी अवधि तो बढ़ाई है 2025 तक लेकिन फिर भी उनमें प्रीमियम दो गुना से दस गुना बढ़ा दी गयी है जबकि पहले वो डेड रेंट के इक्वल थी और पांच साल में एक बार ही 40 परसेंट बढ़ायी जाती थी लेकिन अब उन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जरूर कहना चाहूंगी कि उन मापदण्डों का दुबारा से यदि अवलोकन कर दिया, क्योंकि जो पूर्ववर्ती खानें चालू थीं उनके ऊपर भी वो ही रेट लगा दी है, यदि पूर्ववर्ती खानें, जो चालू हैं उसके ऊपर तो कम से कम इस प्रकार नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जो छोटे और गरीब खान मालिक हैं उनके लिए वायबल नहीं हो पायेगी, जो अवैध खनन ट्रांसफर होगा उसको और बेनामी खान मालिकों को जरूर इसके लिए बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि पुराने नियमों के तहत जो एम.ई. और एस.एम.ई. वगैरह थे उनको अपने स्थान पर ही जिला स्तर पर जो उनकी नियमों की पत्रावलियां थीं उनको निस्तारण करने का पूरा अधिकार था लेकिन अब जैसे ही इन्होंने नये नियम बनाये हैं तो जिला स्तर पर वो पत्रावलियों का निस्तारण कर सकते थे लेकिन अब उन्हें संभाग स्तर पर, उनके छोटे-मोटे कार्यों के लिए अब संभाग स्तर पर जाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से पट्टेधारियों को इसके लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है

(डा. मंजू बाघमार)

कि पुन: आबंटन की जो आक्शन प्रणाली है उसको दुबारा चैक करवाया जाना चाहिए और डेड रेंट कम करनी चाहिए और ट्रांसफर प्रीमियम को भी कम किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि नये रूल्स के अन्दर जो आपने खानों के आबंटन में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., शहीदों के परिवारों को, इसके अलावा खान मजदूरों के कोटे को भी खतम कर दिया गया है, इस कोटे को पुन: लागू किया जायेगा तो निश्चित रूप से इस वर्ग के लोगों को भी इसके लिए राहत मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 9 और मांग संख्या 43 पर जो बोलने के लिए अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि वन और खनन, यह दोनों ही विभाग अगर देखा जाए तो एक-दूसरे के दुश्मन हैं। वन विभाग, वन का अस्तित्व तभी रह सकता है जब खनन पर रोक हो या खनन नियमित हो और खनन तभी विकसित हो सकता है कि वन क्षेत्र में खनन की अनुमति हो। अर्थात् यह दोनों ही विभाग जो हैं, आज की तारीख में हम जो डिस्कस कर रह हैं तो एक के लिए प्लस बोलना है तो दूसरा अपने आप नेगेटिव हो रहा है और दूसरे के लिए प्लस बोलते हैं इधर नेगेटिव हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से आ रहा हूं, अनुसूचित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वन और खनन दोनों ही नीतियां और वहां के आबंटन की पॉलिसी के बारे में भी काफी अन्तर है।

(16.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, वन अधिकार अधिनियम, 2006 लागू हुआ तो हमने वहां रहने वाले निवासियों को पट्टे दिए। फरवरी, 2017 तक 34,081 पट्टे

(श्री देवेन्द्र कटारा)

उस अनुसूचित क्षेत्र में दिए हैं। इस अधिनियम में सामुदायिक अधिकारियों का भी प्रावधान है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में एक भी सामुदायिक अधिकारों का अधिकार पत्र नहीं दिया है। इससे क्षेत्र के तमाम तरह के विकास स्कूल बनाने के लिए भूमि, वहां की छोटी-मोटी आंगनबाड़ी का सेंटर है, पीएचसी, सीएचसी हैं या परंपरागत आने-जाने के रास्ते के अधिकार थे, वह आज तक नहीं मिल पाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वन नीति के तहत उस क्षेत्र में सामुदायिक अधिकारों के साथ-साथ जो परंपरागत अधिकार हैं, वह भी उस अधिनियम में देने का प्रावधान है। लेकिन उस वन अधिकार अधिनियम, 2006 की पालना उस अनुसूचित क्षेत्र में जिस तरह से होनी चाहिए थी वह अब तक नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आंजरा, पालीसोढ़ा, नांग का नला, गुन्नी कुआ, पाटड़ा, कोलिया खूंड, ऊंटिया, पाल पादर सहित कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक वन भूमि पर बरसों से काबिज काश्तकारों को पट्टे नहीं मिले हैं। उनको पट्टे के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। वन विभाग अतिक्रमियों की सूची जारी नहीं कर रहा है। अगर वन विभाग जारी कर रहा है तो वन समिति अनुकूल नहीं होने के कारण प्रस्ताव को तैयार नहीं कर रही है। जिससे कि वन विभाग, पंचायती राज और वन समिति के चक्कर काटते-काटते आज 10-11 साल हो गये हैं, हमारे काश्तकार आदिवासी भाइयों को पट्टे नहीं मिले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज से करीब 20 साल पहले उस क्षेत्र में आदिवासी अस्पतालों में नहीं के बराबर जाता था। उनका पूरा इलाज भी वनौषधि पर आश्रित था। अगर बुखार भी आता था तो उसको कोई टेबलेट लेने की जरूरत नहीं होती थी, एक पत्ता तोड़कर के बाँध दिया जाता था और मरीज को बुखार नहीं होता था। किसी को सिर दर्द हो या पेट की बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, सारी की सारी हमारे उस क्षेत्र में जो वनौषधि पैदा होती थी, उससे उनका इलाज होता था। अब उस क्षेत्र में धीरे-धीरे पूरी तरह से वनौषधि लुप्त हो गयी। आज स्थिति यह है कि बारिश के दिनों के अलावा उन पहाड़ों में पूरी तरह से सूखा ही सूखा रहता है। एक

(श्री देवेन्द्र कटारा)

भी वनौषधि उस क्षेत्र में आज उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उस आदिवासी क्षेत्र में कोई कुए, बावड़ी नहीं हुआ करते थे। वहां का आदिवासी जंगल के नदी, नालों के पानी का उपयोग पीने, नहाने-धोने आदि के लिए करता था। वही पानी जब गांव की ओर जाता था तो उसका उपयोग सिंचाई के लिए करता था। जब वन क्षेत्र में पानी के नालों का बहना बंद हो गया तो उस क्षेत्र में पीने के पानी की काफी समस्या हो गयी।

वहां वन अधिकार अधिनियम के तहत कुआ खोदने की अनुमति नहीं है। काश्त करने की अनुमति है लेकिन कुआ खोदने की अनुमति नहीं है। उस क्षेत्र में अगर कोई छोटा नदी, नाला है और उसको बांधकर के एनीकट के रूप में, छोटे तालाब के रूप में विकसित करके उस पानी का उपयोग लें, ऐसा भी कोई अधिकार अभी तक नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सामुदायिक अधिकारों में आता है। लेकिन वन विभाग की हठधर्मिता की वजह से उस क्षेत्र में आज जंगल पूरी तरह से सूख गया है। धीरे-धीरे वन पूरी तरह से खाली होता जा रहा है। जंगल के जानवर भी पीने के पानी के लिए गांव की ओर आ रहे हैं। जंगल में कहीं भी पानी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीबन 35 से 40 प्रतिशत वन क्षेत्र है। वह वन क्षेत्र पूर्ण रुपेण सूखा है तथा वहां का आदिवासी और वहां का जानवर बुरी तरह से पानी के लिए तरस रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में 'फोर वाटर कंसेप्ट' के तहत एनीकट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और तालाब बनाए जा रहे हैं और उस क्षेत्र में इस कंसेप्ट के तहत कोई एनीकट, तालाब, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बने हैं। जिससे वन क्षेत्र पूरी तरह से सूख रहा है और वहां वनस्पति एवं औषधि पूरी तरह से गायब हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, नील गाय तो सब जगह फसलों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन मेरा विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर जंगली सुअर खेती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो जमीन के अंदर फसलें पैदा होती हैं, जैसे हमारे यहां पर आलू, रतालू जमीन के अंदर पैदा होते हैं, इसमें यह जानवर जैसे जमीन में हल जोतते हैं, हल से जिस तरह से खेत में

(श्री देवेन्द्र कटारा)

जुताई होती है उस तरह से पूरा खेत का खेत जोत डालता है और भूमि के अंदर बैठने वाली जो फसलें होती हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह जानवर ना तो किसी से डरता है, ना ही यह शेर, चीतों से डरता है। यह पेड़ों को भी अपनी दतेड़ी से काट डालता है। इतना खतरनाक जानवर है। लेकिन इस जानवर की रोकथाम के वन विभाग ने कोई उपाय नहीं किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 75 परसेंट आदिवासी आबादी है। उस 75 प्रतिशत आदिवासी आबादी की एक ही मांग रही है कि वहां पर वन क्षेत्र में 2 तालाब बनाए जाएं। जिसके पानी का उपयोग उनको इर्रिगेशन में नहीं लेना है। उसके पानी से केवल उस क्षेत्र की वनस्पति हरी-भरी रहे और जंगल हरे-भरे रहें, वहां के जानवरों को पानी मिले, इस बात के लिए उनकी हमेशा डिमांड रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक गुंजल का नाका है, जहां पर वर्षों से उस क्षेत्र में पानी बहता था। जो बंद हो चुका है। अभी वहां मौके पर वनस्पति नहीं है। उसको बांधने की आवश्यकता है। दूसरा ग्राम पंचायत महिपालपुरा में पनियालावाला दरा है, उसको फोरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कलक्टर महोदय द्वारा मौके पर देखा गया है, वहां पर तालाब बनाने लायक है। वहां अगर तालाब बनता है तो पूरी वनस्पति हरी-भरी हो जाएगी। पूरा जंगल हरा-भरा हो जाएगा। जंगल के जानवर जो खेतों में आकर के नुकसान पहुंचाते हैं वह भी नहीं पहुंचाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सुरभया नाका, फारखी माता नाका, मोजाल का नाका, मीठी मावड़ी, पीपलेक का नाका, टामटिया वाला मोहड़ा, बेड़ा नाका, चामुंडा नाका यह 4-5 जो दरे हैं, वह वास्तव में पानी रोकने के लिए, जंगल को हरा-भरा करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर मैं विशेष रूप से पेयजल के बारे में निवेदन करना चाह रहा था, कि नदी-नालों का पानी हम पीने के उपयोग में लेते हैं। साथ ही जो हमें वन अधिकार पत्र दिए गये हैं उसमें वहां पर खेती करने का अधिकार तो है लेकिन उसमें कुआ खोदकर के पानी पी सके, इसके लिए भी प्रावधान करने की जरूरत है।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित क्षेत्र पूरी तरह से खनन के रूप में माना जाता है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए कोई भी कानून, कोई भी नीति बने तो उसके लिए संविधान में स्पेशल प्रोविजन है। संविधान की पांचवीं अनूसूची में स्पष्ट प्रावधान है कि उस क्षेत्र के लिए कोई भी नीति, नियम अगर बनता है तो वहां की जनजाति सलाहकार परिषद से सलाह मशविरा करके, उसकी राय लेकर के वहां के रीति-रिवाज, परिस्थितियां, परंपराएं देखकर के नियम बनाने का प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय पेसा अधिनियम, 1996 बना, उसमें भी खनन नीति को, खनन क्षेत्र को शामिल किया गया है। राजस्थान पेसा एक्ट, 1999 लागू हुआ तो उसमें भी खनिज को अनुसूचित क्षेत्र में निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है।

पेसा रूल्स, 2011 में भी यही प्रावधान किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी से मैंने पूछा तो बताया कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए नई पॉलिसी बनाई है उसके तहत एक तिहाई माइंस उस क्षेत्र के ट्राइबल लोगों के लिए आरक्षित की गयी हैं जबकि अनुसूचित क्षेत्र में समता फैसले में यह साफ कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र मैं खनन है तो माइंस ही हैं, चाहे वह मार्बल की हो, पत्थर की हो, चाहे रेती का खनन हो, किसी भी प्रकार का खनन हो वह उसी क्षेत्र के लोगों को ही आवंटित करने का प्रावधान उसमें है। साथ में उन्होंने कहा कि वहां आवंटन भी किसको किया जाएगा, आवंटन उस क्षेत्र के निवासी और वहां का आदिवासी है उसको किया जाएगा और इसके ऊपर भी अगर सरकार कोई भी माइंस और खनन के तहत कोई उपक्रम लगाना चाहती है तो वहां के लोगों की एक सोसायटी बनाएगी और वह सोसायटी राष्ट्र के हित में, उस प्रदेश के हित में खनन करेगी न कि किसी व्यक्ति के निजी स्वार्थ के लिए, यह समता फैसले में डिसीजन आया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समता फैसले में डिसीजन लिया था, उसके खंड 93 में आदिवासियों और वहां के निवासियों को खनन पट्टे कैसे जारी होंगे यह उसमें निर्धारित किया था। खंड 94 में उस फैसले में साफ कहा कि वहां खनन जो भी करेगा वह खनन उस क्षेत्र के हित और राष्ट्र के हित के

(श्री देवेन्द्र कटारा)

अलावा निजी लाभ के लिए किसी भी प्रकार का आवंटन नहीं किया जा सकता है, यह खंड 94 में स्पष्ट किया है उस फैसले में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा खंड 112 में यह तय किया गया कि वहां से जो भी खनन होगा उसमें जो भी लाभ होगा चाहे वहां की सोसायटी करती है या वहां का व्यक्ति करता है तो उसका बीस प्रतिशत पैसा लाभ का, उस क्षेत्र के लिए फण्ड बनेगा और वह फण्ड शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए उन पर खर्च करना चाहिए, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में निर्देश दिए थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं उन्होंने एक चीज और कहीं थी कि खनन क्षेत्र वहां का निवासी है यदि उनके खाते की जमीन में कोई खनिज है, कीमती धातु है तो उस व्यक्ति को परमीशन दी जाएगी किंतु वहां की एडवाइजरी कौंसिल तय करेगी कि इससे कितनी रॉयल्टी, क्या चीज प्राप्त करनी है वह भी स्पष्ट नीति बनाकर उसको लागू किया जाएगा। मैं समझता हूं कि जो नीति अभी यहां पर बनाई गयी है खनन पॉलिसी ट्राइबल एरिया के लिए, पूरी तरह से उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्योंकि अभी तक जितने भी क्षेत्रों में माइंस हैं, एक भी आदिवासी वहां का न तो मजदूर है, न वहां कोई सुपरवाइजर है, सारे बाहर के लोग आते हैं वहां पूरी तरह से खनिज का दोहन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में फूटी कौड़ी जो वहां पर खर्च होनी चाहिए वह खर्च नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में यह पूरी तरह से जो अभी पॉलिसी लाई गयी है वह माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यह पॉलिसी उस क्षेत्र के हित में नहीं है। संविधान प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप नहीं है, पेसा कानून के अनुरूप नहीं है, पेसा रूल्स के अनुरूप नहीं है, सेंट्रल पेसा एक्ट के अनुरूप नहीं है तो इस पर पुनर्विचार करके उस क्षेत्र में खनन नीति पुन: ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल से सलाह मशविरा करके करें, वहां के जो रीति रिवाज है, क्योंकि पेसा कानून में वहां के पंचायतों को राइट्स दे रखे हैं, पंचायतें उस पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उन सारे तालमेल मिलाकर जब तक इसको पूरी तरह से अप टू डेट नहीं करते हैं, उसके बाद में माननीय राज्यपाल महोदय अनुशंसा करेंगे, उस पर विचार करके यदि पॉलिसी बनाई जाती है तो स्थायी पॉलिसी होगी। ...(व्यवधान)...

(श्री देवेन्द्र कटारा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जो मूल बात है उस पर मैं आ जाता हूं। खास तौर पर 295 पर मुझे जवाब दिया गया कि उस क्षेत्र की तमाम प्रकार की ट्राइबल क्षेत्र की भावनाओं के अनुरूप हमने सारे एक्ट फोलो किए हैं लेकिन न तो खनन में उन्होंने किया है न वन क्षेत्र में लागू किया है और किसी भी क्षेत्र में लागू नहीं किया है। वहां आजादी के सत्तर साल होने जा रहे हैं इसके बावजूद वहां का व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए, अपने क्षेत्र के मुनाफे के लिए, अपने क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक भी काम, एक भी पॉलिसी लागू नहीं हुई है और इसी का नतीजा है कि वहां का आदिवासी पलायन होता हुआ पड़ौसी राज्यों में जा रहा है। हमारे वहां पर वन औषधि, अगर वन औषधि को विकसित किया जाता है और वहां पर वन औषधि को विकसित करने के साथ-साथ इस पर आधारित उद्योग लगाए जाते हैं तो वहां के आदिवासियों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं उस क्षेत्र में वन आधारित उद्योगों के साथ-साथ वहां पर शोधन की प्रक्रिया है वह भी शुरू करानी पड़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 9 और 43 दोनों पर मेरी मांग है। मूलत: एक तो माइनिंग क्षेत्र में चार सड़कें हैं, चार साल हो गये, मुरोहणवाड़ा, खेमारू, जाकोल, ये तीन क्षेत्र हैं, इनमें जाने के लिए तीन सड़कें प्रमुख है, एक भी सड़क आज मौके पर इतने ओवर लोड वाहन जा रहे हैं, मौके पर सड़कों की डामर खतम हो चुकी है। तो मैं माननीय खान मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुरोहणवाड़ा से देवल, जाकोल से डूंगरपुर, खेमारू से डूंगरपुर, यह यदि तीन सड़कें, कुल मिलाकर पच्चीस किलोमीटर की सड़कें हैं, यदि इनका नवीनीकरण बाइंडिंग कर दिया जाता है तो नि:संदेह उस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया और तेज होगी, वहां के क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र ही नहीं डूंगरपुर जिले में वन औषधि आधारित उद्योग और वन औषधि विकसित करने के लिए, वन को जीवित करने के लिए वहां पर पानी की व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, वहां पर तालाब और वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप करीबन बीस करोड़ रुपया

(श्री देवेन्द्र कटारा)

अगर खर्च कर देते हैं तो डूंगरपुर जिला पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा, पुन: प्राकृतिक औषधि प्राप्त करने के लिए वहां के लोग अधिकारी बन जाएंगे और वहां के लोगों को पूरी तरह से ऐलोपैथी ट्रीटमेंट पर आधारित न रहकर परम्परागत इलाज का साधन प्राप्त होगा, यही बात कहते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं, साथ में पुन: आपको आगाह करता हूं कि संविधान की पांचवीं अनुसूची, पेसा एक्ट, पेसा रूल को वहां पर लागू कराने के लिए स्पेशल समीक्षा कराई जाए और स्पेशल इसके लिए ट्रीटमेंट कराया जाए, वहां के लोगों के लिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखरामजी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 9 और 43 पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका आभार। राजस्थान में 57 खानों का विशेष दोहन हो रहा है, कई खानें ऐसी हैं जिनमें मोनोपोली है, जैसे चांदी है, कैल्साइट है, जिप्सम है। उन प्रधान खानों के 158 खनन पट्टे दिए हैं, अप्रधान के 15318 और 18103 खनन लाइसेंस दिए हैं, इन तीनों चीजों का जो लक्ष्य रखा था, आर्थिक समीक्षा आई है उसमें इन तीनों का लक्ष्य रखा है दिसम्बर, 2017 तक 4 हजार करोड़ लिखा है आर्थिक समीक्षा में और यह जो पुस्तिका प्रकाशित की है उसमें लिखा है, 5200 करोड़ मतलब, दोनों में डिफरेंस दिया गया है, पता नहीं किस हिसाब से दिया गया है। इसके साथ ही 2012-13 की इन्कम थी उसका लक्ष्य 2910 करोड़ था उसके नजदीक पहुंच गये, 2015-16 में जो लक्ष्य था वह प्राप्त नहीं कर पाए उसके 4250 के अगेंस्ट में 4743 करोड़ रुपये है। साथ ही जो प्रकरण पेंडिंग थे 2015 तक उन प्रकरणों में 4367 प्रकरण शिकायतों के थे उसमें से 441 ही एफआईआर दर्ज की गयी।

2016-17 में 3080 प्रकरण थे उनमें 480 प्रकरण में ही एफआईआर दर्ज की गयी। बाकी प्रकरणों को किस हिसाब से निरस्त किया गया, ड्रॉप किया गया वह कम से कम खुलासा हो ताकि पता चले कि किन कारणों से, क्या कारण रहे जिन कारणों से उन लोगों को छोड़ दिया गया जिनको चार्जशीटेड किया गया था। (व्यवधान)

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र का नाम बाड़मेर-सांचौर बेसिन का बार-बार आता है तेल का। जो तेल की रिफाइनरी की बात की जा रही है, न जाने क्या पता किस हिसाब से बंद हुई, परंतु खनिज तेल से और भारी तेल से, प्राकृतिक गैस से तीनों तरह से दोहन बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर तीनों क्षेत्र से होता है उसमें कुल 11 पैट्रोलियम खनन पट्टे दिये, 21 पैट्रोलियम लाइसेंस दिये हैं और 500 मिलियन मैट्रिक कच्चे तेल के भंडार हैं। चालू वित्तीय वर्ष में सांचौर-बाड़मेर बेसिन से जो खनिज तेल निकला 61.17 लाख मैट्रिक टन खनिज तेल जैसलमेर-बाड़मेर में निकला। 480.47 एमएमसी एससीएम प्राकृतिक गैस निकली है। कुल मिलाकर जो गैस निकल रही है वह रामगढ़ विद्युत संयंत्र को भी जा रही है और वहां जो तेल निकलता है बाड़मेर में, सांचौर-बाड़मेर में तेल इतना गाढ़ा है जो जामनगर रिफाइनरी में भेजा जा रहा है, वह तेल गाढ़ा होने से पाइप में आगे नहीं बढ़ रहा है इसलिए बीच में गर्म करने के लिए गैस की नली लगायी गयी है ताकि वह तेल रिफाइनरी में पहुंचे। उसमें भी गैस खर्च हो रही है। कुल मिलाकर पूरे हिन्दुस्तान का 24-25 परसेंट तेल उत्पादन वहां होता है। 2 लाख 34 हजार 145 करोड़ रुपये उस तेल से सालाना इनकम सरकार को होती है, राजस्व होती है। गैस से 1 लाख 65 हजार 765 करोड़ रुपये सालाना राजस्व वसूल होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रिफाइनरी क्यों नहीं बन रही है? मार्च, 2013 में एचपीसीएल के साथ एमओयू किया गया और उस बात को टालने के लिए पीडब्ल्यूसी, एक एजेंसी है, उस एजेंसी को वापस दिया कि आप इसका मूल्यांकन करो ताकि किस तरह से लगानी व्यावहारिक है या नहीं है। एचपीसीएल के साथ जो करार किया गया था वह किस तरह का है? उस कंपनी ने जो रिपोर्ट दी वह अव्यावहारिक है। तेल धीरे-धीरे, आने वाले 30 साल तक रिफाइनरी की आयु चलेगी तब तक धीरे-धीरे यह तेल कम हो जाएगा। न जाने किस हिसाब से इस पीडब्ल्यूसी ने रिपोर्ट पेश की है उसका न कोई आधार है, न उसका वैज्ञानिक आधार है। केवल रिपोर्ट पेश कर दी।

माननीय सदस्यों ने रिफाइनरी के बारे में प्रश्न पूछा उनका जो जवाब आया है, जवाब में दोनों बातें कह रहे हैं कि रिफाइनरी लगाने का विचार भी

(श्री सुखराम विश्नोई)

कर रहे हैं, हमारी मंशा भी हैं। दोनों बातें कर रहे हैं, वहां से वोट भी लेना चाहते हैं इसलिए बिलकुल बात को बंद भी नहीं कर रहे हैं और चालू भी नहीं कर रहे है। केवल इसलिए रिफाइनरी लगायी जा रही है कि अडानी बंधुओं को फायदा मिले, रिलायंस बंधुओं को फायदा मिले, क्योंकि रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी है, जो कमीशन मिलता है, जो टैक्स मिलता है, केवलमात्र उस कारण के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है रिफाइनरी लगाने का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है जहां तक खनन पट्टों का सवाल है, जो दूसरी खानें हैं उन खनन पट्टों को लेकर हमने हमारी पार्टी की तरफ से जयपुर, दिल्ली में शिकायत भी की थी और उसके बाद 653 खनन पट्टे निरस्त कर दिये गये। वे खनन पट्टे भले ही निरस्त कर दिये, परन्तु नवम्बर, 2014 से दिसम्बर, 2015 के बीच में जो 653 पट्टे दिये गये हैं उन पट्टे को देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उस समय प्रबंध निदेशक थे, कह रहे थे ईमानदार आदमी थे। मेरे साथी मेवाराम जी कह रहे थे, ईमानदार आदमी थे। ईमानदार होते हुए भी वहां जोधपुर, उदयपुर, कोटा व जयपुर माइन्स के जोन थे उनके अतिरिक्त निदेशक को टेलीफोन करके पत्रावलियां मंगायी गयी और मंगवाकर शासन सचिव के पास ले जाकर फैसले करवाये गये और फिर हाईपावर कमेटी के चेयरमैन बने। उस समय जो घोटाला हुआ है, तमाम जो लोग थे, केवलमात्र अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि बैठे-बैठे कर दे, सत्ता तक पहुंच थी, किस तक पहुंच थी, उस बात का खुलासा होना चाहिए। साथ-साथ अधिकारियों के साथ ऊपर के लोग सत्ता के थे उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि वस्तुस्थिति सामने आये। जो शासन सचिव था उनके साथ जो भागीदार थे उनका नाम भी इसमें आना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है वह बजरी खनन का है। मैं आपकी मार्फत् खान मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सांचौर के अंदर बनास नदी गुजरात जाती है। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने खनन का मुद्दा उठाया। मेरे सांचौर के पास डीसा शहर है, सांचौर से 70 किलोमीटर दूर गुजरात में है। गुजरात से बजरी के ट्रक

(श्री सुखराम विश्नोई)

भरकर सांचौर आते हैं। उस बजरी को आरटीओ आफिस सीज करता है और माइन्स वाले पैनल्टी करते हैं। एक-एक ट्रक पर डेढ़-डेढ़ लाख की पैनल्टी होती है। बजरी गुजरात की है, ट्रक वहां के है, किस हिसाब से पैनल्टी की जा रही है, यह सोचने का विषय है। इस पर भी खुलासा होना चाहिए।

बनास नदी राजस्थान से होकर गुजरात में जाती है। उसमें जगह-जगह 15-20 फुट खड्ड़े कर दिये, रपट के पास खड्ड़े कर दिये। कोई सीमांकन नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस बजरी के आज से 10-15 साल पहले हजार-दो हजार रुपये ट्रक के लगते थे, वे ट्रक आज 15-20 में पड़ रहा है। मकान आम आदमी बनाना चाहता है, गांव का छोटा गरीब आदमी बनाना चाहता है। बजरी का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हर तीसरे हिस्से में बजरी लगती है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को न जाने किस आधार पर (व्यवधान) जब मेरे सांचौर में कैम्प लगा, माननीय सदस्य कार्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो टीम है, जिस हिसाब से पैनल्टी करते हैं, वहां डेरा लगाकर बैठे हैं। हमने उनसे बात की तो उनका यह कहना है कि +++ इसलिए आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहां तक बात आती है। हमारी ऊपर पहुंच है। ऊपन कौन है सत्ता में?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किस मामले में कह रहे हो? आपने किस मामले में कहा कि +++ किस बात की बात कर रहे हो?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बजरी की बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कौनसी बजरी की बात कर रहे हो?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बजरी जो बाहर से आ रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कहां से आ रही है बजरी?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बजरी गुजरात से आ रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप जिम्मेदार आदमी हो। आपको न तो संसदीय नियमों का मालूम है। किस आधार पर आरोप लगा दिया?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कैसे मालूम नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किस आधार पर आरोप लगा दिया?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैंने कोई आपका नाम थोड़े ही लिया। मैंने संसदीय मंत्री कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं सदन में खड़ा होकर कह दूं आप अव्वल दर्जे के (व्यवधान) बात करते हो?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैंने संसदीय मंत्री कहा है, मैंने नाम कहां लिया है? संसदीय मंत्री का मैंने कहां नाम लिया?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाइये। आपने नाम नहीं लिया, वह अलग बात है।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी सामने बैठे हैं तो ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें। अगर आप सीधा मंत्री के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा रहे हो, जो आपने कथन कहा है वह कथन आपने नियम का दुरुपयोग करके अपने विचार प्रकट किये हैं। यह मंत्री पर सीधा आरोप है। जब मंत्री पर आरोप है तो आप नियम में आइये। इस प्रकार आप कैसे कहेंगे? सीधा जिस प्रकार का आरोप लगाया है यह अपलिखित करिए और इस प्रकार की चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं ऊपर तक हमारी पहुंच है। ऊपर कोई भगवान के पास तो है नहीं। ऊपर कौन है, कहां है ऊपर। राजस्थान की राजधानी के अलावा ऊपर कौन है? कोई जालौर में तो है नहीं किसी की। किनके पास ऊपर पहुंच है?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ऊपर राठौड़ साहब के अलावा है। ऊपर तो राठौड़ साहब के अलावा बहुत हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सृष्टि को चलाने वाला खुदा भी ऊपर है। इससे भी ऊपर है जिसने हम सबको इस धरती पर भेजा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आपके क्षेत्र में तो आप सबसे ऊपर हैं। इसलिए हो सकता है आपका ही हो, आपके लिए ही लिखा हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजरी का मुद्दा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे मुद्दे में मैंने अगर कोई गलत कह दिया है, परन्तु जो बात उड़ती है,

मतलब उड़ती है वो बात कभी गलत नहीं होती है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम अगर मान लो ऊपर किसी का हाथ है तो वो अपना हाथ खींच ले। यह बजरी, रेत से पैसे कमाना.....

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, उड़ती बात के लिए यह सदन नहीं है, कोई ठोस बात हो तो बात रखें। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): उड़ती बात कहां कह रहे हैं, वाजिब बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: उड़ती बात का मतलब है काल्पनिक बात।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): तो काल्पनिक बात में यहां क्या करना?

श्री उपाध्यक्ष: उड़ती बात का मतलब है काल्पनिक बात और वो कल्पना कर रहे हैं तो करने दीजिये इनको कल्पना।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): तो काल्पनिक बात के आधार पर यहां बात नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप अपने पर क्यों ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इस कल्पना को यथार्थ में प्रस्तुत करना चाहते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरे तो यह समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य एडवोकेट हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ न कुछ है तभी तो अपने ऊपर ले रहे हैं, खींच-खींच कर जबरदस्ती ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे हैं। क्यों ले रहे हो कालूलाल जी अपने ऊपर? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है आम आदमी को इसकी जरूरत है और 5 साल पहले कुछ भी पैसे नहीं लगते थे पर आज 15-15, 20-20 हजार रुपये बजरी के लग रहे हैं तो विचारणीय विषय है

(श्री सुखराम विश्नोई)

और इस पर विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि कम से कम जो भी एग्रीमेंट हो उसमें ऊपर बात नहीं हो, ऊपर हमारा हाथ है ऐसी बात नहीं होकर स्पष्ट पारदर्शी हो ताकि आम आदमी अपने मकान में बजरी को काम में ले सके। गांव में तो यही बात है कि हमारी ऊपर तक पैठ है, ऊपर तक हाथ है, यही बात कहते हैं बाकी क्या कहते हैं, ऊपर क्या है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे विषय पर आना चाहूंगा। खान के अलावा यहां पर वन और पर्यावरण की बात चली है तो वन जब तक संरक्षित रहेंगे, वन जब तक जीवित रहेंगे तभी जाकर अपन और जो वन के आस-पास रहते हैं, तमाम जीव रहते हैं वो रह पायेंगे। आज वनों के अन्दर जिसको बबूल कहते हैं, जूलीफ्लोरा कहते हैं वो जितने भी जंगल हैं उनमें साथ-साथ उग रहा है और जहां जूलीफ्लोरा उगता है वहां पास के सभी वृक्षों को जला देता है चाहे भले ही कैसा भी वृक्ष हो। इसलिए वन मंत्री जी, एक अभियान चलायें वो चाहे मनरेगा के तहत चलायें, पंचायतों को पावर दें या किसी के थ्रू पावर दिया जाकर जितना भी जंगलों में यह जो जूलीफ्लोरा उग रहा है इसको समूल रूप से नष्ट किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो। इस जूलीफ्लोरा का तो यहां इस सदन में स्पेसिफिक कानून बनाया गया है और कानून बनाया गया है जूलीफ्लोरा को उगाने का, प्रोत्साहन देने का जिसमें एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट को भी संशोधित किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप ज्ञान का भण्डार हैं, वो तारीख भी अगर मालूम पड़ जाए कि यह कानून कब बना था। यह कानून कब बना था यह पता लग जाए।

श्री उपाध्यक्ष: यह 2013 में बना था।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): संसदीय सचिव कह रहे हैं कि 2013 में बना है, बना होगा।

श्री उपाध्यक्ष: कह क्या रहे हैं एक्ट है और सीलिंग एक्ट के अन्दर भी किया है। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप इतने कानून निरस्त करा रहे हो तो उसको भी निरस्त करवा दो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, ये संसदीय सचिव नहीं हैं, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं। माननीय सदस्य, आप करेक्ट करें कि ये संसदीय कार्य मंत्री है, नॉट संसदीय सचिव। आपने इनको संसदीय सचिव बोल दिया अभी। आपने कैसे कह दिया कि संसदीय सचिव कह रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इनको तो एतराज नहीं है फिर आपको कहां एतराज है?

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, अब आप विराज जाओ न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इनको एतराज नहीं तो आप बार-बार क्यों खड़े होते हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): करेक्ट तो करना पड़ेगा नहीं तो रिकार्ड में ये जो कह रहे हैं वो ही छपेगा तो इनकी अच्छी नहीं लगेगी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): करेक्ट कराने के लिए तो उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, आप कौनसे टीचर हो जो करेक्ट करा रहे हो मेरे से? आप विराजो, विराजो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ऐसे तो आप भी एडवोकेट हो पर पता नहीं आप कैसे तर्क दे रहे हो यह समझ में नहीं आ रहा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप तो विराजो। ये मदन जी बैठे हैं, आप जाकर नींद लो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप लोगों के वाद-विवाद का कौनसा मंत्री जवाब देगा?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जंगलों का सवाल आता है, जंगल जब सुरक्षित होंगे तभी जाकर के हम बच पायेंगे। रणथम्भौर अभयारण्य का मामला है और वहां.....

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन माननीय सदस्य, आपका यह सुझाव तो है न क्योंकि आज बहुत से सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि जूलीफ्लोरा पर हमें पुन: विचार करना चाहिए। क्योंकि इस पर जिस प्रकार का कानून लाया गया

(श्री उपाध्यक्ष)

था और समस्त सदस्यों की कुछ राय है इसलिए वन मंत्री महोदय, वैसे तो यह रेवेन्यू की तरफ से मूव हुआ था इसलिए अगर इस प्रकार की राय आ रही है तो आसन भी निवेदन करता है कि इस पर पुन:विचार करने का आप श्रम तो करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रणथम्भौर अभयारण्य में एक किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह की खातेदारी जमीन, दूसरी जमीन का कन्वर्जन नहीं कर सकते और उस वन्य जीव अभयारण्य में एक किलोमीटर की जगह 1100 मीटर होते हुए भी 800 मीटर बताकर कन्वर्जन कर दी। केवल मात्र वहां जो उप संरक्षक थे जिन्होंने 1100 की 800 बताई उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी परन्तु जिस जिलाधीश ने उस जमीन को कन्वर्ट किया उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। यह ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अभयारण्य है या दूसरी जमीन है, ऐसी जमीन जो सुरक्षित जमीन है उनके पास में नहीं किया जाए इसकी सख्ती से पालना की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि जो सरिस्का और रणथम्भौर अभयारण्य हैं उनसे जो लोगों को विस्थापित किया जा रहा है उनको केवल मात्र 10 लाख रुपये दिये जा रहे हैं। 10 लाख की जगह, परिवार में पांच सदस्य है तो प्रत्येक व्यक्तिवाइज 25-25 लाख रुपये किए जाएं ताकि वो अपनी जमीन छोड़कर जा रहा है और 25 लाख रुपये देंगे और एक परिवार के अन्दर 5 सदस्य हैं तो कम से कम 25 लाख रुपये एक आदमी को दोगे तभी जाकर वो दूसरी जगह कहीं बस पायेगा वर्ना मुश्किल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो वन रक्षक की भर्ती हुई उस भर्ती में मेरे जालौर के अन्दर एक महिला दौड़ी वो 1.40 दौड़ी, उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई परन्तु उसको कागजों में 1.53 लिख दिया गया। वहां जितने भी थे उन्होंने साइन किये हैं तो ऐसी जो छोटी-छोटी बातें हैं इनकी जांच करायी जाए। झालावाड़ में भर्ती हुई तो झालावाड़ में एक सुमन कलवासिया थी उसके 97 परसेंट नम्बर आए पर उसको अवॉइड करके उसकी जगह सुमन कुमारी को रख दिया गया। इसी तरह से 89 परसेंट नसरीन के

(श्री सुखराम विश्नोई)

नम्बर थे पर उसको बाहर करके प्रियंका को रख दिया। तो ये जो वन रक्षक भर्ती के अन्दर घोटाले हुए हैं, कम से कम उनको भी उजागर किया जाए और ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए तभी जाकर सही तरह से वन पालकों को रखा जाएगा।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि वन पालक जो भी रखा जाए, जो जातियां हैं, जो जीव की रक्षा करती हैं, जीवों के लिए मरती हैं तो कम से कम उन जातियों को प्राथमिकता दी जाए ताकि वो लोग व्यवस्थित तरीके से वनों की रक्षा कर सके, वनों में जो जीव हैं उनको सुरक्षित रखा जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कौनसी जाति वनों की रक्षा नहीं करती? कौनसी जाति वनों की रक्षा नहीं करती? आप सीधा सदन का उपयोग कर रहे हो सिर्फ एक जाति की तरफ इंगित करने के लिए। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): उपयोग क्या, इसमें गलत क्या है? विश्नोई जाति है, 363 वृक्षों के लिए मरे हैं। नहीं है क्या? ऐसे ही ब्राह्मण है, जाति नहीं है क्या?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): जातियां तो सब हैं लेकिन विश्नोईयों ने ही वनों को प्रोटेक्ट नहीं किया, गुर्जर समाज ने भी किया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): गुर्जर साथ में हैं यह तो हम कह रहे हैं। हमने एक जाति कहां कहा है, जातियों का कहा है। जो जातियां इन वनों की रक्षा करती हैं, जो जीवों की रक्षा करती हैं, कम से कम ऐसी जातियों को वनपाल रखना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: और अगर समस्त जातियां करती हैं तो समस्त जातियों का संरक्षण किया जाए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, सही बात है। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीरसिंह जी भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 9 वन एवं पर्यावरण एवं मांग संख्या 43 खनिज पर मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

(श्री हमीरसिंह भायल)

वन क्षेत्र में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया जिसमें प्रथम चरण में लक्ष्य की दोगुना उपलब्धि मिली और आगामी वर्ष में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु विशेष रूप से वर्ष 2017-18 में इस हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। स्मृति वनों को विकसित करने हेतु 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालौर, बारां, भीलवाड़ा में कार्य किये जाएंगे।

पर्यावरण को लेकर वर्तमान सरकार संवेदनशील है जिसमें बिठुजा-बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों हेतु पानी की पूर्ण सफाई हेतु प्लांट लगाने के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो किसानों एवं व्यापारियों, दोनों के हित में अच्छा प्रयास है। पर्यावरण को लेकर एक चिंता का विषय है कि लूणी नदी राजस्थान की मरू गंगा है और गंगा के नाम से ही विख्यात है जिसके किनारे सैंकड़ों गांव बसे हुए हैं जिसमें पानी आने पर सैंकड़ों परिवारों को उससे लाभ मिलता है। वर्तमान में पाली, बालोतरा और जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित पानी निकलता है, बिना ट्रीट किये सीधे ही नदी में आ जाता है। किसानों को नुकसान देता है जिसका जीता-जागता उदाहरण जोधपुर-बाड़मेर सड़क मार्ग पर डोली, धावा और कल्याणपुर की भूमि है, वह सारी बंजर हो गयी है। स्थिति यह हो गयी है कि रबी और खरीफ दो ही फसलें है, वे सारी खराब हो जाती हैं। बरसाती फसल नष्ट हो जाती है। इसके अलावा पाली से निकलने वाला गंदा पानी जो उधर की इकाइयों का होता है, नेहड़ा बाँध के रास्ते वह भी लूणी नदी में डाला जाता है। मेरे क्षेत्र के रामपुरा, धुनाड़ा, मजल, मियों का बाड़ा, गोधों का बाड़ा, कोटड़ी, भानावास, समदड़ी, करमावास, हर जगह नुकसान दे रहा है। भूमि का स्तर बेकार हो गया है और उस पानी से खड़ी फसलें नष्ट हो गयी हैं। बालोतरा से पानी नदी के रास्ते सिणधरी गुढामालानी तक पहुंचा, जिसमें किसानों के कुओं का जलस्तर तो बढ़ा, परन्तु पानी नीला, पीला रहता है और खड़ी फसल भी नष्ट हो गयी। यह मैंने स्वयं जाकर देखा। श्रीमान् जी से आपके माध्यम से यह मैं मांग रखता हूं कि उक्त तीनों जगहों का प्रदूषित पानी बंद किया जाये एवं किसान, आमजन, पशु-पक्षी, गौवंश आदि को बचाया जाए।

(श्री हमीरसिंह भायल)

विधान सभा अध्यक्षजी द्वारा इसकी एक समिति और कमेटी भी बनाई गयी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी आसन पर विराज रहे थे। उसका भी अभी तक कोई निर्णय या कोई सर्वे नहीं हुआ। कारेला अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड पाली के पत्र क्रमांक टीएफ/35/2017/14966 दिनांक 17.3.2017, पाली स्थित फैक्ट्रीज के प्रदूषित पानी को विभागीय बांध नाड़ी नेहड़ा में पहुंचने से रोकने के संबंध में। यह अधिशासी अभियन्ता ने 17 मार्च को क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को लिखा है कि अभी भी अनट्रीटेड पानी आ रहा है। फैक्ट्रीज बंद नाम मात्र की हैं। सारी फैक्ट्रीज का पानी, यह उसका ट्रीट और जलस्तर बढ़ा है, उसकी भी सारी साथ में यह फोटो सहित मेरे पास में है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। कैसे भी करके इसको रोका जाए ताकि आने वाले समय में, वहां की भावी आने वाली पीढ़ी प्रदूषित पानी से बचे। पशु-पक्षी और जन्म लेने वाला मनुष्य भी, बच्चा भी स्वस्थ रह सके। यही मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनिज सम्पदा राजस्थान में प्रचुर मात्रा में है। वर्तमान में सरकार द्वारा खनिज नीति लागू करके खनन पट्टे दिये जाने की नई नीति लागू की है। वर्तमान सरकार ने विभिन्न विभागों को खनन क्षेत्र में विकास हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। काश्तकारों के स्वयं के पट्टाधारी खेत में खनिज होने पर उसको कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए तथा किसानों के स्वयं के मकान बनाने हेतु काम में आने वाली बजरी, पत्थर की रायल्टी में भी छूट के लिखित आदेश तहसील स्तर पर होना चाहिए।

बाड़मेर जिला खनिज दृष्टि से सम्पन्न जिला है जिसमें तेल, गैस, कोयला, जिप्सम, लिग्नाइट, ग्रेनाइट आदि निकलता है। उक्त सभी खनिजों से सरकार को करोड़ों रुपयों की आय होती है। मेरी मांग रहेगी कि वह खनिज जिस पंचायत में निकलता है, उसमें कुछ हिस्सा-रायल्टी पंचायत को देकर विकास के काम में लिये जाए ताकि आम जनता की भी भागीदारी रह सके। तेल का अकूत भण्डार होने के कारण क्षेत्र में रिफाइनरी लगाई जानी चाहिए एवं स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, ऐसा प्रावधान

(श्री हमीरसिंह भायल)

किया जाना चाहिए। तेल, गैस, पैट्रोलियम की खोज करने वाली बाहरी कम्पनियों को सुरक्षा एवं संरक्षण मिले। इस हेतु एक कमेटी जन प्रतिनिधियों के साथ अवश्य हो ताकि किसी प्रकार का विवाद नहीं हो।

एक मेरी मांग यह रहेगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वहां ग्रेनाइट की सिवाना पूरी तहसील में कम से कम 100 खानें आज वर्तमान में कार्यरत हैं। जिनमें माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा सड़क खनिज विभाग द्वारा बनाने की जो घोषणा की है तो मेरी मांग रहेगी कि वहां भी देवड़ा, दुर्गापुरा, दंताला, देवंदी, मवड़ी, एनएच-325 हाइवे को मिलाने के लिए 12 किलोमीटर सड़क दी जाए ताकि मैन खनिज ढोने के लिए शोर्ट रास्ता भी हो जाएगा और सारा काम भी मिलेगा।

खनिज में मेरा भाकल्डा जो बैल्ट है, उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्राजील के मुकाबले का ग्रीन ग्रेनाइट अथाह मात्रा में है। जहां ग्रेनाइट की चट्टान है, वहां पौधे भी नहीं उगते पर वह वन विभाग में है। उसको वन विभाग से निकालकर, उसकी अगर लीज आवंटित की जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सरकार को राजस्व भी मिलेगा और लोगों को, सरकार को, राज्य को, सबको फायदा मिलेगा। यह मेरी मांग रहेगी।

हल्देश्वर पहाड़ी अरावली क्षेत्र है। वहां इतने पेड़-पौधे हैं, बांस के पेड़ भी हैं। पशु-पक्षी भी हैं। वहां फोरेस्ट से कैम्पा फण्ड को लागू करके वहां छोटे चैक डेम, एनीकट बनाये जाएं तो पशु-पक्षियों के लिए और वनों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण जी।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या-9 वन और मांग संख्या-43 खनिज पर बोलने की जो इजाजत दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, जैसे कहा जाता है कि जल ही जीवन है, उसकी जगह अगर मैं यह कहूं कि जंगल ही जीवन का आधार है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जंगलों में जिस कदर गिरावट आई है, उसी अनुरूप अगर देखें तो मानसून में

(श्री जगदीश नारायण)

भी लगातार गिरावट चलती आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम पिछले 20-30 साल का जिक्र करें तो पायेंगे कि 20-30 साल पहले जितना मानसून आता था, जितना पानी गिरता था, उतना पानी आज नहीं मिल पा रहा है, उतनी बरसात आज नहीं हो पा रही है और बरसात का स्तर दिन-प्रतिदिन कमजोर पड़ता जा रहा है, इसके पीछे अगर कोई न कोई कारण रहा है तो सीधा सा कारण है कि हमारे वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। जो पेड़ पौधे पहले से लगे हुए थे, वे पेड़-पौधे दिन-प्रतिदिन कम पड़ते जा रहे हैं। हर साल सरकार के द्वारा भी, सरकारी संस्थाओं के द्वारा भी बहुत सारे पेड़-पौधे लगाये जाते हैं लेकिन पेड़-पौधे लगाने के बाद उस जिम्मेदारी की इतिश्री वहीं कर ली जाती है। उसके बाद पलटकर यह नहीं देखा जाता कि पौधे लगाये थे, लेकिन लगाने के बाद जीवित कितने बचे हैं? इसका बजट भी खूब उठता है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इस बात पर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक इसका समाधान भी नहीं हो सकता और मानसून इस तरह से अगर कमजोर पड़ता गया तो हम जंगल को बनाने की बात करते हैं, वन को बनाने की बात करते हैं, हमारा खुद का रहना भी मुश्किल पड़ जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सघन जंगल बने, सघन वन बने, जंगलों में जानवर पलें, तब ही जाकर इस पर्यावरण का संतुलन बन सकता है। हमारे बुजुर्ग बड़े समझदार लोग थे। वे अपने घर के आंगन के सामने, घर के पिछवाड़े में, दायें-बायें, जहां भी उनको जगह मिलती थी तो अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े पेड़ लगाया करते थे। आज भी वह पेड़ उनकी यादगार बतौर निशानी आज खड़े हैं। पीपल के पौधे, बरगद के पौधे आज अगर देखें, विचार करें तो मेरे ख्याल से बरगद और पीपल कोई व्यक्ति लगाता नहीं होगा। किसी को थोड़ा बहुत कोई शौक बचा हुआ होगा पेड़ लगाने का...

तो अपने घर के आँगन में या अपने पार्क में छोटे-छोटे पौधे जरूर लगाता होगा जिससे उसकी कोई साज सजावट बनती होगी या उसका कोई शौक रहा होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेड़ वो है जिसके माध्यम से हमें आक्सीजन मिलती है और आक्सीजन अगर एक मिनट भी बंद हो जाए तो हम सब लोग जिन्दा नहीं रह सकते तो आखिर आक्सीजन आएगी कहां से।

(श्री जगदीश नारायण)

अंधाधुंध जंगलों की कटाई, अंधाधुंध खातेदारी में निजी खेतों में लगे पेड़ों की कटाई और इसी कदर अगर यह तरीका और यह क्रम चलता रहा तो हालात खराब होने वाले हैं। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते इस पर सावचेत होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मैं हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के साथ-साथ जल की व्यवस्था करने का भी काम किया और उसके साथ पेड़ लगाने का भी काम किया जिससे जल भी मिलेगा और पेड़-पौधों से हमारा पर्यावरण भी सुधरेगा, हमारा जंगल भी बढ़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, एक ऐसा रिवाज चल चुका है कि हर व्यक्ति अपना कोई न कोई जन्मदिन या इस तरह का कोई फंक्शन अपने घर में मनाता है। अगर इस पर विचार किया जाए और विचार करके इस तरह की कोई सोच बनायी जाए कि जो व्यक्ति जन्म दिन मनाएगा वो कम से कम अपने जन्म दिन पर पांच पेड़ जरूर अपने आस-पड़ोस में लगायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परिवार जितना बड़ा है, परिवार में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों को जितनी आक्सीजन की आवश्यकता है या उस परिवार के साथ जितने पशु हैं उनको जितनी आवश्यकता है उन पशुओं के लिए और खुद के परिवार को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता आक्सीजन की पड़ती है उतनी आक्सीजन हम औरों की न लें। हम खुद अपने प्रयास से अपने स्तर पर पेड़ तैयार करके हम अपनी पूर्ति खुद करें अगर ऐसा प्रयास शुरू किया जाए तो मैं समझता हूं कि पर्यावरण भी सुधरेगा...।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होकर मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन का समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 9 व 43 पर विचार

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेड़ लगाये और पेड़ लगा कर के अपनी पूर्ति खुद करे और जिसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे पेड़ तो इस तरह के हैं जो केवल देने ही देने का काम करते हैं। आक्सीजन के तौर पर भी अगर देखें तो वो केवल आक्सीजन देने का काम करते हैं आक्सीजन के बदले आक्सीजन वापस लेते भी नहीं हैं और उसमें पीपल का पेड़ प्रमुख पेड़ है। बहुत सारे पेड़ तो आक्सीजन देते हैं कार्बनडाई आक्साइड लेते हैं, कार्बनडाई आक्साइड छोड़ते हैं, आक्सीजन लेते हैं, लेकिन पीपल के लिए प्रमाण है कि पीपल चौबीसों घंटे केवल आक्सीजन देने का ही काम करता है। अगर ऐसे पेड़ों को लगाने की सोच तैयार की जाए, ऐसा कोई प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा सुधार होगा और सुधार के साथ-साथ मानसून आकर्षित होगा और मानसून आएगा तो जल की भी व्यवस्था होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि वृक्षारोपण को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और जल की व्यवस्था करने के लिए भी जल स्वावलंबन जैसी महत्वपूर्ण योजना बनाई और अबकी बार सभी माननीय विधायकों से अपने-अपने कोष से पच्चीस परसेंट पैसा देकर के जल स्वावलंबन में उन जगह देने का भी प्रयास किया है जिसमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट जंगलात विभाग के द्वारा उन सब पैसों को खर्च किया जाएगा और उसमें पौधारोपण भी होगा और पानी की व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय का ध्यान रखते हुए, मुझे पता है कि समय भी कम है, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं वन विभाग से संबंधित उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा और इतना सा है कि वन

(श्री जगदीश नारायण)

विभाग की नीतियां थोड़ी-सी सरल बने। उन नीतियों को हम जनमानस के अनुकूल बनायें। आपको पता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि पहले इंसान पहाड़ों में सुरक्षा की दृष्टि से अपने समूह बना कर के और घर बना करके रहते थे और जब-जब इंसान को थोड़ा सा यह महसूस होने लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तो पहाड़ों से उतर कर के धीरे-धीरे पहाड़ों की तलहटी में आना शुरू हुआ और आज भी उसके प्रमाण हैं। आज जितने भी गांव बसे हुए हैं वो पहाड़ों की तलहटी में बसे हुए हैं। पहाड़ों की तलहटी में मकान बना करके रह रहे हैं और अधिकांशत: घरों का जो एरिया है जो आबादी क्षेत्र है वो वन विभाग की सीमाओं में पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग वाले आज उनको बेदखल करने पर तुले हुए हैं। आज वन विभाग वाले आये दिन उनसे पंगा करते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक जन आवास योजना चलाई है, जन आवास योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को घर देने की जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है उसका भी अगर सही मायने में देखें तो वो जगह जंगलात की जगह होने की वजह से, वन क्षेत्र की जगह होने से वहां उसको पट्टा नहीं मिल पाता है और पट्टा न मिल पाने की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का उसको लाभ भी नहीं मिल पाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि उनकी खातेदारी की जमीनें काफी दूर पड़ गयी हैं, उस आबादी क्षेत्र को या समूह को छोड़ करके दूर जाकर के रह भी नहीं सकता तो कम से कम ऐसी जगह जो आबादी समूह में बसी हुई है उस जगह को देख करके उनके पट्टे उनको दिलवाने का काम करवाया जाए, ताकि उनको वहां पट्टा मिल जाए और उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करूंगा कि वन क्षेत्रों के पास से या वन क्षेत्रों के अन्दर होकर के पुरानी सड़कें गुजर रही हैं और वो सड़कें आज की नहीं हैं। कोई सड़क दस वर्ष पुरानी है, कोई बीस वर्ष पुरानी है, कोई पचास वर्ष पुरानी है और इसके लिए मैं भुक्तभोगी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह पता भी है कि हमारा सुप्रसिद्ध मंदिर

(श्री जगदीश नारायण)

जमवाय माता का जो मंदिर है वो ऐसी जगह बसा हुआ है जिसके दोनों तरफ पहाड़ है और जमवारामगढ़ बांध से क्रोस करने के बाद नकची घाटी जो क्षेत्र पड़ता है उसके जाने का मात्र एक ही रास्ता है उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। उधर की जो बीस पंचायतें हैं उन बीस पंचायतों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल से मैं लगातार प्रयास में हूं लगातार मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वन विभाग की वजह से उस सड़क की आज तक हम मरम्मत नहीं करवा पाये। जब-जब भी मरम्मत के लिए हम प्रयास करते हैं वन विभाग के अधिकारी बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। एक बार तो मैंने मोरम डलवाने का काम किया उस मोरम को भी नहीं डालने दिया। हमने कहा कोई डामर नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं केवल मोरम तो डालने दो, ताकि आने-जाने की सुविधा बनी रहे तो आने-जाने वाले साधन पास होते रहे, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गयी। मजबूरन लास्ट में हमने वन विभाग को आवेदन किया उसके बाद नहीं पार पड़ी तो मुख्य मंत्रीजी से गुहार लगाई और मुख्य मंत्रीजी के दखलंदाजी करने के बाद में जाकर के उसकी परमीशन मिली, एनओसी मिली और उस एनओसी में भी जो उन्होंने एक लिख करके दिया है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि सड़क की पहले जितनी चौड़ाई थी उस चौड़ाई से एक इंच भी आप बढ़ा नहीं सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पचास साल पहले जो सड़क बनी थी उस वक्त तीन मीटर की सड़क पर्याप्त थी। अब आज उस पर आवागमन कितना बढ़ गया। ट्रैफिक कितना बढ़ गया, जब तक वो सड़क आज डबल नहीं बढ़े, तब तक मैं समझता हूं कि पूरी उपयोगिता उस सड़क की नहीं है, लेकिन नहीं बनाने दे रहे हैं। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जो सड़कें हैं पुरानी, नयी मत बनाने दो लेकिन ऐसी जो सड़कें हैं जो आबादी से जुड़ी हुई हैं जो वर्षों से बनी हुई हैं कम से कम उनको ठीक करने के लिए उनकी मरम्मत करने के लिए तो हमको परमीशन मिलनी चाहिए और यदि उसमें परमीशन नहीं देते हैं तो उससे वन विभाग को लाभ क्या होने वाला है, क्या वो रास्ते बंद कर दिये जाएंगे? क्या वो

(श्री जगदीश नारायण)

आबादी वहां से चली जाएगी। हमारे पुराने लोगों का एक भरोसा और एक विश्वास रहा है कि जहां-जहां भी उनके मंदिर बनाये उन्होंने पहाड़ों की तलहटी में जाकर के जहां सघन वृक्षावली थी वहां जाकर के बनाये। आज भी धार्मिक स्थल कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं शिवजी का मंदिर है और जहां-जहां उनके मंदिर बने हुए हैं वहां मंदिर के आस-पास के एरिये में वो किसी को वनों के पेड़ काटने भी नहीं देते हैं उन पेड़ों पर स्वत: रोक लगी हुई है स्वत: ही उन वनों का रक्षण करने की एक परम्परा बनी हुई है, लेकिन उन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए भी आज हमें वन विभाग वहां सड़क बनाने नहीं दे रहा है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो सड़कें सरकार ही बनाती है यह वन भी सरकार का ही है। सड़कें बनाना जहां जायज है जहां आवश्यक है जहां आबादी क्षेत्र कस्बों टाइप में या समूह के रूप में वहां बसा हुआ है वहां तक हमको पुरानी सड़कों की मरम्मत करने की स्वीकृति वन विभाग के द्वारा मिलनी चाहिए।

हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों तक जो हमारे पहले से रास्ते बने हुए हैं उन रास्तों को ठीक करने के लिए भी हमें मंजूरी मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए और यदि बाई द वे यह स्वीकृति वन विभाग वाले नहीं देते हैं तो मैं तो निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वन विभाग अपने खुद के खर्चे पर उन रास्तों का निर्माण करवा दे, ताकि आवागमन बना रहे, लोगों को एक आने-आने का रास्ता उपलब्ध हो सके। यह वन विभाग से मेरा निवेदन है।

अब इसके साथ ही खनिज के लिए मैं आपसे निवेदन करूं, आपको पता है कि मेरे ही क्षेत्र में लगभग चालीस मार्बल की खानें चला करती थी और आंधी का मार्बल वो मार्बल था जो आस-पास नहीं पूरे हिन्दुस्तान में उसका एक नाम था। आज वो चालीस की चालीस खानें बंद कर दी गयी हैं। वो खानों की लीज थी वो भी सरकार ने ही दी थी। सरकार ने लीज दे-दे करके उनका टाइम भी बढ़ाया था, आज वन्य अभयारण्य क्षेत्र के नजदीक होने से उन खानों को बंद कर दिया गया है।

(17.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन खानों को बंद करने से राजस्व भी

(श्री जगदीश नारायण)
घटा है और बेरोजगारी भी बढी है। मेरे क्षेत्र की कम से कम 40 खानों में 20 हजार लोग काम करते थे और उनके अलावा कोई चाय की दुकान चलाता था, कोई टायर ट्यूब की दुकान चलाता था, कोई गाडियों के पार्टस की दुकान करता था, कुल मिलाकर उस क्षेत्र में 25-30 हजार लोग रोजगार में थे, उन खानों के बंद होने के बाद में वह रोजगार ठप्प हो गया, आज सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा उन खानों को दिखवाया जाए यदि वह वन भूमि से बाहर है तो उन खानों को भी चलवाने की व्यवस्था कराई जाए ताकि रोजगार भी मिले और जो खनिज संपदा भगवान ने, प्रकृति ने हमको दी है उसका सदुपयोग भी हो सके, उससे राजस्व की आय भी बढ़ सके।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जितने भी निर्माण कार्य, विकास कार्य हो रहे हैं, उन सारे कामों में पत्थर की आवश्यकता पडती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कहीं सरकारी निर्माण हो रहा है, सामुदायिक भवन बन रहा है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, कहीं अस्पताल की बिल्डिंग बन रही है, ऐसे सरकारी भवनों के लिये जो आवश्यक सामग्री है वह वहीं से ले सके, इस बात की भी हमें स्वीकृति मिलनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अगर यह खाने चलती हैं तो खनिज से संबंधित वहां एक बहुत बड़ा उद्योग भी लग सकता है और उस उद्योग के जरिये वहां की जनता को रोजगार भी मिल सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनिज से, वन से और पानी से आपको तो पता है कि जमवारामगढ डैम जो वर्षों से जयपुर शहर को पानी पिला रहा था, आज बिलकुल सूखा पड़ा है। वहां पीने के लिये पानी नहीं है। जंगलों में पीने के लिये पानी नहीं है और जंगली जानवर जंगल छोडकर आबादी क्षेत्र की तरफ आ रहा है और जितनी दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, उसके पीछे एक ही कारण है कि उनको पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम जंगली जानवरों, जीव जन्तुओं के लिये पीने के पानी की व्यवस्था उस जंगल में कराये जाने की व्यवस्था

(श्री जगदीश नारायण)

करवाई जाए। वहां बिजली तो लग नहीं सकती लेकिन मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस तरह के उपकरण या सौर प्लांट जैसे प्लांट लगाकर वहां पानी की व्यवस्था की जाए ताकि दुर्घटनाएं भी कम हो और उन जंगली जानवरों को वहां पीने के लिये पर्याप्त पानी मिल जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही कारण है रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं कि वहां पेंथर ने हमला कर दिया, वहां टाइगर ने यह कर दिया, आप देखें कि गीदड़ कभी गांव में नहीं आता था। एक कहावत भी थी कि जब गीदड़ की मौत आया करती थी तब वह जंगल छोडकर गांव में आता था। आज गीदड़ जंगल में रहता ही नहीं है, गीदड तो आबादी क्षेत्र में आकर रहता है, क्यों रहता है, उसको पीने के लिये वहां पानी ही नहीं मिलता है। इसलिए पानी की व्यवस्था करवाना बहुत जरूरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह गीदड अचानक कहां गायब हो गया, पता ही नहीं लगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप जंगल में ढूंढ रहे हो, वह गांव में रह रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अच्छा, अच्छा। उपाध्यक्ष महोदय, गांव का अता पता मालूम पड़ जाए तो कई माननीय सदस्य उससे साक्षात्कार करना चाहते हैं।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब को अगर गीदड़ के बारे में जानकारी लेनी है तो कृपया करके एक दिन मुझे दें और मेरे गांव में आकर एक दिन का प्रवास करें। मैं गीदड़ से रू-बरू करवा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह रंगा हुआ तो नहीं होगा ना? रंगा हुआ सियार तो नहीं होगा?

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गीदड़ को सियार भी कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे नहीं मालूम था गीदड़ के बारे में आपका सामान्य ज्ञान इतना ज्यादा है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक दोहा है कि मोंको कहां

(श्री प्रभू लाल सैनी)

ढूंढे, बंदे, मैं तो तेरे पास में। माननीय मंत्री महोदय जैसा आपने फर्माया है कि वह शहरों में आ गये, शहरी, ग्रामीण सारे इकट्ठे हैं, साहब को भी पता है, इनके इर्द गिर्द रहते ही होंगे।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर आप घंटी बजा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो बजा दी मैंने।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): बजा कहां दी?

श्री उपाध्यक्ष: जब जंगलों से गीदड़ शहर में आ गये फिर तो घंटी बजी हुई समझो आप।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह तो रंगा हुआ सियार है, वह तो रंगा हुआ गीदड़ है। पहले वाला गीदड़ तो गांव में ही रह रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, आप कन्क्लूड करो।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जंगली जानवरों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हो और जंगली जानवरों की वजह से किसानों की फसलों को जो नुकसान हो रहा है, किसान अपनी कडी कमाई के माध्यम से फसल तैयार करता है और जंगली जानवर आकर उस फसल को चौपट कर जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बारे में भी कोई व्यवस्था हो। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिये अनुदान पर कोई ऋण की व्यवस्था हो, या जंगल का भाग जहां आबादी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कम से कम आबादी क्षेत्र के सहारे सहारे जंगल की तारबंदी या बाडबंदी की व्यवस्था हो ताकि जंगली जानवरों से हमारा किसान भी सुरक्षित रह सके, फसल को भी बचा सके।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नाना लाल अहारी।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 9 वन एवं पर्यावरण एवं मांग संख्या 43 खनिज पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री नाना लाल अहारी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य जीवन में वन, जंगल बहुत ही आवश्यक है। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है वह पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर करीब-करीब 40 प्रतिशत भूमि पर जंगल है। कई वर्षों से हमारे आदिवासी भाई उस वन भूमि पर बसे हुए भी हैं और वन की सुरक्षा भी कर रहे हैं। मगर वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जो पेड़ पौधे लगाये जाते हैं, उन पेड़ पौधों की क्या हालत है, कितने पेड़ पौधे चले, उस पर कितना खर्चा हुआ, इस चीज की निगरानी की बहुत आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन चार बडे-बडे जंगल है, जहां वन नाके भी बने हुए हैं। मगर वहां प्रतिवर्ष वर्षा के समय कई पेड़ पौधे लगाये जाते हैं, वह पेड़ पौधे चलते नहीं है। अधिकारी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा इसमें एक सुझाव है, निवेदन है कि जहां पर पेड़ पौधे लगाये जाते हैं वहां का सर्वे करवाया जाए या वहां की फोटोग्राफी करवाई जाए ताकि पता चले कि इस जंगल में कहां-कहां पौधे लगाये जाते हैं।

वहां हमारे कई ऐसे जनजाति के लोग भी निवास करते हैं जिन्होंने कई वर्षों से अपना कब्जा कर रखा है, मकान बने हुए हैं, उनके कुएं खुदे हुए हैं। हमारे कई जनजाति भाइयों ने पट्टे के लिये आवेदन किया है। वहां करीब-करीब 15 से 17 ग्राम पंचायतें आती है जिनको मैं एक-एक को नहीं बताऊंगा। जो भी पट्टे पेंडिंग पड़े हुए हैं, विभाग के पास उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं, उन आदिवासी भाइयों को पट्टे मिल जाए ताकि वह स्थाई मकान बनाकर रह सके।

दूसरा, आज जंगलों में पानी नहीं मिलता है। पूर्व में कई सदस्यों ने भी इस बात को रखा है, मेरा निवेदन है कि जहां दूर दराज में जंगल है, जहां कई जगह पानी नहीं है वहां सर्वे करा कर कोई एनीकट बनाया जाए तो जंगली जानवरों को पीने के पानी की सुविधा होगी।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर विश्व का सबसे प्रसिद्ध ग्रीन मार्बल निकलता है। उस क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। उन सड़कों की हालत को भी सुधारा जाए और वहां पर जो ग्रीन मार्बल एसोसिएशन है, उसके द्वारा 800 हैक्टयर भूमि पर ऋषभ वन विहार में कच्ची बाउण्ड्री बनाकर पौधे लगाए गये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उस

(श्री नाना लाल अहारी)

800 हैक्टयर भूमि के लिए अगर विभाग की तरफ से पक्की बाउण्ड्री वॉल बन जाए। वहां पर कई हज़ारों पौधे पनपे हुए हैं और एक बहुत अच्छा जंगल पैदा हुआ है। इसकी मंजूरी मिल जाए तो वहां जंगल बनेगा और जहां पर जगह होती है, वहां पर बरसात भी आती है।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2014 से लेकर 2017 तक प्रधानमंत्री सड़कें स्वीकृत हैं। वहां पर चार-पांच सड़कें रुकी हैं। तो मेरा आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन है कि उनकी अगर एन.ओ.सी. मिल जाए तो उन सड़कों का काम हम चालू करवा सकते हैं।

1990 में एम.एल. नं. 363/90 श्रीचंद जैन की एक ग्रीन मार्बल की खान डूंगरपुर रोहनवाड़ा में लगी हुई थी। जहां पर अवैध खनन हुआ और अवैध खनन होने के बाद में उसकी 2009 में जांच कराई गयी। जांच कराने के बाद उस पर 3 करोड़ 57 लाख की पैनल्टी लगाई गयी। सरकार ने अभी तक उससे वह पैनल्टी वसूल नहीं की। उसके बाद अधिकारियों ने मिलकर वापस जांच करके 1 लाख 48 हजार की पैनल्टी की और वह भी उससे वसूल नहीं की। इसके बाद वापस जांच की गयी तो उसमें 98 लाख रुपये की वापस पैनल्टी निकाली गयी, वह भी उससे वसूल नहीं की गयी। इसके बाद 28.01.2016 को जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार का 3 करोड़ 57 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है, तो उससे जरूर वसूल कर सरकार के कोष में जमा करायें।

अभी 28.02.17 को राजस्थान अप्रधान खनिज नियम बना है, उस नियम में 13 बिडिंग प्रोसेस में खातेदारी भूमि का भी आक्शन पद्धति से लीज आवंटन का प्रावधान समाप्त किया जाकर, पूर्व की भांति खातेदार को या रजिस्टर्ड अनापत्ति धारक को सीधा खनन पट्टा आवंटित किया जाए।

दूसरा, 2017 के नियम 7(3) शिड्यूल फर्स्ट में उल्लेख है कि न्यूनतम क्षेत्रफल को गैप एरिया नहीं मानकर ऑक्शन पद्धति से आवंटन किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि दो या दो से अधिक खनन पट्टों या फॉरेस्ट बाउण्ड्री के मध्य एक हैक्टयर तक गैप क्षेत्र को पड़ोसी पट्टाधारियों के मध्य पूर्व नियमों के अनुसार ऑक्शन किया जाए। साथ ही, चालू खनन पट्टे के पास यदि पट्टाधारी के खाते की जमीन गैप के रूप में पड़ी हो तो

(श्री नाना लाल अहारी)

उसे पट्टाधारी द्वारा आवेदन करने पर लीज में जोड़ दी जाए। इसी प्रकार खनन पट्टों के बीच गैप के रूप में ऐसी चरागाह भूमि जिसमें पशु की पहुंच नहीं एवं चारों ओर से खानों से घिरी हुई है, उस चरागाह को पड़ोसी पट्टेधारियों के बीच ऑक्शन कर दी जाए।

2017 के नियम 27 में लीज हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। जिसमें प्रीमियम की राशि अत्यधिक बढ़ा दी गयी है। साथ ही, नियम 27(7) के अनुसार पार्टनर के चेंज होने पर या शेयर हस्तांतरण पर इसे हस्तांतरण की श्रेणी में मानना उचित नहीं है। 2017 के नियम 32 में राजस्व विभाग की भूमिका में केवल यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व विभाग अपने रिकॉर्ड में खनन क्षेत्र एवं खनिजधारी क्षेत्र mineral bearing area दर्ज करेगा। पूर्व का अमल दरामद का प्रावधान अब भी लागू है। जिसमें एन.ओ.सी. देने वाले खातेदार का नाम भी दर्ज होना चाहिए। जिससे वह किसी दूसरे को दुबारा भूमि नहीं बेच सके।

2017 के नियम 28-2(1) में डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट में करने का प्रावधान किया गया है। यह नियम वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि खनन पट्टों में कंसेंट-टू-आपरेट प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके लिए भारी फीस पोलूशन कंट्रोल बोर्ड वसूल करता है। इसे कम करना चाहिए।

पर्यावरण स्वीकृति में उल्लिखित कंडीशन में वृक्षारोपण के लिए निश्चित राशि प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान भी किया जाए और जिसकी पालना भी की जानी चाहिए।

राज्य सरकार की रायल्टी की 1 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को जिला परिषद के माध्यम से आवंटन करने का प्रावधान किया हुआ है। अनुमान से लगभग चार से पांच वर्षों से यह राशि पंचायतों को आवंटित नहीं की जा रही है। अत: मेरा निवेदन है कि यह राशि को भी ग्राम पंचायतों को दी जाए। ताकि वे अपनी ग्राम पंचायतों की आवश्यक चीजों में काम में लेवें।

मेरा दूसरा निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में बताया है कि प्रदेश में खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याणार्थ पेयजल योजना से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला

(श्री नाना लाल अहारी)

एवं बाल कल्याण, दिव्यांग, वृद्धजनों के कल्याण, कौशल विकास, सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण, ऊर्जा, सिंचाई एवं जल संरक्षण पर खर्चा किया जाएगा। कई वर्षों से इस क्षेत्र में माइनिंग का काम चल रहा है। जो योजनाएं बताई हैं। इन पर बहुत ही कम राशि खर्च हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि माइनिंग में 1 परसेंट का जो पैसा आता है, वह यहां पर लगाया जाए।

आपने मुझे समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या- 9 वन व पर्यावरण और मांग संख्या- 43 खनिज पर चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस मांग पर कहना चाहूंगा और आपसे संरक्षण भी चाहूंगा। यहां पर सभी विराजमान हैं। सभी माननीय विधायक गण, मंत्री गण सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भटिंडा गये होंगे, मथुरा रिफाइनरी भी आप गये होंगे, वहां आपने देखा भी होगा कि तेल कहां से आ रहा है, रिफाइनरी लगी है। मैं इसलिए कह रहा हूं मथुरा और भटिंडा में तेल एक हजार किलोमीटर दूर से आकर रिफाइन हो रहा है, रिफाइनरी लगी है। 25 प्रतिशत तेल बाड़मेर में निकल रहा है। 2013 में एचपीसीएल कम्पनी से इसका एमओयू हुआ, शिलान्यास हुआ, एग्रीमेंट हो गया। पीडब्लयूसी एजेंसी द्वारा उसको वापस जांच के लिए। कभी अव्यावहारिक है, फिजिबल नहीं है और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह अनवाइबल कैसे हो गयी। वह कह रहे हैं कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं। अब तो आपके यहां और केन्द्र में दोनों जगह सरकार आपकी। उसको साढ़े तीन साल हो गये अगर दुबारा एमओयू करना चाह रहे थे, उसको वापस रिवाइज करके किसी दूसरी कम्पनी को भी देना चाहो, तो उसमें कोई एतराज नहीं है। हमारा शिलान्यास किया हुआ पत्थर ही कोई उठा कर ले गये, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा पत्थर लगाओ, दूसरी कम्पनी को दो, उसमें हमें किसी को एतराज नहीं है, पर यह बाड़मेर और राजस्थान के साथ ही ऐसा कुठाराघात क्यों हो रहा है। रिफाइनरी ऐसा प्रोजेक्ट है जो बाड़मेर का जीवन है। भविष्य में राजस्थान के लिए आने वाला सुनहरा अवसर होगा। रिसर्जेंट राजस्थान की

(श्री मेवाराम जैन)

बात कर रहे थे। कितने करोड़ रुपये खर्च किए और कितने प्रोजेक्ट बाहर से आए। हमारा आया हुआ प्रोजेक्ट हम हाथ से गंवा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में सबको सोचना है, सबको देखना है कि यह क्यों बंद किया जा रहा है। राजनीतिक कारण है, बाकी तो कोई लग नहीं रहा। तेल वहां, साथ में पैट्रो केमिकल हब से लग रहा था, उसमें इतनी इंण्डस्ट्रीज, वहां कम से कम चार-पांच सौ और उसमें प्रोडक्ट लग रहे थे। कितना यहां इन्वेस्ट होता, कितने उद्योग लगते, कितने नौजवानों को रोजगार मिलता। इन सबको ताक पर रखकर यही कह रहे हैं, कभी तो वेदांता के साथ बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे है, समझ में नही आ रहा है कि इसके पीछे क्या राज है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को सब मिलकर शुरू करवाएं। राजस्थान के लिए यह अच्छी शुरूआत है। राजस्थान के लिए फायदेमंद है। बाड़मेर के लिए फायदेमंद है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रोजेक्ट को आप शुरू करवाए।

आज तेल रिफाइन के लिए भटिंडा जा रहा है। बाड़मेर का तेल जामनगर जा रहा है। गुजरात से होकर जा रहा है। गुजरात में जामनगर है। राजस्थान से ज्यादा रायल्टी गुजरात को मिल रही है। तेल राजस्थान का और रायल्टी गुजरात को। आप पता करो अपने से ज्यादा गुजरात को रायल्टी मिल रही है। आरोप यह लगा रहे हैं कि वहां अंबानी परिवार है, उनकी है रिलायंस इडस्ट्री, उनके वहां जा रहा है, वह ओब्लाइज हो रहे हैं, गुजरात को भी हो रहा है, यह आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बातें उठ रही है, आप रिफाइनरी की शुरूआत कराओ। 25 प्रतिशत तेल अपने यहां अवेलेबल है। जहां दूसरी जगह पर तेल बिलकुल नहीं है वहां रिफाइनरी लग सकती है, तो बाड़मेर में क्यों नहीं लग सकती है? यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

तेल के साथ गैस भी निकल रही है। इण्डस्ट्री लगाकर उस गैस को बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर, भीनमाल, जालौर में सप्लाई की जा सकती है। यह भी राजस्थान लिए अच्छा हो सकता है। नहीं तो यह तेल अपन बाहर भेज

(श्री मेवाराम जैन)

रहे हैं और गैस आ रही है उसको गर्म करने के लिए वहीं खतम हो जाती है। गैस का बचाव भी हो सकता है और अपने को इसका फायदा भी मिल सकता है।

मैं इस मौक़े पर एक और बात करूंगा। खनिज की बात मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही। किस तरीके से बजरी में घोटाले हो रहे हैं, चाहे खनिज में, लीज के बारे में बात चली, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। खनिज से ही राजस्थान का विकास हो पाएगा। उनसे आने वाली आय, देश भी इस पर निर्भर है कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा रायल्टी हमें खनिज के माध्यम से मिले। खनिज पर रायल्टी आनी चाहिए, बजरी पर रायल्टी आनी चाहिए। जो आरोप लग रहे हैं इस पर हमें सख्ती से विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि यह कैसे रुके, यह भ्रष्टाचार कैसे खतम हो, किस तरह से यह आय बढ़े ताकि राजस्थान के विकास की ओर हम आगे बढ़ सकें।

आज हमारे यहां केयर्न तथा राज वेस्ट कम्पनी, लिग्नाइट के अथाह भण्डार हमारे बाड़मेर में है। मेरे आधे विधान सभा क्षेत्र की जमीन वह एक्वायर हो गयी, केयर्न और राज वेस्ट लिग्नाइट के लिए। किसानों ने आराम से दे दी, कि हमारे यहां उद्योग लग रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही है, हमारे बाड़मेर का विकास होगा। उन्होंने औने-पौने में सस्ते में ही दे दी कि यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा, हमारा विकास होगा। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जमीन ले ली, पावर प्लांट भी एक हजार मेगावाट का लग गया, लोगों को सपना तो यह दिखाया था कि आपकी जमीन ले रहे हैं, आपके युवा है उनको हम इसमें रोजगार देंगे, व्हीकल वगैरह आपके लगेंगे। बड़े अधिकारी इसमें भले ही बाहर के हों, बाकी निम्न अधिकारी हैं वह यहां के लगेंगे। पर आज हालात यह है कि इने गिने लोग यहां लगाए, बाकी सब बाहर के लगे हैं।

वहां पर्यावरण की हालत खराब है। एक-डेढ़ किलोमीटर पास गांव है जहां पावर प्लांट है। डेढ़ किलोमीटर पावर प्लांट है, एक हजार मेगावाट की चार चिमनियां है। उसका कितना तापमान होगा, कितना प्रदूषण फैलता होगा।एक किलोमीटर दूर भादरेस गांव है, चार हजार की आबादी वहां है, क्या हालत होगी। फिर भी लोगों ने यह सोचा कि कोई बात नहीं, हमारा विकास

(श्री मेवाराम जैन)

हो रहा है। जमीन दें। उनको सपने दिखाये कि सीएसआर फण्ड से आपके यहां का कायाकल्प हो जाएगा। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां भी कम्पनियां काम कर ही है, चाहे केयर्न कर रही है, चाहे राज वेस्ट कर रही है, जिस पंचायत का खनिज, जहां रायल्टी मिल रही है तो सीएसआर का फण्ड उसी जगह लगना चाहिए। पर पता नहीं यह कहां-कहां लग रहा है। बाड़मेर का जोधपुर में लग रहा है या जयपुर में लग रहा है या उदयपुर में लग रहा है या कहां लग रहा है। कम से कम उन गांवों के विकास के लिए तो कुछ खर्च करो। सीएसआर फण्ड का अगर सही उपयोग होता तो वहां की स्कूल के लिए यह नहीं कहना पड़ता कि यहां कमरों की कमी है, चारदीवारी की कमी है, पानी, बिजली की कमी है। परन्तु उसको कोई देखने वाला नहीं। सीएसआर का फण्ड कम्पनियां मनमाने तरीके से खर्च कर रही है, इसका दुरूपयोग कर रही है।

मैं एक दो उदाहरण देना चाहूंगा कि इन्होंने रावतसर में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया, करीबन तीन-चार सौ घरों को सौर ऊर्जा से, सीएसआर फण्ड से हम लाइट दे रहे हैं। 6-8 महीने भी नहीं हुए और वह प्लांट बंद हो गया। सीएसआर फण्ड से पानी के लिए आरओ प्लांट दे रहे हैं। आरओ प्लांट की हालत देखी, वहां क्या हालात हैं? यह लग तो जाते हैं पर कम्पनियां पता नहीं किसको ओबलाइज करने के लिए दे देती हैं। 4-6 महीने में आरओ प्लांट खराब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। करोड़ों रुपये उसमें पानी हो रहे हैं। ...(व्यवधान)... मैं सीएसआर फण्ड की ही बात कर रहा हूं। सीएसआर फण्ड की ही बात कर रहा हूं। पानी की नहीं कर रहा हूं।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): सी.एस.आर. उद्योग में आता है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): साहब, सी.एस.आर. उद्योग में आता है। हमारे यहां तो खनिज का तेल और इनका आ रहा है। तो इनकी बात नहीं करेंगे क्या?

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): विषय से बाहर जा रहे हो आप।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं विषय के बाहर नहीं जा रहा हूं। विषय के अन्दर ही कर रहा हूं कि ये कम्पनियां लगी हैं। तेल खनिज में आ रहा

(श्री मेवाराम जैन)
है। किसमें आ रहा है, लिग्नाइट किसमें आ रहा है। इसमें ही आ रहा है और किसमें आ रहा है। आप समय यूं ही खराब कर रहे हो।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन पैसों का सदुपयोग हो। आज बाड़मेर के अन्दर शिवकरण कुडला, लिग्नाइट प्लाण्ट के लिये, कि वहां लिग्नाइट है, तीन साल पहले किसानों की जमीन एक्वायर की आज न तो किसान उसमें कुछ कर सकता, न आप उस जमीन को ले रहे हो, न उसको छोड़ रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा। आप या तो जमीन लो, उनको पैसे दे दो। नहीं लेनी है तो छोड़ो। न तो उसमें वह पानी का कनेक्शन ले सकता है, न उसमें कोई बिजली का कनेक्शन ले सकता है। न कोई आने-जाने की रोड बन सकती है। आप एक तो करो ना। तीन-साढ़े तीन साल हो गये। आप एक भी नहीं कर रहे हो। किसान कह रहा है कि या तो हमारी जमीन छोड़ दो, बिलकुल बाड़मेर के पास आई हुई जमीन। यह जो ब्लॉक मिला है, सरकार को फ्री मिला है। उसके बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं, आप उस जमीन को छोड़ दो। किसानों को वापस दे दो, मुक्त कर दो, बात खतम। किसान भटकें तो नहीं, हमेशा धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसका भी कोई न कोई समाधान करो।

आज गिरल पावर प्लाण्ट है। बंद होने की कगार पर है, बंद सा ही है। सारे चलाने वाले अधिकारी, अब उनको तो हटा दिया। कोयला है, उसके पास में जब राज वेस्ट का पावर प्लाण्ट चल सकता है तो गिरल का क्यों नहीं चल सकता। पर चलाने की सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं। उसमें प्रयास करें तो क्यों इतने करोड़ों रुपये खर्च किये उस पावर प्लाण्ट पर और वह बंद पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि गिरल का पावर प्लाण्ट है, अगर ये तरीके से चलावें, अच्छे अधिकारी भेजें तो यह पावर प्लाण्ट चल सकता है और करोड़ों रुपये का नुकसान न हो।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): लिग्नाइट में सल्फर बहुत ज्यादा है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं कह रहा हूं, इसके पास में सोनड़ी का पड़ा हुआ है, जालीपा कपूरड़ी में लिग्नाइट पड़ा है, खूब पड़ा है ना। अब एक हजार मेगावाट का राज वेस्ट का चल रहा है। तो यह गिरल का उसके 20 किलोमीटर के पास में है, क्यों नहीं चल सकता। 20 किलोमीटर का अन्तर है और पूरी जमीन में कोयला है, आप उसको लो ना। आपको कौन मना कर रहा है। आप कपूरड़ी का ले लो। आप सोनड़ी का ले लो। सोनड़ी के प्लाण्ट में 07 किलोमीटर का ही फर्क है। आप वहां का कोयला उसमें क्यों नहीं ले रहे हो। आप देखने का ही प्रयास नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो, एक ही है, बंद करके छोड़ दिया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज माइनिंग की बात कर रहे हैं। माइनिंग के, आज विकास, सड़कें बननी हैं। मकान बनना है, जितना बनना है, आज दुनिया भर का विकास तभी होगा जब सड़कें बनेंगी। और सड़कों के लिये खनिज चाहिये। आज खनिज के लिये पी.डबल्यू.डी. मंत्री शायद यहां नहीं हैं। सबको पता है कि 03 प्रतिशत रायल्टी ठेकेदारों से अपने बिल में कटती है, जितना खनिज लगता है उसका 03 प्रतिशत उस बिल में कट जाता है। उसके बाद ये ठेके, अभी मेरे से पहले सुखरामजी कह रहे थे कि ठेके दे रखे हैं। ठेके तो उसको दिये हैं, इसके लिये हैं कि कोई अवैध, जो सरकारी काम में नहीं जाए, उनके लिये ये ठेके हैं। अब सबसे ही, वहां नाके लगा दिये जगह-जगह, जबरदस्ती इनसे पैसे वसूल कर रहे हैं। अब आप गाड़ी में रवाना हुए, चौराहे पर रोका, पैसे दो। नहीं दें तो मारपीट, झगड़ा, उठा कर ले जाना। इस तरह से, इसमें अगर गलत है तो मैं कह रहा हूं कि बाड़मेर सदर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। आप उसकी जांच करा लो। दो मुलजिम पकड़े गये हैं, दो को छोड़ दिया है। यह क्या हो रहा है। मतलब एक ठेकेदार को आप लूटोगे। सड़क बनाने के लिये ग्रेवल चाहिये। आप अच्छी तरह से उसको रायल्टी का परमिट नहीं दे रहे हो। कितनी मुश्किल से वह परमिट लाये और उसके बाद में भी, परमिट के सरकार को पैसे भर रहा है, और उसके बाद में ठेके वाले नाके पर और रोक रहे हैं। यह कोई न्याय है? मूंगिया डामर मिक्स, उसकी कहें रायल्टी दो। आप कच्चे माल की ले सकते हो। लीज है उसकी। फिर भी उसको परेशान इस ढंग से किया जा रहा है।

(श्री मेवाराम जैन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, दो-तीन मिनट का मुझे समय दें। मैं वन्य एवं पर्यावरण पर इतना ही कहना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर के बार्डर एरिये में वन्य अभयारण्य एरिया है। उसके अन्दर सैंकड़ों किलोमीटर जमीन अभयारण्य में ले रखी है। आप कमेटी बना कर चेक कर लो कि वहां वन्य जीव हैं कितने, वहां कितनी आबादी बसी हुई है। न तो आप वहां कोई रोड बना सकते, न पाइप लाइन लगा सकते, न बिजली, न सड़क, तो वहां की हालत क्या है। आप वहां कोई भी उस जमीन का सर्वे करवा लो कि वहां अगर वन्य जीव है तो छोड़ दो। वन्य जीव हैं नहीं, तो भी सैंकड़ो किलोमीटर जमीन उस अभयारण्य में ले रखी है और वहां जनता सुविधाओं के लिये तरस रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनकी बात सुनो। लोग कई बार से आन्दोलन कर रहे हैं। जो जमीन काम नहीं आ रही है, उसको छोड़ो, जितनी काम आये, वह लो।

मैं ज्यादा बात नहीं, अंत में एक ही बात करुंगा। अभी यही बात जगह-जगह कर रहे थे कि बाहर से जानवर आकर जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही बाड़मेर में पच्चीस दिन से रात को एक आता है, 5-7 बकरियां खाकर चला जाता है। पता ही नहीं पड़ा, 20 दिन से 75 बकरियां खा गया। वे गरीब, शहर के अन्दर जिनके घर में एक-दो बकरियां हैं, कई बार वे वहां कह भी चुके, वन विभाग को कहा, कलेक्टर को कहा, सब-कुछ किया, पर आज तक पकड़ में नहीं आया। डेली, रात की भी घटना है, रात को भी बकरियां मार दीं। 20-25 दिन से डेली एक घटना हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी ध्यान दें। गरीब के घर में यही एक धन है।

अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये दो ही, पर्यावरण हमारा ठीक रहेगा, खनिज के अन्दर इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे। ...(व्यवधान)... मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं। रिफाइनरी के लिये अंत में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके, उपाध्यक्ष महोदय और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें राजनीतिक दुर्भावना मत करो। इस रिफाइनरी को बाड़मेर में लगने दो। यह राजस्थान का भविष्य है, बाड़मेर की जनता का भविष्य है।

(श्री मेवाराम जैन)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि आसन के पास भी आज रिलीवर नहीं है। अब दस-दस मिनट आप सबको मिलेंगे। पांच सदस्य और बोलेंगे। तीन इधर से हैं, दो इधर से हैं। तीन इधर से इसलिये हैं कि एक बी.एस.पी. के लीडर भी हैं तथा दो और हैं। आपके यहां से भी, आपके तीन हैं। तो एक घण्टा है, मैं सही साढ़े छह बजे मंत्री महोदय को पुकार लूंगा।

श्री पूरणमलजी सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 9-वन, मांग संख्या 43-खनिज पर चर्चा हो रही है। मैं अपनी बात कहूं, उससे पहले मैं आसन से निवेदन करूंगा कि रिलीवर के अभाव में ज्यादा प्राब्लम अगर माननीय को हो, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अभी भी माननीय मंत्री महोदय का जवाब करवा कर निस्तारण किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप बोल लीजिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे पूर्व बजट भाषण में रखा था कि यह देश बेलगाड़ी से हवाई जहाज तक पहुंच गया एवं ट्रंक-कॉल से स्मार्ट फोन तक पहुंच गया।

(17.40 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

लेकिन वन के लिए जो नीतियां बनी हैं, माननीय सभापति महोदय, आज वह ज्यों की त्यों है।

उसके लिए मैं एक बात रखूंगा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में विलायती बबूल का बहुत बड़ा प्रकोप सा छाया हुआ है। जो किसी ने पहले उगाई होगी लेकिन आज पानी के बहुत बड़े अभाव में भी वह अपने आप ही फैलती चली जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से

(श्री पूरणमल सैनी)

यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन विलायती बबूलों को हटा देना चाहिए। निश्चित रूप से यह बीमारी भी पैदा करती है, सड़क के आवागमन को भी बाधित करती है और उनके साथ से सड़कें गुजरती हैं उनको भी बाधित करती है। न किसी प्रकार का पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है और न ही कोई इनकी लकड़ी जलाने में अच्छा उपयोग में आती है। इनके स्थान पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, सुना है आप जैसे विद्वान लोगों से माननीय सभापति महोदय, कि पीपल का जो पेड़ है वह आक्सीजन देता है, वह लगाने के लिए। अब समस्या यह है कि इनको हटाया कैसे जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, हम पंचायत में सरपंच रहते हुए इन बातों का अनुभव कर रहे थे कि स्थानीय निकायों को यह आदेश दिया जाए। आज की तारीख में ग्रामों में ही नहीं, शहरों की सुंदरता को भी यह विलायती बबूल बिगाड़ रही है। इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय निकायों को निर्देश दिया जाए कि केवल 25 प्रतिशत पौधा भी नया रोपण करवा लेंगे, तो बहुत उपयुक्त होगा। माननीय सभापति महोदय, जलाकर कोयला बनाया जाता है जो काम में लिया जाता है। पंचायतों को आदेश करके उनको हटाते हुए और पूरे राजस्थान को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जा सकता है।

नम्बर दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्घटनाएं भी, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)....

श्री सभापति: सभापति लिख लिया करो आप। यह उपाध्यक्ष बोले या चाहे कुछ भी बोले, आप सभापति ही लिखो।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, दुर्घटनाएं इस तरीके से होती है। सड़कों के साथ-साथ इनमें बहुत घनघोर स्थिति में यह खड़ी हो गयी तो इनको जब काटा नहीं जाता है तो धीरे-धीरे करके यह रास्ते में आ जाती है और मोटरसाइकिल पर चलने वाले काफी लोगों की आंखें, नाक, कान आदि भी फाड़ दिये जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इनको हटाया जाना चाहिए।

तीसरा, माननीय सभापति महोदय, वन विभाग में एक स्पेशल है इनका कि वन विभाग के नाम से उस भूमि का सीमांकन नहीं है। डी-मार्केशन नहीं फर्माया हुआ है। बहुत सी जगह पर और बहुत से लोग जो बस

(श्री पूरणमल सैनी)

जाते हैं उनको कभी-कभार आकर हटाने की बात यह करते हैं या फिर बहुत से लोग, स्थानीय लोगों को यह पता नहीं होता डी-मार्केशन के अभाव में कि वन विभाग की भूमि कहां तक है। वह वन विभाग में जब आवश्यकता पड़ती है तो घुस जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को साथ रखते हुए और वन विभाग के कर्मचारियों की स्पेसिफिक यह ड्यूटी लगानी चाहिए कि वन विभाग की जमीन का बाईफरकेशन करके वहां के लोकल लोगों को, स्थानीय निकायों को अवगत करवाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग से जैसे मौका-आबाद लोग हो गये। बहुत सी घुमक्कड़ जातियां जो पहले थीं, आजकल जैसे बंजारा है, कालबेलिया जाति के लोग हैं, वह जगह-जगह पर बस गये और विशेषकर वह लोग वन विभाग की भूमि पर बस गये, जिन्होंने पक्के मकान बना लिये। मैं तो माननीय सभापति महोदय, मांग करना चाहूंगा, मेरी बात को स्टार्ट करते हुए भी कहा था कि जब यह देश ट्रंक कॉल से स्मार्ट फोन पर आ गया तो फिर उन नियमों में भी परिवर्तन करके जो लोग बस ही गये और पचास-पचास वर्षों से मौका आबाद हो गये हैं, उनको उस जमीन का बाईफरकेट करके जितनी दूरी में वह बसे हैं, निश्चित रूप से उनको पट्टा दिया जाना चाहिए। क्योंकि माननीय सभापति महोदय, उनके पास घर नहीं है इसलिए उनको विद्युत कनेक्शन भी नहीं मतलब, राज्य सरकार के द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले सभी लाभों से उनको वंचित रखा जा रहा है। इसलिए मेरी यह मांग है।

दूसरा, उधर से रास्ते और सड़कें गुजरती हैं उनमें भी हम पक्का निर्माण जनता के लिए कर नहीं पाते हैं। तो उनको भी बाईफरकेट किया जाना चाहिए।

एक अहम बात, माननीय सभापति महोदय, इसमें जो है, हमारे यहां पर वन भूमि बहुत है और हम देखते हैं लोकल में कि वन कर्मचारियों के लिए एक साइड बिजनिस सा पैदा कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, वन कर्मचारी जो भी वहां पर है वह अपनी नौकरी के साथ-साथ बैठे तो रहते हैं जहां शहर होते हैं, आस-पास के बड़े गांव होते हैं उनमें और पहाड़ों की तरफ कोई जाता नहीं। वहां के लोकल लोग, जिनका नीतियों में अवैध काम

(श्री पूरणमल सैनी)
करने का आया हुआ है, वह लोग क्या करते हैं कि वहां से पत्थर उठाते हुए 100, 200, 50 रुपये बहुत बड़ी मांग उन कर्मचारियों की नहीं होती है, वह देते हैं और उन पहाड़ों का जो आरक्षित वनों के लिए है, उनको खनन के उपयोग में लिया जा रहा है। खनिज विभाग की जमीन नहीं होने से खनिज विभाग का उधर ध्यान नहीं जाता। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा माननीय सभापति महोदय, वन मंत्री महोदय से कि इस नियम को लागू करके इस पर गौर फर्माया जाए इनको बाईफरकेशन करते हुए।

दूसरा विषय, माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-43 है, उसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खेतड़ी नगर नाम से खानें बहुत पहले से चली हुई हैं। उन खानों में करीब 15 हजार कर्मचारी काम करते थे लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिये जाने की वजह से आज धीरे-धीरे करके वहां हजार से बारह सौ कर्मचारी ही बचे हैं। माननीय सभापति महोदय, उसका कारण यह नहीं है कि वहां पर खनिज संपदा खतम हो गयी। उसका कारण यह है कि बाहर के लोग जो यहां पर आए हैं, उन्होंने भी इसको नौकरी के साथ-साथ बिजनिस समझा और यहां की जो संपदा पैदा हुई उसको ट्रांसपोर्टेबल किया गया। ट्रांसपोर्ट के दौरान ही कीमती सामान को जो वहां से तांबा और यह निकलता था, उसको लुटा दिया और अपना साइड बिजनिस कर करके लोग बाहर के थे, लेकर चले गये। कंपनी को घाटा बता दिया और उनको बंद कर दिया। मैं मांग करना चाहूंगा कि वहां पर 25 से 30 हजार कर्मचारियों को नियोजित किया जा सकता है उन खानों में। दुबारा केन्द्र की सरकार का वह प्रोजक्ट है। तो राजस्थान की सरकार एक प्रपोजल तैयार करे और उन खानों को वापस चलाने के लिए काम करे।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, वहां पर आकावाली नाम से एक बहुत बड़ी पहले खान रही है, जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। पानी के बहुत भराव के कारण ही उसको उस समय बंद किया गया था और उसमें माननीय सभापति महोदय, सोना निकलता है, हमारे पूर्वज उसमें बताते हैं, जिन्होंने काम किया है।

मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि उन पहाड़ों में जो वन विभाग

(श्री पूरणमल सैनी)

के बीच में यह है उसके लिए क्यों नहीं, राजस्थान की सरकार इधर-उधर भटकती फिर रही है। नियोजकों को उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को बाहर से लाया जा रहा है और अपने यहां पर जब इतनी बड़ी संपदा जब है तो उसकी जांच करवा कर, उस पर गौर फर्मा कर, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और राजस्थान की सरकार के लिए कर पैदा होगा, ऐसे में उनको चलाया जाना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। अब समाप्त करें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बात नहीं करके, एक छोटी सी, पिछले दिनों 2014 में भी यहां विधान सभा में प्रश्न लगा था कि नागौर जिले में खान आवंटित हुई हुई है, 106/1 और 106/2 उन खानों का हैक्टेयर एरिया जो भी रहा होगा, उन खानों के लिए जब प्रश्न उठा तो विभाग ने गौर फर्माया और उनके लिए जो कर का निर्धारण किया, क्योंकि वह अवैध खनन कर रहे थे, उनका जो आवटित रकबा था वह दूर रह गया और दूसरे रकबे को, राजकीय भूमि को वह खोद रहे थे। सरकार के नुमाइंदे वहां आदेश के माफिक पहुंचे और उन्होंने जब सर्वे किया तो 18 करोड़ रुपये उन पर जुर्माना फर्माया गया जो राजस्थान की सरकार ने आज तक नहीं वसूला है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की भी एक समस्या है कि 133 की कार्यवाही करके और अवैध रूप से जो खनन का कार्य किया जा रहा था, उपखंड अधिकारी खेतड़ी ने उनका पाबंद करवा दिया गोरिर के पास मोडी गांव में लेकिन अब पिछले चार-पांच दिन पहले भी और लगातार वह लोकल लोग, जिनको समस्याएं हैं, क्योंकि जब खान के लिए होल लगाये जाते हैं तो उन होल्स से पत्थर उठ-उठकर वह उन घरों पर जा-जाकर गिरते हैं। वह लोग माननीय सभापति महोदय, मानवाधिकार आयोग तक चले गये लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 133 में बंद कर देने के बाद भी उनको चलाया जा रहा है।

तो यह जो अवैध रूप से इस प्रदेश में विभिन्न तरीके के खनन कार्य किये जा रहे हैं, उन पर कब्जा करने के लिए माननीय खनिज मंत्रीजी, मेरी मांग है कि उन पर गौर फर्माते हुए कब्जा करें।

(श्री पूरणमल सैनी)

आपसे समय दिया, इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद। जय हिंद।

श्री सभापति: धन्यवाद, बहुत-बहुत। श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र के अंदर नाम मात्र की बारिश होती है। बिलकुल हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, पाकिस्तान बोर्डर के साथ-साथ लगते हुए यह जिले जहां शायद राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। इस वजह से शुरू से ही यहां हमारे वन विभाग या दरख़्तों की जो संख्या थी वह कम रही। वन विभाग के आने के बाद में कौनसी भूमि वन विभाग द्वारा ली गयी और कहां-कहां उनका वृक्ष लगाने के कार्यक्रम शुरू हुआ यह शायद किसी को मालूम नहीं था। गांवों के आस-पास जब गांवों की आबादी छोटी पड़ी तो आमजन अपने रिहायशी मकान बनाने के लिये उस वन विभाग की भूमि पर काबिज हो गये। वहां पर उन्होंने अपने मकान बना लिये। अब जब उन्हें इस बात का मालूम हुआ या वन विभाग की तरफ से उन्हें बार-बार नोटिस दिये गये कि यह भूमि वन विभाग की है, तो निश्चित रूप से इतने पुराने जिन लोगों के मकान थे और जिस तरह की व्यवस्था वहां सरकार के द्वारा चाहते थे, वह उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। अभी जिस तरह से सदन के अंदर चर्चा हो रही थी। बड़ी-बड़ी कालोनियां, बड़े-बड़े होटल, अन्य बड़े-बड़े व्यावसायिक केन्द्र वन विभाग की भूमि पर चल रहे हैं, लेकिन एक वह अन्तिम व्यक्ति, जो अपनी झोंपड़ी बनाकर वन विभाग की भूमि पर बैठा है और आदरणीय प्रधान मंत्रीजी की प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत उसको मकान की सुविधा नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के तहत उसको बल्ब जलाने की परमिशन नहीं। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की नहीं, बल्कि सूरतगढ़ तहसील की बात करता हूं। सूरतगढ़ तहसील के अंदर साढ़े 16 हजार हैक्टेयर के करीब वन विभाग की भूमि है। उसके बावजूद भी जब वहां से उपनिवेशन विभाग गया, तो लगभग 2200 हैक्टेयर भूमि अलॉटमेंट ठीक टाइम पर नहीं होने की वजह से वह प्रस्तावित वन भूमि का नाम देकर उसने राजस्व विभाग के रिकार्ड में अंकित करवा दिया। जो भूमि प्रस्तावित वन भूमि के नाम से रिकार्ड में अंकित की गयी या जिसका इन्द्राज किया गया, वह भूमि उससे पहले की

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

किसी न किसी रूप में किसानों को अलाट थी। किसान उस पर काबिज था और आज भी काबिज है। वन विभाग ने आज तक ऐसी भूमि का कभी कब्जा नहीं लिया। अब मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन रहेगा कि ऐसी भूमि, जहां किसान लगातार 40 वर्षों से खेती कर रहा है और जिसमें कहीं वन विभाग का आज तक कब्जा नहीं है, खासकर के प्रस्तावित वन विभाग की भूमि है, उस प्रस्तावित वन विभाग की बकायदा वन विभाग के अधिकारी और हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी साथ बैठकर इसका निर्णय करें कि जब वह वन विभाग की भूमि नहीं है, जमाबंदी में जिसका अंकन प्रस्तावित वन भूमि के नाम से हो चुका है, वहां से उसको हटाकर जिस किसान को वह भूमि अलॉट है, उसका नाम उसमें दर्ज कराया जाए ताकि उस किसान को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो अन्य कालोनियां बस चुकी है, इंदिरा गांधी नहर जब आयी, उसके पास-पास जहां भी लोगों को ठीक लगा, आबादी भूमि की जरूरत हुई तो उन्होंने कालोनियां बना लीं। आज बड़ी-बड़ी कालोनियां, 200-300 मकान वहां बने हुए हैं, इसके लिये भी हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालने चाहिये। आज से दो साल पहले कलक्टर साहब के यहां जब मीटिंग हुई थी तो हमने तय किया था वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर जो इसके अंदर गलत हो गया था, जिस किसी को गलत तरीके से अतिक्रमण हो रहा है तो इसकी एक संयुक्त कमेटी से जांच करा ली जाए, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कमेटी बनाकर उस पूरे क्षेत्र का एक सर्वे तो करा ही लेना चाहिये। आपको अपनी जमीन का मालूम तो होना चाहिये। साढ़े 16 हजार हैक्टेयर भूमि, जो आपकी है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिये सूरतगढ़ राजस्व तहसील की, हमारे 2200 हैक्टेयर जमीन, जो प्रस्तावित है, उसका हमें मालूम होना चाहिये। मैं निश्चित रूप से उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द माननीय मंत्री महोदय इस पर निर्णय करेंगे।

इसके साथ-साथ खनिज विभाग के लिये जो अभी नई नीति घोषित हुई है, मेरे सूरतगढ़ में जिप्सम की काफी खानें हैं। वहां से लोग जिप्सम

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

निकालते हैं, लेकिन जिस तरह से भू-माफिया दिन-रात वहां से खनन करते हैं, जैसे ही शाम होती है, आजकल तो स्थिति यह है शाम होने के साथ ही घरों के अंदर घर्र-घर्र की जब आवाज आने लगती है तो यह पता लगता है कि भू-माफियाओं की जो जे.सी.बी. मशीनें हैं, वह वहां आ चुकी हैं। वह सारी रात जिप्सम निकालती रहती हैं। ना वह गांव के लोग सो सकते हैं, ना वहां बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो नई नीति बनायी है जिप्सम के लिये, उसमें मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। किसानों को भी फायदा मिलेगा और जब छोटे-छोटे टुकड़ों में किसानों को खनिज नीति के तहत जिप्सम को निकालने की लीज दी जाएगी, उससे मेरा ऐसा मानना है कि जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा।

यह सारी बातें ऐसी हैं जिन पर माननीय मंत्री महोदय ध्यान करेंगे।

आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, विराजिये। श्री श्रीरामजी भींचर।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9-वन एवं पर्यावरण एवं मांग संख्या-43-खनिज पर आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। सभापति महोदय, अभी काफी माननीय सदस्य यह बात कह रहे थे कि जंगल से शेर आ रहा है, कोई कह रहा है कि चीता आ रहा है, कोई कह रहा है गीदड़ आ रहा है। अगर किसी को भोजन नहीं मिलेगा तो जहां उसको भोजन मिलेगा वह उसी तरफ जाएगा।

इसलिये इस पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि नीलगाय एक ऐसा जानवर है, जो किसी काम के लिये उपयुक्त जानवर नहीं है। किसान दिन में काम करता है और नीलगाय से अपनी फसल बचाने के लिये रात भर वह जागता रहता है। नीलगाय कह दो, रोजड़ा कह दो, वह एक ही बात है। दूसरी तरफ नीलगाय की इतनी स्पीड है कि 100 से भी ज्यादा स्पीड से वह रोजड़ा चलता है। रोड पर जब कार या जीप लेकर जाते हैं तो वह अचानक ऐसा रोड पर गाड़ी के सामने आता है जिससे दुर्घटना होती है और दुर्घटना की खबर आप और हम रोज अख़बार में पढ़ते हैं कि पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है।

(श्री श्रीराम भींचर)

इसलिये मेरा वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज जंगल के जानवर चीते, शेर और गीदड़ हैं, वह जंगल छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हैं। इस नीलगाय को पकड़कर आप बड़े-बड़े जंगलों में छोड़ देवें ताकि किसान को भी इससे राहत मिलेगी। सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, उससे भी राहत मिलेगी और शेर, चीता वगैरह को खाने के लिये भोजन भी मिल जाएगा।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, यह मौलिक सुझाव है।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर मार्बल की कई खानें हैं। मकराना के अंदर भी हैं, उदयपुर, राजनगर और सिरोही के अंदर भी मार्बल की खानें हैं और विदेशों के अंदर भी मार्बल की खानें हैं। लेकिन मकराना के अंदर जो मार्बल निकलता है, वह पूरे भारत के अंदर नहीं, बल्कि विश्व के अंदर मार्बल संगमरमर के नाम से विश्वविख्यात है। मकराना के अलावा जो भी पत्थर निकलता है, वह मार्बल संगमरमर नहीं है, वह सारा का सारा स्टोन है। हालांकि इटली का पत्थर एकदम सफेद आता है, लेकिन वह भी स्टोन है। स्टोन और मार्बल संगमरमर में यह फर्क है कि मार्बल संगमरमर के अंदर पत्थर चाहे बिलकुल सस्ते से सस्ता, चाहे वह किसी भी क्वालिटी का पत्थर हो, हजारों साल बाद भी वैसा का वैसा रहता है और यह जो स्टोन है, इसको शायद किसी माननीय सदस्य ने लगाया होगा तो पता होगा कि उसमें एक तो दाने निकल जाते हैं और दूसरा चार-पांच साल के बाद में उसका कलर फेड हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना की जो खानें हैं, वह करीब 300 साल पहले स्टेट के जमाने के अंदर खानधारियों को खान आबंटन हुई थी। आप इससे यह अंदाजा लगा लें कि 300 साल पहले जिस एक व्यक्ति को खान अलॉट हुई थी, आज उस परिवार के अंदर कितने सदस्य हो गये। आज उस खान के अंदर, क्योंकि मकराना की खानें जब भी अलॉट हुई, उस वक्त भी उनका एरिया बहुत छोटा-छोटा था 50 बाई 50, 100 बाई 100 और ज्यादा से ज्यादा अगर बड़ी खान थी तो वह थी 200 बाई 200 फुट।

(श्री श्रीराम भींचर)

(18.00 बजे)

बहुत छोटे-छोटे, एक प्वाइंट हैक्टेयर या 1.5 हैक्टेयर के अन्दर अलॉट थी और आज उन खानों की यह स्थिति है कि अगर आप उस खान का परिवार के अन्दर हिस्सा करे। तो मैं कहता हूं कि मात्र छह इंच और एक फुट का हिस्सा आता है। अब आप यह बताइये कि जब इतने परिवार एक खान के अन्दर अगर हिस्सेदार हो गये तो उनका गुजारा किस तरह से होगा?

मकराना की जो खानें अलॉट हुई हैं उनको बापी पट्टा वगैरह मिला है और बाहर की खानें जितनी भी अलॉट हुई हैं वो भी एक ही व्यक्ति के नाम हुई है लेकिन उनका एरिया बहुत बड़ा है, कम से कम 18-20 बीघा से लेकर के आगे 20-30 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा, वो कितनी भी है लेकिन इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना की जो खानें हैं, आज जो एक-एक फुट या छह-छह इंच हिस्से में आया है, एक नई पॉलिसी अभी बनी है 2017 के अन्दर और इसके अन्दर सैक्शन 10 पीरियड ऑफ क्वारी लाइसेंस, इसमें कहा गया है कि 30 वर्ष से पुरानी खानों को माना जाएगा कि वो 30 वर्ष से अलॉटेड थी और उन खानों का वर्ष 2025 तक रिनुअल किया जाएगा और उसके बाद इन खानों का सालाना किराया ई-ऑक्शन से किया जाएगा। अगर ई-ऑक्शन से किया जाएगा तो जो व्यक्ति ज्यादा किराया देगा, क्योंकि वहां तो कोई गरीब-अमीर का मामला नहीं है, अगर ऑक्शन होगा तो जो ज्यादा पैसा देगा खान उसके अलॉट होगी। अगर अमीर आदमी को वो खान अलॉट होती है तो उसके बाद में, माननीय मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस आदमी के पास में एक खान है जिससे बीस-बीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस परिवार अपने परिवार का निर्वहन कर रहे हैं तो वो आदमी उस दौड़ के अन्दर, ई-ऑक्शन के अन्दर बिलकुल बाहर हो जाएगा। वो उस दौड़ के अन्दर उस खान को बिलकुल नहीं ले पायेगा।

इसी तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना कि जो खानें थीं, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि 300 साल पहले, उस वक्त कोई मशीनरी भी डवलप नहीं थी, उस वक्त दो आदमी, जैसे आज लकड़ी को करोत से काटते हैं वैसे एक पाती को लेकर के दो औरतें बैठतीं, वो उस पर

(श्री श्रीराम भींचर)

बजरी डालतीं, पानी डालतीं और इस तरह से वो उसकी कटाई करती थीं। उसके बाद में जब मशीनों का युग आया तो उसके बाद में देशी मशीनें भी लगीं, डायमंड मशीनें भी आयीं और विज्ञान ने ज्यों-ज्यों तरक्की की तो उसके बाद में यह काफी डवलप हुआ।

मकारानों की खानें, जो संगमरमर मार्बल की खानें हैं उसका उदाहरण आज सबके सामने है। आगरा का ताजमहल, कोलकाता के अन्दर विक्टोरिया मैमोरियल, देख लीजिए। उनको बने हुए कितने साल हो गये लेकिन आज भी वो मार्बल सैंकड़ों साल बीतने के बाद भी वैसे का वैसा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना के अन्दर सिर्फ एक यह मार्बल का ही धंधा है इसके अलावा मकराना के आसपास में 50 किलोमीटर अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। मकराना में जमीन के अन्दर पानी भी नहीं है। आज मकराना के अन्दर जो पीने का पानी आ रहा है वो कुचामन से आता है, जो मकराना से 45 किलोमीटर दूरी से आता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो आप यह खानों का ऑक्शन कर रहे हैं, इस ऑक्शन के अन्दर गरीब की क्या हालत होगी और आज इसके अलावा वहां पर कोई दूसरा धंधा भी नहीं है। जो गरीब लोग हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी क्या हालत होगी। यह बड़ी सोचने की बात है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नई खनिज नीति में खानों का ई-ऑक्शन, नीलामी की सूचना जब अख़बार में और टीवी के अन्दर लोगों को मिली तो कई लोग इस बात पर मजबूर हो गये 2025 के बाद में अपनी क्या हालत होगी, अपने को यहां से कोई पलायन करना पड़ेगा या अपने को और कोई इंतजाम करना पड़ेगा। सभापति महोदय, उस आदमी की यह हालत है कि जो खान आज तीस-तीस, चालीस-चालीस परिवार के अन्दर बंटी हुई है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना के अन्दर जितनी खानें हैं, आज जो खान मालिक हैं 70 प्रतिशत आदमियों के ऊपर करोड़ों रुपये उनके ऊपर आज भी कर्जा है। ई-ऑक्शन से जब नीलामी होगी तो उसके बाद में आदमी उस खान को नहीं ले पायेगा। आज जो आदमी कर्जे से डूबा हुआ है तो बाहर जाकर वो क्या काम कर लेगा? यह बड़ी सोचने की बात है।

(श्री श्रीराम भींचर)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ई-ऑक्शन की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाये जाने पर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी जिससे कीमत अधिक होने के कारण मौजूदा खानधारी को खान से वंचित होना पड़ेगा, जिसके कारण खान पर लगी क्रेन व अन्य मशीनरी से भी वंचित होना पड़ेगा।

श्री सभापति: समाप्त करो।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): आज जिसके पास में करोड़ों रुपये की इतनी मशीनरी है, तो फिर उसका क्या होगा? वो भी उससे वंचित हो जाएगा। एक तरफ सरकार गरीबों का उत्थान करना चाहती है, कि हम गरीब परिवार का उत्थान करें, डवलप करें और एक तरफ सरकार उन गरीब लोगों को ई-ऑक्शन से खानों की नीलामी कर के बर्बाद करने का काम भी कर रही है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2025 के बाद में जो खानें ई-ऑक्शन की जाएगी, इसमें मैं विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि मकराना की खानों के लिए एक अलग से नियम बनाये जाए क्योंकि मकराना की स्थिति बिलकुल अलग है और इसके अलावा बाहरी जितनी भी खानें हैं उनकी बिलकुल अलग है। इसलिए आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से, माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसमें मकराना के लिए एक विशेष अलग नीति बना कर के और वहां की जनता को राहत दिलवाएं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि मकराना की जितनी भी खानें हैं वहां पर जो एप्रोच रोड़ है, वहां पर जो सड़कें बनी हुई हैं उनको तीस-तीस साल हो गये और उन सड़कों की ऐसी दुर्दशा हो गयी है कि आने-जाने के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं है। मकराना से आज कितनी रेवेन्यू सरकार को मिलती है और उसका एक नया पैसा वापस वहां पर उनको मिलता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर सरकार को जितनी रेवेन्यू मिलता है उसका कुछ हिस्सा मकराना को वापस दिया जाए ताकि वहां सड़कें बनें और जनता को उससे राहत मिले।

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): एक मेरा निवेदन है कि राजस्थान की

(श्री श्रीराम भींचर)

मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही विशेष योजना 'जल स्वावलंबन' चलायी है, सभापति महोदय, मकराना की खानें 200-300 फुट तक गहरी हो गयी हैं उन खानों के अन्दर रोज जमीन से पानी आ जाता है और सुबह रोज खान मालिक पानी निकाल कर उसको रोड़ पर डालता है, रोड़ पर डालता है तो सड़क टूटती है इसलिए आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से और मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप ऐसी एक योजना बनाएं कि खानों से निकलने वाला जो पानी है, उस पानी को आप वहां एक टैंक बना कर के और उसमें डाल कर के उसके बाद में खानों के पास में ही एक जो झालरा तालाब है उसमें उस पानी को डालें ताकि अगर तालाब के अन्दर वो पानी जाएगा तो जमीन रीचार्ज होगा और अगर रीचार्ज होगा तो आज मकराना के अन्दर पीने के पानी की समस्या स्वत: ही मिट जाएगी क्योंकि जमीन का जल स्तर एकदम ऊंचा आ जाएगा।

मैं इस बिंदु पर दो बात कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): हां कर रहा हूं, सभापति महोदय।

'इन्सानियत इन्सान को इन्सान बना देती है,
लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है,
लोग यूं ही नहीं जाते मन्दिरों में पूजा करने,
आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है।'

श्री सभापति: धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। मैंने जो यह निवेदन किया है इस पर आप गौर फर्माएं।

सीता माता सैंचुरी के आस पास जनजाति समाज के गरीब तबके के लोग निवास करते हैं, अभी पिछले वर्ष सवाईमाधोपुर अभयारण्य के साथ सीता माता अभयारण्य में आने वाले पर्यटकों के प्रवेश शुल्क में चार गुणा वृद्धि की गयी है जबकि वहां पर ऐसे सम्पन्न लोग नहीं हैं, इसको वापस लिया जाए।

इसी पर एक,

(श्री श्रीराम भींचर)

'जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है,
शुद्धता होती है विचारों में आदमी तब पवित्र बनता है,
फूलों में भी कीड़े पाये जाते हैं पत्थरों में भी हीरे पाये जाते हैं,
बुराई को छोड़ कर अच्छाई देखिये तो सही,
नर में भी नारायण पाये जाते हैं।'

श्री सभापति: वाह। बहुत धन्यवाद।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): और मैं इधर जो मेरे बंधु बैठे हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि

राहत भी सरकार से ही मिलती है और
चाहत भी सरकार से ही मिलती है,
सरकार से कभी रूठना नहीं क्योंकि
विकास भी सरकार से ही मिलता है।

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजिये।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): सभापति महोदय, आपने जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: मेरा भी मार्गदर्शन कर दिया आपने।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, अब तो आप रूठे हुए नहीं हो?

श्री सभापति: विराजिए, आप तो। श्री भंवर सिंह जी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 9 वन और पर्यावरण एवं मांग संख्या 43 खनिज पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका आभार।

सभापति महोदय, खनिज का नाम आते ही, पर्यावरण का नाम आते ही सबसे पहले अवैध खनन का नाम सामने आता है। अवैध खनन के बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई।

श्री सभापति: अवैध पर बहुत चर्चा हो गयी तो थोड़ी वैध पर भी कर लें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, खनन का नाम आता है तो वैध कहीं मुझे लगता नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्ले और बजरी का भारी मात्रा में खनन होता है। मैं समझता हूं पूरे देश में अधिकांश जो सिरेमिक का उद्योग है वह कोलायत के क्ले पर ही निर्भर है। रोजाना हजारों ट्रक यहां से क्ले के भरकर देश के विभिन्न राज्यों में जाता है।

सभापति महोदय, क्ले और बजरी का खनन करने वाले जो लोग हैं, उसमें सबसे बड़ी शिकायत यह है कि निर्धारित जो इनका क्षेत्र होता है, क्वारी होती है, इनको जो लाइसेंस दिया जाता है उससे बाहर खनन भारी मात्रा में होता है। चाहे हम ओरण की बात करें, गोचर की बात करें, पायतन की बात करें, वन विभाग की जमीनों की बात करें, आराजी भूमि की बात करें, आबादी की बात करें, श्मशान भूमि की जमीनों पर खनन करने की बात करें, जो इनका निर्धारित एरिया होता है उससे बाहर तक खनन किया जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में और बीकानेर जिले में भी अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर भारी मात्रा में खनन किया जाता है।

सभापति महोदय, कोलायत को 68 तीर्थों का गुरू कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि की साधना स्थली कोलायत है। मैं मंत्री महोदय का भी ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि गुरू नानक देव जी का प्रवास भी कोलायत में रहा और उन्होंने भी यहां रहकर के काफी साधना की। उसी वजह से हर साल कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में जो मेला भरता है उसमें राजस्थान और राजस्थान से बाहर के सभी धर्मों के लोग, सिख धर्म के लोग विशेषकर यहां आते हैं।

सभापति महोदय, इस कपिल सरोवर में वर्षों पहले चारों तरफ से, 7-8 किलो मीटर का जो एरिया था, वहां से भारी मात्रा में बरसात के समय पानी आता था और उससे कपिल सरोवर भर जाता था। श्रद्धालु आकर के उसमें स्नान करते थे। लेकिन आज अवैध खनन करने वाले इन लोगों, खनन माफियाओं के कारण स्थिति यह बन गयी है कि उस कपिल सरोवर के पायतन का जो क्षेत्र है, बहाव का क्षेत्र है, जिस रास्ते से कपिल सरोवर में पानी आता है, वह सारे रास्ते इनके द्वारा खोद दिए गये हैं।

लेकिन खनिज विभाग आँख मूंदकर के बैठा हुआ है। स्थानीय जनता

(श्री भंवरसिंह)

के द्वारा इस संबंध में बार-बार आंदोलन भी किए जाते हैं। बार-बार सूचनाएं देने के बावजूद भी खान विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अंधाधुंध दिन और रात खनन किया जा रहा है। 200-200 फीट खड्ड़े कर दिए गये हैं और धरती के ऊपर 200 फीट पहाड़नुमा ओवर बर्डन के ढेर लग गए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो पर्यावरण मंत्री हैं और जो खनिज मंत्री हैं, उनका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि खनन के कोई निर्धारित रूल्स, नियम हैं या नहीं हैं? अगर कोई भी खनिज धरती में से निकाला जाता है तो उसको निकालने के बाद उस खड्डे को पुन: भरने का प्रावधान साफ-साफ, स्पष्ट शब्दों में सरकार के और खनिज विभाग के रूल्स और रेगुलेशन में है।

हर वर्ष पर्यावरण विभाग द्वारा क्लियरेंस भी दी जाती है कि इस खनिज पट्टाधारी के द्वारा निर्धारित मापदंड़ों के अनुसार खनन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लेकिन हर वर्ष पर्यावरण विभाग के द्वारा क्लियरेंस भी दे दी जाती है कि यह जो खनन हो रहा है वह सही हो रहा है।

सभापति महोदय, जो गहरे खड्ड़े हैं उनमें हर साल पानी भर जाता है। उससे मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलती हैं। मैं खनिज मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो ओवर बर्डन है, इसको खनिज निकालने के बाद खड्ड़े वापिस भरने का प्रावधान है कि नहीं है? जब वह अपना जवाब दें तो इस संबंध में जरूर बतायें।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ओवर लोडिंग की वजह से हमारे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं। खनिज विभाग के द्वारा साफ-साफ यह निर्देश दिया गया है खनन पट्टाधारकों को कि निर्धारित क्षमता 9 टन से ज्यादा खनिज उस ट्रक में नहीं भरा जाएगा। अगर 20 टन की क्षमता है तो 20 टन से ज्यादा नहीं भरा जाएगा। लेकिन खनिज पट्टा धारको द्वारा निर्धारित क्षमता से दो, तीन गुणा ज्यादा खनिज ट्रक में भरवाया जाता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश खनिज विभाग का नहीं है। आज तक इन्होंने एक भी खनिज पट्टा धारक को ओवर

(श्री भंवरसिंह)

लोडिंग की भरवाई करवाने पर कोई नोटिस नहीं दिया। इसके लिए एक भी लीज धारक का पट्टा निरस्त नहीं किया है। उसकी वजह से जो ट्रक ऑपरेटर हैं, वह तीन से चार गुणा ज्यादा माल भरकर के जाते हैं। उसकी वजह से रोजाना दुर्घटनाएं भी होती हैं।

सभापति महोदय, इस ओवर लोडिंग की वजह से सड़कें भी टूट रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी अधिकांश सड़कें बुरी तरह से टूट गयी हैं। उन सड़कों के टूटने का एक मात्र कारण इन ट्रकों में ओवर लोड खनिज का जाना है। पिछली बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि राजस्थान का जो खनिज क्षेत्र है, जहां से खनिज निकलता है वहां की सड़कें भारी वाहनों की वजह से टूट जाती हैं और वहां की सड़कों को ठीक करने, नवीनीकरण करने के लिए खनिज विभाग अपने स्तर पर सड़कों को ठीक करवाएगा। लेकिन मैं खनिज मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि इन्होंने बीकानेर जिले की और मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक भी सड़क पर जो इन्होंने खनिज विभाग के माध्यम से ठीक करवाई, उसमें एक भी पैसा नहीं दिया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जिन जिलों में खनिज विभाग से ज्यादा रॉयल्टी प्राप्त होती है, उसमें बीकानेर क्षेत्र का और मेरे विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा स्थान है। यहां से क्ले का खनन होता है। यहां से जिप्सम का खनन होता है। यहां से लिग्नाइट का खनन होता है। इससे इस विभाग को बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होता है। लेकिन इस सबके बावजूद हमारे क्षेत्र की टूटी हुई सड़कों को ठीक करने के लिए विभाग के द्वारा एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो सड़कें टूटी हैं और जो आज चलने लायक नहीं हैं। जो नान पेचेबल श्रेणी में आ गयी हैं। जब खनिज मंत्री जवाब दें तो 2017-18 में राजस्थान की जिन सड़कों को ठीक करवाने की आप घोषणा करें तो उसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोलायत और बीकानेर की सड़कों को भी शामिल करें।

सभापति महोदय, 2014 की बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी

(श्री भंवरसिंह)

के द्वारा कहा गया था कि बीकानेर में सिरेमिक हब बनाएंगे क्योंकि बीकानेर में सिरेमिक उत्पादन की प्रचुर संभावना हैं। लेकिन 3 साल हो गये और बीकानेर में सिरेमिक हब बनाने की घोषणा अभी तक कागजों में सिमटी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि बीकानेर में सिरेमिक हब बनाया जाए।

सभापति महोदय, मैं 5 मिनट का समय लेना चाहूंगा।

श्री सभापति: नहीं मिलेगा। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): बीकानेर संभाग मुख्यालय है। बीकानेर के करणी नगर में खनिज भवन के लिए 5 साल पहले जमीन आवंटित कर दी गयी। करीब 50 लाख रुपये की राशि भी इसके लिए आवंटित कर दी गयी। अभी बीकानेर में अलग-अलग स्थानों पर 5 कार्यालय हैं। लोगों को खनिज विभाग से संबंधित कोई भी काम हो तो उनको अलग-अलग जाना पड़ता है।

मैं कहना चाहूंगा कि खनिज विभाग का संभाग मुख्यालय, माननीय मंत्री महोदय, स्वयं बीकानेर संभाग से आते हैं तो बीकानेर में जो संभाग मुख्यालय पर खनिज भवन बनाने की घोषणा की गई है यह बनाया जाना आवश्यक भी है, इसको बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक-दो बातें मैं और कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो प्राइवेट प्लांट है चाहे नेवेली का का है चाहे ईएसएलपी का है उनमें जमीनें लेते समय लोगों को लगाया गया लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुढ़ा गांव है जहां ईएसएलपी द्वारा प्लांट लगाया गया, वहां पर लोगों को पहले तो लगा लिया गया लेकिन अब धीरे-धीरे करके जो लोग मजदूरी पर लगे हुए हैं उनको निकाल दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात उठाना चाहूंगा। पिछले दिनों अख़बार में छपी खबर को लेकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के कोटड़ी गांव ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): गिद्धों के कारण खाली हो गया साढ़े चार सौ आबादी वाला सौ साल पुराना गांव। मैं माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सौ साल से भी ज्यादा पुराना गांव है कोटड़ी गांव जो मेरे

(श्री भंवरसिंह)

विधान सभा क्षेत्र में आता है और वहां पर गिद्ध अभयारण्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है उस गिद्ध अभ्यारण्य को स्थापित करने के लिए, चलाने के लिए उस कोटड़ी गांव को हटाने की घोषणा की गयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सौ साल पुराना दलितों का गांव है, साढ़े चार सौ की आबादी है, सौ घर है, ऐसी स्थिति में इस गांव को उठाया जाना उचित नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभयारण्य क्षेत्र में एक बालकिया धोरा है, तीन सौ, चार सौ साल पुराना धार्मिक स्थल है, यहां मंदिर है, साधु संत यहां तपस्या करते हैं। बालकिया धोरा से बीकानेर जिले के आम आदमी की धारणा जुड़ी हुई है। मेरा निवेदन रहेगा कि इस बालकिया धोरा में बीकानेर जिले के श्रद्धालु हैं उनको आने जाने दिया जाए और इसको वहां से हटाया नहीं जाए, दूसरी जगह विस्थापित नहीं किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शैतान सिंह।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 9 और 43 पर बोलने का मौका दिया। मैं कई बार बताता हूं, हम राजस्थान के उस सीमांत क्षेत्र से आते हैं, सुदूर लास्ट क्षेत्र है और मुझे बोलने का मौका भी सबसे बाद में दिया। बहुत अच्छी आपकी कृपा दृष्टि है क्योंकि हम सीमा के प्रहरी हैं, सीमा के रक्षक हैं तो इस विधायिका की मर्यादाओं की पूरी रक्षा करेंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री सभापति: आप समापन कर रहे हैं क्या?

श्री शैतानसिंह (पोकरण): नहीं, समापन नहीं कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर विषय है। जो व्यवस्था आज सरकार कर रही है पर्यावरण को बचाने के लिए वह भारत सरकार और राजस्थान में यह गवर्नमेंट बनने से पहले भी व्यवस्था थी। आज अपन हर विषय पर पीपीपी मोड पर आ गये हैं, विद्यालय भी पीपीपी मोड पर, कॉलेज है, पानी की परिस्थितियां यह सब वापस कहां लौट रहे हैं, पहले जो व्यवस्था थी उस बात को कह रहा हूं।

(श्री शैतानसिंह)

माननीय सभापति महोदय, गोडावण बचाने के लिए पहले ओरण और गोचर यह पर्यावरण के मूल बिन्दु हैं, उस समय कोई वन विभाग के रक्षक भी नहीं थे, न प्रहरी थे, न गार्ड थे, न डीएफओ थे फिर भी ओरण बची हुई रहती थी। आज भी है, आज उस ओरण पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस बात की गंभीरता को देखें। आज उस वन को बचाने के लिए करोड़ों-करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं और जो ओरण ऑलरेडी है, इस वन क्षेत्र के लिए अभी इस घोषणा में हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गोडावण बचाने के लिए दस करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मगर गोडावण कहां रहता है, इस बात पर विचार कर लें अपन। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले जो ओरण थे और राज रिकार्ड में कहीं दर्ज नहीं हुई, भूल हुई है जैसलमेर में। उसको चिंहित करके वापस ओरण घोषित कर दे, सरकार इसलिए डरती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से ओरण में कोई भी हलचल नहीं कर सकते, उसमें खुर्द-बुर्द नहीं कर सकते उस जमीन में अपन कुछ नहीं कर सकते। वह ओरण थी वह वन बचा हुआ था, उस ओरण को संरक्षित करने के लिए सरकार विशेष ध्यान दे। मेरा वन मंत्रीजी से आपके मार्फत विशेष निवेदन रहेगा कि वन और पर्यावरण में ओरण भी एक प्रमुख चीज है जिसको मात्र अपन ने राजस्व विभाग को सुपुर्द करके छोड़ दिया। चूंकि वह मामला पर्यावरण का है इसलिए ओरण को संरक्षित किया जाए और गोडावण बचाने के लिए भी मैं आपको वह एरिया बता दूंगा। उस एरिये को आप संरक्षित करके वापस ओरण घोषित कर दे और उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करें तो हण्ड्रेड परसेंट गोडावण बचेगा।

श्री सभापति: गोडावण का इलाका इनको मत बताना आप।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): किनको?

श्री सभापति: गोडावण जहां है, वह इलाका गजेन्द्र सिंहजी को मत बताना।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): अच्छा साहब।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने यहां इतिहास में लगभग दो सौ वर्षों से पहले उस हुतात्मा ने, अमृता देवी ने एक खेजड़ी को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया था। वह पर्यावरण

(श्री शैतानसिंह)

इस ढंग से बचता है। वन विभाग से नहीं बचेगा पर्यावरण, जन जागरण होगा, हर व्यक्ति के मन में पेड़ के प्रति लगाव होगा। अमृता देवी पर्यावरण संस्थान, जिसके तहत लाखों पौधे लगाएं हैं और उन पौधों को संरक्षित करने की जवाबदारी भी दी है, वह कौन हैं? आम कार्यकर्ता। उन पौधों को संरक्षित करता है, यह भावना आमजन में आएगी तभी वन बचेगा, पर्यावरण बचेगा और यह संकट पूरे विश्व में है। विकास तो कर रहा है विश्व पर उसके साथ-साथ पर्यावरण की हानि हो रही है, बेमौसम बरसात, अधिक गर्मी, यह सब चीजें इसी से जुड़ी हुई है तो इसको बचाना अति आवश्यक है। मेरा सरकार से विशेष-विशेष निवेदन रहेगा कि वह ओरण और गोचर को बचाने पर विशेष ध्यान रहेगा, इनका ध्यान रखेंगे तो पर्यावरण बचेगा, वन बचेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र जैसलमेर में एक और मामला है डीएनपी, डेजर्ट नेशनल पार्क, वहां उस डीएनपी की वजह से, यह कहने को सफेद हाथी है, सिर्फ वन विभाग को बहुत बड़ा हथियार दे दिया और इसमें कभी सर्वे करके देखा कि उसमें कितने प्राणी है, क्या बढ़ोतरी है, क्या घटत है, सिर्फ और सिर्फ उस पर पैसा खर्च करना, क्या यही काम है, उससे कुछ लोगों की व्यवस्था अच्छी होती होगी पर आमजन के साथ क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या स्थिति है वहां? या तो वहां लोगों से खाली करा लो, नहीं खाली कराते हो तो उनको मूलभूत सुविधाएं तो दें, आज किसानों को जो फायदे होते हैं, उस क्षेत्र के किसानों को एक भी फायदा नहीं मिल रहा है, वह विद्युत कनेक्शन नहीं ले सकते, ट्यूबवैल नहीं करा सकते, केसीसी नहीं उठा सकते तो इस तरफ भी सरकार ध्यान देकर खाली वन विभाग के आंकड़ों पर ही निर्भर न हो, उसकी स्थिति की पूरी जांच कराए और वहां रहने वाले लोगों को उसका लाभ मिले, सुविधाएं मिले। आज तो वह बसा नहीं है, वैसे भी हमारे वहां कैसी परिस्थितियां हैं और कैसे जीवन यापन करना पड़ता है, पिछले आजाद भारत से लेकर आज तक के आंकड़े उठा कर देख लो, उसके पीछे के आंकड़े उठा कर देख लो, अकाल पर अकाल पड़ता है, बरसात कम होती है, पानी की वैसे ही भयंकर किल्लत रहती है, आबादी बहुत कम है तो कम आबादी का मतलब यह नहीं कि उनको असुविधाओं में ही बैठे रहने दें, यह नहीं होना चाहिए। वह जमीन सरकार के काम आ रही है तो उस जमीन को बचाने के लिए लोगों ने शीश दिए थे, वैसे जमीनें थोड़े बची थी? ठीक

(श्री शैतानसिंह)

है, उस वजह से वहां खातेदारी वाला मामला अटक गया और गैर खातेदारी रह गयी तो इस डीएनपी वाले मामले में भी वहां के लोगों को जो सुविधा मिल सके, हां अपन चाहते हैं कि डैजर्ट नेशनल पार्क में जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचे, पर वहां है या नहीं हैं, यह किसने सर्वे किया? यह खाली कागजों में रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं उस पर डिपेंड न रहें, वहां लोग आज से नहीं रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, उनको वह लाभ मिले तो मेरा आपसे यह निवेदन था।

माननीय सभापति महोदय, जैसे अपने यहां सड़कों के किनारे पर पेड़ लगाए जाते थे, वृक्षारोपण करते थे, अब रोडों के किनारे पेड़ लगाने बंद कर दिए हैं। पीएमजीएसवाई में इतनी नई सड़कें बनी हैं, किसी भी सड़क के किनारे पेड़ नहीं है तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। मैं तो कहता हूं कि वन विभाग वाले कहीं पौधे लगाते हैं तो पहले लगाने के पैसे उठा लेते हैं फिर जल जाते हैं तो फिर वापस खड्डे भरने के पैसे उठा लेते हैं, ऐसे काम नहीं हों। ऐसे काम भी हो जो जनता को दिखें और वहां जो पौधे लगें, ...

नहरी क्षेत्र में खालों के ऊपर पेड़ लगायें ताकि खाले रेत से नहीं भरे। आंधियां चलती हैं तो पूरे खाले रेत से भर जाते हैं फिर किसानों को बड़ी मुश्किल से वह खाले साफ करने पड़ते हैं। वन विभाग में वैसे ही करोड़ों रुपये खर्च करते हैं तो क्यों नहीं खालों पर पौधे लगाने की व्यवस्था करें ताकि एक तो पौधे लग जाए, जमीन का उपयोग हो जाए और आंधी से वह खाले नहीं भरें। यह नहरी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है, इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें।

अब खनिज पर थोड़ी बात रखूंगा, यह जो नई खनिज नीति आई है, अभी मैंने मंत्री जी से डिस्कस किया था जो खातेदारी वाला मामला बार-बार उठ रहा है, मैंने इनसे विस्तृत डिटेल ली तो इन्होंने यह बताया ई आक्शन से खनिज की कीमत क्या है खाली यह डिक्लियर करेंगे। खातेदार चाहेगा तो वहां खान ले, नहीं चाहे तो पड़ी है। दूसरा सस्ते दामों में खरीद कर उसका दुरुपयोग न करें, पहले तय कर लें कि खनिज की यह वैल्यू है। खनन करेगा तो पैसे जमा कर लें, नहीं करे तो वह खान नहीं ले। उस खातेदारी का कोई दूसरा मालिक बने, यह व्यवस्था नहीं हो। बार-बार यही विषय उठ रहा है।

(श्री शैतानसिंह)

यदि खातेदार खान लेगा तो उसको वहां पहली प्राथमिकता और दूसरी भी उसी को है, तब तो ठीक है। वह नहीं ले और दूसरा आकर उस रेट पर ले ले, यह काम तो कम से कम नहीं हो। खान तो चले या नहीं चले, उनकी खातेदारी जमीन तो नहीं जाए, यह मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा।

मकराना में मार्बल पत्थर निकलता है, जिसकी हम रायल्टी लेते हैं। मार्बल कटिंग के बाद जो छोटे छोटे टुकडे खंडे बचते हैं, चूंकि सुराज संकल्प यात्रा में हमारी सरकार ने वहां वादा किया था कि हम यह रायल्टी हटायेंगे, खंडों पर रायल्टी नहीं लेंगे। तो मेरा निवेदन है कि वहां रहने वाले गरीब लोग ही उस कचरे का उपयोग करते हैं, या तो अपने खेतों की बाडबंदी के लिये या गरीब मकान बनाते हैं, उसके लिये काम में लेते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि उस समय जो वादा किया था तो इस वादे को पूरा निभायें। अपने किये हुए वादों पर नहीं चलेंगे तो यह समय किसी को नहीं बख्शेगा, यह हकीकत है। इसलिए राजधर्म का निर्वाह करना अपनी सबकी ड्यूटी बनती है। इस बात का मेरा आपसे विशेष, निवेदन रहेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत बहुत आभार।

श्री सभापति: धन्यवाद, आप सीमांत पर नहीं है, सीमा आरंभ पर भी आप ही हो। सीमा आरंभ भी वहीं से होती है। विराजिए, धन्यवाद। श्रीमती शकुन्तला। उपाध्यक्ष जी ने पांच मिनट का समय आपको दिया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, मैंने सरिस्का की मांगे तो मंत्रीजी के सामने पहले ही रख दीं। एक शहीद की पत्नी है सरोज देवी, लाडपुरा, उसको जमीन दी गयी थी, फिर उसको कैंसिल कर दिया, अब कोई फोरेस्ट की जमीन दे दी। अब फोरेस्ट विभाग उससे 10 लाख रुपये पेड़ पौधों का मुआवजा मांग रहा है। उसे आज तक वह जमीन अलाट नहीं हुई है। मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी, 10 लाख रुपये मुआवजा बहुत अधिक है। उसके एक बेटी है, 20 साल की लड़की है जिसको पैरेलाइसिस हो गया है, वह बहुत परेशान है। उसे यह जमीन दी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जाए जिससे आसानी से उसका खर्चा चल सके।

अगर पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं तो पूरे राजस्थान के लिये पोलीथिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। गली, गलियारे, नदी, नाले, तालाब सभी में यह रहती है। सरिस्का का सीमांकन कराया जाए। जिससे गांव वालों में आये दिन जो टकराव रहता है, उस टकराव का अंत हो सके। यह विस्तार करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, किसकी अनुमति से करते हैं, कौनसा नियम ऐसा बना लेते हैं जिसमें खुद ही विस्तार करके और यह गांव नहीं आएगा, जैसा अभी सुबह ध्यानाकर्षण में उठाया गया। सभापति महोदय, जमीन मनमर्जी से लेना, सीधे गांव वालों के पास नोटिस पहुंचना, गांव वालों को वैसे ही कांफिडेंस में लेकर कुछ लोगों के साइन करवा लेना, गांव वालों पर इतना प्रतिबंध है कि जो गांव वाले वहां रहते हैं वह केसीसी का लोन नहीं ले सकते, मकान नहीं बना सकते, सड़क नहीं बन सकती। अगर सरकार की तरफ से कोई पीएचसी, सीएचसी, आंगनबाड़ी, पशु केन्द्र स्वीकृत हुआ है तो पंचायत समिति जिला परिषद उसका पट्टा मांगती है और पट्टा नहीं दे पाते हैं। यह पावर भी सरपंचों को दी जानी चाहिये। फिर जो भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से वह वंचित रह रहे हैं। जैसे बीपीएल योजना है, ऐसे लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जिसका बहुत हल्ला किया जाता है, मेरा आपसे अनुरोध है कि स्वच्छ भारत के शौचालय वहां क्यों नहीं बन रहे और आवास क्यों नहीं दिये जा रहे। वह गरीब हैं, आज भी कच्चे घरों में रह रहे हैं और पहले भी कच्चे घरों में रह रहे थे। बिजली का कनेक्शन लेना है, कृषि का कनेक्शन लेना है तो पट्टा लेकर आओ। इस तरह के जो कानून बनाये गये हैं, एक दो गांव नहीं है जिनको यह विस्थापित कर देंगे, हजारों गांव होंगे। चाहे बानसूर हो, थानागाजी हो, राजगढ़, अलवर, अलवर ग्रामीण हो, इस तरीके से एक दो हो तो कर सकते हैं।

(18.36 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है जनहित को देखते हुए कह दिया कि नहीं बनाये जाएंगे, कानून में नहीं है, यह नियम में नहीं है, यह वाइल्ड़ लाइफ बोर्ड के नियम में नहीं है, लेकिन वह बोर्ड बनाया किसने? वह आपने और हमने ही बनाया है, इंसानों ने बनाया। इंसान, जानवर, जंगल, जीवन यह चार खंभे हैं, इनमें क्यों विभाजन करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। इतिहास इसका गवाह है कि इंसान और जानवर आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। गांव वालों का भला करें और वाइल्ड़ लाइफ बोर्ड से फोरेस्ट विभाग का जो भी आपका कानून है, मंत्री महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप कानून बनायें, यहां बैठे अधिकारीगण भी, आप कोई मशीनी तंत्र नहीं हैं, वह गांव का गरीब आदमी झोपड़ी में बैठा हुआ आपके आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ, जो सारी सुविधाओं से वंचित है, उसका थोडा सा ख्याल कर लें। आप जब कानून बनायें तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। सरकारें किसलिये बनती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। लेकिन सरकार नियम बदल सकती है, उसको पावर है। मंत्री महोदय, यह शुभ काम भी अगर आप अपने हाथों से कर दें तो आप गांव वाले दुआ देंगे, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

सरिस्का में पर्यटक स्थल है चाहे पाण्डुपोल मंदिर है, भर्तृहरि है, सिलीसेढ़, तालवृक्ष, शीतलनाथ की जो छतरियां हैं वहां तक न रोड की कोई सुविधा है। सभी जगह से पट्टे मांगे जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन चीजों के पट्टे दिलवा कर गांव वालों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वन कर्मियों को कोई कमी नजर आ रही है तो चाहे आप उनकी तनख्वाह बढ़ायें, उनका प्रमोशन करें, कुछ भी करें, लेकिन गांव वालों के लिये शिथिलता बरतें, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि धरती करे पुकार, यह गांव का मालिक करे पुकार कि ऐ मेरे धरती के आँचल के फूलों मुझे इतनी निर्दयता से मत काटो, ऐ इंसान तेरी जन्म देने वाली मां ने जन्म दिया है, लेकिन पूरी जिंदगी जन्म भर तो यह बिन बोली मां पालती है। धरती करे पुकार मुझे कभी किसी निजी कंपनी को मत दे देना, यह आपकी धरती मां है, धरती करे पुकार, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, खनिज के मामले में राजस्थान के पास बहुमूल्य भंडार है और इन बहुमूल्य भंडारों से जो राजस्व की आमदनी हमें प्राप्त होती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब 2015-16 का आंकड़ा देखता हूं, 2015-16 में हम 3782 करोड़ रुपये पर हैं और 2016-17 में 2748 करोड़ पर हैं। एक हजार करोड़ रुपये की आमदनी का नुकसान 2016-17 में हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आमदनी के एक-एक पैसे के स्रोत पर हमारा ध्यान होना चाहिये। मैं खान मंत्रीजी से कहूंगा कि एक हजार करोड़ रुपया जो कम आ रहा है आप विश्लेषण कीजिए कि किन किन सैक्टर से, किस किसमें कितने सैंकड़ों करोड़ का नुकसान है और आय के स्रोत में जो हमारी हानि हो रही है, उन हानियों को रोकने का महत्वपूर्ण काम खनिज मंत्री जी करें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के पास राजस्थान का पूरा रॉक फास्फेट है, पूरा जिप्सम है, पूरा लिग्नाइट है और पूरा लाइमस्टोन है। इनके बहुमूल्य भण्डार इनके पास हैं। रॉक फास्फेट में हम 4 लाख टन का उत्पादन करते हैं। जिप्सम में 6.42 लाख टन का उत्पादन करते हैं। लाइमस्टोन में 15.9 लाख टन का उत्पादन करते हैं और लिग्नाइट में 3.03 लाख टन का उत्पादन करते हैं। इस आरएसएमएम से राज्य को निश्चित रूप से 582 करोड़ रुपये की साल में आमदनी होती है। जब मैं इनकी रिपोर्ट देख रहा था, रॉक फास्फेट है वह आयरन-ओर के उत्पादन को शुद्ध करने वाली मशीनें हैं और आयरन-ओर फैक्ट्रियां हैं, स्टील फैक्ट्रियां हैं उनको वर्षों से जा रहा है। जिप्सम के लिए कंपनी ने अभी एक एग्रीकल्चरल ग्रेड जिप्सम के स्तर में एकरूपता बनाये रखने के लिए गंगानगर जिले के रावला गांव में 70 टन प्रति घंटे की क्षमता की एक केन्द्रीय ग्रेडिंग इकाई स्थापित की है। मैं खनिज विभाग को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करके उसमें वैल्यू एड करने का प्रयास किया है।

मैं पूछना चाहता हूं आरएसएमएम के बड़े अधिकारियों से और माननीय खान मंत्रीजी से कि रॉक फास्फेट जिन चीजों का फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है 2-4 करोड़ में उन इकाइयों में हमारी वैल्यू

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजस्थान के लिए एड करके क्यों नहीं उसको फिनिश्ड गुड में बनाया जाता है? जब आयरन-ओर में इसका इतना बड़ा उपयोग है तो रॉक-फास्फेट हमारे लाखों-लाखों टन है, 250 लाख टन का हमारा डिपोजिट है। रॉक-फास्फेट के हमारे अपूर्व भण्डार हैं। क्यों नहीं आरएसएमएम लिमिटेड और माननीय मंत्रीजी, इस रॉक-फास्फेट से पक्का माल, फिनिश्ड गुड्स, वैल्यू एडेड गुड्स बनाने की बात सोचते? जिप्सम तो क्षारीय भूमि में काम आ ही रहा है। क्षारीय भूमियां जहां भी हैं उसका उपयोग है। मैं नीतिगत रूप से यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के खनिज को, हमारा खनिज जहां-जहां जा रहा है और जो उसका उपयोग जाने के बाद हो रहा है उनमें जो भी हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति बहुत है, हमारा राजस्थान 100-200-500 करोड़ के भिसर नहीं है। जहां हम 8838 करोड़ का घाटा कर सकते हैं तो नया कारखाना लगाने के लिए, वैल्यू एड करने के लिए, जिससे हमारी चीज की कीमत चार गुना हो जाए ऐसा काम राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड सोचे, यह मेरा सदन में आपके माध्यम से निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिप्सम के लिए भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की है 28 अक्टूबर, 2016 को। जिन खातेदारों के खेत में जिप्सम है, भारत सरकार ने कहा है कि उनको उसका परमिट दिया जा सकता है। वह ठीक है कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में एसडीएम और माइनिंग इंजीनियर वगैरह की कमेटी बनी है, लेकिन उस खातेदार को पहली बार अधिकार दिया गया कि वह जिप्सम का परमिट ले, जिप्सम का उत्पादन करे। मुझे दु:ख है 82 लोगों ने बीकानेर में एप्लाई किया है अपने-अपने खेतों में और ऐसी अभी 500-700 दरख्वास्त और आनी हैं, पर इसकी डिस्पोजल की स्पीड, मैं खनिज मंत्रीजी से कहूंगा कि इसके डिस्पोजल की स्पीड को बढ़ाएं ताकि वह जिप्सम बोर्ड बनाने में काम आ सकता है और क्षारीय भूमि की लवणीयता को कम करने में काम आ सकता है। हमारे काश्तकारों को, बीकानेर जिले के ही नहीं, सारे राजस्थान के काश्तकार, चाहे नागौर के हों, चाहे बीकानेर के हों, चाहे जैसलमेर के हों, उन सबको इसमें गति लाकर मौका देना चाहिए कि वे विधिवत रूप से, कानूनी तरीके से उसका खनन करें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उपाध्यक्ष महोदय, यह नोटिफिकेशन आया है वह माननीय मंत्रीजी के ध्यान में है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस नोटिफिकेशन का बहुत लिबरल तरीके से उपयोग करें। बहुत हार्ड उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

बजरी खनन, जो राजस्थान में हो रहा है, जिसकी सदन में बहुत चर्चा हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2014 के किसी स्टे का हवाला है कि इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने अलाऊ कर दिया इसलिए जो भी लीज होल्डर हैं वे बिना लीज, एग्रीमेंट साइन किये, बिना लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन किये उन खदानों में हजारों-हजारों करोड़ का बजरी खनन कर रहे हैं। मैं खनिज मंत्रीजी से ही नहीं, पूरे मंत्रिमण्डल से अर्ज करूंगा कि इस बजरी खनन के बारे में इस सदन में जितनी बात कही गयी है, उसको सिर्फ कोई किरोड़ीलाल मीणा ने कह दी, किरोड़ीलाल मीणा तो राजपा के नेता हैं, खिलाफ बोलेंगे ही। मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि उससे राजस्व की आमदनी जो राज्य को हो सकती है आप उसकी तरफ देखें। आपकी कड़वी भाषा में आलोचना कर दी गयी है उसको बिलकुल नजरअंदाज कर दें। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजरी खनन से, मेरा रफ एस्टीमेट है कि 10 हजार करोड़ की आमदनी, यदि विधिवत तरीके से बजरी खनन किया जाए और बजरी खनन में ठेकेदार द्वारा जो पर्ची जारी की जाती है, जो रॉयल्टी की पर्ची जारी की जाती है और उसके बाद एक ट्रक या ट्रैक्टर की पर्ची जारी की जाती है कि इसमें इतना टन माल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माल का प्रकार लिखें। क्यों नहीं लिखते कि बजरी है? बजरी के बहाने पता नहीं क्या-क्या खोद रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी लीकेजेज बजरी खनन में हैं, उन लीकेजेज को सरकार आगामी दो महीनों में उच्च स्तरीय समिति बनाकर, कैबिनेट कमेटी बनाकर बजरी खनन का जो राजस्व की आय का रिसाव हो रहा है उसकी तरफ तवज्जोह दें।

मैंने झुंझुनूं जिले की कांटली नदी का मुद्दा उठाया था। मैं अर्ज करना चाहता हूं चाहे कांटली हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, बजरी खनन जहां-जहां भी नदियों के पेटे में हो रहा है, बनास में हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है, भीलवाड़ा से माननीय विधायकों ने कहा भी है कि बनास को

(श्री मानिक चन्द सुराना)

खोद-खोदकर ऐसा कर दिया कि 10-10, 15-15 फीट के गड्ढे हो गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी आमदनी आज 3 हजार करोड़ है, 2700 करोड़ तक आ गयी है, यदि हमने बजरी खनन के मैटर को ही एक्सप्लोर किया तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी में शुरू-शुरू में, इसी वर्ष में, 2017-18 में 2 हजार करोड़ की इनकम आ सकती है और कालान्तर में, 3-4 साल में उसकी आमदनी 5-6 हजार करोड़ तक जा सकती है।

इस सुझाव के बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान है कि आज शनिवार है और कल रविवार है इसलिए सदन से माननीय सदस्य अपने घर जाने की तैयारी में हैं, मैं माननीय वन मंत्रीजी को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके पास तो लाखों-लाखों हैक्टेयर जमीन है तो भी वन आच्छादित क्षेत्र घट रहा है। यह रिपोर्ट आपके द्वारा जो प्रगति प्रतिवेदन दिये जा रहे हैं उसी में आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसका भी उपयोग गोचर के लिए करिए, गोचर डवलप करिए, गोचर का एक पार्ट खोल दीजिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर दूसरा पार्ट खोल दीजिए, फिर तीसरा पार्ट खोल दीजिए, हर बड़े ब्लॉक में जहां 100 हैक्टेयर में आप गोचर विकसित करें, आखिर आपको गोचर विकास में कोई दिक्कत नहीं है। यह तो नोन-फोरेस्ट एक्टिविटी नहीं है। हम गौ भक्त हैं, गौ की कसम रोज खाते हैं, कुछ ठोस काम तो करिए गौ के लिए।

और गौ के लिए ठोस काम करके राज्य के पशुधन को सुविधा देकर उनके चरने के लिए चरागाह बनाकर हमारी पशुधन की आमदनी जो आज 10-11 परसेंट है उसको 20 परसेंट तक पहुंचाने का माननीय मंत्री जी, आपके ही अधिकार क्षेत्र में है कि आप इसको कर सकते हैं। गोचर और चरागाह के विकास के लिए मैंने अलग से भी कहा है कि 17 लाख हैक्टेयर जमीन जो है, उसको पूरी को सरकार विकसित करे।

वन मंत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा कि ये जो आप वन कमेटियां बनाते हैं, वनों की कमेटी, उनकी क्या प्रक्रिया है, क्या मानदण्ड हैं, चाहे जहां वन है और वन में किसी भी ऐरे-गैरे नत्थू खैरे को उस कमेटी में ले लिया जाता है, रिश्वत के आधार पर। नीचे के अधिकारियों की रिश्वत के आधार पर ले लिया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि आप वन समितियों में स्थानीय क्षेत्रों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में वहां के विधायक से, वहां के कलेक्टर से, दोनों से सलाह करने के बाद उसमें उपयुक्त और प्रभावशाली, प्रतिष्ठित और जिनमें कोई गतिशीलता है और जिनकी कोई वन के प्रति निष्ठा हो, ऐसे लोगों को मनोनीत करने का काम करें। जितनी वन समितियां हैं उनको एक आदेश से भंग करें और दो महीने के अन्दर-अन्दर आप उन वन समितियों का पुनर्गठन करें। मैंने जो निवेदन किया कि दो महीने के भीतर ही वन के अन्दर गोचर के विकास का काम करने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विट्ठल शंकर अवस्थी। फाइव मिनिट्स।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे खान, वन और पर्यावरण विषय पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

सदन में लगभग सारी बातें आ चुकी हैं। मेरे पैतृक गांव की एक समस्या की तरफ खान और पर्यावरण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से मैंने समय मांगा था और आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

मेरे गांव में, भीलवाड़ा जिले के बदनौर कस्बे में एक शीतला का चौड़ा और बीकरिया कस्बा है उस कस्बे में, उस स्थान पर 500 साल से, मेवाड़ रियासत काल से माइनिंग चल रही थी, खनन प्रक्रिया चल रही थी। सन् 1977 में राज्य सरकार ने अपने गजट में यह निकाला कि ये पुराने क्षेत्र चल रहे हैं उन सबको माइनिंग एरिया डिक्लेयर किया जाता है और आर.सी.आर.एल. स्कीम से उनको 10x10 मीटर के पट्टे दिये गये। वो सरकार की तरफ से 1977 से माइनिंग एरिया डिक्लेयर हो गया था लेकिन एक तो उसमें कमी यह रही थी बीकरिया क्षेत्र रेवेन्यू रिकार्ड में माइनिंग दर्ज नहीं होने के कारण से आज से बिला नाम और चरागाह में चल रहा है। दूसरा, जो शीतला का चौड़ा का क्षेत्र था वो माइनिंग में दर्ज हो गया था। वहां केवल 10x10 मीटर के पट्टे हैं और 275 आदमी वहां पर माइनिंग लीज होल्डर हैं। वहां लगभग 500 वर्षों से, हमारे बदनौर के महल भी उन पत्थरों से, उन पट्टी-कातलों से बने थे। पूरे देश में केवल वैसा पत्थर हमारे उस गांव में ही निकलता है और धीरे-धीरे उस पत्थर की पहचान आगे बढ़ी

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

और लगभग 20-25 वर्षों से वो पत्थर बाहर एक्सपोर्ट होने लगा इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन में काम आने लगा। उस व्यवसाय से लगभग 3000 आदमी, मजदूर, कामगार जुड़े हुए हैं। लेकिन एक ब्लैकमेलर उस गांव में ऐसा था जिसने शिकायत की कि अरावली में आता है, अरावली में आता है जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे रखा है, राजसमन्द जिले में सारी खानें चल रही हैं, 2002 के पहले के जितने भी पट्टे थे, ये तो केवल 10x10 मीटर के पट्टे हैं, हजारों-सैंकड़ों हैक्टेयर की खानें भी उन क्षेत्रों में चल रही हैं लेकिन ये कुल ढाई-तीन हैक्टेयर क्षेत्रफल का है और सारा मिलाकर 10x10 मीटर के 275 आदमियों का है। उन लोगों को ब्लैकमेल करके, शिकायत करके, माइनिंग के अफसरों के खिलाफ शिकायत करके ए.सी.डी. में फर्जी मुकदमें दर्ज कराये गये और ए.सी.डी. में दर्ज कराने के बाद माइनिंग के सारे अफसरों ने ई.सी. का जो यह प्रकरण चला था उसके बाद ई.सी. देने से मना कर दिया। मेरा यह निवेदन है कि हजारों लोगों के जीवन-यापन के लिए संकट खड़ा हो गया है, लोग पलायन कर रहे हैं। उस क्षेत्र के आस-पास के 20-20 किलोमीटर के क्षेत्र में और कोई काम नहीं है, केवल पहाड़ी क्षेत्र है और उस क्षेत्र में एकमात्र रोजगार यह विकसित हुआ था, उस रोजगार के ऊपर आज बहुत बुरा असर आया है। मेरा आपसे निवेदन है, सारी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, डी.एम.जी. लेवल पर जांच हो चुकी है और उन्होंने भी यह कहा है कि यह क्षेत्र अरावली में नहीं आता है। उसके बाद वापस एक कमेटी और बनी है अभी तत्काल और उस कमेटी ने भी यह कहा है कि यह एरिया अरावली क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बाद भी ई.सी. जारी नहीं करने से उन लोगों का रोजगार एकदम खतरे में है, पूरे गांव की, कस्बे की और आस-पास के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आदरणीय पर्यावरण मंत्रीजी से भी और खान मंत्री जी से भी, आपसे हमने निवेदन किया था कि यह बहुत गम्भीर मसला है और १९७७ से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि 2002 से पहले की अगर कहीं भी खानें चल रही हैं और उस आधार पर कई खानें अरावली क्षेत्र में चल रही हैं लेकिन यह अरावली क्षेत्र में नहीं आने के बावजूद इसकी ई.सी. जारी नहीं की जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी ई.सी.

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

जल्दी से जल्दी जारी करायें जिससे उस क्षेत्र का रोजगार वापस कायम हो सके।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रेत और बजरी का मामला है, इसमें मेरा इतना सा निवेदन है कि यह जो बजरी है यह प्रकृति प्रदत्त है और यह कोई मनुष्य ने पैदा नहीं की, किसी सरकार ने पैदा नहीं की है और हजारों-लाखों सालों के प्रोसेस के बाद नदियों में यह रेत जमा हुई है। इस रेत के कारण से कई तरह के फायदे हमारे इस मानव जीवन को मिलते हैं और नदी में बहने के बाद पानी का जल स्तर बढ़ता है। जिस तरह से हमारे भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में रेत का दोहन किया जा रहा है। बॉम्बे और गुजरात, बाहर भेजा जा रहा है। हजारों रुपयों का हेरफेर किया जा रहा है तो, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब सरकारें चेतेंगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा। सारा पथरीला इलाका वहां निकलता जा रहा है, नदियों से रेत समाप्त होती जा रही है तो इसको आप नियमबद्ध करें। जैसा अभी आदरणीय सुराना साहब ने कहा था कि 15 फीट में, मैं 15 फीट की नहीं कह रहा हूं वहां 20-20, 30-30 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं और सारा क्षेत्र, बनास और जितनी नदियां हैं, पथरीला इलाका बनता जा रहा है, बजरी उसमें से समाप्त होती जा रही है। तो जितना हम इसका उपयोग कर सकें, इसका दोहन कर सकें तो ठीक है पर, शोषण करना बहुत गलत है। क्योंकि जैसे पहले राजस्थान में इतने जंगल थे, पर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो कट गये और हजारों-करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद वापस पेड़ लगाने की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि अगर यही हाल रहा तो बजरी वापस नई कैसे नदियों में डलवायें इसकी प्रक्रिया के लिए हमको अरबों रुपये लगाने पड़ेंगे। आपसे निवेदन है कि समय रहते इस बजरी पर कोई सही तरीके के नियम और कानून बने जिससे यह समस्या आने वाली पीढ़ियों के लिए कायम नहीं रहे और आने वाली पीढ़ियां हमको याद करे कि हां, कोई थे जिन्होंने व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कार्य किया। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: वन मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री गजेन्द्रसिंह)

आपने बजट की मांग संख्या 9 की चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे पास 239 कट-मोशन फोरेस्ट के प्राप्त हुए, 29 पर्यावरण के प्राप्त हुए जिनका जवाब माननीय सदस्यों को कल भेज दिया जाएगा।

आज मांग संख्या 9 पर चर्चा हुई जिसमें हमारे माननीय सदस्यों ने कई मांगें कीं, कई अच्छे सुझाव दिये और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी Within legal framwork. हमारा डिपार्टमेंट इन मांगों की या इनके सुझाव की पूर्ति कर सकेगा उसमें हमको We will leave no stone unturned.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो इतिहास है, हमारे जो रीति-रिवाज हैं, हमारे त्यौंहार हैं, इनका वर्षों से प्रकृति, वन, नदी, झील, पक्षी, पशु, इनसे पीढ़ियों पहले से एक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और जैसा कि हमारे जो पूजा-पाठ होता है, हमारे जो देवी-देवता हैं,.....

(19.00 बजे)

जैसे हंस की सवारी है, कमल के फूल का है, शिवजी के गले में सांप है, चूहे की सवारी है, विश्नोई समाज हरिण को पूजता है। हमारी माता शेर की सवारी करती हैं। उल्लू की भी सवारी होती है और जो हमारे वृक्ष हैं, पीपल है, तुलसी है, हमारे खेजड़ी है, बड़ है जिसको ट्री आफ नोलेज माना जाता है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने कई वर्ष निकाले। हमारा देश है, उसका प्रकृति से बहुत ही गहरा और नजदीकी जुड़ाव है। एक मैं श्लोक भगवान कृष्ण का बोलना चाहूंगा...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अंग्रेजी में या हिन्दी में?

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अंग्रेजी में तो आपके समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं हिन्दी वाला ही बोल रहा हूं। "अहम् श्वतरूपेण पालीयामी जगतेयम् अश्वत्थोस्थितो यत्र प्रतिष्ठित" इसका मतलब है, "राजन्, मैं ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहकर तीनों लोकों का पालन करता हूं।" जहां पीपल का वृक्ष नहीं है, वहां मेरा वास नहीं है... (व्यवधान) इसलिए मैंने अंग्रेजी में कोई श्लोक नहीं चुना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ली तो, मंत्री महोदय, रिस्क ही थी, लेकिन फिर भी ग्रेस से पास हो गये आप।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीपल खाली ऐसा एक ही ट्री है, एक ही पेड़ है जो रात को आक्सीजन देता है। उस समय आक्सीजन के मेजरमेंट की कोई मशीन नहीं थी लेकिन हमारे बड़ेरों ने, हमारे भगवानों ने इतने समय पहले, यह बहुत ही चमत्कार की चीज है कि उनके पास इतना ज्ञान था, उनकी जो दूरदृष्टि थी कि उन्होंने उस समय आइडेंटीफाई कर लिया। हमारे तुलसी, चन्दन, बड़, नीम, ये सब जितने भी पेड़ हैं, ये हमारे बहुत अमूल्य पेड़ हैं और सदियों पहले इनको काम लिया जाता था। मेडिसनल प्लांट आफ जड़ी-बूटियां हैं, उस समय दवाइयां नहीं होती थीं। फोरेस्ट से, वन से लाकर लोगों का इलाज किया जाता था। यह सबको मालूम था कि वन का जो एग्जिस्टेंस है, उसके बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है।

मत्स्य पुराण में लिखा है, "दशकूप समोवापि, दशवापि समाहृत, दशहृत समोपुत्रौ, दशपुत्र समोद्रुम"...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप इतनी बड़ी रिस्क मत लो महाराज। यह मत लो इतनी महाराज। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): हिन्दी में पप्पू पास हो गया?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): नहीं, अब तो डोटासराजी 100 परसेंट दे देंगे न। अब ग्रेस नहीं है।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अर्थात् "दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष।" मतलब हमारी जो माइथोलोजी है, वृक्ष को और वन का इतना हाई एस्टीम में रखती थी। जो पेड़ हैं, इनका जो आक्सीजन था, यह मोइश्चर देते थे, उससे आपका पूरा पर्यावरण इफैक्टेड होता था।

अगर आप पिछले 15 साल का एवरेज देखें। मैं पश्चिमी राजस्थान में रहता हूं। इन्दिरा गांधी कैनाल और गंग नहर, यह जितनी भी हमारे गांवों के अंदर पानी की स्कीम्स आई हैं, उससे हरियाली बहुत बढ़ी है। अगर आप 15 साल में पश्चिमी राजस्थान की औसतन रेनफाल को देखें तो वह काफी हद तक बढ़ी है There has been a climatic change in Western

(श्री गजेन्द्रसिंह)

Rajasthan. तो पश्चिमी राजस्थान से माननीय सदस्य हैं, आप भी यह नोटिस करते होंगे कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्लाइमेटिक चेंज आया है। हमारे राजस्थान के अंदर 9.59 परसेंट फोरेस्ट एरिया है और उसमें 4.7 परसेंट एक्चुअल फोरेस्ट है। फोरेस्ट लैण्ड है 9.59 परसेंट और 4.71 परसेंट है फोरेस्ट।

मैं अभी मध्य प्रदेश में गया था नेशनल पार्क्स में। वहां पर उनका जो फोरेस्ट एरिया है, वह 33 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है भौगोलिक दृष्टि से। हमारे यहां पर तीन नेशनल पार्क्स हैं, 26 सैंक्चुरीज हैं, 11 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं और केन्द्र सरकार सैटेलाइट से हर दो साल में सर्वेक्षण करती है और मैं खुशी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे इस सर्वेक्षण से जो हमें नोलेज प्राप्त हुई, उसके अंदर हमारा राजस्थान का जो फोरेस्ट कवर एरिया है, वह 8,500 हैक्टेयर पिछले दो साल में बढ़ा है, यानी कि 85 स्क्वायर किलोमीटर्स। फोरेस्ट को कैसे बचाया जाए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ज्यादातर भूमि बची है वह फोरेस्ट की बची है। कई डिमांड्स रहती है क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, एन्क्रोचमेंट्स हो रहे हैं और जिसको कहते हैं, बायोटिक चेंजेज। चेंजेज दो तरह के होते हैं बायोटिक और क्लाइमेटिक। हमारे राजस्थान के अंदर हर परिवार के पास जो पशु धन है, वह मेरे ख्याल में इण्डिया का सबसे हाइएस्ट एवरेज है। यह पशु धन, एन्क्रोचमेंट्स, बढ़ती आबादी की और बढ़ती ईंधन की जो डिमांड है, इससे हमारी वन क्षेत्र श्रिंक हो रहा है। क्लाइमेटिकली हमारे बहुत एक्स्ट्रीम्स हैं इस प्रदेश के अन्दर और मैं सोचता हूं कि यह जो हमारी प्रकृति है, हमारी जो राजस्थान की सम्पत्ति है। यदि हम लोग अभी से प्रयास नहीं करेंगे और हम राजनीति के पीछे, अपने वोटों के पीछे दौड़ते रहेंगे तो हमारी हालत, हमारी अगली दो पीढ़ियों तक बहुत गम्भीर हो जायेगी। हमारा फोरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसका मेन उद्देश्य है हरियाली बढ़ाना, सुविधाएं प्रदान करना, नियमों का सरलीकरण करना, आम आदमी को रोजगार प्राप्त कराना। आफकोर्स, एक और बड़ा उद्देश्य है कि ट्यूरिज्म को और रोजगार को प्रोत्साहन देना और आगे बढ़ाना।

यह जो विभाग है, यह एक्सपेंडिचर का विभाग है माननीय उपाध्यक्ष

(श्री गजेन्द्रसिंह)

महोदय, यह रेवेन्यू अर्निंग विभाग नहीं है। टीएसपी एरियाज के अंदर 26 लघु वन उपज, नोन टिम्बर प्रोड्यूस को हमने बढ़ावा दिया। इन्हें परिवहन पत्र, ट्रांजिट पास, इससे हमने मुक्ति दे दी। पहली बार राजस्थान में यह हुआ है। शहद, महुवा, रतनजोत के बीज, गोंद, आंवला, बहड़, हरड़, ये सब चीजें हमारे फोरेस्ट के पास ट्राइबल लोग जो कलेक्ट करते थे, अपना रोजगार बनाते थे। अब उनको ये ट्रांजिट पास से मुक्ति देने से बिचौलिये जो हैं, माफिया जो हैं, उनसे उनको नहीं उलझना पड़ेगा और डाइरेक्ट अपनी मंडियों में मार्केट एक्सेस करके वह अपने प्रोडक्ट की पूरी राशि प्राप्त कर सकेंगे।

राजस्थान फोरेस्ट्री एण्ड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट फेज-2, इसमें हमें जायका ने फंड किया है। इसके अंदर 15 जिले हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 तो हैं डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर।...

और पांच हैं अन्य बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर इनके अन्दर बड़ी तादाद में वृक्षारोपण, एनिकट डवलपमेंट, डिग्गियां, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, चैक डैम्स आदि का काम होता है। हमने 77,918 हैक्टेयर यानी की 779 स्क्वायर किलोमीटर के अन्दर 1,152 करोड़ रुपये की राशि में से अधिकांश राशि स्पेंड करके 77,918 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया है।

दूसरा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट फोर डवलपमेंट ऑफ वाटर कैचमेंट थ्रू द ग्रिनिंग ऑफ राजस्थान, ये नाबार्ड से फंड्स मिलते हैं हमें और ये अफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट है। यह 2012-13 में शुरू हुआ था और जो मैंने आपको पहले जिले बताये थे 15 जो दूसरे बचे हुए जिले हैं उनको इस स्कीम में ले लिया गया है दौसा, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, चित्तोड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इसके अन्दर 92,950 हैक्टेयर की प्लांटिंग हुई है यानी कि 929 स्क्वायर किलोमीटर्स। 472.40 करोड़ का खर्चा हुआ है इसमें 314 एनिकट्स, 671 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और 760 डिग्गियों के लिए हमने इसके अन्दर खर्च किया और फेज थ्री में 157.61 करोड़ पैसा खर्च होगा। जो शेष बचे हुए दो जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, हमने गंग, भाखड़ा कैनाल प्रोजेक्ट के अन्दर इन दो जिलों में 1,085 किलोमीटर

(श्री गजेन्द्रसिंह)

प्लांटेशन किया है। कहने का मेरा मतलब है कि री-अफोरेस्टेशन, प्लांटेशन को हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत सीरियसली लिया है और बहुत बड़ी तादाद में हमने फोरेस्ट को बढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि अब हमारे पास केवल आशा है कि हमारा फोरेस्ट कवर बढ़े वो यही है कि फोरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिजर्व के बाहर जितने एरिया में हम पेड़-पौधे लगा सकें उतनी हमारी ग्रीनरी बढ़ेगी। हमारी जो स्कीम है जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना, फ्यूल वुड फ्री विलेज स्कीम इसमें हमने 40 हजार गैस सिलेंडर्स प्लस चूल्हे टाइगर रिजर्व एरियाज की पैराफेरी में हम दे चुके हैं। एमजेएसए जो कार्यक्रम, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की फ्लैगशिप स्कीम है उसमें भी हमारे डिपार्टमेंट का बहुत भारी योगदान हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2016-17 में 25 लाख पौधे 16,500 हैक्टेयर यानी की 165 स्क्वायर किलोमीटर के अन्दर हमने लगाये हैं और माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी अपने मन की बात में हमारे राजस्थान के बारे में ये रिअफोरेस्टेशन में हमें प्रेज किया है। अभी 6,634 स्ट्रक्चर्स, परकोलेशन टैंक्स, खाइयां, चैक डैम्स और फार्म पोंड्स, ये भी हम बना चुके हैं और 2017-18 में पिछले साल 25 लाख पौधे लगाये थे। इस साल हम साठ लाख पौधे लगायेंगे, 14 हजार स्ट्रक्चर्स बनायेंगे, वृक्ष कुंज 900 गांवों में बनायेंगे हम और अरबन एमजेएसए के कार्यक्रम में अरबन वृक्ष कुंज भी हम बनाने जा रहे हैं। वृक्षारोपण में 4,200 गांवों में फोरेस्ट लैंड में और पंचायत लैंड में भी प्लांटेशन का प्रोग्राम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जूलीफ्लोरा को जला कर जो चारकोल बनता है इसके अन्दर भी हमने फोरेस्ट एरिया के जो बाहर एरियाज हैं, हमने रूल्स को बहुत सिम्प्लीफाई किया है मई, 2016 में ट्रांजिट पास जो है फोर ट्रांसपोर्टिंग चारकोल, पटवारी जिले की परमीशन दे सकता है, तहसीलदार राज्य की परमीशन दे सकता है और एमडीएम स्टेट और स्टेट से बाहर की परमीशन दे सकता है। इसके अन्दर हमने फिर मिडिल मैन बिचौलियों को जो माफिया बने रहते थे उनको एलिमिनेट किया है। फोरेस्ट और पुलिस डिपार्टमेंट का हस्तक्षेप हमने कम से कम कर दिया है। कोई किसी से पैसा नहीं मांगे, कोई किसी को तंग न करे और अब इनको अच्छी रेट्स डाइरेक्टली मिल जाएंगी तो इनकी प्रोस्पेरिटी, इनको रोजगार में जो भत्ता

(श्री गजेन्द्रसिंह)

मिलेगा वो अच्छी इन्कम मिलेगी। हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे राजस्थान की इकोनामी में। रणथम्भौर, सरिस्का, घना और मुकन्दरा हिल्स ये हमारे चार नेशनल पार्क्स हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रणथम्भौर का विश्व में नाम है कि टाइगर साइटिंग में रणथम्भौर को बैस्ट माना गया है। मैं बांधवगढ़ गया था किसी ने मेरे को बोला कि बांधवगढ़ के अन्दर बैस्ट साइटिंग होती है। 7-7 दिन तक लोगों ने वहां पर टाइगर नहीं देखा। रणथम्भौर के अन्दर जो टाइगर साइटिंग होती है वह वर्ल्ड की बैस्ट मानी जाती है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक स्टडी हुई थी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन आथोरिटी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट आफ, भोपाल को बुला कर यह स्टडी की थी। उस स्टडी में यह पाया गया कि हर वर्ष एक नेशनल पार्क 55-60 टाइगर्स के साथ सवाई माधोपुर को 600 करोड़ रुपये का इकोनामी में उसके बिजनेस का टर्न ओवर होता है। चाहे उसके अन्दर होटल हों, चाहे उसके अन्दर नेचुरलिस्ट हों, चाहे उसके अन्दर...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सबको बांट रहे हैं सुपारी, इधर प्रतिपक्ष की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इनसे नजर मिल रही है आपकी। आपकी नजर मिल रही है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आपकी सुपारी ये कैसे दे सकते हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): और 600 करोड़ रुपये आज सवाई माधोपुर की जो पूरी इकोनामी है वो एक रणथम्भौर नेशनल पार्क एक टाइगर को देखने के लिए लोग आते हैं उसकी वजह से उसका 600 करोड़ रुपये का एनुअल टर्न ओवर हो रहा है और उन्होंने एक ओर सर्वे किया कि इस पार्क की वेल्यू क्या है। पेड़ गिने सब कुछ देखा और उन्होंने 4,920 करोड़ रुपये का एक रणथम्भौर जो हमारा एक बहुत छोटा नेशनल पार्क है उसकी उन्होंने एक करंट वैल्यू बताई। सफारी पार्क्स जो बहुत जरूरी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर हमारे नम्बर-1 पार्क तो रणथम्भौर है।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

सरिस्का में जीरो टाइगर्स हो गये थे, अब 15 हो गये हैं और आशा है कि एक साल में वो बीस हो जाएंगे। सफारी पार्क्स की इसलिए जरूरत है कि सफारी पार्क होता है जैसे हम आमली में बना रहे हैं वो बीस-पच्चीस स्कवायर किलोमीटर का एक साइड में उसमें बाउंड्रीवाल बना कर वो ऐसे टूरिस्ट के लिए है जो सोशल टूरिस्ट हैं। जो एक टाइगर के अन्दर उसको टाइगर साइट करना है और रणथम्भौर में टाइगर नहीं दिखे तो सफारी पार्क में आकर वो टाइगर हण्ड्रेड परसेंट साइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग विदेश से आते हैं वो कहते हैं कि हमने पूरी जिन्दगी का पैसा बचाया है टाइगर देखने के लिए इंडिया में आकर तो वो उनको साइटिंग हो जाएगी। इसके साथ ही कोर एरिया जो है उसका प्रेशर हट जाएगा और साइटिंग ईजी होगी, वैल्यू फोर मनी उनका हो जाएगा। ये कैजुअल टूरिस्ट हैं रेस्क्यू सेन्टर के भी काम आएगा जो टाइगर बूढ़ा हो गया है या उसको कोई प्रोब्लम्स है उसके अन्दर आपके पेन्थर भी है उनको वहां छोड़ा जा सकता है और आमली के अन्दर 600 हैक्टेयर 60 स्क्वायर किलोमीटर है इसमें 147 करोड़ रुपये सैंक्शंड है और इसका काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। सरिस्का के अन्दर भी अभी सर्वे किया जाएगा कि यहां पर भी हम सफारी पार्क बनाने की कोशिश करेंगे और नाहरगढ़ के अन्दर भी एक लॉयन सफारी पार्क स्थापित करने की हमारी योजना है।

नेचर पार्क - अभी जैसे स्मृति वन है, उससे दो कदम आगे। स्मृति वन, सुंदर पार्क है। लोग पैदल घूमने के लिए आते हैं। पेड़-पौधे लगे हुए हैं और हम नेचर पार्क बनाएंगे, उसके अंदर हम ऐसे पड़ लगाएंगे, जो उस एरिया के हैं। बच्चे आएं तो उनको एजुकेशन मिले। जो भी पेड़-पौधे लगे, उसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हो और एक तरह से उसमें एजयुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। घूमने - फिरने के लिए तो हैं हीं, लेकिन उनको एजुकेशन परपज के लिए, लोकल ट्रीज को लेकर। अभी सीकर, नौलखा किला, जयपुर, पुष्कर का जो हर्बल है, बागदारा क्रोकोडाइल ईको ट्यूरिज्म साइट उदयपुर है। ये सब अभी चालू हो चुके हैं। वर्क-इन-प्रोग्रेस चूरू में है, उसका कार्य चल रहा है। टू बी डवलप्ड - 2017-18 के वित्तीय वर्ष में हम त्रिपुर सुंदरी, बाड़मेर हिली, सुंदा माता, शाहबाद किला, भड़क माता, भीलवाड़ा में, अगले

(श्री गजेन्द्रसिंह)

वित्तीय वर्ष में करेंगे, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है। मगर हमारे जो वन उद्यान डवलप हो रहे है। महुआ बीड़-अजमेर, भढ़ाना-कोटा, चिरवा घाटा-उदयपुर और मुहाना-जयपुर, जो बायोलॉजिकल पार्क हैं, उनके लिए Central Zoo Authority ने निर्देश दिए हैं कि पूरे देश के जितने भी 'ज़ू' हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो जानवरों की स्थिति है, एरिया नहीं है। वहां पर एक तरह से जेल के कैदी बनकर रहते हैं। ये बायोलॉजिकल पार्क हैं, उनमें बड़े एरिया में जानवरों को घूमने छाया, पेड़ एक जंगल टाइप का एनवायर्नमेंट जैसे अपन ने माचिया में देखा या नाहरगढ़ में जो बना है, हम वैसे ही और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हर डिवीजनल हैडक्वाटर्स पर पहले राउंड में ये पार्क स्थापित हों। उदयपुर में सज्जनगढ़ बन चुका है और बहुत लोग जाते हैं। एक तरह का एडिशनल ट्यूरिस्ट अट्रेक्शन है, उसी तर्ज पर जोधपुर में माचिया में बन चुका है। जयपुर में नाहरगढ़ में बन चुका है। मरूधरा बीचवाल, बीकानेर में बन चुका है और जो अभेड़ा, कोटा है, उसको अभी कुछ हफ्ते पहले वित्तीय स्वीकृति और परमीशन केंद्र सरकार से मिली है।

2017-18 में हम चाहेंगे कि हमारे दो डिवीजनल हैडक्वाटर्स रह गये हैं, अजमेर और भरतपुर, उनको भी हम वन-वाई-वन हम डवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां पर इनको नेचुरल एनवायर्नमेंट मिल जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, ये कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स हो जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में भेड़िया की ब्रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है और गुजरात सरकार से हमें पत्र आए हैं कि हमें भेड़िये दो और वहां से बब्बर शेर ले लो। (व्यवधान) अब चेंज करेंगे। We will give them. फिर हमारी लॉयन सफारी भी है, उसी से हम..। नहीं तो, ऐसे तो कोई देगा नहीं। उनको कुछ मिलेगा, वे हमें देंगे। हम उनको wolf देंगे। क्योंकि wolf काफी रेअर कमोडिटी हो गये हैं। यह बच्चों के लिए भी एजुकेशन है। वे जब बायोलॉजिकल पार्क में जाते हैं तो कई चीज़ें सीखकर आते हैं। एक एजुकेटिव टाइप का सेंटर भी बनाया हुआ है। वहां पर unlike zoos और exhibition भी है। तो सब तरीके से ये हमारे ट्यूरिज्म पाइंट से, एजुकेशन पाइंट से मैं सोचता हूं किइससे हमें बहुत फायदा मिलेगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बाड़मेर में यह जगह कौनसी है?

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैंने बाड़मेर हिली बोला है। हमारे सरिस्का और रणथम्भोर में टाइगर्स हैं और मुकंदरा हिल्स हमारा तीसरा टाइगर पार्क बनेगा। Central Zoo Authority ने 400 चीतल और 18 सांभर को वहां पर शिफ्ट करने की हमें परमीशन दे दी है। वहां चले गये हैं, क्योंकि हमें एक प्रे-बेस क्रिएट करना पड़ेगा और हमने उनको शाफ्ट-रिलीज भी किया है। एन.टी.सी.ए. ने हमें टाइगर शिफ्ट करने की परमीशन दे दी है और हम कोशिश करेंगे कि इस दिसम्बर तकमुकंदरा हिल्स, मैं सोचता हूं कि बहुत ही सुंदर सैंक्चुरी है। बीच में से चंबल चल रही है। चारों तरफ जंगल है। वहां पर ग्रासलैंड्स भी हैं। सब कुछ है। मैंने भ्रमण किया था, बहुत ही सुंदर सेंक्चुरी है। दिसम्बर तक हमारी कोशिश होगी कि टाइगर को हम वहां शिफ्ट करें। वहां पर दो गांव हैं, जिनका री-लोकेशन करना है। हमारा प्रे-बेस बढ़ाना है। वहां पर वाहन और कम्युनिकेशन और आई.टी. सिस्टम इंस्टाल करने हैं। हम पूरी कोशिश करके इस साल के अंत तक टाइगर को वहां इंट्रोडूयस करने की करेंगे। हमारे बीच में झालाना डूंगरी है। हमारे घर से बाई-रोड़ पंद्रह मिनट जाएं तो वहां पर एंट्री हो जाती है। वहां पर बहुत ही शानदार Leopard की साइटिंग है। वहां पर 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने leopard conservation के लिए सात करोड़ रुपये दिए हैं। शायद Leopards ने हमारे रोड्स पर आकर सात करोड़ रुपये का अपने लिए बजट दिला दिया। सही टाइम पर आ गये वे, बजट अनाउंसमेंट से पहले। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी कोशिश होगी कि झालाना पार्क की हमें 52 किलोमीटर फेंसिंग दीवार बनानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि वह पूरे शहर के सेंटर में है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो झालाना और नाहरगढ़ जयपुर के ऑक्सीजन हैं। बीच शहर में ये जो दो जगह हैं, वहां पर पेड़-पौधे हैं। ये इस शहर के लिए ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं। इसको हम एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास पार्क बनायेंगे और प्रे-बेस भी इसके अंदर छोडेंगे। इसके अंदर आई.टी. टैक्नोलॉजी भी लायेंगे। वहां पर वॉटर हाल्स भी बनाएंगे। कोशिश होगी कि यह हमारे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ leopard park हो।

Desert National Park की चर्चा हुई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री गजेन्द्रसिंह)

लोग तो क्लेम करते हैं कि 140 गोडावण हैं, Great Indian Bustard. जो पूरे विश्व के अंदर इतने ही हैं। पर, मेरा मानना है कि सौ से अधिक नहीं है। इसमें से 80 हमारे बाड़मेर-जैसलमेर एरिया में हैं। यह एक बहुत भारी चुनौती है। ये एक्सटेंट नहीं हो जाएं। क्योंकि गोडावण एक बहुत ही शॉय बर्ड है। एक गोडावण साल में एक अंडा देती है। उसके अंडे को पनपाने के लिए.. क्योंकि आपके जो भेड़िये हैं, आपके जंगली बिल्ले हैं, वे अंडे को खा लेते हैं। हमें इसके अंदर 10 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिए हैं। माननीय सदस्य ने कोटा के लिए चर्चा की थी और अभी जो सर्वे हुआ है। कोटा के अंदर जो मुकंदरा हिल्स में ग्रास लैंड्स हैं, गोडावण की ब्रीडिंग के लिए जैसलमेर से भी बढ़िया एरिया पाया गया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बोला और जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे से चर्चा की थी कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी पार्क हैं, इसमें लोकल विलिजेज का इन्वाल्वमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी वाइल्ड लाइफ पार्क हो, जैसे सरिस्का है। बानसूर से आने वाली माननीया सदस्य बोल रही थी। इसके अंदर हम सब लोग मिलकर concerted efforts नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए एक loosing battle है। एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और जो भी डेथ हो रही हैं, वे इसलिए हो रही हैं कि मनुष्य कोर एरिया के अंदर जा रहा है। पैंथर हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आकर नहीं बैठ रहा है। We are disturbing the 'Panthers'. डिस्टर्ब करते हैं तो वे एग्रेसिव हो जाते हैं। हमें बचाना है क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि अलवर की जो इकोनामी है, उसके लिए सरिस्का नेशनल पार्क एक सोने की खान है।

आप जयपुर और दिल्ली के बीच में हैं और दिल्ली से अगर उत्तर दक्षिण, पूर्व,पश्चिम, किसी भी दिशा में चले जाएं, तो जिम कार्बेट पार्क 6 घंटे की ड्राइव के बाद आता है और सरिस्का में आप ढाई घंटे में घुस जाते हैं। ट्रेन वहां से निकलती है। कोटकासिम में एयरपोर्ट आने वाला है। मैं सोचता हूं जैसे रणथम्भौर की इकोनोमी जैसे टाइगर रिजर्व ने की है वैसे आपके कई गांव, आपके आस पास है अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे टाइगर कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्व के लिए। वहां लोगों ने

(श्री गजेन्द्रसिंह)

अपनी गायों को छोड़ दिया है। इतना डिस्टर्ब सरिस्का के अंदर हो रहा है कि मैं बहुत चिंतित हूं। सरिस्का की चुनौती मेरे लिए एक प्राइज प्रोजेक्ट होगा। जब तक मैं मंत्री हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा सरिस्का को कैसे ना कैसे रिवाइव किया जाए। क्योंकि सरिस्का एक सैंक्चुरी है जो सवा सौ टाइगर ले सकती है। रणथम्भौर तो अभी सैंक्चुरेशन पाइंट पर पहुंच रहा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): खेतों में भी आ जाते हैं। ग्राम पंचायत हाजीपुर प्रोपर कस्बे में आ गया था। ऐसा नहीं है, हम लोग साथ है। पूरे गांव वाले साथ है लेकिन बैठकर आपस में सामंजस्य हो।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री):उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी चुनौती हर नेशनल पार्क के लिए रही है वह है री-लोकेशन आफ विलेजेज। जो गांव वाले सैंक्चुरी के अंदर है, वह भी खुश नहीं है। मैं सैंक्चुरी में गया, जाकर उनसे बात की। उनको मालूम नहीं था कि मंत्री आया है। लेडिज से पूछा कि क्या करती हो, उसने कहा कि हम हमारे भेंड़ चराते हैं, गायें चराते हैं। दूध मिलता है। बकरी को बेचते हैं। मैंने कहा आपके बच्चे, उसने कहा कि साहब पास में स्कूल ही नहीं है हमें तो 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है। टेलीफोन नहीं है, बिजली नहीं है, हास्पिटल नहीं है, हमें थानागाजी, सरिस्का जाना पड़ता है, हमें टहला जाना पड़ता है। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो, कि साहब हमें कोई अच्छी पैकेज मिल जाए तो हम बहुत खुश है It is a win-win situation for everybody. इसलिए अब हमारे डिपार्टमेंट ने और हमने बैठकर कई मीटिंग्स कर ली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सोच है कोई मारुति 800 मांग रहा हो और उसको मारुति डिजायर की चाबी दे दो तो वह दौड़कर चाबी लेगा और उस गाड़ी को लेकर रवाना हो जाएगा। तो पैकेजेज है, लैण्ड वैल्यू, सरिस्का के अंदर तो लैण्ड वैल्यू बहुत ऊंची है सैंक्चुरी के बाद। तो अच्छी लैण्ड वैल्यू, अच्छी तादाद, उसकी कम्पनसेशन वगैरह। मैं केन्द्रीय मंत्रालय के अंदर गया था, मैंने मंत्रीजी से बात की थी। मैंन कहा यह 10 लाख वाला 2006 से रूल बना हुआ है। हमारी राज्य सरकार को 40 परसेंट देना पड़ता है। पैकेज को आप तोड़िए। एक पैकेज आल इंडिया को एप्लाई करना फेयर नहीं है। क्योंकि अलवर की जमीन के भाव रणथम्भौर से डबल है। तो उन्होंने एग्री

(श्री गजेन्द्रसिंह)

किया। उसको रिवाइज करेंगे। परंतु हम लोग भी बैठकर, इस रिलोकेशन को, जब तक रिलोकेशन, हमारी जनता अपनी जमीन, पीढ़ियों से सरेंडर करके अगर वह बाहर आएगी तो उनको बहुत अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। मैं कमिटेड हूं एक बहुत अच्छा पैकेज देंगे कि वह स्वयं आकर कहेंगे कि साहब यह हमारी जमीन लो और हमें आपकी जमीन दो।

उपाध्यक्ष महोदय, कम्पनसेशन पर भी हम कमेटी बिठाकर चर्चा करेंगे क्योंकि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बहुत होती है। इंसान की जिंदगी की वैल्यू अमूल्य है। कोई ऐसी डैथ होती है, या उसके मवेशी, उसकी बकरी, कोई भी जानवर, अभी हमारे रूल्स है, उनका रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। हमें इंसान और जानवर की कांफिल्क्ट है इसको कैसे कम करना है। कांफिल्क्ट तो होगी अगर कोई अंदर जाएगा, कांफिल्क्ट तो होगी अगर बाहर आएगा। प्रकृति ने पैंथर को ऐसा जानवर बनाया है वह कोर एरिया में नहीं रहता है। खासकर शेर होते हैं जहां पर वह पैरीफेरी पर आता है। वह बड़ा शिकार नहीं करता है। भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मोर, ऐसी चीजों को वह मारता है। तो वह पैरीफेरी पर रहता है। हमें पूरी कोशिश करके गांव वालों का कोई भी नुकसान हो उसका कम्पनसेशन एडीक्वेट होना चाहिए जिसमें उसको परेशानी नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, फोसिल पार्क माननीय मुख्य मंत्रीजी 11 करोड़ रुपये, जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर आकल गांव है, वहां पर हजारों साल पुराने, जब भी कोई जानवर मर जाता था या कोई पेड़ गिर जाता था, या कोई पक्षी मर जाता था, उस टाइम काफी एरिया तो समुद्र के नीचे था। समुद्र के नीचे जितने भी जीव, जब समुद्र चला गया और हमारी धरती की मिट्टी का सिलिका है, बरसात से, हवा से, इतने सदियों पुराने यह जानवर, पेड़-पौधे, पक्षी, मछली वगैरह जो भी है, सिलिका के साथ मिलकर उन्होंने पत्थर का रूप ले लिया। कई जगह आप जाकर देखेंगे वह पत्थर कहीं आपको लंबे पत्थर दिखेंगे। आप अच्छी तरह देखें तो वह एक पेड़ की तरह दिखाई देगा। कोई जानवर है वह जानवर की तरह दिखाई देगा। कोई चिड़िया है तो चिड़िया की तरह। शेप उसका वैसा होगा। सोलिडीफाई होकर पत्थर हो

(श्री गजेन्द्रसिंह)

गया। फोसिल पार्क के लिए हमारी टीम विदेश जाएगी। अमेरिका हो चाहे और कोई हो, वहां का माडल फोसिल पार्क देखकर हम एक्सपर्ट को लगाकर, यह एक चीज है, कोई भी साधारण आकर म्यूजियम नहीं लगा सकता है। इसके अंदर एक्सपर्ट चाहिए। फोसिल पार्क आ जाएगा तो जैसलमेर को एक बहुत ही यूनिक अचीवमेंट रहेगा। टयूरिज्म को बूस्ट मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा टाइम नहीं लेकर मैं पर्यावरण के बोर में थोड़ा बोलूंगा। एक कोट है "Plants and animals can live where human beings are not there." मतलब पौधे और जानवर वहां रह सकते है, पनप सकते हैं जहां पर इंसान नहीं है "But human beings can not live without animals and plants." जो मानव है वह एनीमल्स और प्लांट्स के बिना नहीं रह सकता है। हमारी पर्यावरण के प्रति जो अवेयरनैस है, आजकल सब अवेयर हो गये हैं और सबको अपनी हैल्थ की चिंता है। एक बहुत भारी हैल्थ हैजर्ड है चाहे वह लंग इंफेक्शन हो। इन चीजों से कैंसर होता है।

यह बताना चाहूंगा कि अमेरिका जैसा देश है, जो इतना एडवांस देश है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन अमेरिका में होता है, और इसका कारण है। आज कहना तो बहुत आसान है गाड़ियों से धुंआ निकल रहा है, फैक्ट्री से धुंआ निकल रहा है, वहां से एफ्ल्यूएंट निकल रहा है। मेन मुद्दा यह रहता है अगर आप इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको बिलकुल खतम करना चाहते हैं। या तो आप जैसे पारख साहब ने जैसे बात की थी नोइस पोल्यूशन। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लग गये है, इससे कोई धुआं पोल्यूशन नहीं होगा। आज यूरो स्टैण्डर्स कार के अंदर बिल्टइन होगी, यूरो फाइव, यूरो सिक्स इससे गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है। एडवांस टैक्नोलोजी लगाने से बढ़ जाती है। तो किसको पैसे देने पड़ते हैं, कंज़्यूमर को देने पड़ते हैं।

आज इण्डस्ट्रीज है, हम स्ट्रिक्ट होकर एक पैरामीटर बनाकर हर

(श्री गजेन्द्रसिंह)

इण्डस्ट्री को चैक करने लग जाए तो यहां पर बेरोजगारी हो जाएगी। क्योंकि इण्डस्ट्री को जेड एल डी, जीरो लिक्विड डिसचार्ज, जो भी पानी आता है वह पाउडर बन जाए, वह बहुत ही महंगा तंत्र है। जिसकी भी इण्डस्ट्री है, जब वह लगाएगा तो उसका कोस्ट आफ प्रोडेक्शन बढ़ जाएगा। कोस्ट आफ प्रोडेक्शन बढ़ जाएगा तो क्या वह दूसरे प्रदेश या इंटरनेशनली कम्पीट कर पाएगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह कम्पीट नहीं कर पाएगा तो हमें आंखे बंद कर लेनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि टैक्नोलोजी का यूज करके हम पोल्यूशन को लोस लेवल पर ले आए। हमारा ओजोन लेयर है उसमें छेद हो गया है। पूरा पर्यावरण उससे इफैक्ट हो रहा है। तापमान बढ़ने से इन पोल्यूटेंस की वजह से, इस प्रदूषण की वजह से पर्यावरण के अंदर इतना फर्क पड़ रहा है कि जितने भी ग्लेशियर है चाहे वह हिमालय के पहाड़ों में हो, चाहे वह आर्कटिक हो चाहे अंटार्कटिक हो, चाहे वह ग्रीन लैण्ड हो, चाहे आइस लैण्ड हो, वहां के ग्लेशियर मैल्ट कर रहे हैं।

उससे क्या है कि समुद्र तट के पानी का लेवल ऊँचा उठना शुरू हो जाएगा। शायद इसी तरह से चलता रहा तो कुछ ही वर्षों में मुंबई की मरीन ड्राइव अण्डर वाटर आ जाएगी। यह एक बहुत खतरनाक इश्यू है। हमें नई टैक्नॉलॉजी लाकर एन्वायर्नमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। एन्वायर्नमेंट चेंज से हमारे क्रापिंग पैटर्न्स बदल गये हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कुछ महीने पहले, न्यूजीलेण्ड में एक नदी है, उसका नाम है वांगानुई, वहां की कोर्ट ने उसको लिविंग एन्टिटी करार दिया है, यह जीवित है। तो जीवित चीज को जो राइट्स होते हैं, उसको वह राइट्स दे दिये। उसके पांच दिन पश्चात, उपाध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को भी यह स्टेटस दे दिया कि ये जीवित हैं। मतलब इतनी अवेयरनेस इस दुनिया के अन्दर हो रही है। हम तो वर्षों पुराने, हमारे बडेरे, सब गंगा-मां कह कर कहते थे, हमारी पीढ़ियों से, जो भी हमारी नदियां हैं, उनको पवित्र मानते थे तो हमारे पूर्वजों की सोच, दूरदृष्टि कितनी लम्बी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सांगानेर, पाली, बालोतरा, जसोल नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने बंद करने के आर्डर्स दे दिये थे।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

सांगानेर बंद हो चुका था। वहां पर जितना भी एम्प्लायमेंट था, वे सब अन-एम्प्लायड हो गये। बालोतरा भी कई महीनों तक, 06 महीनों तक बंद रहा। पाली की टैक्सटाइल्स की इण्डस्ट्रीज आज भी बंद हैं। हमने पूरे प्रयास करके केन्द्र सरकार की मदद से अब पाली के अन्दर सौ करोड़ रुपये 12 एम.एल.डी., सी.ई.टी.पी. को जेड.एल.डी., जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में ले जाएंगे। बालोतरा 154 करोड़ में 18 एम.एल.डी., सी.ई.टी.पी. को जेड.एल.डी. पर ले जाएंगे। सांगानेर में 159 करोड़ खर्च होंगे। नई सी.ई.टी.पी., पाइप लाइन, जेड.एल.डी. सब लगेगा। जसोल के 22 करोड़, उसके अन्दर आर.ओ. प्लाण्ट लगेगा। इसके अन्दर केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत देगी, हमारी सरकार 25 प्रतिशत देगी और जो इण्डस्ट्री है वह 25 प्रतिशत देगी। तो यह काम हमारे हमीरसिंहजी भायल ने बोला था चर्चा के अन्दर कि हमारे वहां का गंदा पानी आ रहा है। तो आप कुछ धैर्य रखो, अब ज्यादा समय नहीं होगा। ये पोल्यूटेंट्स आपके वहां आने बंद हो जाएंगे।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): जो नदी द्वारा कुओं तक रेज करता हुआ 150 किलोमीटर तक जा रहा है, यह जाने के बाद में तो नीचे से पानी सारा खराब हो जाएगा तो फिर कुओं का स्तर भी सही नहीं रहेगा।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): भिवाड़ी का जो प्रपोजल है, भिवाड़ी में भी बहुत गम्भीर समस्या है। वह हमने प्रपोजल केन्द्र सरकार को भेज दिया है। इसके अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जो हमारा २५ प्रतिशत शेयर है, वह उन्होंने इस बजट में आलरेडी तय कर दिया है। केन्द्र से जैसे पैसा आयेगा, हम इसका तुरन्त काम शुरू कर देंगे।

बिठूजा, बालोतरा के अन्दर 200 उद्योग हैं, जो कपड़ों की धुलाई करते हैं। कॉस्टिक सोडा काम में लेते हैं। इसके अन्दर काफी कॉस्टिक सोडा है जो अनयूज्ड होकर पानी के अन्दर बह जाता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 06 करोड़ रुपये देकर कॉस्टिक रिकवरी प्लाण्ट लगाने के लिये हमें बजट दे दिया है, जिससे आधा कॉस्टिक सोडा भी बच जाएगा, मतलब मैटेरियल और उस पानी को आप वापस यूज़ कर सकेंगे।

भिवाड़ी के अन्दर 09 एम.एल.डी. का सी.ई.टी.पी. है। 06 एम.एल.डी. का आर.ओ. प्लाण्ट 53 करोड़ रुपये के अन्दर, मैंने जैसे आपको बताया, वह

(श्री गजेन्द्रसिंह)

लगेगा। हमारे एयर क्वालिटी स्टेशंस हमने लगाये हैं। जिस शहर की करीब दस लाख की जनसंख्या हो, और स्मार्ट सिटीज हों, जयपुर में दो तंत्र लगे हुए हैं, जो आपको सब डिटेल्स बताएंगे। अजमेर में है, पाली में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, कोटा में है, अलवर, ताकि हमारे नागरिकों को मालूम पड़े कि हम कितनी अशुद्ध हवा का इन्टेक ले रहे हैं। राजवायु एप्लीकेशन, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में चालू है। उस एप्लीकेशन के जरिये आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितने प्रदूषण के बीच में बैठे हैं।

13 रीजनल लैब्स हैं, जहां पर नोइस मोनिटरिंग के लिये इंस्ट्रूमेंट्स हमने भेजे हुए हैं ताकि जो नोइस पोल्यूशन है उसको भी नियंत्रित किया जाए। आई.आई.टी., कानपुर 18 महीने का एक सर्वे जयपुर में कर रही है ताकि वह यह डिटरमिन कर सके कि जयपुर के अन्दर पोल्यूशन, एक्चुअल पोल्यूशन सबसे ज्यादा, नम्बर एक, नम्बर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहां से हो रहा है। जो हमने इनीशियेटिव लिये हैं, उसके अन्दर हमने पर्यावरण विभाग से एन.ओ.सीज. का ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया है। उसका जो कंसेप्ट है, डिजिटल सिग्नेचर के साथ ऑनलाइन हो गया है। और जो पुराने नियम थे कि रैड इण्डस्ट्री को तीन साल बाद रिन्युअल कराना पड़ेगा, ऑरेंज को पांच साल बाद और ग्रीन को दस साल के बाद। इसको बढ़ाकर तीन से पांच साल कर दिया है, पांच से दस कर दिया है और दस से पन्द्रह साल का हमने कंसेप्ट कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, ईंट भट्टे, जिनको आवा-जावा कहते हैं, उनको हमने एन.ओ.सी. से एग्जम्प्ट कर दिया है। कोटा स्टोन की जो स्लरी है, उसके लिये हमने सेण्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की से टाई-अप किया है। यह टैक्नॉलॉजी हम इनसे खरीदेंगे। जिससे जितना भी मलबा कोटा स्टोन से आता है, उसकी या तो फ्लोरिंग बन जाएं, टाइल्स बन जाए या बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाए, जैसे फ्लाई-एश, जो अपने पावर प्लाण्ट्स की है, उनकी बहुत बढ़िया ब्रिक्स बनती है, जो बिल्डिंग मैटेरियल के लिये आप काम में लेते हैं।

हम एक फैक्टरी बनायेंगे, इनकी टैक्नॉलॉजी को लेकर, वह एक पायलट प्रोजक्ट होगा, जिससे हम हमारे लोगों को प्रोत्साहन देंगे कि इस स्लरी को कैसे यूज किया जाए ताकि उसका प्रदूषण नहीं हो।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

आखिरी में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने अपने पाइण्ट्स रेज किये थे, मांगें की थीं। उसके अन्दर मैं ब्रीफ में जवाब दूंगा। कई तो ऐसी चीजें हैं जो पांच-पांच, सात-सात सदस्यों ने मांग की थी तो मैं उनको रिपीट नहीं करुंगा। माननीय सुराना साहब ने गोचर विकास, चरागाह विकास के बारे में बोला था। अच्छा सुझाव है। वन कमेटीज हैं, लोकल लोग होने चाहिये, जिनको वन के बारे में इण्टरेस्ट है, जो मनोनीत हों तो वे लोकल लोग हों, इसका बैठ कर मेरे डिपार्टमेंट से बात करके मैं पूर्ण कोशिश करुंगा कि आपके सुझाव को लायें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पुरानी सब कमेटियों को भंग करके नई कमेटियां बनायें।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह होगा तो वैसे ही होगा, साहब।

नीनामा साहब हैं, प्लाण्टेशन के बारे में उनका मैन जो कन्सर्न था, उन्होंने कहा था कि प्लाण्ट्स का सर्वाइवल बहुत कम हो रहा है। कई अन्य सदस्यों ने यह इश्यू रेज किया था कि प्लाण्ट्स का सर्वाइवल बहुत कमजोर है। हमारी एक स्पेशल विंग है। मैं उनको निर्देश दूंगा कि क्या मापदण्ड हैं, आपको सर्वाइवल रेट का कम से कम एक पैरामीटर फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि इतना पानी खर्च करके, पौधा खर्च करके, जो अपना इन्वेस्टमेंट व्यर्थ में जाता है, डिपार्टमेंट का पैसा जाता है। जनता को भी लाभ नहीं मिलता है। पौधा, आप लोगों को भी मालूम है कि जितना छोटा पौधा हो उतना उसका सर्वाइवल बैटर होता है। और वह पौधा प्रैक्टिकल होना चाहिये। वह उस क्षेत्र का होना चाहिये। पौधा लाभदायक होना चाहिये। चाहे उससे गूगल निकले या कुछ भी निकले। तो उस ईको-क्लाइमेटिक जोन को सूट करना चाहिये, छोटा होना चाहिये। इसके अन्दर हम बैठकर बनाएंगे कि जो भी पौधा लगायेगा, He has to guarantee कि इतना प्रतिशत सर्वाइवल हो। उसके बाद में कोई आपको कम्पलेण्ट हो तो आप सीधा मेरे को बतायें।

आपने दीवार की हाइट बताई थी। हमारे जो नियम हैं, जहां पेड़ लगे हैं वहां चार फुट हाइट का है, और जहां आपका जानवर है वह छह फुट का है।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

वल्लभनगर से पधारने वाले माननीय सदस्य, आपने गोडावण के बारे में इश्यू रेज किया था। मैं यह डिस्कस कर ही चुका हूं। सीतामाता सैंक्चुरी फ्लाइंग स्क्विरल जो हो, आपने उसके बारे में बानसी रोड को डाइवर्ट करने के लिये बोला था। उसके बारे में भी मैं पूरी जांच करके, मैं सीतामाता सैंक्चुरी में आया नहीं हूं, मैं खुद आकर भ्रमण करके इसके बारे में देखूंगा।

आपने बोला कि प्रे-बेस नहीं है वहां पर। आपने बोला कि कोई गांव भी अंदर सेंक्चुरी में बहुत कम है। इसको भी टाइगर प्रोजेक्ट में ले लेना चाहिए तो हम जरूर, मुकुंदरा हिल को जैसे प्रमोट कर रहे हैं, एक बार आकर यह देखेंगे कि क्या टाइगर की सेफ्टी के लिए सब वहां पर नॉर्म्स वह फुल-फिल करती है या नहीं करती है।

आपने जयसमंद के बारे में बोला। हां, मैं यह मानता हूं कि हमारी सैंक्चुरीज जो हैं, इनमें वाहन और कम्यूनिकेशन यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेन्स की चीजें हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वाहन और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है फोरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में वह अव्वल होना चाहिए।

आपने हिंदुस्तान जिंक के बारे में बोला था, वह आपके प्रश्न काल के अंदर जो आपके स्थगन प्रस्ताव के अंदर था, उसके ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिये, उसको हम देख लेंगे।

नानालालजी अहारी, खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्लांट सर्वाइवल के बारे में बोला, जिसका मैंने जवाब दे दिया है।

माननीय कटाराजी, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला था, पानी के बहाव के बारे में बोला था, आपने बोला था कि जंगल सूख गया है और जो पानी बहकर आता था तो इसके अंदर जो आपको मैंने स्कीम्स बतायी हैं। आपका डूंगरपुर जिला आया है तो आपके साथ बैठकर जो डिग्गियां हैं, वाटर-हार्वेस्टिंग सिस्टम है, एनिकट्स हैं, हम सब यह इसकी बैठकर चर्चा करके कोशिश करेंगे कि आपके एरिया के अंदर कोई बेनिफिट दें।

भंवरसिंहजी ने जोहड़ के बारे में, कोटड़ी के बारे में बोला था कि यह जो कोटड़ी गांव बीच में आ गया है तो इसके अंदर भी हमारा जो री-लोकेशन

(श्री गजेन्द्रसिंह)

का जो पैकेज हम बनाएंगे तो डिस्कस करके देख लेंगे कि क्या आबादी है, क्या कोस्ट पड़ेगा तो हम कोशिश, प्रयास पूरे करेंगे।

पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य श्री शैतान सिंहजी ने बोला था डी.एन.पी. के बारे में, आपने बोला था और आमजन को इन्वॉल्व करना है तो यह आपकी भी कई बातें जो मैंने मेरे स्पीच के अंदर बोल दी है। सैनी साहब नहीं हैं, यहां पर। जो यहां पर है उन्हीं को कर रहा हूं।

बानसूर से आने वाली माननीया सदस्य शकुन्तला जी, मैडम, को-आपरेट करके, हम सब मिलकर Let us promote Sariska. और जो टाइगर की पापूलेशन 15 से 50 तक ले जाए, यह जो है, आपके लिए ही एक बहुत भारी असैट है तो इसका सब लोग मिलेंगे, जन- प्रतिनिधि मिलकर, गांव वाले मिलकर सबका जिसमें भला हो, यह एक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। सरिस्का, मैं सोचता हूं कि यह सरिस्का जो सैंक्चुरी है, यह एक सोने की खान है तो बजाये कि अपन खींचातानी करें, इट इज बैटर कि अपन बैठकर को-आपरेट करके हमारे वन्य जीव के हित में, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, टाइगर बढ़ते जाएंगे तो सब सरकारों को बैनिफिट मिलेगा और टाइगर ही जो है, टाइगर के डर से सब लोग बाहर रहते हैं, ठीक है न? टाइगरों को हटा दो तो सब आकर पूरे फोरेस्ट को लोग काट देंगे तो आपके साथ, I hope you will cooperate और इसके लिए हम वर्क करेंगे।

सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य श्री भायल साहब, आपने जो चर्चा की थी, कोशिश करेंगे कि कम से कम इस इसको रिड्यूज करें जो आपका effluents बह कर आ रहे हैं और आप भी आकर देख लें जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, यह प्लांट्स लगकर सी.ए.टी.पी. प्लांट्स, जेड.एल.डी. लगकर, जेड.एल.डी. का मतलब है कि कुछ पानी नहीं निकलेगा उनसे, यही चीज है न? तो इसका बैठकर हम चाहते हैं कि यह प्रदूषण नदियों में बह-बहकर आगे जाकर हमारे हैल्थ के लिए बहुत खराब है।

मेवारामजी जैन साहब ने फर्माया था, आपने डी.एन.पी. के बारे में बोला था और आपने बोला था कि पैंथर ने भी आपके यहां आतंक मचाया हुआ है। तो, अगर उसको नहीं पकड़ा है तो मेरे अधिकारी को कहूंगा कि कल से ही पूरा प्रयास करें। आपके बाड़मेर सिटी में आ जाता है क्या?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): हां, सिटी में रात को आता है, पता ही नहीं पड़ता।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): इसके पास कोई पहाड़ियां तो होंगी, कोई छुपने के लिए तो होगी जगह।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बिलकुल सिटी में, वह रात को आ रहा है और पता ही नहीं पड़ता, एक दिन दस-बारह बकरियां खा गया।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): नहीं, उसकी गुफाएं कहीं तो होंगी न आस-पास। ओपन में तो रहता नहीं होगा, कहीं न कहीं छुपता होगा, गुफाओं में चाहे कुछ भी है, मैं उसका डिपार्टमेंट को पूरा निर्देश दे दूंगा कि इसको इमीजिएटली टेक-अप किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप तो इनसे मिलकर बता देना कि कहां वह है, उनके पास भेज देंगे यह।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह ट्रैक करके बता देंगे हमें कि कहां वह छिपा हुआ है फिर डिपार्टमेंट जाकर tranquilize कर देगा, आपको साथ ले चलेंगे हम।

मकराना से आने वाले माननीय भींचर साहब, आपने बताया कि नीलगाय जो है, नीलगाय का एक बहुत ही भारी manus है और manus ही नहीं है, वह अटैक भी करता है ह्यूमन बीइंग्स को तो इसके अंदर क्या है कि हम इनको अगर tranquilize कर सके, tranquilize करके अगर सैंक्चुरी में ले जा सके तो वह सबके लिए win-win सिचुएशन होगी पर तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गयी है और मेरा सोचना है कि दीवार के अलावा आप सोलर फेन्सिंग लगायें तो सोलर फेन्सिंग के अंदर तो हाथी भी नहीं आता है। ठीक है न? और वह बहुत सस्ती पड़ती है पर उसका रूट-कॉज को हम पकड़े तो हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा कि नीलगाय को जो है tranquilize के अलावा आर्डर तो है, आपको आर्डर्स मिल सकते है कि नीलगाय को आप शूट कर सकते हैं पर हमारे क्या है कि लोग कहते है कि भाई, इसका अंग्रेजों ने नाम गाय दे दिया था, नीलगाय, गाय तो है नहीं अगर इसकी आप ड्रापिंग्स, मींगणी देखें तो वह तो बिलकुल हिरण जैसी है तो यह antelope है, अब लोगों के माइंड सैट में है। अगर अंग्रेज उस टाइम बकरे का नाम बकर-गाय

(श्री गजेन्द्रसिंह)

रख देते तो कोई बकरे को भी नहीं मारता तो उन्होंने अब गाय नाम लगा दिया तो गाय लगा दिया तो क्या करें?

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): उसको रोजड़ा भी कहते हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): रोजड़े भी कहते हैं। रोज तंग करता है आकर।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): मंत्री महोदय, इसमें मेरा यह निवेदन है कि या तो इसको जंगलों में पकड़कर छोड़ा जाए या इनको शूट करने की परमिशन दी जाए।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): नहीं, शूट करने की परमिशन तो है, साहब।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): है कहां? नहीं है अभी।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): बिलकुल है, मैं आपको बता दूंगा और परमिशन किससे प्राप्त करनी है, वह भी मैं आपको बता दूंगा।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): एक मैं आपको निवेदन कर दूं कि अभी हमारे क्षेत्र के अंदर आटोमैटिक ही कुदरती मर गया पर मरने के बाद के अंदर एक आदमी के खिलाफ एफ.आई.आर. लॉज हो गयी और उसका चालान कर दिया। कहां परमिशन है?

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): नहीं-नहीं, एज पर लॉ आप परमिशन लेकर शूट कर सकते हैं उसके बाद वेटेनरी डाक्टर आकर उसको वैफिफाई करेगा, फिर उसका खड्डा खोद कर नमक डालकर, उसके नियम है। ....(व्यवधान)....

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): वह तो सब कर देंगे, नमक तो डाल देंगे। वह सारा कर देंगे हम। ....(व्यवधान)....

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): सांभर से मिल जाएगा, नमक खूब आपको।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भादू साहब ने बोला था, इनकी समस्या बहुत गंभीर है। अभी जो डबल अलॉटमेंट के मामले हैं, इसमें फोरेस्ट

(श्री गजेन्द्रसिंह)

डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बैठकर अवश्य इसके अंदर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे।

इसके अंदर माननीय प्रतिपक्ष के व्हिप ने साहब ने बोला था, कि आपने आय-व्यय के बारे में बात की थी। जो आपने, हां, यह मैं मानता हूं कि एक्सपेंडिचर्स पूरे नहीं हुए पर आपने तो बिलकुल जीरो, जीरो, जीरो कर दिया है न, वह सही नहीं है, मैं आपको फीगर्स पेश करके बताऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो सरकार के प्रतिवेदन में है, अगर नहीं हो तो आप जो कहो सो करे। ....(व्यवधान)....

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैं आपको बता दूंगा। मैं सोमवार को पेश कर दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने उसी से पढ़ा है, कहीं से नहीं लाया मैं। ....(व्यवधान).... आप मंत्रीजी की परफारमेंस को कम करना चाह रहे हैं। यह सबसे अच्छी परफारमेंस आज इनकी है। ....(व्यवधान)....

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अच्छा। फिर आपने वन भूमि पर बसी हुई कॉलोनीज का बोला है, 1980 से पहले थीं वह तो हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है, उसका रैस्पेक्ट करना पड़ेगा, यह संभव नहीं है। फिर इसके बाद आपने जो एक आरोप लगाया, आपने यह बोला था कि जंगल हम बेच रहे हैं। बाई-लॉ जंगल हम नहीं बेच सकते हैं, हम किसी को जंगल यूं नहीं दे सकते हैं। साउथ अफ्रीका जो है, वह वन्य जीव की सफारी है, आज इस विश्व के अंदर जो बैस्ट वाइल्ड लाइफ सफारी और रिजर्व है वह अफ्रीका में है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और वहां पर पी.पी.पी., पार्टिसिपेशन के बिना वह चल ही नहीं सकता है। मैं गया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच फोरेस्ट के अंदर तंबू लगाये हुए थे, कोई दीवार नहीं थी और हम रात को हाथियों को चिंधाड़ते हुए सुनते थे और शेरों को भी, हां, तो मतलब वह प्राइवेट थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): शेर कैसे बोला था?

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): म्याऊँ। और वहां पर जो छोटे-छोटे Air-strips भी बने हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठ सीटर के प्लेन कच्चे Air-strips हैं, प्राइवेट कंपनीज रन करते हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम वह करने जा रहे हैं। आपको पता नहीं क्या किसी ने गुमराह किया और जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको सत्यता बताना चाहता हूं कि हमने वहां से जो एक ईको-ट्यूरिज्म, खाली सफारी वाले ने ईको-टयूरिज्म, वहां के टॉप क्लास जो हैं, जो रन कर रहे हैं, वहां पर पार्क के अंदर हमने उनको राजस्थान में आमंत्रित किया। हमने उनको बोला कि आप हमारे पार्क्स देखकर हमें सुझाव दो तो उन्होंने कहा कि ट्यूरिज्म का जो मैनेजमेंट है, वह पी.पी.पी. मोड पर करना पड़ेगा।

(20.00 बजे)

बाकी हम सुझाव आपको देते हैं। उन्होंने यह सुझाव भी दिये। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक मीटिंग रखी, जिसके अंदर उन्होंने पूरा प्रजेन्टेशन दिया और उन्होंने हमें आमन्त्रित किया कि आप भी आकर हमारा देखो। In the meanwhile उन्होंने जाकर बोला कि आपको जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, आपके होटेलियरिंग है, यह रणथम्भौर में इतनी जिप्सी जाती है, वह किसकी है, सारी सरकार की थोड़े ही है, वह वहां के लोकल लोगों की जिप्सीज लेते हैं अपन ताकि उनको रोजगार मिले, तो वह भी तो पी.पी.पी. मॉडल है न। उन्होंने आकर हमें इन्वाइट किया था, हमें सुझाव दिया था और बोला कि पी.पी.पी. मॉडल पर आप यह-यह कर सकते हो। न कोई एम.ओ.यू. हुआ, न कोई एल.ओ.वाई. हुआ, न कोई टैण्डर हुआ और उन्होंने कहा कि आप पी.पी.पी. मोड के लिये यह कंडीशन लगायें, इसको आप ओपन टैण्डर में लगायें। इसके अंदर बिल्कुल वन परसेंट सत्य नहीं है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर डूडी साहब बोल रहे थे, इन्होंने भी आरोप लगाया। मैंने इनको समझाया तो इन्होंने कहा कि अच्छा नहीं बेच रहे तो बहुत बढ़िया। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा फोरेस्ट डिपार्टमेंट है न, वह वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और फोरेस्ट का कंट्रोल हम रखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और एक्ट भी अलाऊ नहीं करता कि हम ऐसे ही फोरेस्ट किसी को दे दें। यह जो अखबारों ने इश्यू उछाला है, यह बेफिजूल उछाला है और इसके अंदर एक प्रतिशत भी सत्यता आप मुझे बता दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

हमारे माननीय किरोड़ी लाल जी, तापमान अच्छा है, ठीक है। आपका टैम्प्रेचर ठीक नहीं है तो आपकी पर्ची मैं हटा दूं यहां से। मैं कई बार कहता हूं माननीय सदस्य को, कि आप इतना चिल्लाया मत करिये। अपन सब अब मिडल एज से ऊंचे जा रहे हैं, ब्रेन हेमरेज होकर हम दो मिनट में गिर जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैंने आपको सुझाव दिया था। आपने जो रिसोर्ट के बारे में बताया है, मेरे पास डिटेल्स हैं, लेकिन आप कोई भी लिस्ट दें, वह फोरेस्ट एरिया में नहीं है, उसका रेवेन्यू से लेना-देना है। अगर फोरेस्ट एरिया के अदंर किसी ने अतिक्रमण किया है, आप बताएगे तो उसका तुरन्त अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। अब एक-दो ही रह गये हैं। जगदीश नारायण जी नहीं हैं। अर्जुनलाल जी हाथ उठा रहे हैं, मैं कहूंगा आपका रेस्क्यू सेंटर है, वह आपका जो पशुपालन केन्द्र वहीं है, उसके पास ही हम रेस्क्यू सेंटर देते हैं। मैंने आपको बता दिया आपके वहां पर रेस्क्यू खोल दिया जाएगा। सुखराम जी भी नहीं हैं। पारीक साहब, आपको बताऊं, आपने पोल्यूशन के बारे में बोला था, पॉलीथिन के बारे में आपने बोला था। पॉलीथिन तो बैन है ही। यही है कि नियन्त्रण मजबूत करना है, जो लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको पकड़ना है, जो लोग इसके होलसेलर हैं, उनको पकड़ना है। अच्छा प्रोडक्ट लाना है, जो बायो-डीग्रेडेबल प्रोडक्ट है। उसके लिये हम पूरा प्रयास करेंगे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मांग पारित कराने के लिये बोलो।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो आ चुका ना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप इनको डिस्टर्ब कर रहे हो, यह क्या बात हुई? आपसे अच्छा बोले हैं ये।

श्री उपाध्यक्ष: ऑलरेडी आपने पारित करने के लिये तो कह दिया न। He's already said. He has already moved the motion. जब टेबल किया, तभी मूव कर दिया था। आपने मूव कर दिया You have already moved when you tabled it.

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): शुरू में मैंने मूव कर दिया था Started with by moving.

श्री उपाध्यक्ष: खनिज मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-43 पर आज सुबह से बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। 192 कटौती प्रस्ताव मिले हैं, इन सबका हमने उत्तर बना लिया है और 48 घंटे में सबके पास पहुंच जाएगा। पक्ष और विपक्ष के बहुत से साथियों ने अपने विचार रखे। तीन तरह की बातें यहां पर आयीं। कुछ साथी थे, जिन्होंने कमियां भी गिनायीं, थोड़ी निन्दा भी की। कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने सुझाव भी दिये, प्रशंसा भी की और कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने असत्य बोलकर वाहवाही भी लूटी। पहले जो साथी हैं जिन्होंने निन्दा की और कमियां गिनायीं तो कबीरदास जी का श्लोक है -

'निंदक नियरे राखिए, निन्दक सच्चा मीत'

जो निन्दा करने वाला होता है, उसको दूर नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह जो बातें करता है, उसको आप सोचो और उस पर विचार करके अगर कमी है तो ठीक करो। मेरा यह मानना है कि जिन्होंने यहां कमियां गिनायीं, वह मेरे मित्र थे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी कमियां सामने लायी गयी हैं, उसमें जो सत्य है, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। जिन्होंने सुझाव दिये हैं या प्रशंसा की हैं, वह मेरे शुभचिन्तक हैं, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है, ऊर्जा दी है तो मैं जो शुभचिन्तक हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा कुछ लोगों ने जो असत्य बोलकर और शोर-शराबे में जाकर अखबारों में लोकप्रियता मिलेगी, उनके लिये मैं यही कहूंगा कि मैं अपने जवाब में असलियत देने की कोशिश करूंगा और कभी कोई आदेश हमारी सरकार ने आज तक कोई गलत जारी नहीं किया, यह मैं सिद्ध करने की कोशिश करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बहुत ही भाग्यशाली है कि अमूल्य खजिन भंडार राजस्थान के भू-गर्भ में मिला। जब इसकी तरफ हम देखते हैं कि ईश्वर की कृपा क्यों हुई, कैसे हुई तो मुझे गुरु नानक देवजी का एक श्लोक याद आ जाता है -

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

'सा धरत पई हरियावली जित्थे मेरा सतगुरू बैठा जाए'

जहां कोई महापुरूष-पैगम्बर जन्म ले ले या उसके चरण छू जाए उस धरती को, धरा को तो वह धरती भाग्यशाली हो जाती है, हरी-भरी हो जाती है और राजस्थान में एक नहीं, अनेक पैगम्बर, पीरों के पीर बाबा रामदेवजी, विष्णु के अवतार जाम्बोजी, कृष्ण की भक्त मीराजी, धन्ना भक्त जी, पीपा जी और यहां तक कि गुरूनानक देव जी और गुरु गोविन्द सिंहजी की चरण छू इस राजस्थान की धरा को मिली। मैं समझता हूं यही बड़ा कारण है कि आज राजस्थान की धरती पर इतना अमूल्य खजाना है कि यह खजाना राजस्थान की तकदीर बदल सकता है।

अगर हम इसकी चर्चा करें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 लाख 42 हजार 239 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। खनन हेतु जो आबंटित क्षेत्र है, वह 1846 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 0.54 प्रतिशत खनन हेतु आंबटित किया गया है। राज्य में कुल स्वीकृत खानें 33 हजार 643 हैं और कुल स्वीकृत पट्टे 15 हजार 643 हैं और राज्य में कुल स्वीकृत क्वारी लाइसेंस 18 हजार है और देश के खनन उत्पादन में राजस्थान का 9 प्रतिशत योगदान है। खनिज की उपलब्धता के बारे में अगर बात करें तो राज्य में कुल उपलब्ध खनिज अभी तक 81 इन्ट्रोड्यूज हुए हैं, जिसमें 57 का दोहन हो रहा है। राजस्थान की जी.डी.पी. में खनन का योगदान 7.04 परसेंट है। वेलेस्टाइन, जस्ता, सीसा, जिप्सम, केलसाइट, रॉक फास्फेट, सोप-स्टोन, चांदी, मार्बल, सेण्डस्टोन, यह खनिज हैं जिनमें उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में एकाधिकार है।

25 लाख के लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोग रोजगार में खनन विभाग से जुड़े हुए हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, यह राजस्व देने वाला विभाग है और राजस्व की दृष्टि से राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 59 हजार 455 हैं।

और खान विभाग की राजस्व प्राप्तियां 4200 करोड़ हैं इस वर्ष की। पैट्रोलियम विभाग की राजस्व प्राप्तियां 2750 करोड़ हैं। राजस्व प्राप्तियों में खान एवं पैट्रोलियम विभाग का योगदान 11.09 प्रतिशत है।

अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, राजस्व प्राप्तियों में पिछली

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

सरकार ने अपने पांच साल में 11 हजार 70 करोड़ रुपये हमारे विभाग से रेवेन्यू प्राप्त किया था और हमने मात्र 39 माह में 12 हजार 800 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त कर लिया है, जो पिछली सरकार के पांच साल से हमारा तीन साल का 1730 करोड़ ज्यादा है और परसेंटेज निकालें तो 15.67 परसेंट रेवेन्यू हमने पांच साल की तुलना में 36 महीने में सरकार को दी है।

खनिज, बजरी की यहां चर्चा हो रही थी कि पता नहीं कितना लुटा दिया, क्या लुटा दिया। अगर पिछली सरकार की बात करें तो पांच साल में 2008 से 2013 में आपने दिया 575 करोड़ रुपया और हमने 39 माह में दिया है 1030 करोड़ रुपया। तो हमने लुटाया है या आपसे डबल से ज्यादा दिया है?

नम्बर दो। पिछली सरकार से वर्तमान सरकार के समय में प्राप्त अधिक राजस्व 455 करोड़ रुपया आपसे ज्यादा हमने रेवेन्यू कर की दी है, 36 महीने में पांच साल की तुलना में। और अगर अधिक राजस्व प्राप्ति का परसेंटेज गिनें तो 80 परसेंट, 79.13 परसेंट हमने रेवेन्यू बजरी के अन्दर ज्यादा दिया है। अगर प्रति वर्ष की तुलना करें तो आप 115 करोड़ प्रति वर्ष देते थे और हमने कलेक्ट किया 340 करोड़, डबल से भी तीन सौ परसेंट ज्यादा है। अगर प्रति माह की बात करें तो आप प्रति माह लेते थे 9 करोड़ और हम ले रहे हैं 29 करोड़, यानी की तीन सौ परसेंट ज्यादा है। इसलिए आप कह रहे हो कि बजरी खनन में पता नहीं रेवेन्यू कितना, आप कहां थे और हम कहां है, इन आंकड़ों से आपको पता लग जाएगा। हमने तीन सौ परसेंट ज्यादा रेवेन्यू दिया है आपको। और किया सब कबाड़ा आपका है, वो मैं आगे आपके सारे पन्ने खोलूंगा।

बजरी के एल.ओ.आई. धारकों की वसूली, 467 करोड़ के टैण्डर पूरे जो आपके छूटे थे और हमने अभी तक 1123 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया। अब इसमें प्रीमियम के रूप में 213, आनुपातिक प्रीमियम के रूप में जो कि हमने एक तरह से उनको निचोड़ा है, 221 करोड़ रुपया, रॉयल्टी और परमिट फीस के रूप में 623 करोड़ रुपया और पैनल्टी के रूप में 66 करोड़ रुपया। यानी कुल मिला कर 1123 करोड़ रुपया हमने बजरी के जो ठेकेदार हैं या जिनको बजरी के हुए हैं, उन सबसे हमने लिया है। इसलिए बार-बार जो एक

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

बात आ रही थी कि बजरी खनन में पता नहीं क्या हो गया, तूफान मच गया, तो दिया तो आपने था, हमने तो आपसे तीन सौ परसेंट ज्यादा रेवेन्यू ले लिया। जो आपने तय कर दिया उससे तीन सौ परसेंट ज्यादा हमने कलेक्ट कर लिया। इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ होते हुए भी राजस्थान गरीब क्यों है? इसका कारण है कि जिन लोगों ने राज किया, इतना खनन, इतना खजाना होते हुए भी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हो या निजी स्वार्थ में चला गया हो तो कसूर किसका है? और किसने क्या किया, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसलिए इसका कारण, किसी ने 60 साल तक कोई नीति ही नहीं बनायी और 2011 में बनायी तो अपने स्वार्थों के लिए उसको भी उड़ा दिया। और कोई भी आओ और पाओ और उसके अन्दर भी जादू चला दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पहली बार ही आये हो क्या सत्ता में? इससे पहले कभी नहीं आये क्या?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं तीसरी बार मंत्री हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 2003 से 2008 में आप थे, भैरोंसिंह जी की सरकार थी, 60 साल 60 साल।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं तीसरी बार मंत्री हूं और एक भी बात गलत नहीं कहूंगा। आप बैठ जाओ, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ट्रेलर है पिक्चर तो देखो न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो प्रधान मंत्रीजी बोल रहे हैं वो ही डायलॉग आप बोलने लग गये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आप पिक्चर देखो आराम से बैठ कर, मैं नहीं बोला पहले बिलकुल भी। आप पिक्चर देखना, हिम्मत हो तो बैठो, धीरज कर के बैठो और कोई झूठ बोलूं, असत्य बोलूं तो जो भी सज़ा आसन देगा मैं उसको कबूल करूंगा लेकिन क्षमता रखो। कहना आसान है, सुनने की भी आदत डालो न।

मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसी नीति बनायी है

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

कि जिसकी पिछले एक महीने से जब से लागू हुई है कोई एक-दो छोटे-मोटे किसी को छोड़ कर किसी ने आज तक, मेरे को किसी संगठन ने, किसी किसान संघ ने, किसी किसान सभा ने, किसी ट्रेड एसोसिएशन ने, सब ने मेरे को, उलटा कल होटल में एक प्रोग्राम कर के सारी एसोसिएशन ने मेरे को सम्मानित किया कि आपने हम से चर्चा कर के हमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया।

आप कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी ने नकल मार ली, वो मार ली। आप मेरे को समझाते हो, सुन लो। हमने इस नीति को लगातार तीन बार वेबसाईट पर डाला, हमने हर एसोसिएशन को, मार्बल एसोसिएशन, मिनरल मार्बल एसोसिएशन, राजस्थान में जितनी एसोसिएशन हैं, सबसे मैंने बुला-बुला कर व्यक्तिगत बात की और उसके बाद हमारी जो एम.एल.एज. की सलाहकार समिति है उसके साथ बैठ कर, सारे अधिकारियों के साथ बैठ कर तीन घंटे मन्थन किया, ब्रीफ नोट बनाया। मैं मंत्रिमण्डल के सारे साथियों का आभारी हूं कि उसमें जो हमें नजर आया कि यहां राजस्थान का नुकसान होता है या काम करने वाले का कोई शोषण होगा तो हमने उस सब में अमेंडमेंट किया और ऐसी शानदार नीति बनायी है। मैं आज इस सदन में कह रहा हूं कि इस नीति के लागू होने के बाद खान विभाग पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकेगा क्योंकि हमारे मन में खोट नहीं हे, हमने निजी स्वार्थ के लिये नहीं बनायी है। हमने ट्रांसपरेंसी रखी है।

हमारी नीति का मेन ट्रांसपरेंसी है, पारदर्शिता है। ई-नीलामी है, सब प्रकार की नीलामी होगी, हमारा विभाग ऑनलाईन है, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, पेपरलैस होगा और सारा काम हम करेंगे, खुल्ला चिट्ठा होगा, कोई भी देख ले सामने कि क्या हो रहा है। उसके अन्दर मैं जो खुलासा करना चाह रहा हूं, नीति के जो प्रमुख पाइंट हैं, सबसे ज्यादा यहां किसान की बात, मैं किसान का बेटा हूं, अपने हाथ से खेती की है और हमारे हाथ से कभी किसान का बुरा नहीं होगा। तो मैं आपके बताता हूं किसान के लिए। कितने सालों से आपकी सरकार थी, जिप्सम वाले किसान रात को सोते थे और लोग उसके खेत से जिप्सम निकाल लेते थे। लेकिन हमने इस सेण्टर के माध्यम से आज जो वहां नीति बनायी है, जिला कलेक्टर को अधिकार दिये

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

हैं, 950 एप्लीकेशन लग गयी हैं। सुराना जी, आप भी कह रहे थे, 70 को हमने एल.ओ.आई. जारी कर दी है और हम दो महीने में सब को, हर किसान को जिप्सम का मालिक बना देंगे और हर किसान का बेटा जिप्सम का कारोबार करता नजर आयेगा। तो यह किसान के लिए हमने किया है 950 आदमियों के लिए, यह हमारी नीति का पार्ट है।

अब नीति के अन्दर हमने जो किया है, जो हमारी समस्याएं थीं, सारी नीलामी, जो भी नीलामी होगी हमारी अप्रधान खनिज की वो सारी की सारी ई-टैंडरिंग से होगी, गैप एरिया भी ई-टैंडरिंग से होगा जिसमें आपके टाइम से पता नहीं कितना करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार चला गया, अगर दो के बीच में है तो दोनों के बीच में भी हम ई-ऑक्शन करायेंगे। सारी नीलामी, चाहे बजरी के ठेके हैं, चाहे गैप एरिया है, चाहे कोई क्वारी लाइसेंस है, सब के सब हम ई-टैंडरिंग से करायेंगे, किसी को कोई भी छूट नहीं मिलेगी।

जो 31 खनिज मेजर से माइनर मिनरल में आये थे इन सबकी, जिनकी एल.ओ.आई. जारी हो गयी थी और ऑक्शन हुआ था, उनको हमने सेव करते हुए पुरानी नीति में रखा है। बाकी सारे के सारे, जो आवेदन थे सब थे वो नई नीति के अन्दर आएंगे। कोई भी पुराने अलॉटमेंट, कोई भी हमारा पुराना आवेदन, कोई भी पुराना कैंसिल किया हुआ, एक भी बहाल नहीं होगा, सब पुरानी नीति में नहीं नये ऑक्शन में आएंगे।

खानों का आबंटन, भ्रष्टाचार, कहते हैं न, चोर को मारना है चोर की मां को मारो, पैदा ही न हो। गैप एरिया हम छोड़ेंगे नहीं, बिना गैप एरिया के सारी की सारी हमारी खानों का हम डिमार्केशन करेंगे क्योंकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। गैप एरिया नहीं छोड़ेंगे तो फिर उसमें भ्रष्टाचार कहां से होगा?

सभी पुरानी खानों की अवधि जो 30 साल थी, हमने उसको 50 कर दी क्योंकि यह बहुत बड़ी मांग थी और जब वेबसाइट पर हमारी साइट पर हमने डाला था तो उसमें 30 था लेकिन सब लोगों ने कहा तो उसको हमने 50 कर दी, सब की मांग पर। जो क्वारी लाइसेंस थे उसकी 15 साल थी वो बढ़ा कर हमने 30 कर दी और इसके बाद भी, अगर 30 साल पूरे हो जाएं तो 8 साल तक उनको एक्सटेंशन और दे दिया।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

ताकि उसने जो पैसा लगाया है, वह 25 तक अपना पैसा निकाल ले। उसके बाद भी छूट दे दी कि ई-टैंडरिंग होगा और जो बोली आएगी उसमें 10 साल तक फिर प्रथम राइट आपका होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग वर्षों से, पीढ़ियों से कर रहे हैं, जैसे मकराना में कर रहे हैं, उनको आप दुबारा नीलाम करोगे ऐसी बोली से?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): एक फिक्स एरिया होता है 50 मीटर का। जब हमारी नीयत में खोट नहीं है तो हम किसी को दाएं, बाएं नहीं घूमने देंगे। अब 30 साल दे दिए। आज युग कौनसा है? अब कोई हथौड़ी और छैनी का नहीं है। मैकेनाइज युग है। जितना मर्जी उतना माल निकालो। कोई लूट का अड्डा नहीं चलेगा। हमने जो किया है वह बड़ी ट्रांसपरेंसी से किया है। अगर कोई विशेष परिस्थिति होगी तो देखेंगे।

खातेदार भूमि, अब खातेदार भूमि की बात कर रहे थे। आज तक किसान को लूटा जाता था। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि मेरे से कुछ व्यापारी मिलने आए और वह किसान की बात करने लगे। मैंने कहा कि भाई, मैं किसान का बेटा हूं। यहां इतनी किसान एसोसिएशन हैं। किसान संघ हैं, किसान सभा है, किसान मोर्चा है। उनमें से तो कोई आया नहीं। आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? मुझे पता लगा कि यह वह लोग हैं जो दलालों के माध्यम से औने-पौने दाम पर गरीब की जेब काट लेते थे। उसकी जमीन खोस लेते थे।

अब हम किसी भी अप्रधान खनिज में एक भी किसान की जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। हम तो उसकी कीमत लगा रहे हैं ताकि उसको पता लगे कि उसके नीचे क्या पड़ा है। उसको क्या पता कि उसकी जमीन में क्या है? उस कीमत पर वह पहला हकदार होगा। वह खुद कर सकेगा। वह कीमत जब उसके पास आ जाएगी तो चाहे तो वह रजिस्ट्री कराए और अनरजिस्टर्ड हम बिलकुल नहीं करेंगे। उसको कैंसिल कर देंगे। तीसरा राइट यह दिया है कि अगर वह यह चाहता है कि ना तो मैं खुद करूं और ना ही बोलीदाता को दूं तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। राइट्स सारे उसी के रहेंगे। यह सारे राइट्स उसी के हैं।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

हमने तो कीमत बताकर के किसान की मदद की है कि बिचौलिये उसकी जेब ना काट लें। इसलिए यह प्रचार किया जा रहा है कि किसान क्या करे? हम किसान के बेटे हैं। हमें किसान की बहुत चिंता है। किसान को तो उलटा हमने वैल्यू निकाल कर दी है। उसको क्या पता कि ऊपर सैटेलाइट से कैसे जियोलाजिकल सर्वे होता है। उसको तो दलाल भेजो और लूट लो। लेकिन वह अब नहीं लुटेगा। अब उसको पता होगा और किसी को लेनी होगी तो पैसे देकर के लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर्स के लिए भी पहले 2 साल का था। हमने 1 साल कर दिया। अगर उसके अंदर खनिज कोई दूसरा निकलता है तो उसको भी एडिशन करने का हमने पॉलिसी में जोड़ दिया। उद्यमियों को सहुलियत दे दी कि विभाग में जमा होने वाली जितनी भी राशियां हैं वह सारी ऑनलाइन जमा होंगी। ई रिटर्न भी और ई असेसमेंट भी, सब ऑनलाइन होंगी। यानी विभाग पेपरलैस होगा। अधिकारियों के हाथ में हम कुछ भी पावर्स नहीं रहने देंगे। जो कुछ भी होगा वह बड़ा साफ-सुथरा होगा। शीशे में हर व्यक्ति को दिखाई देगा और विभाग को भी दिखेगा कि क्या हो रहा है?

कुछ छोटी-मोटी कमियां हैं तो हम उनका भी विधिवत निरीक्षण, परीक्षण कराएंगे और जो लगेगा कि हां, किसी किसान का अहित होता रहा है, उद्यमी का अहित हो रहा है तो सही करेंगे। उद्यमी के लिए भी हम चाहते हैं कि माहौल अच्छा बने। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस नीति के कारण अगली बार जब हम बोलेंगे तो आप देखना कि रेवेन्यू में रिकार्ड वृद्धि आएगी। राजस्थान स्टेट खनिज की रेवेन्यू में एक मॉडल स्टेट बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हमने एक्ट लागू किया है। केवल हमने उसमें एक ही एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने अभी 5 ब्लॉक लाइम स्टोन के दिए थे। जिसके अंदर 17,300 करोड़ की हमें बोली आई है, जो देश की सबसे ऊंची बोली है। अब हमने 8 ब्लॉक्स और सलैक्ट कर लिए। अब थोड़े दिनों में आप दूसरा धमाका देख लेना। उसमें भी इतना रेवेन्यू आएगा कि राजस्थान की जनता गदगद हो जाएगी। हम जो कह रहे हैं वह सोच-समझकर कर कह रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने तो सब कुछ कबाड़ा कर दिया था लेकिन केन्द्र सरकार का एक्ट आ गया।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं वही बता रहा था कि कबाड़ा किसने किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस वजह से आपको नीलामी करनी पड़ी है। नहीं तो 45 हजार करोड़ का घोटाला आपने तो कर लिया था मंत्री जी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वहां भी हमारी सरकार है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): यह ग्रन्थ कबाड़ों का है। डोटासरा जी, यह ग्रन्थ कबाड़ों का है। मैं लास्ट में बोलूंगा। नहीं तो भाग जाओगे आप। यह लास्ट में कबाड़ों का ग्रन्थ है। सबकी जन्म कुंडलियां हैं इसमें। यह बाद में खोलूंगा। अभी नहीं खोलूंगा। सुनकर जाना जरूर।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो अभी आंकड़ा बोला है, वह आंकड़ा राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 27 में है। सवाल यह है कि यह आमदनी 17,328 जो है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): इसमें रॉयल्टी भी आएगी ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह आमदनी 50 साल में आएगी या 1 साल में आएगी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ऑक्शन के अलावा रॉयल्टी भी आएगी, अन्य दूसरे भी आएंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप बात तो सुनिए। आपके क्षेत्र से कुछ बातें बाहर की भी हैं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह स्पष्ट नहीं है कि यह आमदनी 1 साल की है या 50 साल की है। जो खनिज विभाग का प्रतिवेदन है उसमें स्पष्ट है कि यह आमदनी एक ब्लॉक कोई बिका है। इनामी श्रीमान ने लिया है। 5050 करोड़ की है। उसमें यह लिखा है कि यह आमदनी 50 साल में आएगी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं 50 की कह रहा हूं ना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हम तो यह समझते हैं कि जब आप यह कहते हो कि आमदनी आएगी तो सालाना आ रही है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सालाना नहीं आएगी। 50 साल की अवधि में आएगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आपने नहीं कहा पहले 50 साल का।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं 50 साल का कह रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अब कह रहे हो तो ठीक है। स्पष्ट तो होना चाहिए कि यह आमदनी 1 साल की है या 50 साल की है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी कैबिनेट को चाहिए था कि उसमें कैबिनेट वर्ष लिखती कि यह आमदनी 50 साल में आएगी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): 50 साल में आएगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 17,328 करोड़ बता दिए। हम तो बहुत खुश हुए। हमने राज्यपाल जी के अभिभाषण में बड़ी तारीफ की। अब यह तो 50 साल में आएंगे। अब आप देखिए कि 50 साल में कितनी आ रही है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): जब नीलामी ही 50 साल की हुई है तो 1 साल में कैसे हो जाएगी?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप लिखते कि 50 साल में आएगी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): यही बोला है और क्या? अभी और बोलूंगा। रुक जाओ, सब बता देंगे। सुनो, सुनो थोड़ा सा। कोई बात नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, नीचे क्या कुछ पड़ा है इसकी खोज बहुत जरूरी है। खोज पर जब तक पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर हमें पता नहीं लगेगा और दबा हुआ खजाना दबा ही रह जाएगा। इस संबंध में भी हमारे विभाग ने काफी प्रगति की है। बड़े हर्ष और गौरव की बात है कि खनिजों के अन्वेषण में वर्ष 2016-17 में आउट सोर्सिंग से 4200 मीटर ड्रिल किया गया। इसके अंदर

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

नागौर के जायल में 370 मिलियन टन लाइम स्टोन और खींवसर में 500 मिलियन टन लाइम स्टोन का आकलन मिला है। वर्ष 2017-18 में आउट सोर्सिंग से 7000 मीटर ड्रिलिंग से बेस मैटल, लिग्नाइट, लाइम स्टोन के भंडारण का पता लगाया जाएगा। इसकी ड्रिलिंग कराई जाएगी।

भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिले में पहले जो सर्वेक्षण कराया गया था उसमें पोटाश मिला, लेकिन नीचे गहराई तक नहीं गये। पोटाश एक ऐसी चीज है जो 100 प्रतिशत विदेशों से आयात होता है। जो सबसे ज्यादा फसल के उत्पादन में योगदान करता है, खासकर के होर्टिकल्चर में। मुझे प्रसन्नता है कि 600 मीटर के नीचे इसकी अपार संभावनाएं हैं और हमने इसी साल इसका काम शुरू कर दिया है। आने वाले सालों में हम इसकी खानों को भी अलॉट करेंगे ताकि पोटाश जो कि विदेशों से आता है, उसका हम हमारे देश में ही दोहन कर सकें। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, एमईसीएल द्वारा गहराई तक ड्रिलिंग की जा रही है। आने वाले सालों में खानों का आबंटन भी ई नीलामी से किया जाएगा।

नेशनल एक्स्प्लोरेशन ट्रस्ट फंड द्वारा वर्ष 2017-18 में 5 प्रोजेक्ट ड्रिल कर बांसवाड़ा में 2 मैगनीज के, उदयपुर में बेस मैटल के 2 और झुंझुनूं में लाइम स्टोन के 1 इनकी खोज की गयी है। सिरोही, पाली, बाड़मेर में खनिज की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखकर के खोज की जाएगी और इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान के भू भाग में जो भी खजाना पड़ा है उसको हम ठीक तरीके से ढूंढ सकें।

आरएसएमएम राजकीय उपक्रम में रॉक फॉस्फेट, लाइम स्टोन, लिग्नाइट, जिप्सम का कार्य करता है। वर्ष 2015-16 में 133 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया था। आरएसएमएम ने गजनेर, कोडमदेसर, रोड पर बीकानेर में 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है।

70 लाख मेगा यूनिट प्रदूषण रहित बिजली इससे पैदा की जाएगी। झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट खान में 6900 मीटर ड्रिलिंग की गयी। उसमें झामर कोटड़ा खान पर निम्न श्रेणी रॉक फॉस्फेट की ग्राइंडिंग हेतु 1 लाख क्षमता का ग्राइंडिंग यूनिट लगाई गयी। जिससे 2015 से उत्पादन हो रहा है। ब्लॉक गुढ़ा एमएम लकड़वास में पेयजल योजना हेतु 185 लाख रुपए स्वीकृत

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

किए हैं जो यह कह रहे थे माननीय सदस्य पानी में हमारे मिक्स हो गया तो उसके लिए उनको पैसा दिया है और 55.73 लाख रुपए पीएचईडी को काम शुरू करने के लिए स्थानांतरित भी कर दिए हैं, हम कोशिश करेंगे कि जहां भी कोई ऐसी बात आती है तो उसमें हम अच्छी तरह से सहयोग कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैट्रोलियम डिपार्टमेंट, यह भी राजस्व का प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2016-17 में 2140.84 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ। राज्य में बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर, रागेश्वरी फील्ड के अंतर्गत गैस के वृहत् भंडार खोजे गये हैं। पैट्रोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्पादित गैस के परिवहन हेतु जीपीएसएल को बाड़मेर, पाली पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्रदान की है। यह पाइप जीपीएसएल की पूर्व में स्वीकृत मेहसाणा-भटिण्डा पाइप लाइन जो राजस्थान की 25 शहरों, कस्बों से गुजरती है, से जुड़ेगी। इस 180 किलोमीटर बाड़मेर, पाली, जो लाइन जोड़ी जाएगी इसका निर्माण एल एण्ड टी हाइड्रोलिक कार्बन लिमिटेड द्वारा जनवरी, 2017 से आरम्भ कर दिया गया है और इस पर 840 करोड़ की लागत आएगी। इस कारण से राज्य सरकार का प्रयास है कि बाड़मेर में उत्पादित गैस पाली, जयपुर, अजमेर और आगे के जिलों में घरेलू एवं उद्योगों को इससे सप्लाई की जा सके और इन शहरों में प्रदूषण को कम कर सकें। राज्य में सरकार के प्रयासों से बाड़मेर-सांचौर बेसिन के दो ब्लॉक, जैसलमेर के दो ब्लॉक केन्द्र सरकार, एनईएलपीएक्स द्वारा चयन हुआ है, बिडिंग प्रक्रिया शीघ्र चालू कर हाइड्रो कार्बन की दर में भारी वृद्धि होगी जो रिफाइनरी लगने तक क्रूड की उपलब्धता को सुनिश्चित करे। आरएमएस पैट्रोलियम डिपार्टमेंट भी इस दिशा में ठीक काम कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से साथियों ने हमारी जो सड़कें टूटी हैं उनके सम्बन्ध में बात की, हमने इस व्यवस्था को बड़ा आगे के लिए ट्रांसपरेंसी से बनाया है। सबसे पहले तो हमने सभी जिलों में डीएमएफटी, इनके गठन करने का लगभग 22 जिलों में हो गया है, बाकी सब जिलों में हम एक महीने में गठित कर देंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट जिनमें मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना होती है इसमें रॉयल्टी का तीस प्रतिशत, अप्रधान खनिज

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

से दस प्रतिशत, कुल 715 करोड़ रुपये आज तक जमा हुए हैं। इस राशि का 60 प्रतिशत पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास, जन कल्याण और 40 प्रतिशत आधारभूत संरचना के लिए दिया जाएगा। हमने यह तय किया है कि जिस जिले में जितना रेवेन्यू होगा वह उसी जिले में लगेगा और जो कमेटी होगी उसकी अनुशंसा पर ही सारी सड़कें हम निर्माण करेंगे, मंजूर करेंगे, दूसरी कोई नहीं करेंगे। उस कमेटी में जिला प्रमुख, सारे एमएलए और मैं सारे विधायकों को कहता हूं कि आप सड़कों की बात करते हो, आप उस कमेटी में जाओ। अपने जिले की कमेटी के माध्यम से प्रस्ताव भेजो और हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्ताव आप भेजेंगे हम उन्हीं सड़कों को मंजूर करेंगे उसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ...(व्यवधान)... अब मैं थोड़ा सा जिसका इन्तजार है, अवैध खनन।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): इस कमेटी में कौन-कौन होगा?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): इसमें कमेटी का जिला प्रमुख, अध्यक्ष होगा, कलेक्टर, सचिव होगा, सारे एमएलए, यह सारे के सारे एक फोर्मेट है उसके अनुसार कमेटी का गठन 22 जिलों में होगा और बाकी के जिलों में हम जल्दी कर देंगे और इसकी मीटिंग में जो भी प्रस्ताव आएगा, जो भी सुझाव होगा, जो चर्चा होगी, वह हम सारी लागू करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हमारे यहां सेरेमिक हब के लिए पाइप लाइन वाला तो बताओ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): वह भी कर लेंगे, आप चिंता मत करो, आप तो हमारे बुजुर्ग हो, मार्गदर्शक हो।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): जिले की कमेटियां तो बना दीं लेकिन क्या यह बाइफरकेट करेगी कि जिन खनिज क्षेत्रों से जो एरिया प्रभावित है, वह एक्सपेंडीचर वहीं होगा या सबका ही होगा?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): यह कह दिया न कि जिले का पैसा जिले में लगेगा।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): लगेगा, मगर प्रभावित तो है कोई राजस्व ग्राम और पैसा दूसरी जगह लग रहा है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): वह कमेटी तय करेगी कि कहां लगेगा, जिसके मैम्बर आप भी होंगे।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): मेरा यह निवेदन है कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान डालना चाहिए कि जो एरिया प्रभावित है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): वह तो कमेटी ही तय करेगी सारा। ...(व्यवधान)... अब आपके एमएलए उसमें होंगे, कलेक्टर होगा, जिला प्रमुख होगा, जहां पर यह लगेगा कि यह अफैक्टेड है तो वहां कर लेना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवैध खनन की यहां खूब बातें हुई, अवैध खनन, अवैध खनन। मैं मानता हूं, अवैध खनन था, है और रहेगा लेकिन सरकार का धर्म क्या है? अवैध खनन को सख्ती से रोके, रोके, यह हमारी ड्यटी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रहेगा?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): बिलकुल नहीं खतम हो सकता, क्योंकि इसमें सब लोग शामिल हैं, गरीब अपने पेट के लिए कर रहा है, मैं कह दूं आपको कि नहीं है तो यह जो आंकड़े मेरे पास हैं, जो हमने छापे मारे हैं और 12-12, 14-14 हजार लोग पकड़े हैं, केस बनाए हैं उनके वह अवैध खनन है तभी बने हैं, ऐसे कैसे बनेंगे। मैं कह दूं कि है ही नहीं तो आंकड़े तो कहते हैं कि है, हम तो पूरी सख्ती कर रहे हैं और आपने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं इस पर थोड़ा सोच लें आप, बात यह होती है, मैं कह दूं कि होगा ही नहीं, हमने राम राज ही बना दिया, लेकिन आप हमने जो व्यवस्था की है वह सुन लो। पहली बात तो यह है कि यह क्यों ज्यादा कंट्रोल में नहीं होता। यह अवैध खनन पांच विभागों में है, हमारे पंजाबी में कहावत है, कि साझे बाबे ना कोई ना पूछता, वह कहता है वह रोटी दे देगा, वह कहता है वह रोटी दे देगा। इसलिए पांच विभाग हैं, खनन विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, आरटीओ, रीको, यूआईटी, रेवेन्यू का कलेक्टर, पंचायत का चरागाह। अब हाई कोर्ट ने इन्स्ट्रक्शन दे दिया और हमें यह देना पड़ा, हाई कोर्ट ने कहा कि किसी एक दूसरे के विभाग में कोई भी विभाग छापामारी नहीं करेगा। अब बताओ वन विभाग में कोई हो रहा है तो वन विभाग का मंत्री जाने, हमारा उसमें इन्टरफेरेंस नहीं होगा। मैंने

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

माननीय सुरानाजी को लैटर भी दिया था जो चीफ सेक्रेटरी ने हमें लिखा कि हाई कोर्ट के इन्स्ट्रक्शन है और आप इसको फोलो करो। आप उस दिन कह रहे हो कि यह कैसे हो गया, मंत्री हवा में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि यह लैटर पढ़ लो, ऐसे हो गया। तो जो काम इस कारण से प्रभावित हो रहे हैं, डोटासराजी, इस कारण से किसी भी विभाग में दूसरे विभाग का इन्टरफरेंस नहीं है। तो वह कहते हैं वह करेगा। लेकिन फिर भी हमने संयुक्त ड्राइव चलाए हैं चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, वह मैं सारा आपको बता दूंगा। अब इसमें जो पिछली सरकार से तुलना करें, कार्यवाही की, कार्यवाही की, आप कह रहे हो न कि कार्यवाही, आपने पांच साल में साठ माह में 11 हजार 573 प्रकरण पकड़े और हमने 36 माह में 14 हजार 143 यानी 2570, केवल 36 महीने में, आपसे हमने ज्यादा पकड़े।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा हमने कार्यवाही की। कुल दर्ज प्रकरण, वसूल की गई राशि, आपने पांच साल में 34 करोड़ रुपये वसूल किए और हमने 74 करोड़ रुपये, आपसे चालीस करोड़ रुपये ज्यादा। यह पांच और तीन की तुलना है, पांच और तीन की है सुन लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऊपर वाले नहीं गिन रहे हो न, दिक्कत यह है। ऊपर के जमा करवा दिए?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सुन लें माननीय सदस्य, दर्ज कराई गई एफआईआर। आपने पांच साल में 2014 एफआईआर दर्ज कराई और हमने 36 महीनों में 2446, आपसे 432 ज्यादा एफआईआर कराई हैं। दर्ज कराए गये इस्तगासे, आपने इस्तगासे दर्ज कराए 42 और हमने कराए 90, आपसे 48 ज्यादा कराए हैं, आप मन पर हाथ रख कर बोलो कि हम ईमानदारी से आपसे ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कह रहे हैं तो यह आंकड़े कह रहे हैं, आप तो कहेंगे नहीं लेकिन आंकड़े कह रहे हैं।

अब आ जाओ बजरी पर, बजरी पर भी उतना ही है लेकिन बजरी में आपकी पिछली सरकार 60 माह में 929 प्रकरण बनाए।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

अब थोड़ा सुन लेना कान खोलकर। आप कह रहे थे बजरी ठेकेदारों से मिल गये। हमने बनाया 5757, आपसे 4828 ज्यादा बनाये 36 महीने में बजरी के खिलाफ। अगर वसूल की गयी राशि, आपकी तो मित्रता थी। (व्यवधान) ठहरो, ठहरो, मैं आगे आऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके माफिया राज है और हमारे रामराज था।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): बजरी का आने वाला है अभी चुप कर जाओ। वसूल की गयी राशि (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): डोटासरा जी को अपनी गैस सब्सिडी आज के दिन छोड़कर बहुत बड़ा पुण्य कमाना चाहिए पर्यावरण रक्षा के लिए। मेरा आपसे निवेदन है गैस सब्सिडी आज के दिन आप त्याग करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): देता कौन है?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आज पर्यावरण का दिन है। एक आदमी के घर से धुआं हटेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये आपका रिकॉर्ड देखकर लाए हैं इसलिए बोल मत देना। रिकॉर्ड देखकर लाये हैं, भाभीजी के नाम जो ले रखा है

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे नाम से गैस कनेक्शन होगा तभी तो रिकॉर्ड लाओगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भाभीजी के नाम से ले रखा है ना। टीचर के नाम से, मास्टरनी के नाम से, सब पता है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): जो हमने पैनल्टी लगायी है वह जेब से तो नहीं दी। आपने 60 माह में पैनल्टी लगायी थी 268 करोड़। अच्छी तरह सुन लेना, हमने लगायी है 285.3 करोड़, आपसे 25.85 करोड़ ज्यादा लगायी है। आपसे ज्यादा लगायी है 28.53, जो आपसे 25.85 का अंतर है। अब आइये दर्ज करायी गयी एफआईआर। आपने बजरी वालों के खिलाफ करायी थी 151, और हमने करायी है 661, जो आपसे 510 ज्यादा

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

है। हमारी मित्रता है ना उनसे, इसलिए ज्यादा एफआईआर करा रहे हैं। यह आंकड़ा तो बताता है कि आपने 151 करायी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बड़े ठेकेदार को बचाने के लिए गरीबों के खिलाफ ज्यादा करा रहे हो आप। ठेकेदार के खिलाफ नहीं करा रहे हो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): दर्ज कराये गये इस्तगासे। एक आपका और 79 हमारे। आपसे 78 ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो आप? अब छाज तो बोले, छलनी क्यों नाच रही है, समझ में नहीं आता।

अवैध खनन रोकने के लिए प्रयास। हमने कठोर नियम बनाये। 5 वर्ष की सज़ा और 5 लाख जुर्माना निर्धारित किया है। जो बार-बार पकड़ा जाए उसको 5 वर्ष की सज़ा होगी अब। जिसकी मित्रता है इनसे वे थोड़ा अलर्ट हो जाओ। अवैध खनन की राशि, 10 गुना पैनल्टी। आईटी का प्रयोग। सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग, ई-रवन्ना करेंगे। पर्ची भी एक बार ही चलेगी। ई-वैटिंग करेंगे। उसके अंदर वैट चढ़ गया उसकी सीधी हमारे पास एंट्री आ जाएगी, उसमे कोई रॉयल्टी में गड़बड़ नहीं होगी। मोदीजी ने डिजीटल इंडिया कहा ना, तो हम कराएंगे सारा डिजीटली काम, चिन्ता मत करो।

जिप्सम का अवैध खनन रोकने के लिए किसानों को अनुमति दे दी। अब इतने 900 लग जाएंगे तो सुराना साहब भी कह सकते हैं कि काम कंट्रोल हो जाएगा। (व्यवधान) मान गये ना बुजुर्ग आदमी, कह दिया ना, सही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बना दी जो इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेगी। अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस, वन अधिकारियों, सबकी जिम्मेदारी करके विशेष अभियान चलाने के लिए निर्धारित कर दिया कि इतने तो आपको चलाने ही चलाने हैं जाइंट। उसके बाद हमारे पास इससे पहले 460 होमगार्ड के जवान थे, वे अपना कैसे काम चलाते हैं, इसीलिए तो लोग कभी पत्थर भगाते हैं और कई भाग लेते हैं, लेकिन कटारिया जी के आभारी हैं कि इन्होंने अब हमें लट्ठ वाले आरएसी के 500 जवान दिये हैं और हम उनको सबसे पहले जहां ज्यादा करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, 100-100 लोग वहीं कैम्प लगा देंगे, फिर देख लेना कैसे पकड़ते हैं ट्रैक्टर-ट्रोलियां। फिर टेलीफोन मत करना कि मेरा पकड़ा गया, मेरा पकड़ा

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

गया। इन सबकी 100-100 की गिनती वहीं बैठ जानी है। फिर ऐसा नहीं हो कि उनके साथ लगकर जिंदाबाद, मुर्दाबाद करने लग जाओ, उसमें सहयोग करना। यह कर देंगे पुख्ता व्यवस्था सारी, चिन्ता मत करो, ठीक है ना।

विशेष अभियान चलाते हैं। हर तीन-चार महीने बाद हम विशेष अभियान चलाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मैं खुद भी मॉनिटरिंग करूंगा और जहां खासकर डिस्टर्ब है वहां ज्यादा करूंगा।

तुलनात्मक अध्ययन तो पहले आ गया मेरे हिसाब से। मैं समझता हूं अब और क्या करेंगे? जितने भी बजरी के टोल नाके हैं, जितनी भी खानें हैं, सारी की सारी की जी.ओ. ट्रैकिंग कराएंगे। सबमें सीसी कैमरे लगाएंगे, सबको मोबाइल एप्प से जोड़ेंगे। जो अधिकारी जाएगा, वह क्या कर रहा है, किस ट्रैक्टर को रोका, हम उसको मोबाइल से देख लेंगे, क्या कर रहा है। जीपीएस सिस्टम लगाएंगे। गाड़ी कहां खड़ी है, जितने ट्रैक्टर-ट्रालियां लगे हुए हैं उन सबको हम चिह्नित करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे कि ये तो इस काम में लगे हैं और दूसरों की फिर शामत आएगी। ऐसा काम करेंगे कि जो लोग इनको संरक्षण देते हैं और जो लोग करते हैं उन सबको नानी याद आ जाएगी, क्या बात करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके कई लोग नाराज हो जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): होते रहे, फोन तो आएंगे, अपन बंद कर लेंगे। हो रहा था, लेकिन अब नहीं होने देंगे। अब आ गयी बजरी की बात। डोटासरा जी, (व्यवधान) हुई नहीं, ऐसे मत भागो, अब करनी है। चोर की मां कहां है, यह ढूंढना है हमें। चोर की मां कौन है? मुझे यह बताओ, जब बजरी का ठेका हुआ, यह कब हुआ? 2012 में। चलो कोई बात नहीं, सरकारें काम करती हैं, पर एक बढ़िया काम किया आपने। बड़े-बड़े लोगों को भाई बनाकर आपकी सरकार ने पहला नियम बदला, जो 50 हैक्टेयर का रूल था उसको तोड़कर आपने 1500-1500, 2000-2000 का बना दिया। क्यों किया? बड़े लोगों को आपने पनपाया या हमने? 50 की बजाय 1000-1500 किसने किया? सही है क्या? गलत किया ना? आपने

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

किया। अब आगे आ जाओ। इनके एस्टिमेशन देखो। रिजर्व प्राइस रखी 51 करोड़, क्योंकि कई भाई, मित्र ऑब्लाइज करने थे। इनका टैंडर आया 467 करोड़ और हमारी जो रिकवरी है वह 1000 को क्रॉस कर गयी। क्या आपकी उम्मीद ही इतनी थी कि हमारा 51 करोड़ ही आएगा। क्यों था इतना कम? जिस अधिकारी ने किया उसको आपने लपकाया क्यों नहीं कि इतना रिजर्व प्राइस कम क्यों रखा और इतनी ऊंची बोली कैसे आ गयी? अब पता नहीं कौन भाई था मेरा उस समय, लेकिन उसने ध्यान नहीं किया।

अब रेट की बात आयी। एलओआई में आपने लिखा ही नहीं कि रेट कौन निर्धारित करेगा? मनमर्जी थी। अब वह लिखा होता तो सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता। एलओआई में शर्त क्यों नहीं डाली? लेकिन हमारी ईमानदारी देखिए। जब रेट बढ़े तो हमने तुरन्त आवश्यक अधिनियम कानून के अंदर उसको डाला। कलक्टर को पावर दी, ठीक है एप्रोच है उनकी, स्टे ले आये। लेकिन अभी हम लगे हुए हैं। हमने सोलिसिटर जनरल, सबको कहा है स्टे तुड़ाओ और आपको आज कह रहे हैं हमने इतना टाइट कर रखा है कि अगर भाव की बात करो, बजरी के भाव चढ़ गये, बजरी के भाव चढ़ गये। भाव मंगा लो आप। हरियाणा में 750 रुपये टन है, दिल्ली में 900 रुपये टन है, नोएडा में 1000 रुपये टन है, मध्यप्रदेश में 500 रुपये टन है और हमारे 250, 300 और 400 रुपये टन है। सबसे सस्ते हैं। यह भी क्यों है? क्योंकि एक तो डीटीओ ने सख्ती कर दी और परिवहन भाड़ा ज्यादा बढ़ गया। दूसरा टोल नाके लग गये। उनको टोल लग गया। नहीं तो हमारी बजरी 200 में ही चलती। आज भी देश में सबसे सस्ती बजरी की रेट हमारे है। आप कह रहे हैं भाव आसमान को छू गये, कहां छू गये? सप्लाई भी प्रोपर है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जो निर्णय है उसको मानना हमारे लिए जरूरी है। वह हम सबके लिए जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आगामी आदेश तक टैम्प्रेरी परमिशन दे दी। हम उसको कैसे खतम कर दें। अब एनजीटी ने कह दिया कि एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस के बगैर आप इनको एलओआई जारी नहीं कर सकते। वह भी हम फंस गये। हम इस स्थिति में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। विधिक परीक्षण कराकर 10 बार सोचकर हम फिर इस पर कोई फैसला लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस, टैम्प्रेरी ऑर्डर है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): हमने कहा सोलिसिटर जनरल, हम तो सबको लिख रहे हैं कि इसमें ठीक करो। आपको सारा भेज देंगे कि हम कहां-कहां कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): देखिये ऐसा है, अब अवैध खनन की अपने जो बातें आईं यह मैं थोड़ा सा निकाल लूं। अब बताओ, अब कहते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, सारा भ्रष्टाचार जैसे हमने किया है। उपाध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा हिंट ही दूंगा क्योंकि आप डांट देते हो। यह बताओ कि यह उदयपुर में अरावली क्षेत्र में देवस्थान के मंदिर की भूमि, आपकी माइन किसने अलॉट करायी? आपके पूर्व मंत्री ने। आपने पूर्व मंत्री ने नहीं तो मैं नाम भी बता दूंगा। फिर गोटन में मोहनोत क्योंकि नाम इसके साथ अशोक लगा है, आप उल्टा पुल्टा मत समझना, इसकी गैर कानूनी खान आवंटित करायी यह किसने करायी? किसका जादू चला? अब आप चलो झुन्झुनूं में, क्या बात है गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकार्ड होना चाहिए आपका, गिनीज वर्ल्ड बुक में, इतना जादू सीखा, चेजे पत्थर को मार्बल और मार्बल को फिर घुमाकर चेजा और 250 करोड़ खा गये। क्या बात है, इतनी जादूगरी हमसे तो नहीं होती भैया रे। तो यह भी हमने किया क्या? मण्डोर स्टोन पार्क, सारे नियम बदल दिये, आप का आप ही उठ गया, चार हैक्टेयर का, एक हैक्टेयर का छोटा प्लॉट था वो भी उठ गया, गरीब, छोटे-छोटे, उनका हक भी उठ गया और जो लिस्ट है मेरे पास में, बोलूं तो मेरे हिसाब से...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): हां, यही बात है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): हां, वो भी बताता हूं। (व्यवधान) खुद तो बाबा, सुनिये, यह मैं नाम बोलूं क्या? मैं नाम बोलूं, मंजूलता गहलोत, शालिनी गहलोत, वीना कच्छावा, माधोसिंह, रिश्तेदारियां बोलूं कि किस किस की हैं? सारे गैर कानूनी किसने किये? यह जादू चलाना

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

हमें नहीं आता, जादूगर को ही आता है। वो जादूगरी हम नहीं कर सकते। कितने नाम बोलूं? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अब आप सुन लो, आप सुन लो। सुनिये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सुनिये, कैसे, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ऐसा है, जब किसी की मां अपने बच्चे को चोरी करने पर ईनाम दे तो उसका बच्चा डाकू ही बनेगा। यह नाम आपने दिया है 2011 में रॉक फास्फेट के घोटाले में 650 करोड़ की सिंघवी जी की जांच हुई, एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए पत्रावली आई और आपने दबा दी। (व्यवधान) अब दर्ज कराई है एफ.आई.आर.। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): एफ.आई.आर., अब एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। (व्यवधान) 600-600 करोड़ के घोटाले करके, सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। अरे साहब, खुद तो बाबा बैंगन खाये दूसरे को उपदेश देता रहे। आप तो बैंगन खाओ और दूसरों के लिए भ्रष्टाचार बताओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सारा ही काट दो, मेरी तरफ से सारा ही काट दो, कोई बात नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सुनो साहब, सुनो एक बात, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, जहां हर शाख पर उल्लू बैठा हो इल्जामे गुलिस्तां क्या होगा। क्या बात करते हो। आप बात करते हो भ्रष्टाचार की, आप करते हो बजरी खनन की, अंत में यही है कि इसकी मांग यह सारी ना पक्ष के अन्दर जो पुराने लोग थे, जादूगर थे उन्होंने किया है। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आप जवाब सुनिये, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। सुनिये, मैं जवाब देता हूं। सुनिये, जबाब सुनिये। हमारे अधिकारी ने गलत किया, जेल गया, सस्पैंण्ड हुआ और......

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट। मंत्री महोदय, एक मिनट विराजो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): जी हुकूम।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन से निवेदन करूंगा और आसन का यह आदेश है, आसन ने सिर्फ मंत्री को बोलने की अनुमति दी है। जो भी बोला है उसका अंकित नहीं होगा। मंत्री महोदय। (व्यवधान) वनस्पति जीव है, अंकित कर दो उसको।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): चलो जी, अब संतुष्टि हो गई होगी मेरे हिसाब से इनकी। अब कुछ घोषणाएं कर दें साहब। खुश तो कर लें आपको। यह तो चलता रहता है। यह क्या है कि मेरे अन्दर असर कैसे आता है कि यह भाई मेरा पड़ौसी है, पांच साल पहले रहा और अब फिर पड़ौसी है तो कुछ न कुछ पड़ौसी का असर तो होता ही है न साहब, किरोड़ीलाल जी का।

डी.एम.एफ. फण्ड के तहत अब तक कुल 715 करोड़ रुपये जमा हुए हैं जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में खनन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क एवं पेयजल इत्यादि जन-कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाएगा। राज्य के री-हैब के तहत विभिन्न जिलों के खनन प्रभावित क्षेत्रों में 242 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को अनुदान की राशि भामाशाह योजना के तहत सीधे ही उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। खनिज के अवैध निर्गम को रोकने के ई-रवन्ना पर्ची, जो मैंने बताया, वो जारी कर देंगे। 10 करोड़ से अधिक राशि की रॉयल्टी वसूली ठेकों में एक कम्प्यूटराइज्ड वे-ब्रिज इंटरनैट सुविधायुक्त लगाया जाएगा व इसे विभाग के ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जाएगा जिससे सरकार को रियल

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

टाइम रॉयल्टी भी मिलेगी, अवैध निर्गम पर अंकुश भी लगेगा और मनमानी पर रोक लगेगी। खनिज गोल्ड, लाइम स्टोन, मैगनीज, आयरन व लिग्नाइट हेतु वर्ष 2017-18 में ड्रिलिंग कर नीलामी हेतु 20 नये ब्लॉक तैयार किये जाएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में अप्रधान खनिजों के 1000 प्लॉट तैयार कर ई-नीलामी की जाएगी जिसमें राज्य सरकार में रुकी हुई नीलामी शुरू होगी और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

अब ये सड़कें जो बनाई गयी हैं तो मोटे तौर पर काफी सड़कें हैं, लगभग कुछ तो बोल दी तो 229 करोड़ 50 लाख रुपये से 190 किलोमीटर नई सड़कें जो बनाई जाएंगी इनकी यह लिस्ट है, सम्बन्धित को दे देंगे। (व्यवधान) देख लेना आपके। अब तो सबका कर दिया न, जिले का जिले में कर दिया। सड़क निर्माण मरम्मत के अन्दर 197.40 किलोमीटर सड़कें.....

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सुन लो, यह तो है ही आपके लिए। ऐसा है जिला प्रमुख भी इसी फण्ड से देंगे न। सड़क निर्माण मरम्मत के लिए विशेष टूटी हुई सड़कों के लिए 197.40 करोड़ से 244.75किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

अब कुछ ये जैसे माननीय किरोड़ी लाल जी ने, कुछ 5-7 लोगों को तो खुश करना ही पड़ेगा। माननीय किरोड़ी लाल जी ने जिन बिन्दु पर कहा तो एक तो आपने जो कहा था उसमें 1.3.2017 को कमेटी बना दी है, जांच आ जाएगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। आपने बात की थी किसान की। किसान को छूट है लेकिन उसके अन्दर नियम 58/74 के अन्तर्गत पटवारी से परमिट लेना पड़ता है। उसमें परमिट नहीं था और इस कारण से उसके लगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): नहीं, है, नये रूल में आ गया न। यह कापी दे देता हूं, रूल की कापी है। यह दिखा दूं, यह ले लो आप, मैं दे देता हूं। वो ठीक है, उस पर विचार कर लेंगे कि किसान के लिए कोई ऐसी हर्डल है तो कर लेंगे, सही बात है। जैसे मूल आय 5200 करोड़

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

सोचा उसमें 3-4 कारण रहे हैं, एक तो हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड थोड़ा घाटे में है इसलिए थोड़ी कमी है, ई.सी. के कारण भी कई महीनों से अधिकांश खानें बन्द रहीं और नोटबंदी का भी थोड़ा असर हुआ, तेल की कीमतें भी डाउन हुई इस कारण से 4200 का लक्ष्य किया गया है और 4000 हमने कर लिया है बाकी 4200 को टच कर देंगे, पूरे ही कर देंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं और किसी तरीके से हम कमी नहीं रहने देंगे। मंजू जी, मातासुख लिग्नाइट परियोजना नागौर पर सभी गतिविधियां, आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित किये जा रहे कार्यक्रमों से सम्बन्धित रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में पर्यावरण मंत्रालय को भेजी जाती है।

(21.00 बजे)

पर्यावरण सुरक्षा हेतु खनन के दौरान पैदा होने वाली डस्ट, धूल को रोकने के लिए वहां वैस्ट वाटर का छिड़काव किया जाता है। वित्त वर्ष में इस परियोजना पर पर्यावरण से संबंधित किसी प्रकार का आक्षेप अभी तक नहीं आया था। आपने लगाया है लेकिन हम जांच कर लेंगे कि पानी वहां छिड़क रहे हैं या नहीं? धूल को उड़ने से रोकने की वहां व्यवस्था है या नहीं? इस खदान से संबंधित वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयी अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट की कापी भी अवलोकनार्थ आपको भेज देंगे। जो रिपोर्ट है, उसमें कोई कमी है तो आप बता दें। पानी छिड़कना, करना, बाकी आपने कहा तो मैं और मानेटरिंग कर लूंगा।

आंध्र प्रदेश का भी यहां जिक्र आया समता निर्णय को ध्यान में रखते हुए जनजातीय क्षेत्र में, वैसे जो नई नीति है, हमने उसमें वन थर्ड उनको रिजर्व कर दिया है। वर्षों से जो ट्राइबल एरिया में खानें बंद थीं, वे अब अलाटमेंट हो जाएंगी। काम चालू हो जाएगा और इसके अलावा वह निर्णय राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं है। पहले था, यह हमने...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): नहीं, यह मेरे को दी है, मैं इसमें क्लियर कर देता हूं।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): जो मुझे बताया गया है ना, वह मैं बता देता हूं। इसमें कमी है तो देख लेंगे। सुन तो लो। सुन लो एक मिनट। जनजातीय क्षेत्र में आबंटन पर जो जवाब आया है अधिकारियों से, मैं देख लेता हूं। कमी होगी तो दूर करेंगे। आबंटन पर रोक लगाई थी, परन्तु बाद में सरकार ने कानूनी राय सुप्रीम कोर्ट के नामी वकीलों से ली तथा वर्ष 2008 में यह मानते हुए कि समता निर्णय राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं है, खान आबंटन पर लगी रोक को हटाया गया था। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों में क्षेत्र में पीसा एक्ट के प्रावधान लागू कर पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद से अनुमति प्राप्त करने के बाद अप्रधान खनिजों के खनन पट्टे दिये जा सकेंगे। ठीक है साहब, जब कह दिया ना, दिये जा सकेंगे तो देख लेंगे।

अब भंवर सिंहजी ने जो कहा है जो इसके भवन हेतु यूआईटी द्वारा जमीन आबंटित कर दी है परन्तु फ्लोट की राशि देर से जमा होने के कारण ब्याज-पैनल्टी के संबंध में पत्रावली आई है। शीघ्र क्लियर कराकर आते ही कार्यवाही करा देंगे।

आंधी के लिए आया था, जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 85 खानें थीं। यह जमवारामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र के एक किलोमीटर एरिया में आ गयी। एनजीटी के कारण बंद हैं और ये एनजीटी पर निर्भर करेंगी।

मातासुख लिग्नाइट परियोजना खनन के मंत्रालय और पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में है, तो यह पर्यावरण मंत्रालय से खदान से संबंधित वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयी अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट में यह सारा अवलोकनार्थ कर दिया है। इसमें भी शीघ्र अच्छा निर्णय आ जायेगा।

अब समय काफी हो गया है मेरे खयाल से, तो इसलिए मैं समझता हूं, अगर कोई किसी बात से किसी का मन थोड़ा कोई विचलित हुआ हो तो उसके लिए मैं सब भाइयों से निवेदन करूंगा। यह तो अपना एक ऐसा सदन है जिसमें सब बातें आती हैं। आपका काम है, आप करो। हमारा काम है, हम करेंगे। सरकार चलती है और विपक्ष हमेशा आलोचना करता है। आप जब थे इधर तो हम करते थे और अब हम इधर हैं तो आप करते हो लेकिन असलियत को असलियत मानना चाहिए।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

अंत में इतना ही कहूंगा, हमारी मुख्य मंत्रीजी की नीति साफ है, नेक इरादे हैं, दृढ़ इच्छाशक्ति है, मेहनती हैं और हमारी एक ही इच्छा है,

"पीर पर्वत सी एक पिघलनी चाहिए,

इस हिमालय से एक गंगा और निकलनी चाहिए,

हंगामा करना हमारा मकसद नहीं,

हम तो चाहते हैं, राजस्थान की तकदीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए।"

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-43 जो मैंने रखी है, उसको कृपया पारित कराएं।

मांग संख्या 9 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 - वन (पर्यावरण सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 08,14,11,73,000/- (आठ अरब चौदह करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 - खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 07,20,27,78,000/- (सात अरब बीस करोड़ सत्ताइस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.05 बजे सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

मांग संख्या 9 - वन (पर्यावरण सहित) पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-**9** मुख्य शीर्षक **वन** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

<u>श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):</u>

1. अलवर जिले में वन-भूमि पर लगातार बढ़ते अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):</u>

2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सेखाला नर्सरी को गोचर भूमि से मुक्त कर वन विभाग के नाम दर्ज करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में निजी काश्तकारों के चलायमान रेतीले टीबों पर वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में रेतीले टीबों पर वर्षों पुराने वृक्षारोपित मृत पौधों के स्थान पर उचित प्रजाति के नये पौधारोपण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में औरण एवं गोचर भूमियों पर पौष्टिक सेवण घास लगाने एवं पौधारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री शंकर सिंह (ब्यावर):</u>

6. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में गाफा चौराहा से सरूपा तक वन पथ के कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भजनलाल जाटव (वैर):</u>

7. विधान सभा क्षेत्र वैर के वन क्षेत्र में पौधारोपण कर वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा केलिये।

<u>मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):</u>

8. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अरावली पर्वतों पर वृक्षारोपण कर वन संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(मास्टर मामनसिंह यादव)

9. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में भिवाड़ी, खुशखेड़ा, टपूकड़ा, चौपानकी औद्योगिक इकाईयों द्वारा दूषित पानी खुले में छोड़ने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से, बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):</u>

10. प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी लगातार पॉलीथीन का उत्पादन एवं उपयोग से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (टोडाभीम):</u>

11. करौली जिले में वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम हेतु कारगार उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):</u>

12. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व क्षेत्र के किसानों को कृषि भूमि के बदले अन्य स्थान पर कृषि भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के परिवार से एक सदस्य को राजकीय नौकरी फैरात/गार्ड की नियुक्ति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित वन विभाग की भूमि पर बसी आवासीय बस्तियों का नियमन एवं वन क्षेत्र में वर्षों पुरानी कॉलोनियों में बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निवासियों को कोटा महानगर के आस-पास स्थित वन विभाग की भूमि पर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ग्रामीणों को नये भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से मुआवजा व सुविधाएं देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

17. जयपुर की तरह उत्तरी राजस्थान में जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

18. कनवास उपखण्ड के पठारी क्षेत्र एवं मुकन्दरा हिल्स के बहकर आने वाले पानी को जंगली जानवरों हेतु जल संरक्षण कर तलाईयां एवं चेकडेम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. कोटा जिले की लाडपूरा, मण्डाना, कनवास, सुल्तानपुर रेन्ज में वन विभाग द्वारा किये गये विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन अन्य विभाग से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. कनवास एवं सुल्तानपुर रेंज के वन क्षेत्र में चार दीवारी निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

21. राज्य में घटते वनों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

22. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में वन भूमि पर अरणा-झरना की गोचर भूमि के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

23. कोटा के शहरी क्षेत्र में वन भूमियों पर हो रहे अतिक्रमणों को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

24. अलवर में वन विभाग की सीमा के पास सिवाय चक भूमि एवं सड़कों के निर्माण को नहीं रोकने से उत्पन्नस्थिति पर चर्चा के लिये।

25. अलवर ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

26. बाड़मेंर के भादरेश में स्थित राजवेस्ट पावर लि. द्वारा प्रतिदिन निकलने वाले जहरीले धुएं से आस-पास में हो रही पर्यावरणीय क्षति एवं बीमारियां फैलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. बाड़मेर शहर के बीचों-बीच स्थित वन क्षेत्र में से निकल रहे सार्वजनिक कटाण मार्ग को खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

28. प्रदेश में वन क्षेत्र में वन भूमि पर बसे हुये लोगों को डायवर्जन कर पट्टे दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)

29. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में चिंकारा हिरणों की रक्षा के लिये गोचर जमीन पर कैम्पस बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के उपखण्ड चितलवाना में आये भवातड़ा जोड़ में फलदार पौधे लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में चल रही नेशनल हाइवे-15 पर प्रदूषण संयंत्र लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. प्रदेश में खेजड़ी के वृक्ष लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

33. जैसलमेर जिले में पर्यावरण में सुधार के संबंध में चर्चा के लिये।

34. जैसलमेर जिले में पैदल मार्गों पर वनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

35. जैसलमेर जिले के गांवों व ढाणियों के पास सिवायचक एवं मगरा क्षेत्र में वनीकरण बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. जैसलेर जिले के मैदानों में वनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

37. चरागाह व बिलानाम जमीनों पर नर्सरी लगाकर क्षेत्र को हरा-भरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं):

38. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य को चित्तौड़ उपवन संरक्षक के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

39. राज्य में वनों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारागढ़)

40. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विभिन्न ग्रामों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने हेतु क्षेत्र में संचालित कारकस प्लांट को जनहित में शीघ्र बंद करने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी स्तर पर सी.एन.जी. पेट्रोल पम्प स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन्य अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले 33 गांवों की जमीनों के रजिस्ट्रेशन पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक को तुरंत प्रभाव से हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन क्षेत्र में से होकर गुजर रही वर्षों पुरानी सड़कों की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन क्षेत्रों में वर्षों से घर बनाकर रह रहे ग्रामवासियों को आवासीय पट्टे जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर):

45. टाइगर प्रोजेक्ट में पूरे दिन भ्रमण करने से हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

46. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वनाधिकार पट्टों से वंचितों को पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा):

47. राज्य में बढ़ते प्रदूषण विशेषकर वाहन प्रदूषण की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. राज्य में नवीन वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

49. राज्य के घटते वन क्षेत्र को बचाने एवं नवीन वन क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

50. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में वन क्षेत्र का सीमांकन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

51. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पर्यावरण वानिकी का प्रचार-प्रसार पंचायत मुख्यालयों पर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में वन विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के तहत तेन्दू पत्ता व्यापार योजना एवं बांस समुपयन योजना को बढ़ावा देकर वन क्षेत्र में निवास करने वाले वनपालियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देने एवं वन उद्यानिकी का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में वन एवं वन्य जीव सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के सबंध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

56. सिरोही जिले के आबुरोड़ की तहसील के भाखर क्षेत्र में वन अधिकार के अन्तर्गत आवासीय पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू के वन्य अभयारण माऊण्ट आबू में

(श्री समाराम गरासिया)

अधिकारियों एवं कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. आबू पर्वत को 0 किमी. पर वन्य जीव सेन्चूरी ही रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभगनर):

59. विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के वन क्षेत्र में बसे गांवों में सम्पर्क सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

60. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिये मूलभूत आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

63. विधान सभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायत धंवा के कृष्ण मृग संरक्षित रातानाड़ा क्षेत्र को हिरणों के लिए प्राकृतिक आश्रय स्थल बनाने, पीने के पानी की व्यवस्था कराने, पर्यटेकों के लिए नेशनल हाईवे 112 से डामर सड़क बनाने इत्यादि सुविधाएं कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. जोधपुर जिले के समस्त वन खण्डों का सीमांकन करवाने, उनकी सुरक्षा हेतु बाउंड्रीवाल बनाने एवं रेवेन्यु रेकॉर्ड में इन्द्राज करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. जोधपुर जिले में वन विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने एवं वन्य जीव चौकी गुड़ा विश्नोईयान व धंवा में कार्मिकों के रिक्त पदों को भरकर, उनको संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री जोगाराम पटेल):

66. जोधपुर के वन क्षेत्रों में 50 वर्षों से बनी कॉलोनियों को वन क्षेत्र से बाहर करने एवं वन क्षेत्र की भूमि में हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विद्‌याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):</u>

67. कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित फेक्ट्रियों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण एवं वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्ष 2016-17 में विभाग द्‌वारा कराये गये कार्यों एवं पौधारोपण के संबंध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की रेंज सुल्तानपुर में रिक्त सहायक वन सरंक्षक के पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के खातौली नर्सरी में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई एवं नीलामी करने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (भीम):</u>

72. रिको बग्गड़ को वन्यजीव एवं पर्यावरण विभाग से तत्काल एन.ओ.सी. दिलाकर, तत्काल प्रारंभ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. ग्राम पंचायत दिवेर में जम्बुआय माता मंदिर तक वनपथ बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. ग्राम पंचायत बाछाना, खीमाक्षेत्र, छापली, दिवेर, नखस का गुड़ा, जीरण, कालागुमान आदि ग्राम पंचायतों को वन्यजीव पर्यावरण विभाग से रहने वाले ग्राम वासियों को उक्त क्षेत्र से जमीन खरीदने -बेचने, आवास निर्माण, बैंकों से ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

75. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ एवं ताल छापर में विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में लगाये गये पेड़/पौधों की किस्म, गणना एवं जीवित बचे पेड़-पौधों एवं इनके संबंध में वर्षवार (गत पांच वर्ष) व्यय की गई राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

76. चूरू जिले में वन भूमि घोषित होने से पूर्व बसी आबादी क्षेत्र को नियमित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. चूरू जिले में वन विभाग में रिक्त सभी संवर्गों के पदों को शीघ्र भरने एवं अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

78. राज्य में वन क्षेत्र में "ज्यूली फ्लोरा" (अंग्रेजी बबूल) के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग):

79. विधान सभा क्षेत्र डग को क्यासरा के पास वन भूमि पर बड़ा बांध बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

80. प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए समय-समय पर वाहनों की जांच आवश्यक रूप से करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. प्रदेश में वन्य जीवों (हिरण, मोर) आदि को बचाने के लिये विशेष दलों का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. प्रदेश में वन विभाग के माध्यम से विद्यालयों एवं ग्रामीण सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कर पर्यावरण सरंक्षण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. प्रदेश के वन क्षेत्रों, अभयारण्यों आदि को निजी हाथों में नहीं देकर सरकार की देख-रेख में ही रखवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. प्रदेश में ओरण गोचर भूमि पर सघन वृक्षारोपण करके पर्यावरण का संरक्षण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

85. प्रदेश में जगह-जगह आवासीय कॉलोनी में मोबाइल टावर लगाने के कारण रेडिएशन प्रदूषण की समीक्षा करने एवं पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में मोबाइल टावर की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. सम्पूर्ण राज्य में लगे हुये यूकेलिप्टिस व विदेशी बबूल, सफेदा इत्यादि के पेड़ हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

87. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चांदेरा से कालेश्वर रोड़ में आने वाले वन क्षेत्र में एन.ओ.सी. देने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई से आभानेरी रोड़ के बीच में वन क्षेत्र आने से सड़क स्वीकृति हेतु एन.ओ.सी. देने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में ग्राम पंचायत भावता में वन क्षेत्र में एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

90. विधान सभा क्षेत्र भादरा में वन विभाग द्वारा छायादार, फूलदार, फलदार पेड़ पौधे मौसम अनुसार सही समय पर जनता को उपलब्ध नहीं करवाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अनेक राजस्व ग्रामों में वन विभाग की खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्ष 2016-17 में रासलाना वितरिका के किनारे वन-विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण में से विभाग की बिना अनुमति के सिंचाई विभाग द्वारा उखाड़े गए पेड़ों के उपरान्त दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अनेक राजस्व ग्रामों में वन-विभाग की भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा नाजायज काश्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री संजीव कुमार)

94. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अनेक ग्रामों में वर्षों पुरानी आबादी की बसावट होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में वन-विभाग गलती से दर्ज कर दिए जाने के बाद जनता को हो रही भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

95. अलवर जिले में वन क्षेत्र में भारी पैमाने पर अवैध खनन एवं वन क्षेत्र में राजकीय भूमि या खातेदारी भूमि पर बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई):

96. विधान सभा क्षेत्र निवाई पीपलू में निवाई के रक्तांचल पर्वत के पीछे तारों की बाड़ लगाकर वृक्षारोपण कराने एवं निवाई रक्ताचंल पर्वत के पीछे अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

97. उपखण्ड मुख्यालय चाकसू व फागी में अलग-अलग रेंज की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के सम्पूर्ण वन क्षेत्र की तारबन्दी अथवा मेडबंदी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

99. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर से लेकर घाटाराणी धार्मिक स्थल तक स्थित पहाड़ियों व सड़क के दोनों और सघन वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

100. प्रदेश में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में चर्चा के लिये।

101. वन्य जीव/जंगली जीवों से किसान परिवार को होने वाले जान माल के नुकसान व फसल खराब होने पर विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

102. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ में बढ़ती वन्य जीवों (हिरण) की संख्या को देखते हुए हिरण अभ्यारण्य बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में वन भूमि पर बसे लोगों की भूमि का डायवर्जन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में स्थित बीड़ की चारदीवारी/तारबंदी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

105. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की ऑनलाईन प्रदूषण जांच मशीन की स्थापना की स्वीकृति की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई में एक नवीन क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय की स्थापना की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

107. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वन भूमि पर बने सरकारी भवनों के संबंध में चर्चा के लिये।

108. सूरतगढ़ राजस्व तहसील की विभाग के नाम भूमि का नाम जमाबंदी से हटाकर काश्तकारों को राहत देने के संबंध में चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वन विभाग की भूमि पर मकान के पट्टे जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

110. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की वन भूमि में पौधे लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वन क्षेत्र में पेड़ों को नष्ट करने एवं अवैध कटाई करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

112. जयपुर जिले की समस्त तहसीलों में स्थित वनभूमि पर चारदीवारी निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पर्यावरण प्रदूषण करने वाली इकाईयों पर कानूनी कार्यवाही कर लाईसेंस रद्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अवैध खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

115. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पर्यावरण को बचाने के लिये पेड़ लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

117. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पेड़ों की हो रही अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में विद्यालयों के माध्यम से पेड़ लगाने का अभियान चलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में किसानों की खातेदारी भूमि पर वन भूमि के गलत पैंसिल नोट हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना):

121. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के वनों से उपजाऊ मिट्टी नहीं उठाने के संबंध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वन से मोरम उठाने का स्थान चिन्हित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वन भूमि पर फलदार पौधे लगाने के लिए किसानों को देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

124. नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. अलवर-बहरोड़ रोड पर वन क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

126. भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर व कोटड़ी तहसील सहित सम्पूर्ण वन क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कर सघन वृक्षारोपण एवं संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. भीलवाड़ा जिले में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषित जल व वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में देवली चौराहे से जहाजपुर, पण्डेर, सपां, पारोली, कोटड़ी होते हुये सवाईपुर चौराहा तक सड़क के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. भीलवाड़ा जिले में स्थापित औद्योगिक इकाईयों एवं खनन कर्ताओं को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

130. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पहाड़ी क्षेत्र भाखड़ा बेल्ट में कैम्प फण्ड योजना लागू कर वनस्पति एवं वन्यजीवों के लिए चैकडेम, एनीकट बनवाने एवं जल सरंक्षण के कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. पाली एवं जोधपुर तथा बालोतरा के उद्योगों से रासायनिक पानी को लूणी नदी में प्रवाहित कर जल प्रदूषित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजस्व गांव डण्डाली में अन्यत्र स्थान पर भूमि देने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री हमीरसिंह भायल)

133. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के हल्देश्वर की पहाडियों में मिली दुर्लभ वनस्पति के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. सिवाना के वन क्षेत्र कुण्डल/कांखी की पहाडियों में बांस के पेड़ों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

135. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में वनों की कटाई करने वालों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में वनों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में वनों में रहने वाले वन्य जानवरों के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में वनों की कटाई की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. प्रदेश में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):

140. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में अधिक वन भूमि विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद):

141. विधान सभा क्षेत्र धोद में पुरानी वन भूमि में लगे विदेशी बबूल के पेड़ों को काटकर नए फलदार, फूलदार व अच्छे छायादार पेड़ लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र धोद में वन भूमि को सार्वजनिक कार्य के लिए आवंटन में शिथिलता देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बच्चू सिंह (बयाना):

143. विधान सभा क्षेत्र बयाना में वन विभाग द्वारा लगाये जाने वाले पौधों की निगरानी कमेटी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बच्चूसिंह)

144. विधान सभा क्षेत्र बयाना के वांसी पहाड़पुर क्षेत्र को फोरेस्ट रहित (Deforest) करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

145. विधान सभा क्षेत्र भीम में काछणली से गौरमघाट तक यात्रियों के लिए वन विभाग द्वारा वन पथ बनाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

146. राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच 8 बावाना से गोमती टू-लेन हाईवे को फॉरलेन एवं राज्यमार्ग 52 कामलीघाट से करमाल का चौराहा की पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

147. टोंक शहर के नजदीक वृक्ष विहीन पहाड़ों को वन क्षेत्र से बाहर करके अवैध खनन को रोकने के लिए लीज पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. टोंक शहर के नजदीक वन क्षेत्र में स्थित पहाड़ों में लगातार हो रहे अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

149. टोंक में अस्तल से हीरा चौक की ओर जाने वाले रास्ते के दायीं तथा बायीं ओर स्थित वन भूमि पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. टोंक जिले में वन विभाग के कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

151. नागौर के गांगेलाव रोड़ पर बड़ा औरन को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

152. जिला बांसवाड़ा के जगमेद, जोगीमाल व लोहारिया जंगल की पहाडियों में बाउन्ड्री वॉल का निर्माण कर जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नवनीत लाल)

153. नर्सरी में उगाये गये पौधों में से बचे हुये पौधे थैली को छेद कर उनकी जड़े जमीन में जाने से काट देने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. वन विभाग द्वारा पशुओं के खाने योग्य पालेदार व बड़ी पत्तियों वाले पौधे लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

155. प्रदेश में लघु उद्योगों में ऋण लेने में पर्यावरणीय क्लियरेन्स की आवश्यकता की शर्त के संबंध में चर्चा के लिये।

156. बिलाड़ा में घाणामगरा ग्राम में गत दिनों खेतों में बाघ (पैन्थर) घुस जाने के कारण वन विभाग कर्मियों द्वारा बाघ ढूंढने में फसल के नुकसान की भरपाई करने के संबंध में चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वन विभाग में गार्डों की रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. बिलाड़ा में गत बजट 2011-12 में घोषित वन्य जीवों के घायल हो जाने पर उपचारार्थ रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के बावजूद आज तक रेस्क्यू सेंटर स्थापित नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम पंचायत पिचियाक एवं बोरूंदा, हरियाड़ा पड़ासला कलां मालकोसनी ओलवी, सिंधीपुरा में वन्य भूमि पर हुये अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर):

160. विधान सभा क्षेत्र नगर में वन विभाग द्वारा लगाये गये पौधों के संबंध में चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र नगर में वन भूमि सीकरी उप तहसील में अतिक्रमण कर मस्जिद बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र नगर शहर में पैंथर द्वारा घायल व सांरगपुर में (बघेरा) पैंथर द्वारा मृत्यु की मुआवजा राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):</u>

163. बीकानेर शहर में वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित एवं कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. बीकानेर जिले में स्थित गोचर भूमि में पेड़ों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):</u>

165. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वन क्षेत्र में निवासरतो के वनाधिकार के अन्तर्गत पट्टे दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के जिला प्रतापगढ़ की देवगढ़ ग्राम पंचायत के सामसी पठार के नाले पर वन विभाग द्वारा एनिकट निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के जिला प्रतापगढ़ जिले के ग्राम पंचायत नकोट के टिला गांव में वन विभाग द्वारा एनिकट निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):</u>

168. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में चामुण्डा नाका, मिठी महुडी, टामटिया वाला महुडा दरा, वाग बोल का नाका, बेडा नाका WHS का निर्माण फोर वाटर कन्सेप्ट के तहत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वन भूमि में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्षों से वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को वनाधिकार पत्र दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वन भूमि पर वनौषधि के पौधे लगाकर वनौषधी जोन घोषित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में फोर वाटर कन्सेप्ट के तहसील

(श्री देवन्द्र कटारा)

सुलखैया, फारकी माता, मौजाल का नाम WHS का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

173. सिमाल निवासी भंवर सिंह पुत्र श्री कूपसिंह को रीछ के हमलों से विकलांग हुए व्यक्ति को मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. वन विभाग द्वारा लगाये गये पौधों को पानी नहीं पिलाने से पौधों के सूख जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

175. चम्पा देवी पत्नी श्री गलाराम सिखी को दिनांक 24 फरवरी, 2012 को जंगली सुअर द्वारा हमला करने पर मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

176. प्रदेश में वन विभाग के सभी रेंजर कार्यालय में वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

177. घड़साना 3 STR वन विभाग (नर्सरी) की भूमि पर पौधशाला और पार्क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

178. वन विभाग द्वारा जन समितियों में नियुक्ति/मनोनयन के लिए कोई मानदण्ड न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

179. वन विभाग द्वारा वन आच्छादित क्षेत्रों में समुचित विस्तार न किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

180. ग्राम गुड़ा व बरसिंहसर स्थित लिग्नाईट थर्मल ताप संयंत्र से निकलने वाले धुंए व राख से आमजन के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. बीकानेर जिले में वन विभाग की जमीनों की तारबंदी, चारदीवारी करवाने व सेवण घास लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भंवरसिंह)

182. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के बज्जू उप तहसील के करणीसर, कायमवाला सहित दर्जनों गांवों में वन विभाग की भूमि में उपलब्ध जिप्सम का अवैध खनन रोकने की प्रभावी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की वन विभाग की जमीनों पर हो रहे बजरी के अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. जोहड़बीड़ (भोजशाला) वन अभयारण्य में सौ वर्ष से अधिक पूर्व बसे कोटड़ी गांव को विस्थापित नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट):

185. सरिस्का सहित अन्य Century क्षेत्रों में पैंथरों एवं टाईगर सहित अन्य जीव जन्तुओं द्वारा लोगों के जीवन को खतरा पैदा कर दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

186. सरिस्का एवं रणथंभौर में बनी अवैध होटलों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. सरिस्का के अजबगढ़ में स्थित अमन बाग रिसोर्ट द्वारा वन भूमि पर दलितों की जमीन पर अवैध कब्जे करने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. सरिस्का क्षेत्र में बनी अमन बाग होटल द्वारा बिना भूमि संपरिवर्तन कराये निर्माण करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

189. विधान सभा क्षेत्र आमेर में वन विभाग एवं संचूरियन एरिया में ग्रेवल व WBM सड़क की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):

190. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित, कदम्बकुण्ड, प्रभातपुरी का खोला, (गुर्जरघाटी), राजराजेश्वरी माता का मंदिर, जयसिंह पुराखोर, जयपुर व अन्य स्थानों पर बारिश से पूर्व जल स्वावलंबन हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

191. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में घने एवं छायादार वृक्ष लगाने एवं नाहरगढ़ जाने वाली सड़क (नाहरगढ़ रोड-पुरानी बस्ती से) की मरम्मत एवं सड़क के दोनों ओर की दीवारों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में वन क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिरों व शमशानों में जाने वाले रास्तों को सुगम बनाये जाने तथा उक्त स्थानों पर मूलभूत सुविधाएं यथा पेयजल, विद्युत व बारिश से बचने के लिए छाया व सुलभ सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में वन क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इन कॉलोनियों का नियमन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

194. प्रदेश में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी करके फैक्ट्रियों एवं ईंट भट्टों से हो रहे प्रदूषण के संबंध में चर्चा के लिये।

195. वन विभाग में अतिक्रमण व अवैध रूप से हो रही कटाई में सुधार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

196. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के वन क्षेत्र की दांतीवाडा परियोजना में कराये गये गुणवत्ताहीन, मानदण्डों के विपरित कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

197. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वन विभाग द्वारा पौधारोपण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वन क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पर्यावरण को शुद्ध रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

200. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वनों में वार्षिक प्लान बनाकर आवारा पशुओं एवं जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी के लिए पक्के चेकडेम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वन विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

202. मई 2016 में राजस्थान वन सेवा से पदोन्नत अधिकारियों को तथा जिला स्तरीय अधिकारियों को पदोन्नती के पश्चात् भी पुराने पदों पर कार्यरत रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु खनन क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करके सार संभाल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में संरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. नागौर जिले में वन क्षेत्र को स्वीकृत करने के लिये प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. प्रदेश में स्थित अभ्यारण्यों व वन क्षेत्र को निजी हाथों में नहीं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

207. राज्य में लगातार घटते वन क्षेत्रों के कारण बढ़ते पर्यावरण असंतुलन को सही करने के लिए वन क्षेत्र बढ़ाने की ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. प्रदेश में बंजर, सवाई चक, पड़त भूमियों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधार की ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. प्रदेश में वन विभाग की जंगलात की जमीनों का सीमाज्ञान करवाकर पुख्ता सीमा चिन्ह निर्माण करवाकर अतिक्रमण रोकने की ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

210. प्रदेश में मौसमी व भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):</u>

211. वन विभाग की जमीन घडियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में घनी आबादी में बसे शिवपुरा, किशोरपुरा तथा वन क्षेत्र की भूमि पर बड़ी अनन्तपुरा, बरडा बस्ती, क्रेशर बस्ती एवं श्यामनगर को वन भूमि से मुक्त नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

212. प्रदेश में वन भूमि क्षेत्र में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए लेण्ड टू लेण्ड के तहत लंबित प्रस्तावों का निस्तारण कर भूमि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. कोटा संभाग में सिलिकोसिस से खनिज श्रमिकों की लगातार हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):</u>

214. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में अरावली वन क्षेत्र के संबंध में चर्चा के लिये।

215. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विलायती टीकर की जगह नये पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खाली पड़ी जमीन पर पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):</u>

217. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में रिक्त वनकर्मियों के पदों को तुरंत भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में श्रीसीमेंट के प्लांट से निकलने वाली दूषित वायु को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

220. पीलीबंगा रेंज व रावतसर रेंज में फुलवारी के पौधें की नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के वन माफियाओं पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पेड़ पौधों के रख रखाव के लिए वन पालक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल):

223. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के वन क्षेत्र में सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के वन विभाग के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के वनाधिकार पट्टे वितरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

227. श्री सुंधामाता मंदिर जालौर के वन क्षेत्र में स्थापित प्राइवेट कंपनी श्री सुंधा माता रोपवे लि. के द्वारा वन क्षेत्र में करवाये जा रहे अवैध निर्माण और रोपवे के सीमा चिन्ह स्तंभ हटाने की जांच करवाने की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में वन क्षेत्र से गुजरने वाले रास्तों पर सड़क निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में वन क्षेत्र में पानी भराव वाले स्थानों पर एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 43 - खनिज पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-43 मुख्य शीर्षक **खनिज** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. प्रदेश में खनिज नीति के अन्तर्गत क्वारी लाइसेंस की नीलामी न कर पूर्व की भांति लॉटरी से आवंटन करने एवं लीज अवधि पूर्व की भांति 90 वर्ष रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भोमियाजी का थान विस्तार क्षेत्र में लॉटरी द्वारा आवंटन 180 खान एवं सिंहादा विस्तार में 1117 खानों के क्वारी लाइसेंस जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम पंचायत बालेसर में खनिज अभियन्ता (एम.ई.) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में खान विभाग के सड़क निर्माण बजट से बालेसर क्षेत्र में खनिज सेण्ड स्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र ठाडिया फांटा से गुमानपुरा सम्पर्क सड़क वाया खनन क्षेत्र में एप्रोच सड़क एवं अमृतनगर से भोमियाजी का थान क्वारी बाउण्ड़ी में स्थित डेरडी तक, भालुकलां से मेरिया मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण एवं बालेसर सता से खिरजां भोजा खनिज सड़क की चौड़ाईकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

5. प्रदेश में खान आवंटन नीति को जल्दी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

6. विधान सभा क्षेत्र वैर में खानों से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु कारगर उपाय करने एवं मजदूरों के ईलाज हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

7. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

8. करोली जिले में विभागीय अधिकारी व रसूखदार ठेकेदारों द्वारा अवैध बजरी खनन कर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की हो रही राजस्व हानि की रोकथाम हेतु कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. करौली जिले में अवैध बजरी खनन व पत्थर खनन की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

10. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित कोटा स्टोन के रफ मैटेरियल के निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित कोटा स्टोन खानों से प्राप्त रॉयल्टी की राशि को क्षेत्रीय जनता की जनसुविधाएं हेतु खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित खानों से कोटा स्टोन के दोहन के उपरान्त वापिस खेत बनाकर किसानों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कई वर्षों से रेती, चिनगारी, पत्थर की निविदाएं नहीं होने से सरकार को होने वाले राजस्व की हानि के संबंध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित खानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर):

15. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में अवैध खनन रोकने एवं नवीन लाईसेंस जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

16. उपखण्ड सांगोद एवं कनवास का खनन क्षेत्राधिकार कार्यालय खनिज विभाग रामगंजमण्डी से हटाकर खनिज कार्यालय कोटा से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

17. कोटा व बारां जिले कि सांगोद, कनवास, दिगोर, अन्ता, मांगरोल तहसील में कालिसिंध नदी, पार्वती नदी, पर्वन नदी में बजरी खनन हेतु 1607 हैक्टेयर के बड़े पट्टों को निरस्त कर ई-निलामी करते हुए छोटे-छोटे (5-5 हैक्टेयर) के खनन पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर):

18. प्रदेश की खनिज नीति एवं रॉयल्टी के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

19. प्रदेश में खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

20. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

21. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा तहसील में अवैध खनन को बन्द करने के संबंध में चर्च के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में तह. अलवर के गांवों में अवैध खनन को बंद करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

23. बाड़मेर केन्द्र के कवास में कार्यशील जिप्सम को संरक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. बाड़मेर में वृहद् मात्रा में उत्पादित हो रहे खनिज तेल के कारण बाड़मेर में रिफायनरी का कार्य प्रारम्भ कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री मेवाराम जैन)

25. बाड़मेर जिले में लिग्नाइट एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में कार्य कर रही राजवेस्ट पावर लि. एवं केयर्न इण्डिया प्रा.लि. द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने एवं सी.एस.आर. राशि का सही उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

26. प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. प्रदेश में खनिज नीति एवं नियम नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर):

28. सांचोर-बाड़मेर बेसिन में तेल-गैस के अथाह भण्डार का दोहन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. सांचोर बाड़मेर बेसिन में कोयले के भण्डार का सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

30. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में खनिज मालिक को परमिट दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. प्रदेश में खनिज निकालने के बाद गड्डों को जल स्वालम्बन के काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. प्रदेश में माईनिंग परमिट का सरलीकरण करने एवं ऑनलाईन परमिट फीस भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. प्रदेश में खनिज ठेके की 1 प्रतिशत राशि स्थानीय गावों में खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

34. विधान सभा क्षेत्र कपासन में खनिज रॉयल्टी के द्वारा क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में वर्तमान खनिज नीति आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

36. राज्य में अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

37. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन क्षेत्र या वन्य क्षेत्र की सीमा के आस-पास बंद पड़ी मार्बल की खानों को पुन: चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के कूथाड़ा-हरड़ी की पहाड़ी पर चल रहे खनन के कार्य पर लगी रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकारी/ निजी कार्यों के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खनन हेतु स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकारी स्तर पर मार्बल/ खनिज उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. खनन कार्य में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर):

42. प्रदेश में बजरी खनन LOI के आधार पर खनन अनुमति देने से राजकोष को हो रही हानि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

43. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

44. प्रदेश में रेत (बजरी) माफिया पनपने से खनिज विभाग को हो रहे राजस्व घाटे के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा):

45. राज्य में ड्राय माईनिंग समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. राज्य की खानों में मजदूरों को होने वाले विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु सुरक्षा उपाय करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री रमेश)

47. राज्य की खानों की ई-निलामी का कुछ अंश खान मजदूरों एवं उनके परिवारों हेतु रिजर्व रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

48. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में खनिज की रॉयल्टी से स्थानीय क्षेत्र का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जावर माईन्स द्वारा गांव का विकास कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में झामर कोटड़ा माईन्स के सीमांकन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में झामर कोटड़ा माईन्स के लाभ से स्थानीय गावों का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जावर माईन्स का सीमांकन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

53. विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में खान क्षेत्रों में जाने वाली सड़कों के सुदृढीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

54. विधान सभा क्षेत्र जालोर में बजरी के अवैध खनन को रोकने एवं इनके पट्टों का मौके पर डिमार्केशन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

55. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में खनन क्षेत्र में हो रहे खनन का सत्यापन करा कर ही रवन्ना जारी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

56. धौलपुर जिले में 10 टन वजन की टी.पी. बनवाकर 40 टन वजन अवैध रूप से ले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. धौलपुर जिले में नवीन खनिज पट्टे जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री गिर्राज सिंह)

58. धौलपुर जिले में घडियाल क्षेत्र को चिन्हित कर चम्बल रेता की निकासी स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

59. जिला जोधपुर के अनेक गांवों व ढाणियों में खान धारकों व अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य करने, सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली हर माह की करोड़ों रुपयों की राशि का नुकसान पहुंचाने एवं खान माफियाओं के पनपने से उत्पन्न्स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र लूणी में खनिज क्षेत्रों में काम करने वाले खंडवालियों, मजदूरों व अन्य व्यक्तियों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने, उनके हितों की सुरक्षा करने, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. जिला जोधपुर में ओवर लोडिंग व लापरवाही से ट्रकों व ट्रबों द्वारा अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने, ट्रकों व ट्रबों को लापरवाही एवं तीव्रगति से चलाने से दुर्घटनाएं घटित होने, ग्रामीण सड़कों को भारी क्षति पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र लूणी के खान क्षेत्र चोखा बड़ली, केरू, बुझावड़, गंगाणा, पालड़ी मांगलिया में खनिज सेण्ड स्टोन के खनन पट्टा क्षेत्रों में विभिन्न सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य करवाने एवं प्रदेश में खनिज रॉयल्टी से वसूली गई राशि से संबंधित ग्राम पंचायत में अंशदान देकर विकास के कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र लूणी के खान क्षेत्र बड़ली 5 दुकान से ब्रह्मशक्ति स्टोर होते हुए बड़ली खानियों तक व बड़ली कालूजी की प्याऊ से वाया नारवा तक डामर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

64. विधान सभा क्षेत्र मावली में खनिज क्षेत्रों की 8 क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण एवं सुदृढीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री दलीचन्द डांगी)

65. विधान सभा क्षेत्र मावली में बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता के आधार पर खनिज पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र मावली में खनिज की खानों पर कार्यरत श्रमिकों की कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उन्हें उचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र मावली के खनिज क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र मावली में स्थित माइन्सों में स्थानीय मजदूरों को मजदूरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री श्रीराम भींचर (मकराना):</u>

69. विधान सभा क्षेत्र मकराना की मार्बल छोटी खानों को मार्बल नीति से अलग रखने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):</u>

70. विधान सभा क्षेत्र आहोर में खनन पट्टों का चिन्हीकरण कर अवैध खनन रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):</u>

71. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों के संबंध में चर्चा के लिये।

72. प्रदेश में नई खनिज नीति बनाकर अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में हो रहे अनाधिकृत खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के खनिज क्षेत्र में रॉयल्टी के रूप में वसूली गई राशि से खनिज क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(डॉ. फूल चन्द भिण्डा)

75. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में खनिज क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री खेमाराम (सुजानगढ़):</u>

76. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में खनिज उपलब्धता अनुसार क्षेत्र में खनिज पट्टे जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. प्रदेश में विभाग के विभिन्न संवर्ग के रिक्त पड़े पदों पर नई भर्ती नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में संचालित खनिज क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों के कल्याण एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनका बीमा करवाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कैलाश चौधरी (बायतू):</u>

79. प्रदेश पर्यावरण संरक्षण में प्रति टन रॉयल्टी/ कर के रूप में ली जाने वाली राशि को संबंधित खनन क्षेत्र में खर्च करने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. प्रदेश में बजरी खनन में रॉयल्टी ठेकेदारों द्वारा मनमानी को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए खनन नीति का सरलीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

82. बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त रॉयल्टी से बाड़मेर के विकास कार्यों में प्राथमिकता से लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. बाड़मेर में तेल दोहन से प्राप्त होने वाले सी.एस.आर. फंड का समुचित उपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):</u>

84. अलवर जिले के ललावण्डी, ओडेला, भाणकी, नीकच, तिजारा, टपूकड़ा, बानसूर सहित कोर एरिया व अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में चल रहे अवैध खनन को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):</u>

85. अलवर जिले में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से वन क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय होने व अवैध खनन से उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):</u>

86. बीकानेर को सिरेमिक हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हीरालाल (निवाई):</u>

87. विधान सभा क्षेत्र निवाई पीपलू तहसील निवाई के गांव बस्सी, मण्डालिया, किवाड़ा, नोहटा की पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन को रोके जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):</u>

88. औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में एक नवीन मिनरल पार्क की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़, सिलोरा, रूपनगढ़ एवं परबतसर (नागौर) क्षेत्रों में स्थित मार्बल पाउडर उत्पादित ईकाईयों के कच्चे माल को ट्रैक्टर द्वारा परिवहन कर लाये जाने पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी से राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):</u>

90. नार्दन बाइपास निर्माण में चम्बल नदी के किनारे पर ठेकेदारों द्वारा एवं अधिकारी की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन को रोककर अधिकारियों की संलिप्तता की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):</u>

91. कोटपूतली क्षेत्र में अवैध खनन व अवैध ब्लास्टिंग करने वाले वाहनों को जप्त करने व उक्त कार्य करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. राज्य में ग्राम पंचायतों के विकास कार्य करने के लिये खनन पट्टों की आय का ग्राम पंचायत को 10 प्रतिशत हिस्सा देने का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

93. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली व आमेर जयपुर की कृषि भूमि पर आवंटित खनन पट्टों को रद्द करने एवं पट्टा जारी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. जयपुर जिले की आमेर तहसील के ग्राम बिलौंची में हो रहे अवैध खनन व ब्लास्टिंग को रोकने व कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. कोटपूतली क्षेत्र में हो रहे पत्थर एवं बजरी के अवैध खनन को रोकने एवं अवैध खनन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):**</u>

96. प्रदेश में खनिज से प्राप्त रॉयल्टी का निर्धारित अंश स्थानीय पंचायतों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. प्रदेश की खनन नीति में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>**श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):**</u>

99. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर सहित भीलवाड़ा जिले एवं संपूर्ण प्रदेश की मेजर मिनरल्स ईकाईयों में स्थानीय वाशिन्दों को रोजगार प्रदान करने हेतु ठोस नीति तैयार की जाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर सहित भीलवाड़ा जिले व सम्पूर्ण प्रदेश में बढ़ती खनन गतिविधियों के चलते किसानों के कुएं व नलकूपों के गिरते जल स्तर को संरक्षित करने हेतु प्रभावी नियंत्रण एवं कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर सहित सम्पूर्ण भीलवाड़ा जिले में खनन क्षेत्रों, बजरी ठेकेदारों को खनन प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण हेतु जिम्मेदारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री धीरज गुर्जर)

102. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर सहित सम्पूर्ण जिले में अवैध बजरी दोहन व खनन माफिया पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):</u>

103. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के देवड़ा खनन क्षेत्र (ग्रेनाइट) से खनिज पदार्थ परिवहन करने हेतु सीधा सड़क मार्ग 12 कि.मी. देवड़ा-दुर्गापुरा-दन्ताला देवन्दी होते हुए मवड़ी तक एन.एच. 325 में मिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. प्रदेश में खनिज विभाग द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत के रॉयल्टी का हिस्सा विकास कार्यों हेतु दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम खनन कार्य हेतु बनी समन्वय समिति की एक भी बैठक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में किसानों के लिए स्वयं के मकान निर्माण हेतु बजरी एवं पत्थर की रॉयल्टी माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. सिवाना क्षेत्र में अनापत्ति प्रमाण जारी करवाने एवं नये खनन पट्टे जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):</u>

108. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में चल रहे सरेआम खनिज दोहन के कारण होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में चर्चा के लिये।

109. प्रदेश में खनिज दोहन पर प्रशासन द्वारा अनदेखी किये जाने एवं उस पर कठोर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में माही नदी पर खुलेआम अवैध खनिज के दोहन के संबंध में चर्चा के लिये।

111. खनिज दोहन करने वाली बड़ी-बड़ी फर्मों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में खनिज दोहन के नियमों की पालना कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):**</u>

113. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में बिजोलियां तहसील में खनिज क्वारी लाईसेंस जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>**श्री बच्चू सिंह (बयाना):**</u>

114. विधान सभा क्षेत्र बयाना के गांव अघावली में खनन पट्टा 02/93 में अवैध स्टोन क्रेसर के संबंध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत वांसी महाड़पुर क्षेत्र में पूर्व में 2003 तक संचालित खानों को पुन: बहाल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र बयाना के गांव अघावली में खनन पट्टा 02/93 में अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री हरिसिंह रावत (भीम):**</u>

117. विधान सभा क्षेत्र भीम एवं देवगढ़ के अन्तर्गत सभी खनिज क्षेत्र की सड़कों को पुन: ठीक कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. बदनोर क्षेत्र की स्लेट स्टोन की माइन्सों को अरावली क्षेत्र से बाहर कर पुन: प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ में खनिज सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. प्रदेश में छोटे कटर धारकों को रॉयल्टी से मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):**</u>

121. नागौर के फिरोजपुरा एरिया में खनिज क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>**श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):**</u>

122. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के चौढ़ा एवं बेनन ग्राम पंचायत की गौचर भूमि में हो रहे बजरी के अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुनलाल)

123. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा में प्रचुर मात्रा में बजरी, लाइम स्टोन, सैण्ड स्टोन, रियोलाइट, जिप्सम मिलने के कारण बिलाड़ा में सहायक अभियन्ता (खान) का कार्यालय स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम सम्बाडिया झाक, मुरकासनी, भागासनी के आसपास क्षेत्र की खातेदारी भूमि में सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए आरक्षित किये गये ब्लॉकों एवं किसानों के खातेदारी भूमि में खनन पट्टे जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. बिलाड़ा क्षेत्र के खनिज क्षेत्र में खनिज को बढ़ावा देने हेतु डामर सड़क मुरकासनी से पटेलनगर वाया देवनगर खोजानगर के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की ग्राम पंचायतों के क्षेत्र से प्राप्त खनिज रॉयल्टी की निश्चित राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर):

127. विधान सभा क्षेत्र नगर में (डीग क्षेत्र) वन घोषित क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने की कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र नगर में सीकरी उप तहसील के अन्तर्गत खनन पट्टे स्वीकृत करने से मंदिर व गौशाला के अस्तित्व पर संकट आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

129. उदयपुरवाटी पहाड़ी क्षेत्र में चेजा पत्थर का खनन होकर परिवहन से क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

130. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में निजी खातेदारी की भूमि पर जारी किये गये खनन पट्टों के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

132. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिये विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):**</u>

133. विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी के तेजपुरिया की ढाणी, मानजी का बाग, एवं खँडीप, खनिज क्षेत्र पर आने-जाने की सम्पर्क सड़क बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>**श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):**</u>

134. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में खनन माफिया पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में खनन पट्टाधारियों द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए 20 प्रतिशत मुनाफा खर्चा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के अनुसूचित क्षेत्र में खनिज के उद्योगों को अनुसूचित क्षेत्र मे ही लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. अनुसूचित क्षेत्र में खनन नीति तथा खनन दोहन में अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में खनिज महत्व की सड़क रोहनवाड़ा से देवल आकोल से डूंगरपुर व खैमारू से डूंगरपुर सड़कों का पुन: निर्माण एवं चौड़ाईकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):**</u>

139. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़जंक्शन में बजरी कि रॉयल्टी, ठेकेदारों द्वारा मनमानी दरों से वसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. राणावास नदी में बजरी ठेकेदारों द्वारा बहुत गहरे गड्ढे बनाकर रेती के गड्ढे को लेवल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री रामनारायण (नसीराबाद):**</u>

141. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में भारी अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):</u>

142. अनूपगढ़ घड़साना के सभी भट्टों का कचरा एवं कच्ची ईंट सड़कों के किनारे डालने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):</u>

143. खनिज विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त योगदान न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

144. प्रदेश में अवैध बजरी खनन के संबंध में चर्चा के लिये।

145. प्रदेश में वैध एवं अवैध जिप्सम खनन के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री भँवरसिंह (कोलायत):</u>

146. कोलायत तहसील क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टाधारियों के द्वारा किये गये गहरे गड्ढे भरवाने तथा ओवर बर्डन के पहाड़नुमा ढेरों को हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के खनन क्षेत्र व संबंधित आवागमन की प्रमुख सड़कों की स्थिति सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

148. कोलायत तहसील की स्वीकृत क्ले खानों/ खनन पट्टाधारकों के द्वारा निर्धारित/ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नियम विरुद्ध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. कोलायत तहसील के बज्जू उप तहसील क्षेत्र में जिप्सम का अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. कोलायत तहसील के कोटड़ी, गुड़ा, मढ़, चानी, इन्दों का बाला, गोलरी सहित टेचरी फांटा से कोलायत सड़क के दोनो तरफ बजरी व क्ले का अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री नवीन पिलानिया (आमेर):</u>

151. विधान सभा क्षेत्र आमेर में खनन माफिया के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र आमेर में खनन करने की शर्तों के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट):

153. करौली तहसील सपोटरा के ग्राम बिचपरिया मनोहरपुरा, अभखाड़, महोली, नयापुरा, रामापुरा, पितूपुरा, लोहरी एवं ख्रिरखड़ा तथा गज्जूपुरा में अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. जिला करौली की तह. सपोटरा के ग्राम सैभरदा में स्थित शुभम मिनरल्स द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर तथा तय गहराई से ज्यादा अवैध खनन के संबंध में चर्चा के लिये।

155. टोंक सवाई माधोपुर बनास नदी के क्षेत्र में बजरी लीजधारकों द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के सस्टेनेबल सेंड़ माईनिंग के नियमों की पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. बनास नदी (चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर) के करीब 7 गावों में लीजधारकों द्वारा अवैध बजरी खनन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

157. बनास नदी (टोंक, स.माधोपुर) में बजरी लीजधारकों द्वारा जाली रसीदों जिन पर कोई CST/ST/VAT/ED/TIN/PAN/Servicetar आदि प्रिंट नहीं होने के बाद भी उपभोक्ताओं से अवैध वसूली किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

158. खनिज विभाग में अवैध रूप से वन विभाग एवं अरावली की बन्द खानों के संबंध में चर्चा के लिये।

159. प्रदेश में अवैध रूप से हो रहे खनन की टेक्स चोरी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

160. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के सेलवाडा माईन्स से निकलने वाले ओवर लोडिंग ट्रकों के आवागमन से क्षतिग्रस्त सड़कों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

161. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री निर्मल कुमावत)

162. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में खनन क्षेत्र की सड़कों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में खनन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को खनिज विभाग द्वारा सहायता प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

164. विधान सभा क्षेत्र सिकराय गांव गैरोटा में चल रहे अवैध खनन से ग्रामीण जन एवं आवारा पशुओं को होने वाले नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में अवैध खनन को रोकने हेतु कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में स्थापित क्रेसर मशीनों से होने वाले प्रदुषण परनियंत्रण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में खनन पट्टों के आवंटन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

168. प्रदेश में नई खनन नीति में क्वेरी लाइसेंस देने का प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

169. प्रदेश में सीमेंट ग्रेड़ के लिये रिजर्व ब्लॉक, क्षेत्रों का री-सर्वे करवाकर उस ब्लॉक में अन्य श्रेणी के खनिज मिलने की संभावना को तलाशने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. प्रदेश में आरक्षित बजरी खनन क्षेत्रों में मनमर्जी से बहुत अधिक गहराई तक बजरी खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. नागौर जिले में खसरावार उपलब्ध होने की स्थिति में नये जिप्सम खनन पट्टे किसानों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. नागौर जिले के मुण्डवा मे अम्बुजा सीमेंट प्लान्ट हेतु आरक्षित खनन पट्टों में खनन कार्य शुरू नहीं करने से हो रहे राजस्व नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. मंजू बाघमार (जायल):

173. विधान सभा क्षेत्र जायल में अवैध खनिज की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र जायल के गांव गोठ मांगलोद मेंजिप्सम खनन क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

175. प्रदेश में अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध ठोस व त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

176. प्रदेश में खनिज रॉयल्टी की निर्धारित दरों से ज्यादा राशि वसूलने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने व खनिज रॉयल्टी दरों के सूचना पट्ट ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. सीकर जिले में खनिज पट्टाधारियों द्वारा अपने निर्धारित खनन क्षेत्र से बाहर अवैध खनन के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

178. नादर्न बाईपास निर्माण में एवं चम्बल नदी के किनारे ठेकेदार व खनिज अधिकारियों के मिलीभगत से अवैध मिट्टी खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

179. प्रदेश में खातेदारों की जमीन की लीज करने की प्रक्रिया व खनन के बाद गड्ढों को नहीं भरने के संबंध में कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा के लिये।

180. प्रदेश में खनिज विभाग में विभिन्न स्तर के रिक्त पदों के भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

181. प्रदेश में बजरी खनन माफिया व अधिक रॉयल्टी वसूलने पर ठेकेदारों पर रोकथाम लगाने के लिए विगत तीन वर्षों में किये गये कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

182. प्रदेश में बढ़ रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा के लिये।

183. प्रदेश में चारागाह व सिवायचक भूमि में खनिज की इजाजत देने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):</u>

184. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट के खनिज क्षेत्र के संबंध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में आकाणाली खान से खनिज निकालने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):</u>

186. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में स्थापित श्रीसीमेंट लिमिटेड़ के कारखानों एवं माईनिंग से होने वाले प्रदूषण से आस-पास के ग्रामीण खातेदारों की फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये किसानों को भूमि के अनुसार पर्याप्त मुआवजा राशि देने के संबंध में चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की ग्राम पंचायत बड़ली में बजरी खनन को नियमानुसार बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में श्रीसीमेंट लि. को आवंटन की गई माईन्स को खनिज नियमों के अनुसार वन विकसित (पौधारोपाण) कर प्रदुषण से क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य की पालना सुनिश्चित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र मसूदा कि ग्राम पंचायत बड़ली में लीजधारकों व रॉयल्टी ठेकेदारों द्वारा बजरी का अत्यधिक खनन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):</u>

190. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के खनन क्षेत्र में प्राप्त रॉयल्टी का हिस्सा ग्राम पंचायतों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नारायण सिंह देवल)

191. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में खान विभाग के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. जालोर जिले सहित प्रदेश में संचालित अवैध क्रेशरों के बंद किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।